महानगर नई दिल्ली शुक्रवार 18 अक्तूबर, 2019, रु. 5.00 (16 पेज) दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और चंडीगढ़ से प्रकाशित

जनसत्ता

jansatta.com epaper.jansatta.com facebook.com/jansatta twitter.com/jansatta

महाराष्ट्र में चुनावी जनसभाओं में बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

दुनिया देख रही है नए भारत का आत्मविश्वास

बीड़/सतारा/पुणे 17 अक्तूबर (भाषा)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को कहा कि नए भारत में पनपते नए आत्मविश्वास को दुनिया देख सकती है। उन्होंने गुरुवार को महाराष्ट्र के पुणे, सतारा और बीड़ में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 70 साल में अनुच्छेद 370 को बातें तो बहुत हुईं, लेकिन सिर्फ उनकी सरकार ने इसके खत्म करने की हिम्मत दिखाई।

मोदी ने पुणे रैली में कहा कि पूरी दुनिया नए भारत के नए आत्मविश्वास को देख सकती है। हर कोई बदलाव को महसूस कर सकता है। वे हाउडी मोदी की चर्चा कर रहे हैं। केंद्र में स्थिर सरकार बनाने के लिए लोगों द्वारा दिए गए मजबूत जनादेश के बाद सारी दुनिया में आज नए भारत की गूंज सुनाई दे रही है। मोदी ने साथ ही कहा कि जब तक गरीब और मध्य वर्ग से लूटी गई एक-एक पाई उनको वापस नहीं कर दी जाती, तब तक वे आराम नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के मामले में लिप्त लोगों के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

प्रधानमंत्री ने बीड़ की चुनावी रैली में कहा कि जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का विरोध करने वालों के बयान इतिहास में दर्ज होंगे। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के पास वैसे लोगों को दंडित करने का मौका है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भाजपा नीत गठबंधन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा।

उन्होंने कहा, 'मुझे आप और आपकी देशभक्ति पर भरोसा है कि आप देश के हितों के खिलाफ बोलने बाकी पेज 8 पर

प्रधानमंत्री ने कहा

जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने का विरोध करने वालों के बयान इतिहास में दर्ज होंगे।

भाजपा सरकार शिवाजी महाराज के मूल्यों पर दृढ़ रही है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और जो लोग देश पर बुरी नजर रखेंगे उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

थरूर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

सर्बिया में अंतर संसदीय संघ (आइपीयू) की बैठक में कश्मीर मुद्दा उठाने को लेकर पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि यह विडंबना है कि जम्मू कश्मीर में अनगिनत आतंकवादी हमलों के लिए जिम्मेदार देश इस तरह के दुर्भावनापूर्ण प्रयास कर रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की अध्यक्षता वाले भारतीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल थरूर ने बुधवार को कहा कि भारत की संसद इस तरह के दुर्भावनापूर्ण बाकी पेज 8 पर

370 व सावरकर पर नरम पड़ी कांग्रेस

मुंबई, 17 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को कहा कि कांग्रेस को किसी से राष्ट्रभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने अनुच्छेद 370 हटाने के पक्ष में वोट दिया, लेकिन जिस उद्धत तरीके से इसे किया गया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। कांग्रेस का मानना है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है, लेकिन अगर बदलाव लाया जाना है तो इसे जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छाओं के मुताबिक।

वीडी सावरकर को भारतरत्न देने के भाजपा के चुनावी वादे पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस सिर्फ सावरकर की हिंदुत्ववादी विचारधारा का विरोध करती है। महात्मा गांधी की हत्या के मामले में सावरकर आरोपी थे, लेकिन वह बरी हो गए थे। मनमोहन ने हिंदू महासभा के नेता को 'सावरकरजी' के संबोधन के साथ कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में डाक टिकट जारी किया था। लेकिन हम हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थन में नहीं हैं, जिसे सावरकरजी ने संरक्षण दिया और प्रोत्साहित किया।

पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि जिस उद्धत तरीके से संविधान के बाकी पेज 8 पर

कांग्रेस का मानना है कि अनुच्छेद 370 अस्थायी प्रावधान है लेकिन जिस तरीके से इसे हटाया गया, हम उसके खिलाफ हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सावरकर की याद में डाक टिकट जारी किया था। लेकिन हम हिंदुत्व की विचारधारा के समर्थन में नहीं हैं, जिसे सावरकरजी ने प्रोत्साहित किया।

जम्मू-कश्मीर में 62 साल पुरानी विधान परिषद भंग

जम्मू, 17 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर को इस महीने के अंत में दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने से पहले राज्य प्रशासन ने एक आदेश जारी कर 62 साल पुरानी राज्य विधान परिषद को भंग कर दिया है। यहां कार्यरत 116 कर्मचारियों को सामान्य विभाग में रिपोर्ट करने का निर्देश दिया है।

राज्य को आधिकारिक रूप से 31 अक्तूबर की मध्यरात्रि दो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू-कश्मीर में विभाजित करने से कुछ दिन पहले बुधवार को विधान परिषद को भंग करने का आदेश जारी किया गया। जम्मू-कश्मीर विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश होगा। विधान परिषद के कार्यरत 116 कर्मियों को 22 अक्तूबर तक सामान्य प्रशासन विभाग को रिपोर्ट करने को कहा गया है। राज्य सरकार के सचिव फारूक अहमद लोन की ओर से जारी आदेश में समय-समय पर विधान परिषद के लिए खरीदे गए वाहनों को निदेशक मोटर गैराज और विधान सभा परिषद की इमारत को फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों सहित संपदा निदेशक को सौंपने को कहा गया है।

सभी 116 कर्मचारियों को 22 अक्तूबर तक सामान्य विभाग को रिपोर्ट करने का निर्देश

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से यातायात प्रभावित

जम्मू, 17 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-पठानकोट राजमार्ग के पास सांबा जिले में हाल में स्थापित किए गए सरोर टोल प्लाजा को हटाने की मांग को लेकर ऑल जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन (एजेकेटीडब्लूए) बाकी पेज 8 पर

दुकानें खुलीं, सड़कों पर दिखे निजी वाहन

श्रीनगर, 17 अक्तूबर (भाषा)।

जम्मू-कश्मीर में हालात धीरे-धीरे पटरी पर लौटते नजर आ रहे हैं और गुरुवार सुबह लाल चौक समेत कई वाणिज्यिक इलाकों में कुछ घंटों के लिए दुकानें खुलीं, लेकिन मुख्य बाजार और अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। अधिकारियों ने बाकी पेज 8 पर

पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति कुमार का तबादला

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट के कॉलिजियम ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार के बारे में हाल ही में कठोर टिप्पणियों की वजह से विवादों का केन्द्र बने पटना हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति राकेश कुमार का आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश की है। कॉलिजियम ने इसके साथ ही पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी साही को मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद स्थानांतरित करने की भी सिफारिश की है।

मुख्य न्यायाधीश एपी साही

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले कॉलिजियम की 15 अक्तूबर को हुई बैठक में मुख्य न्यायाधीश साही और न्यायमूर्ति कुमार का तबादला करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया।

न्यायमूर्ति राकेश कुमार

शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर एक बयान में यह जानकारी दी गई। न्यायमूर्ति कुमार ने न्यायपालिका में कथित भ्रष्टाचार को लेकर तीखी टिप्पणियां की थीं और सीबीआइ जांच का आदेश दिया था। उन्होंने एक पूर्व आइएएस अधिकारी को जमानत दिए जाने के मामले में पटना के जिला न्यायाधीश बाकी पेज 8 पर

धवन के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

अयोध्या मामले में मुसलिम पक्षकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के खिलाफ कार्रवाई के लिए एक हिंदू पक्षकार ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) में शिकायत की है। सुप्रीम कोर्ट में राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में अंतिम दिन की सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने बुधवार को कथित रूप से भगवान राम के जन्मस्थल को दर्शाने वाले एक नक्शे को फाड़ दिया था।

अखिल भारत हिंदू महासभा के एक घटक ने धवन की इस कार्रवाई की निंदा करते हुए बीसीआइ को पत्र लिखा है। पत्र में धवन के इस कदम को 'अत्यधिक अनैतिक कृत्य' बताया गया है प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले पांच सदस्यीय संविधान बाकी पेज 8 पर

बांग्लादेशी गार्ड की गोलीबारी में बीएसएफ जवान की मौत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

फ्लैग मीटिंग से लौटते समय मारी गोली

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बांग्लादेशी सैनिकों की ओर की गई गोलीबारी में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह की मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल अन्य एक जवान का इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बीएसएफ के जवान एक मछुआरे की तलाश में बात करने गए थे, जिन्हें बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश (बीजीबी) ने बंधक बना लिया था।

अधिकारियों के मुताबिक, गुरुवार को भारत-बांग्लादेश सीमा पर भारत के तीन मछुआरे पद्मा नदी में मछली पकड़ने गए थे। बाद में दो मछुआरे लौटकर आए और उन्होंने बीएसएफ की ककमारीचार पोस्ट पर सूचना दी बाकी पेज 8 पर

हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर लगी रोक हटाई

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा द्वारा जी न्यूज और उसके प्रधान संपादक सुधीर चौधरी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है।

मोइत्रा की सुधीर चौधरी के खिलाफ मानहानि शिकायत का मामला

मानहानि का यह मामला संसद में 25 जून को मोइत्रा द्वारा दिए गए बयान के सिलसिले में दर्ज कराया गया था। न्यायमूर्ति बृजेश सेठी ने तृणमूल कांग्रेस सांसद की याचिका पर यह आदेश पारित किया। इससे पहले सत्र अदालत ने 25 सितंबर के फैसले में बाकी पेज 8 पर

टीवी चैनल खबर देने में सतर्कता बरतें

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

समाचार प्रसारण व मानक प्राधिकरण (एनबीएसए) ने सभी टेलीविजन चैनलों को परामर्श जारी किया है कि वह राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में खबर देते वक्त 'सतर्कता' बरतें और तनाव पैदा करने वाली 'भड़काऊ बहसों' से दूर रहें। एनबीएसए समाचार चैनलों के लिए स्वनियामक संस्था है। यह सलाह भी दी गई है कि अयोध्या मामले पर किसी भी समाचार में वह बाबरी मस्जिद ढहाए जाने से जुड़े कोई फुटेज नहीं दिखाएं।

समाचार प्रसारण व मानक प्राधिकरण ने सलाह दी कि बाबरी मस्जिद ढहाए जाने का फुटेज नहीं दिखाएं

बुधवार को जारी दो पन्नों के परामर्श में कहा गया कि सुप्रीम बाकी पेज 8 पर

करतारपुर जाने वालों के लिए लगेंगे पासपोर्ट मेले

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व में शामिल होने के लिए पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को पासपोर्ट जारी करने के लिए तीन जगह पासपोर्ट मेले लगाए जाएंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ के अलग-अलग इलाकों में पासपोर्ट मेले लगाने का फैसला किया गया है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक, आवेदक तत्काल में पासपोर्ट जारी करवा सकते हैं। अपने निवास के तीन प्रमाणपत्र देकर वे तत्काल में पासपोर्ट जारी करवा सकते हैं। ऐसे आवेदक ऑनलाइन समय लेकर पासपोर्ट मेलों में हिस्सा ले सकते हैं। इसी के तहत पहला मेला बठिंडा के पोस्ट ऑफिस स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर लगाया जाना है। उस इलाके के आवेदक वहां अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं। बाकी पेज 8 पर

हरियाणा में कांग्रेस की हवा : हुड्डा

अजय पांडेय
महम (रोहतक), 17 अक्तूबर।

हरियाणा विधानसभा के चुनाव में भाजपा ने भले 75 पार का नारा देकर प्रदेश में दोबारा अपनी हुकूमत कायम करने का एलान कर रखा हो लेकिन सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हरियाणा की सियासी हवा में कांग्रेसी राज कायम होने की आहट सुनाई दे रही है।

रोहतक के अपने सियासी दुर्ग के महम विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को उड़नखटोले पर सवार होकर जनसभा करने पहुंचे हुड्डा आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए। नारेबाजी करती समर्थकों की भीड़ को शांत कराते हुए हुड्डा बोले, आपको केवल एक एमएलए बनाने के लिए वोट नहीं डालना है, आपको सूबे में अपना राज बनाने के वास्ते वोट डालना है। अपने धुआंधार चुनावी दौरों का हवाला देते हुए हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में चारों ओर कांग्रेस के हक में हवा बह रही है और पार्टी हर हाल में सरकार बनाएगी।

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि आज नहरों में पानी नहीं है, अनाज का दाम नहीं मिल रहा, बिजली के बिल परेशानी का सबब बने हुए हैं और अन्नदाता किसान फटेहाल है। दूसरी ओर नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही और व्यापारियों का धंधा चौपट है। इसीलिए भाजपा की सरकार को बदलना जरूरी है। उन्होंने वादों की झड़ी भी लगाई। उन्होंने किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुजुर्गों, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का वादा किया।

जनसभा खत्म होने के बाद राय पूछने पर मुंगफली बेच रहे मंगल ने कहा, पंजे वाले का जोर ज्यादा है। भाजपा ने गलत उम्मीदवार चुना है। दूसरी ओर अपने धर्मकांटे पर बैठे कृष्ण नेहरा ने बाकी पेज 8 पर

चुनावी रैली में किसानों, नौजवानों, व्यापारियों, बुजुर्गों, महिलाओं सहित समाज के सभी वर्गों के लोगों की जिंदगी में खुशहाली लाने का वादा किया।

दरअसल

घटे अमीर भी

संपत्ति वृद्धि दर 13.45 से 9.62 फीसद पर आई

अरबपतियों की संख्या 2.63 लाख से 2.56 लाख हुई

बड़े अमीरों की संपत्ति बढ़ने की रफ्तार में आई कमी

मुंबई, 17 अक्तूबर (भाषा)।

देश में अमीरों (एचएनआइ) की संपत्ति की वृद्धि दर 2018 में घटकर 9.62 फीसद रह गई है, जो एक साल पहले 13.45 फीसद थी। हालांकि, इन अमीरों या अरबपतियों की संख्या में इस दौरान कमी आई है। एक रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है।

कार्वी वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बड़े अमीरों की संख्या घटकर 2.56 लाख रह गई है, जो 2017 में 2.63 लाख थी। ऐसे लोग जिनके पास 10 लाख डॉलर से अधिक का निवेश योग्य अधिशेष है, बड़े अमीरों की श्रेणी में आते हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन अमीरों के पास 2018 में कुल 430 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं। 2017 में इनके पास 392 लाख करोड़ रुपये की संपत्तियां थीं। यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब अमीर और गरीब के बीच बढ़ती खाई को लेकर सवाल उठ रहे हैं। अमीर अधिक अमीर हो रहे हैं जबकि गरीब अधिक तेजी से और गरीब हो रहे हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अमीरों के पास मौजूद संपत्तियों में से 262 लाख करोड़ रुपए की वित्तीय संपत्तियां हैं जबकि शेष अचल संपत्तियां हैं। कुल मिलाकर इसका अनुपात 60:40 पर कायम है। वित्तीय संपत्तियों में सबसे अधिक 52 लाख करोड़ रुपए सीधे इक्विटी निवेश के रूप में हैं। इस वर्ग में वृद्धि 2017 के 30.32 फीसद के मुकाबले 2018 में घटकर 6.39 फीसद पर आ गई है।

दूसरी तरफ मियादी जमा या बांड में इन अमीरों का निवेश बढ़ा है और यह 45 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। इनमें वृद्धि 8.85 फीसद की रही जो पिछले साल 4.86 फीसद की रही थी। वित्तीय संपत्तियों में बीमा में निवेश 36 लाख करोड़ रुपए रहा जबकि बैंक जमा 34 लाख करोड़ रुपए है।

देश के अमीरों के पास सोने में निवेश 80 लाख करोड़ रुपए का है। रीयल एस्टेट क्षेत्र में उनका निवेश 74 लाख करोड़ रुपए है। एक साल पहले संपत्ति में निवेश 10.35 फीसद था, वहीं 2018 में यह कम होकर 7.13 फीसद रह गया।

रिपोर्ट में खुलासा

कार्वी वेल्थ मैनेजमेंट की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में बड़े अमीरों की संख्या घटकर 2.56 लाख रह गई है, जो 2017 में 2.63 लाख थी। ऐसे लोग जिनके पास 10 लाख डॉलर से अधिक का निवेश योग्य अधिशेष है, बड़े अमीरों की श्रेणी में आते हैं। इन अमीरों के पास 2018 में कुल 430 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां थीं।

जनसत्ता क्लासीफाइड

व्यक्तिगत

IT is for general information that I ADARSH DEVOL S/O MUNNA LAL DEVOL residing at A-321, Sangam Vihar, Loni Dehat, Ghaziabad, Uttar Pradesh-201102 declare that name of mine and my father has been wrongly written as ADARSH and MUNNA LAL in my 10th ,12th Class Mark Sheet and Certificate. The actual name of mine and my father are ADARSH DEVOL and MUNNA LAL DEVOL respectively, which may be amended accordingly.
0070679174-1

I,Pankaj Kumar Jha,S/o-Sh. Surya Kant Jha R/o-B-25,2nd Floor,Gali.No-8,Shashi Garden,Mayur Vihar,Phase-1,Delhi-110091,have changed my name to Pankaj Kumar Permanently. 0040516415-1

I,Ankit Agarwal S/o-Anil Agarwal R/o-C-1802, Exotica Fresco,Sector-137,Noida, Distt-GuatamBudh Nagar,U.P. ,have changed my name to Ankitt Agrwal Parmanently. 0040516373-1

I, hitherto known as MAKIKO KITAHARA D/o Susumu Kitahara,W/o Narotam Sayal, R/o-501, Aradhana-Apartments, Sector-13, R.K. Puram, New Delhi-110066, have changed my name and shall hereafter be known as MAKIKO KITAHARA SAYAL. It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.
0040516368-5

I, Wasfi Ahmad Din S/O Ghulam Mohi Ud Din Din Address-Antriksh-Apartments Sector-14-Extension Rohini Prashant-Vihar Narela Rohini Delhi-110085. Change My Name To Din Wasfi.
0040516417-6

I, Vikash Chahal S/o Dharmveer Singh R/O VPO-Kotra, Kaithal, Haryana-136043, that name of mine has been wrongly written as Vikas Chahal in my ICICI Bank Account 235301501845. The actual name of mine is Vikash Chahal. 0070679172-1

I, Vijay Kumar R/O Flat no.G-002, Towerno.C-1, Sector-82, Puri Pranayam-Society, Bhatola, Faridabad-121004. Changed My Child Name Utkarsh To Utkarsh Bhardwaj.
0040516368-3

I, Vanshika D/o Rajesh R/o-Flat.No.103, Goodwill-Apartment, Sector-13, Rohini Delhi-110085, have changed my name to Vanshika Gulia D/o-Rajesh Gulia for all future purposes. 0040516366-5

I, Surender Garg S/O Shri.Hariom Gupta R/O-3132/228, Chander-Nagar, TriNagar, Delhi-110035, have changed my name to Surender Gupta, for all purposes. 0040516417-1

I, Shashank S/o Dinesh Chandra R/o F-94, Sector-20, Noida (U.P.) have changed my name to Shashank Uniyal for all future purposes.
0040516358-1

I, Sanjida W/o Mohd. Yusuf R/o-852/51 Gali No.9, Old Mustafabad Delhi-110094, have changed my name to Sanjeda for all purposes.
0040516372-4

I, Saneh Malhotra W/O Raman Malhotra R/O-B-95 Kalkaji, New Delhi-110019. Have changed my name to Sneh Malhotra permanently.
0040516366-6

I, S.Aarthi Shekhar, D/O Chander Shekhar, R/O-Da/36e, Lig-Flats, HariNagar, Mayapuri, N.Delhi-110064 Have Changed My Name To Aarthi Shekhar.,For All Purposes. 0040516383-5

I, Rumi Praveen W/o Azad Alam R/o H.No.59, GaliNo.9, Third-Floor, Noor-Nagar, Jamia-Nagar, Delhi-110025. have changed my name to Noor Fatima. 0040516383-2

I, Rohitashwa S/o Bhebha Ram R/o RZF-888/1A, LBS-Marg, Rajnagar Part-II, Palam-Colony, New Delhi-110045 have changed my name to Rohtash Kumar. 0040516417-3

I, Rekha Rani W/o Sh. Kapil Mohan Panchal R/o RZ-9, X-Block, New Roshan Pura, Najafgarh, Delhi-110043, have changed my name to Anjali for all purposes. 0040516348-1

I, Ravneet Kaur W/o Sunil Arora R/o-A-35, UGF, Asha-Park, Fateh Nagar, Tilak Nagar, Delhi-110018 have changed my name to Ravneet Arora. 0040516383-1

I, Ravi Kumar Nanda, S/o Dharam Pal Nanda, R/o Ward No-13, Fatehgarh Churian, Gurdaspur, Punjab-143602, have changed my name from Ravi Kumar Nanda to Ravi Nanda. 0040516279-3

I Amit Sharma S/o Sh.Pratap Kaushik R/o House NO.307, Gali Ration Shop, Shalimar Village, North West Delhi, Delhi-110088 have changed my name to Amit Kaushik for all purposes. 0040516339-2

I Ajaya kumar S/O Krishnan Kesavan nair Add-flat no.8, F-128/1A mohammadpur Rk.Puram N.Delhi-110066, CHANGED MY NAME TO Ajaya kumar kesavan nair
0040516368-4

व्यक्तिगत

I, Ranbir Gulshan w/o Gulshan Singh R/o-C-33, Sector-41, Noida, Gautam Budh-Nagar, U.P.-201301, have changed my name to Ranbir Kaur Permanently. 0040516366-4

I, Ramji Lal S/o Ram Lakhan Verma R/o-2/20, Gali No.39, RegarPura, KarolBagh, Delhi-110005. have changed my name to Lalji. 0040516383-3

I, Rafikan W/o Abdul Hameed R/o-852/51 Gali No.9, Old Mustafabad Delhi-110094, have changed my name to Rafiqan for all purposes
0040516372-2

I, Radhakrishnan Narayanan Nair, S/O Mr.Narayanan Krishnan Nair, R/O-Flat No. 302, Mark, Omaxe-Heights, Sector-86, Faridabad, Haryana-12002. Have Change My Name To Radhakrishnan M Nair, for all purposes.
0040516366-10

I, Prem Singh Nagar S/O Pritam Singh, R/O-Village-Roza, Yakubpur, Bisrakh, Gautambudh-Nagar, U.P. 201009, Changed My Name To Prem Singh. 0040516383-9

I, Prashant Kumar s/O-Jagdeesh Prasad Gupta R/o-R-112, F.F, Block-R, Khirki-Extn., Malviya-Nagar, N'Delhi-10017. Have changed my name to Prashant Kumar Gupta permanently.
0040516366-2

I, Prashant Kumar Gupta R/o-R-112, F.F,Block-R, Khirki-Extn., Malviya-Nagar, N.Delhi-110017, have changed my minor daughter's name, Vaishnvi Gupta to Vaishnavi Gupta permanently.
0040516366-3

I, Naresh S/O Bhagwan Das R/O A-46,Sariapipal Thala Extension, Adarsh Nagar, Delhi-110033. Have Changed My Name To Naresh Kumar.
0040516368-2

I, Pradeep Kumar Sihag S/O-Surjeet Singh R/O-101b, 2nd-Floor (Tower-One-Aralias), Golf-Course Road-Sector-42DLF, Phase-5 Gurugram Haryana-122009. Changed My Name To Pradeep Singh.
0040516366-9

I, Parveen Kumar S/O Dharampal Singh R/o H.No-499, Gram Chhara, Tehsil-Bahadurgarh, Distt- Jhajjar, Hariyana-124504, have changed my name to Parveen. 0040516336-1

I, Pappachen Ponnipthu John S/O-Thomas Ponnittethu John Address:Flat No-8, Building No-D-1 Green-Park Co-Op Hsg-Society, Barave-Road, Khadak-Pada, Kalyan D.C.Kalyan-West. Thane-Maharashtra-421301 Changed My Name To Pappachen Ponnithethu John.
0040516417-7

I, Neeru/Riti,w/o Lalit Kumar R/o-36/1211, DDA-Flats, Madangir, South/Delhi, New-Delhi-110062,have changed my name to Riti Dawra permanently. 0040516366-1

I, Naveen Kumar Parashar,S/O Sh.Baldev Raj Prasher R/O-Flat No-16, F-15/10, Opp-Monga Nursing-Home, Krishna-Nagar Delhi-110051. Have Changed My Name To Naveen Prasher. 0040516417-4

I, Narendra Kumar Arya S/o Kashi Ram Arya, R/o 19, Saket Kunj, Sector-9, Rohini, Delhi-110085, declare that name of mine has been wrongly written as Narendra Arya in my minor son Ansh Arya aged 15 years in his Birth and School Records. The actual name of mine is Narendra Kumar Arya.
0070679168-1

I, Mohd Daaud Raza S/O Mohd Abu Bakar R/O-B-462, Jahangirpuri, Delhi-33 Have Changed My Name To Mohammad Daud.
0040516368-1

I, Mohammad Zamir S/o-Mohammad Ahmad R/o-2359,Gali-Ambiya, Kucha Chellan,Darya Ganj,New Delhi-110002,Have Changed My Name To Mohd Zameer For All Future Purposes.
0040516373-2

I, Mohammad Yousuf S/o Abdul Hameed R/o-852/51 Gali No.9, Old Mustafabad Delhi-110094, have changed my name to Mohd.Yusuf for all purposes 0040516372-3

I, Mohamed Aziz S/o Abdul Khan R/o-A/1E, Rajeev Camp, Jhilmil Colony, Shahdara, Delhi-110095, have changed my name to Aziz Khan.
0040516346-1

I, Mahipal Singh S/o P.S. Rawat R/o D-14D, Type IV, MIG Flats, Mayapuri, New Delhi-110064, have changed my name to Mahipal Singh Rawat S/o Pushkar Singh Rawat, for all future purposes. 0040516337-1

I, Mahavir Chandar Singh/Singh Mahavir Chandar S/O Chandar Singh R/O-Mungan(55) Mungan, Rohtak, Haryana-124401. Changed My Name To Mahavir Singh.
0040516383-7

I, Kivili (D/O : Khakhu Sheqi, R/o : 1D, First Floor, Humayunpur, Safdarjung Enclave New Delhi 110029 have changed my name to Kivili Sumi.
0070679173-1

I Kushpreet Kaur W/O Vikram Singh R/O- Vill-Tarapur Meerut Have Changed My Name To Khushpreet Kaur.
0040516383-4

I, Chander Mohan S/o Mulkhraj R/o Ward No.-5, Ratanpura, 1 RPM, Nohar, Hanumangarh, Rajasthan- 335523, have changed my name to Chander Deep. 0070679165-1

I, Joginder Pal S/O Dalip Chand R/o E-199, Gali No.16, Sadh Nagar, Palam Colony, Delhi-110045, have changed my name to Joginder Gupta.
0040516342-1

I, Jamal Ul Lail Munimee S/o M.M.Hasan R/o-4/22-C Gali No.5, Ambedkar Basti, Maujpur Delhi-110053, have changed my name to Mohd. Wasim for all purposes.
0040516372-1

I, Jai Prakash S/o Jagdish R/o 122 Fatehgarh Haryana (140), Dadri, Haryana-127309, have changed my minor daughter's name from Chinky Bhardwaj aged 14 years to Tanvi Bhardwaj forever.
0070679170-1

I, Iram Naz D/o Shakil Ahmad R/o D-55, 4th Floor,Thokar No-3, Abul Fazal Enclave, Jamia Nagar, ND-25, have changed my name to Eram Shakil for all purposes. 0040516424-1

I, Prashant Dhimen S/o Rajinder Prasad R/o-J-31, Vishnu-Garden, New-Delhi-110018, have changed my name to Prashant Dhiman,.for all purposes. 0040516366-8

I, Imram S/o Jamil Ahmed R/o H.No.26/1A, Gali No.1, Khureji Khas, Krishna Nagar, Delhi-110051, have changed my name to Imran Ahmed
0040516354-2

I, Harsimar Singh Sahni S/O-Charnjeet Singh Sahni R/O-13/9-B, Tilak-Nagar, New-Delhi-110018. Have Changed my Name to Harsimar Singh.
0040516366-7

I, Harish Chander, S/o Shri K. D. Bhartola, R/o K. G -2/69, D.D.A Flat, Near UK Nursing Home, Vikas Puri, Delhi – 110018, have change my name as Harish Chander Bhartola for all purpose.
0040516388-1

I, Girish Kumar S/o S.P. Chandra R/o C-6/121-A, Keshav Puram, Delhi-110035, have changed my name to Girish Chandna. 0040516347-1

I, C. S. Xavier S/o Sebastian R/o TRA28, (C597 154), Chenaparambil House, Adappily Road, NH Byepass Palarivattom, Vennala, Ernakulam, Kerala-682028, that name of my wife has been wrongly written as K G Cicily in my Service Record No-105559-H and Pension Record. The actual name of my wife is Deepa Xavier.
0070679167-1

I, Bhanwar Singh Nagar S/O Prem Singh. R/O-Village Roza Yakubpur, Bisrakh, Gautam budh-Nagar, U.P.201009. Changed My Name To Bhanwar Nagar. 0040516383-8

I, Anmol Srivastava S/o Shri Prakash Srivastava R/o House No. 82, Sadarpur, Sector-45, Noida sector-37, 201303, GB Nagar, U.P., have changed my name from Anmol to Anmol Srivastava for all future.
0040516350-1

I, Anita Rini Goel W/o Arvind Gupta R/o 1/3033, Street No.17, Ram Nagar, Mandoli Road, Shahdara, Delhi-110032, have changed my name to Anita Gupta 0040516354-1

I, Anita Bala W/o-Chinmay Bala,Resident at-127-128, Second-Floor Pocket-2 Sector-24.Rohini Delhi-110085,have changed my name and shall hereafter be known as Anita Devi. 0040516417-2

I, Ajay Kumar Shetty S/o Sh. Arun Ayatappa Shetty R/o C-10, Devyani Apartments, M.G Road, Borivali (East), Mumbai-400066, have changed my name to Ajay Arun Shetty for all purposes.
0040516364-1

I, Rizwan S/O Mazid R/O Rz-205, Gali No-16, Tughlakabad-Extn, New Delhi-110019, CHANGED My Name To Rizwan Ahmed. 0040516383-6

I have changed my name from Gaurav to Gaurav Tyagi S/o Shri Ilam chandTyagi R/o H.No. 296 Sec 2bVasundhara, Ghaziabad U.P., forever.
0040516355-1

I Veenu D/o Sh. Ramesh Chand Pruthi W/o Sh.Mohit Wadhwani R/o B-9/419, Sector -3, Rohini, Rohini Sector-7, North West Delhi, Delhi-110085 have changed my name to Riddhi Wadhwani for all purposes. 0040516339-3

I Sonam Sharma Alias Yashita Mittal D/o Om Prakash Sharma and W/o Amit Mittal R/o 138 Saini Enclave, Vikas Marg, Delhi-110092, have changed my name to Yashita Mittal. 0070679171-1

I Satadal Ray alias Satadal Roy S/o Puspamnab Roy R/o Champaberia, Kalibari, Bongaon, North 24 Paraganas, West Bengal-743235, have changed my name to Satadal Roy. 0070679169-1

I Meenu Gupta D/o Late Sh.T.N. Gupta W/o Sh.Santosh Kumar Agarwal R/o A-2/506, Printers Apartments, Sector-13, Rohini, Delhi-110085 have changed my name to Rupali Agarwal for all purposes.
0040516339-4

I Balram S/o Pahali Biswal R/o House No-1459, Maruti Vihar, Chakkarpur, Gurgaon, Haryana-122002, have changed my name to Niranjan Biswal. 0070679166-1

I Azra Begum W/o Shamshuddin R/o H.No.13, Main Road, Near Vishwakarma Park, Krishan Kunj Part-2, Laxmi Nagar, East Delhi, Delhi-110092 have changed my name to Shagufta Parveen for all purposes. 0040516339-1

व्यक्तिगत

मैं, मोहम्मद गुलज़ार पुत्र इस्माइल मिया सुखाई मिया, बसडीला महंथ टोला, फरेन्दहा, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी हूं मैं अपना नाम बदलकर "गुलज़ार अंसारी" रखा है।

I Km.Preeti Pandey W/O Niroop Krishna Mishra R/O-1957, Dr.Raizada-Road, Near-Ghantaghar-Chowk, Uttari-Chhapatti, Mainpuri, Uttar-Pradesh-205001. Have Changed My Name To Preeti Pandey. 0040516417-5

CHANGE OF NAME

I, MANDEEP NISARWAL, S/o **SATBIR SINGH**, residing at, Flat No. 8/2nd Floor, F-7.5 Block-F, Vatika India Next, Sector 82, Sikanderpur, Gurugram, Haryana, 122004, India, changed my name from MANDEEP to MANDEEP NISARWAL vide affidavit dated 10.7.2019 sworn before notary ARUN KUMAR SHARMA at GURGAON. Henceforth, I shall be known as **MANDEEP NISARWAL** for all purposes.

खोया+पाया

I have lost my original 10th class Marksheet of ICSE Board. Finder pls contact: Tariq Malik S/o Lt.Abdul Malik, Flat.No.196, Tower.No.7, Supreme Enclave,Mayur Vihar,Phase-I, Delhi-110091.
0040516367-1

I, Savitri Devi Nevatia, D/o Lt Sh.Hari Ram Aggarwal, R/o-Flat no.CA.43A, Shalimar-Bagh, Delhi-110088,notify that the original possession letter of the said-flat dated-27.09.1989 issued by DDA-has been lost by me. Contact:9958333451.
0040516417-8

I, Amandeep Singh S/O Sr. Charanjit Singh R/O D 286, Uper ground floor, Nirman Vihar, New Delhi-92, have lost my MBA marksheet year 2012 Enrollment No. 0921001076.
0040516419-1

I, Vijay Nath Sondhi S/o Late Shri B. N. Sondhi informs that my original free hold property documents of Plot No.216, Block-F, Pocket-2, Sector-16, Rohini, Delhi-110089 have been stolen alongwith Jewellary and Utensils. Finder may contact above address.
0040516357-1

It is notified for the information that my Original Qualifying Examination Certificate of Main Senior Secondary Examination of Year-2005-2006 and Roll No.6635914 issued by C.B.S.E has been actually lost.Aniket R/o-A-120, Phase-1, Metro-Vihar, Holambi-kalan, Delhi-110082, CONT-9560511417.
0040516383-10

Lost my original Property documents DEED OF WILL, DEMAND LETTER,ALLOTMENT LETTER, LR NO-2524104/2018, WILL DEED.finder pls contact.Usha Gupta,W/O-Shri Rajkumar Gupta,R/O-69A,Ground-Floor, Pocket-A-1,Mayur Vihar,Phase-3,Delhi.
0040516373-3

I Tripta W/o Sh.Raj Kumar R/o B-1/318, Yamuna Vihar, Delhi-110053 have lost my original DDA Lease Deed, Allotment Letter, Possession Letter, Possession Slip, Form-C & Form-D, Sanction Letter, Sanction Plan (Map), Power of Attorney, Agreement to Sale & Payment Receipt of abovesaid property. Finders may contact at above address. 0040516339-6

Lost my original B. A. Duplicate Degree Certificates Roll.No.04GGB805, Year-2007.Finder pls contact: Affaf Abdul Halim S/D/W/O Asad Waseem, 73/161. Gali.No.1, Anwar Villa,Gaffar Manjil, Jamia Nagar,New Delhi-110025.
0040516261-5

सार्वजनिक सूचना

यह सामान्य जानकारी के लिये है की मैं हेमा खान पत्नी अब्दुल शारीक खान, निवासी मकान नं. 340 गली नं. 38 जाकिर नगर जामिया ओखला नई दिल्ली 110025 सूचित करती हूं कि मेरा नाम मेरे छोटे बेटे अब्दुल शाज़र खान उम्रः 16 वर्ष और अब्दुल शाहरूख खान उम्र 17 वर्ष के दसवीं कक्षा की अंकसूची प्रमाणपत्र और स्कूल रिकार्ड के अंदर हुमा खान गलत दर्ज है। जबकि, मेरा सही नाम हेमा खान है। जिसे तदनुसार संशोधन करने की आवश्यकता है।

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मुवक्किल श्री फूल सिंह पुत्र स्व. श्री राम स्वरूप तथा पत्नी श्रीमति संतरा देवी पत्नी श्री फूल सिंह पता म.न.-1822, खारी कुआँ, ईदगाह रोड़, सदर बाजार, दिल्ली ने अपने लड़के भीम सिंह तथा उसकी पत्नी नीतू उर्फ रितु को बात न मानने व बदतमीजी करने तथा दैनिक दुर्व्यवहार से परेशान होकर अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष समस्त सम्बन्ध समाप्त करके अपनी चल व अचल सम्पत्ति से बेदखल करते हुए अपने सभी रिश्ते समाप्त कर लिए है भविष्य में भीम सिंह व उसकी पत्नी नीतू उर्फ रितु के द्वारा किए गये किसी भी कृत्य लेन-देन या मुकदमें बाजी के लिए स्वयं जिम्मेदार होगे इसके लिए मेरे मुवक्किल व उसकी पत्नी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

Manoj Kumar Sharma (Advocate)
Ch.No.721, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किलगण श्री लखन व उसकी पत्नी सुमत्रा दोनो निवासी मकान नं. 319, जाटव मोहल्ला, असोला, फतेहपुर बेरी, नई दिल्ली में रहते हैं। यह कि मेरे मुवक्किलगणो ने अपने पुत्र अनीश व उसकी पत्नी पिंकी को उनके गलत आचरण, दुर्व्यवहार करने तथा नियंत्रण से बाहर होने के कारण उनसे अपने सभी प्रकार के पारिवारिक संबंध विच्छेद करते हुये उन्हे अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर दिया है। भविष्य मे मेरा व मेरी पत्नी का उपरोक्त बेटे व उसकी पत्नी से कोई भी संबंध नही है। भविष्य में उनके साथ कोई भी लेनदेन या किसी भी तरह का संबंध स्थापित करता है तो उसका जिम्मेदार वह स्वयं होगा। उनके किसी भी कृत्य के लिये मेरे मुवक्किलगण व उनका परिवार जिम्मेदार नहीं होंगे।

बृज लाल (अधिवक्ता)
चै.न. 610, साकेत कोर्ट, दिल्ली-17

सार्वजनिक सूचना

मेरे मुवक्किल गिरधारी लाल पुत्र श्री पूरन चन्द निवासी फ्लैट नंबर-14-एफ, पॉकेट बी-7, फेस-3, मयूर विहार, दिल्ली-96 ने अपने पुत्र जय प्रकाश एवं उसकी पत्नी श्रीमती प्रीति को उनके गलत आचरण मारपीट करने, मानसिक शारीरिक यातनाएं देने के कारण अपनी सम्पत्ति फ्लैट नंबर 14-एफ, पॉकेट बी-7, फेस-3, मयूर विहार, दिल्ली-96 एवं अन्य चल व अचल सम्पत्तियों से बेदखल करते हुए सभी पारिवारिक रिश्ते नाते सम्बन्ध-विच्छेद कर लिए हैं। अब इनसे मेरे मुवक्किल व उसके परिवार से कोई रिश्ता-नाता नहीं रहा है, भविष्य में इनके किसी भी प्रकार के क्रिया-कलापों, दीवानी, फौजदारी वाद-विवाद, पुलिस कार्यवाही व लेन-देन आदि के लिए मेरा मुवक्किल व उसके परिवार के अन्य सदस्य उत्तरदायी नहीं होंगे।

जगमाल सिंह तोमर (अधिवक्ता)
चै. नं. 23, ओल्ड कोर्ट, कश्मीरी गेट, दिल्ली

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे मुवक्किले आश मोहम्मद पुत्र श्री काले खान एवं मुन्नी पति आश मोहम्मद, निवासी-77, गौशाला, किशनगढ़, वसंतकुंज, दिल्ली-70 अपने पुत्र सादब अली को नियंत्रण से बाहर एवं हिंसक व्यवहार होने के कारण अपने चल अचल संपत्तियों से बेदखल कर अपने सभी सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक संबंध विच्छेद कर लिए है। उसके किसी गलत कार्यों के लिये मेरे मुवक्किले जिम्मेदार नही होंगे।

हीरा लाल झा (अधिवक्ता)
चै.न. 185, साकेत कोर्ट, दिल्ली-17

PUBLIC NOTICE

General Public is hereby informed that my client Mr. Rakesh Narula S/o W.C. Narula, resident of Flat No. 509, Baroda House Apartment, Plot No. 40-A, Sector-10, Dwarka, New Delhi is the absolute owner of Property No. 24, Third Floor, Major Bhola Ram Enclave, New Delhi. My client is the sole and exclusive owner of the aforesaid property and thus any person dealing with the aforesaid property directly or indirectly and in any manner whatsoever shall be doing so at his/her own risk and he/she shall be responsible for the consequences in future.

MANU MINOCHA (Advocate)
Ch. No. 438, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

My client Sh. Zile Singh S/o Late Rai Singh, R/o WT-7, Gali No. 8, Baljeet Nagar, New Delhi-110008 has disowned his both sons Paramvir aged 47 years and Jitender aged 39 years and debarred them from all his movable and immovable assets/ property due to their bad behaviour and not obeying their father and severed all his relations with them as they have become disobedient. My client shall not be responsible for any act and dealing made by his both sones namely Pramvir and Jitender in future.

Sd/-
R.P. SINGHAL
(Advocate)
Ch. No. 214, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-54

PUBLIC NOTICE

"My client Shri Ram Babu S/o Shri Lalu Prasad R/o House No.RZ-392, Karan Vihar Phase-I, Gali No.-7, Kirari Suleman Nagar, Sultanpuri C-Block, North West, New Delhi-110086, disown his son Kuldeep from all his movable and immovable property. My client will not be responsible of his any act or deed, if any one deals with my son in any manner whatsoever".

Jai Prakash Gautam (Advocate)
Ch.No.476, Civil Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Be it known to all that my client TARA CHAND, S/o Late Shri Devi Ram and his wife SMT. RAM DEVI, both residents of House No. 362, Chander Shekhar Azad Colony, Kishan Ganj, North Delhi-110007 have disinherited and disowned all her relations and responsibilities in all manner with their son YASHPAL and his wife SMT. RITU and their children as my clients have no control over them and all of them have cruel attitude, misbehavior, disobedient and discourteous etc. with my clients and my clients have served all their relations with them and debarred all of them from all their movable and immovable properties from June, 2019 or day of publication and my client will not be responsible, accountable or answerable to any act or omission done by all of them even against each of other.

SAAR ASSOCIATES (Advocates)
Ch. No. 489-490, Ist Floor, W-Wing, Tis Hazari Courts, Delhi

PUBLIC NOTICE

My clients Mrs. Harshita Kapoor and Mr. Aman Kapoor S/o Vimal Kapur R/o Plot No.142, Pocket-18, Sector-24, Rohini, Delhi have severed their relations and debarred brother/ brother-in-Law Rishabh Kapoor from all their movable/ immovable property because of his bad behavior and not under control of my clients. If anybody deals with him which is at his own risk & responsibility and my clients not responsible for his acts.

Sd/-
SUMIT GABA
ADVOCATE
Enl. No. D/2355/06

PUBLIC NOTICE

My client Vimal Kapur S/o Late Harkishan Lal Kapur R/o A-1/334, Top Floor, Paschim Vihar, New Delhi has severed his relations and debarred his son Rishabh Kapoor from all his movable/ immovable property because of his bad behavior and not under control of my client. If anybody deals with him which is at his own risk & responsibility and my client not responsible for his acts.

Sd/-
SUMIT GABA
ADVOCATE
Enl. No. D/2355/06

PUBLIC NOTICE

My client Udai Budhlani S/o Baksho Ram Budhlani R/o F-4, PS Hauz Khas, N. Delhi severe all relations & debur his son Akshit Budhlani, his wife Lalita and their son Aelesh Budhlani from all movable and immovable properties due to their misconduct. My client will not be responsible for any of their acts in future whatsoever.

Sd/-
(Akhileshwar Jha)
Advocate
Ch. No. 710, Patiala House
New Delhi

PUBLIC NOTICE

Public Notice is given to the general public that my client namely Smt. Gulerana W/o Late Abbas Ahmad Khan R/o H.No.3121, 3rd Floor, Sir Syed Ahmad Road Darya Ganj, Delhi-110002 has severed her all relations with her son namely Kashif Khan and his wife namely Zaiba Khan W/o Kashif Khan D/o Mohd Saeed, and have also Directed them not to enter her house bearing No.3121, 3rd Floor, and also Roof of top Floor Sir Syed Ahmad Road Delhi-110002. And Property bearing No.1513 to 1515 Pataudi House Darya Ganj, Delhi-110002, If they try to illegally trespass the above properties necessary police action as per law shall be taken against them.

Mohd. Nadeem Khan (Advocate)
Ch.No.618, Western Wing,
Tis Hazari Courts, Delhi-110054

PUBLIC NOTICE

Our clients SHRI AJAY VEER YADAV S/o Sh. M.S. Yadav R/O Flat No.D-702, Ranjit Vihar Phase-I, Plot No. 15, AWHO GP Housing Society, Sector-22, Dwarka, New Delhi-110077, presently posted at Bangalore, hereby revokes, cancels and terminates the registered GPA dated 29.05.2012 registered at Sub-Registrar, Gurgaon (now Gurugram) in favour of Smt. Neetika Anay Maan (maiden name - Neetika Yadav), D/o Sh. M.S. Yadav & Mrs. Kiran Yadav, W/o Sh. Anay Maan (also going by the name Anay Mann), with regard to the property bearing Flat No.D-1/1202, The Legend, Sector-57, Gurgaon (Gurugram), Haryana and another notarized GPA dated 14.01.2011 duly notarized on 22.01.2011 by Notary Public, executed in favour of Sh. Anay Maan (also going by name Anay Mann) S/o Sh. O.P. Chaudary, R/o 135/9, Kishangarh, Vasant Kunj, New Delhi-110070, or any other GPA/SPA/POA executed by our client w.r.t. any/all purposes/properties, whatsoever. It is brought in the notice of general public/GPA/SPA/POA holders that all the GPA/SPA/POA stands cancelled and that our clients will not be held responsible for any acts of Neetika Anay Maan & Anay Maan w.r.t. the said property and GPAs.

Krishna Kumar Sinha-Advocate
Ch.No. 537, Dwarka Court, New Delhi -75

पटना में गुरुवार को करवाचौथ की पूजा के लिए तैयार होती महिलाएं।

थाने में तोड़फोड़ में विधायक के पुत्र, भाई और भतीजे समेत 19 को सजा

रायगढ़, 17 अक्तूबर (भाषा)।

छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में विधानसभा चुनाव के दौरान थाने में तोड़फोड़ करने के मामले में स्थानीय अदालत ने तत्कालीन भाजपा विधायक के पुत्र, भाई, भतीजे, और जिला भाजपा महामंत्री सहित 19 आरोपियों को सवा दो साल के कारावास की सजा सुनाई है। रायगढ़ के अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी वीपी पटेल ने गुरुवार को बताया कि वर्ष 2008 के विधानसभा चुनाव के दौरान चक्रधरनगर थाने में तोड़फोड़, बलवा और उपद्रव करने के मामले में स्थानीय अदालत ने तत्कालीन भाजपा विधायक के पुत्र, भाई, भतीजे, और जिला भाजपा महामंत्री सहित 19 आरोपियों को सवा दो साल के कारावास की सजा सुनाई है।

पटेल ने बताया कि रायगढ़ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी दिग्विजय सिंह ने बुधवार शाम 62 बिंदुओं वाले 49 पेज फैसले में सजा सुनाते हुए सभी 19 लोगों पर 15–15 सौ रुपए का अर्थदंड भी लगाया। जुर्माना अदा नहीं करने पर तीन-तीन माह के अतिरिक्त कारावास का प्रावधान है। अतिरिक्त जिला अभियोजन अधिकारी ने बताया कि इन सभी 19 आरोपियों को अदालत ने भारतीय दंड विधान की धारा 147, 149, 294, 186 और 353 के तहत दोषी पाया है।

अभियोजन के अनुसार 19 नवंबर वर्ष 2008 की रात 11 बजे चक्रधरनगर थाने के भीतर 35–40 लोगों ने तोड़फोड़ की थी। इस घटना में एएसआइ श्रीनाथ पांडेय और अन्य पुलिसकर्मियों को चोट आई थी। इन पर थाने को जलाने और जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप है। उन्होंने बताया कि पूर्व भाजपा विधायक विजय अग्रवाल के समर्थक यह सभी लोग चुनाव के दौरान महापल्ली में हुई आगजनी के एक विवाद को लेकर चक्रधरनगर थाने का घेराव और उग्र प्रदर्शन कर रहे थे।

पटेल ने बताया कि चक्रधरनगर के थाना प्रभारी इंद्र पाल सिंह पैकरा ने भरत अग्रवाल समेत 20 लोगों के विरुद्ध नामजद मामला दर्ज कर, सीजेएम की कोर्ट में 23 जून 2009 को अभियोग पत्र पेश किया था। इस दौरान 20 में अभियुक्त सोनू डालमिया की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जिन लोगों को सजा हुई है उनमें पूर्व भाजपा विधायक विजय अग्रवाल के पुत्र भरत अग्रवाल, उनके भाई अजय अग्रवाल, उनके भतीजे सुशील अग्रवाल, जिला भाजपा महामंत्री श्रीकांत सोमवार, जिला पंचायत सदस्य विजय मिश्रा, पार्षद सीताराम विश्वकर्मा और महेश कंकरवाल, समाजसेवी दीपक डोरा तथा अन्य लोग शामिल हैं।

पटेल ने बताया कि फैसला सुनाने के बाद अदालत ने अभियुक्तों की तरफ से प्रस्तुत जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए सभी को अपील पेश करने तक जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।

स्कूल के कमरे में ठूंस कर भरे गए 17 गाय-बैलों की मौत

ग्वालियर, 17 अक्तूबर (भाषा)।

ग्वालियर जिला मुख्यालय से करीब 50 किलोमीटर दूर डबरा तहसील के समूदन गांव में आवारा घूम रहे गोवंशों को सरकारी स्कूल के एक छोटे से कमरे में कथित रूप से सात दिन तक बिना चारा-पानी के ठूंस-ठूंस कर बंद कर दिया गया, जिससे आठ गायों सहित 17 गौवंश की मौत हो गई। इलाके में बदबू फैलने के बाद बुधवार रात को सभी शवों को कमरे से बाहर निकाला गया।

डबरा के उप जिलाधिकारी (एसडीएम) राघवेंद्र पांडे ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि समूदन गांव के सरकारी स्कूल परिसर में मरे हुए गोवंश को दफनाया जा रहा है। पुलिस बल के साथ हम तुरंत बुधवार रात को ही मौके पर पहुंचे लेकिन तब तक गाय दफनाने वाले वहां से भाग गए थे। जिन 17 गौवंश की मौत हुई है, उनमें 8 गाय एवं 9 बैल हैं। इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और विस्तृत जांच जारी है।

हालांकि, अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि इनकी मौत का दम घुटने से हुई या भूख-प्यास से या किसी अन्य कारण से। पांडे ने बताया कि इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में प्राथमिकी दर्ज की गई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।

सूत्रों के अनुसार इनकी मौत के बाद जब बदबू बाहर आई तो अज्ञात ग्रामीणों ने बुधवार की रात को स्कूल परिसर में गड्ढा खोदकर गाय-बैलों को दफनाना शुरू कर दिया। इसकी खबर दूसरे ग्रामीणों और कुछ हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं को लगी और वे मौके पर पहुंच गए। इसी बीच, बजरंग दल के स्थानीय नेता मनोज रजक ने दावा किया कि इन गौवंश को करीब एक सप्ताह पहले स्कूल के एक कमरे में अज्ञात ग्रामीणों ने बंद कर दिया था। उन्हें चारा-पानी भी नहीं दिया गया। इनकी मौत के बाद जब बदबू बाहर आई तो ग्रामीणों ने बुधवार की रात को स्कूल परिसर में गड्ढा खोदकर गायों को दफनाना शुरू कर दिया।

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने गुरुवार को ट्विटर पर लिखा, 'ग्वालियर के डबरा के समूदन में 17 गायों की मृत्यु की खबर बेहद दुखद। इस घटना की निष्पक्ष जांच के निर्देश। जांच में जिसका दोष सामने आए, उस पर कड़ी कार्यवाही हो।' उन्होंने आगे लिखा, 'हम गौमाता की रक्षा व संवर्धन के लिये निरंतर प्रयासरत व बचनबद्ध। ऐसी घटनाएं बर्दाश्त नहीं की जा सकती हैं।'

निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को मिलेगा मातृत्व योजना का लाभ

तिरुवनंतपुरम, 17 अक्तूबर (भाषा)।

केरल में शीघ्र ही निजी शिक्षण संस्थानों के हजारों कर्मचारियों और महिला शिक्षकों को मातृत्व लाभ अधिनियम के तहत लाभ मिल जाएगा। निजी शिक्षण संस्थानों को मातृत्व लाभ कानून के दायरे में लाने वाला केरल देश का पहला राज्य बन जाएगा।

केंद्र ने राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों के लिए इस अधिनियम के लाभों को विस्तारित करने के लिए अधिसूचना जारी करने के अनुरोध को मंजूरी दे दी है। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल ने 29 अगस्त की बैठक में निजी शिक्षण संस्थानों के कर्मचारियों को यह लाभ देने की अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेने का फैसला किया था। इस अधिनियम के तहत राज्य में निजी शिक्षा क्षेत्र के हजारों कर्मचारी भी सरकारी कर्मचारियों की तरह वेतन के साथ 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

नियोक्ता को ऐसे कर्मचारियों को उनके चिकित्सीय खर्चे के लिए एक हजार रुपए देने होंगे। राज्य में निजी क्षेत्र के कर्मचारी लंबे समय से मातृत्व लाभ की मांग कर रहे थे।

जेद्दा बस हादसे में 35 मारे गए, भारतीयों का पता लगा रहा विदेश मंत्रालय

जनसत्ता ब्यूरो/एजंसी
नई दिल्ली/जेद्दा, 17 अक्तूबर।

विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि उसने सऊदी अरब में बस दुर्घटना में प्रभावित भारतीयों का ब्योरा जुटाने के लिए जेद्दा स्थित मिशन को कहा है। इस दुर्घटना में अरब और एशियाई सहित 35 लोग मारे गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दुर्घटना में पीड़ित लोगों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना प्रकट की।

उन्होंने अपने ट्वीट में कहा, 'जेद्दा स्थित हमारे वाणिज्य दूतावास को दुर्घटना में प्रभावित भारतीयों के बारे में ब्योरा जुटाने को कहा गया है।' मदीना शहर में एक बस और एक भारी वाहन की टक्कर हो जाने से 35 विदेशियों की मौत हो गई, जबकि चार अन्य घायल हो गए। सऊदी के सरकारी मीडिया ने गुरुवार को यह जानकारी दी। जेद्दा में बुधवार को यह हादसा हुआ। इसमें एक निजी चार्टर्ड बस और एक लोडर की टक्कर हो गई।

हादसे के शिकार लोग अरब और एशियाई तीर्थयात्री थे। हादसे में हताहत होने वालों में कई भारतीयों के शामिल होने की आशंका है, हालांकि अभी संख्या का सटीक पता नहीं चला है।

आवश्यक सूचना

सूचित करना है कि मेरी लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत BA की डिग्री अनुक्रमांक 22712 वर्ष 1985 तथा MBA की डिग्री अनुक्रमांक 1104 वर्ष 1988 वास्तव में कहीं खो गये है।

अनुपम जलोटे
पुत्र श्री एस0पी0 जलोटे
निवासी C-38, एल-रोड, महानगर एक्सटेंशन, लखनऊ

हत्या का 27 साल पुराना मामला सुलझा

ठाणे, 27 अक्तूबर (भाषा)।

ठाणे पुलिस ने पुलिस उपनिरीक्षक की हत्या के 27 वर्ष पुराने एक मामले को सुलझा लिया, लेकिन आरोपी की सात वर्ष पहले ही मौत हो चुकी है। एक अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

मौसम

तापमान नई दिल्ली

अधिकतम–33.7 डि.से. सूर्योदय– 6:23

न्यूनतम– 20.6 डि.से. सूर्यास्त– 17:50

सम–विषम में इस बार भी दुपहिया वाहनों को रहेगी छूट

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

सम–विषम व्यवस्था में इस बार भी दुपहिया सवारी छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बताया कि यह छूट चार से 15 नवंबर तक होगी और इसे दूसरे राज्यों से आने वाले वाहनों के लिए भी लागू किया जाएगा।

● स्कूल के लिए बच्चे ले जा रहे अभिभावकों को सम–विषम से राहत होगी

केजरीवाल ने कहा कि सम–विषम के दौरान इस बार दिल्ली में स्कूल खुले रहेंगे। इसलिए दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूल बच्चे ले जा रहे अभिभावकों को सम–विषम से राहत होगी। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी गाड़ी में बच्चा स्कूल यूनिफार्म में होना चाहिए और सुबह आठ बजे तक के लिए यह सुविधा रहेगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपाध्यक्ष, राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा न्यायाधीश को छूट दी जाएगी।

निजी बसों के लिए कैबिनेट ने तय किया किराया

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

सम–विषम के दौरान उपयोग होने वाली बसों के लिए दिल्ली कैबिनेट ने गुरुवार को किराए की दरों को मंजूरी दी। दिल्ली सरकार इस बार सम–विषम में 2000 बसें किराए पर लेगी। इसके लिए बस मालिकों को 49.42 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से भुगतान किया जाएगा जबकि मध्यम आकार की बसों के लिए यह शुल्क 32.54 रुपए प्रति किलोमीटर होंगी। दिल्ली सरकार का दावा है कि निजी बसों के बढ़ने के बाद बसों की संख्या बढ़कर 5,500 हो जाएगी। इस व्यवस्था से सम–विषम के दौरान बसों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

नागरिक आपूर्ति मंत्री ने केंद्र से मांगा प्रतिदिन दस ट्रक प्याज

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

दिल्ली के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने केंद्रीय खाद्य मंत्री राम विलास पासवान को पत्र लिखकर दिल्ली में प्याज की आपूर्ति बढ़ाए जाने की मांग की है।

दिल्ली में खुदरा प्याज की कीमतों की स्थिति रखने के लिए हुसैन ने केंद्र सरकार से रोजाना 10 ट्रक प्याज नेफेड के जरिए आपूर्ति करने की मांग की। ताकि दिल्ली में प्याज की रियायत दर पर जारी आपूर्ति को और बढ़ाया जा सके। दिल्ली सरकार प्याज 23.90 किलो पर आम लोगों को मुहैया करा रही है। 390 राशन की दुकान और 90 मोबाइल वैन के जरिए सस्ती प्याज बेची जा रही है।

उन्होंने कहा कि सरकार 10 दिनों तक हर रोज 10 ट्रक प्याज खरीदना चाह रही है। ताकि ज्यादा लोगों को सस्ता प्याज उपलब्ध कराने का दायरा और बढ़ाया जा सके। दिल्ली में फिलहाल खुदरा बाजार में प्याज 60–70 रुपए प्रति किलो मिल रहा है। इसी कड़ी में दिल्ली सरकार ने केंद्र से अनुरोध किया है कि वह कम से कम दस दिनों तक रोजाना 10 ट्रक प्याज की आपूर्ति नेफेड के जरिए करे। ताकि दिल्ली के लोगों को और राहत प्रदान की जा सके।

पूर्व विधायक आम आदमी पार्टी में शामिल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

पूर्व विधायक सुरेंद्र सिंह ने गुरुवार को आम आदमी पार्टी की सदस्यता की। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें पार्टी की टोपी व पटका पहनाकर सदस्यता दिलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के काम से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोग पार्टी से जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र कुमार बसपा की सीट से गोकुलपुरी विधानसभा से विधायक बने थे और बीते वर्ष जुलाई में ही भाजपा में शामिल हुए थे।

मुख्यमंत्री ने सभी गड्ढों को भरने के आदेश दिए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

दिल्ली के विधायकों की रिपोर्ट के बाद अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार तक सभी सड़कों के गड्ढे भरने के आदेश दिए हैं। यह कार्य दिल्ली सरकार का लोक निर्माण विभाग करेगा। सड़कों पर गड्ढे होने की वजह से जहां एक तरफ वाहन चालकों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं, इस वजह से प्रदूषण हो रहा है। मुख्यमंत्री ने दिल्ली की सभी सड़कों को सुधरने के लिए 30 नवंबर तक का वक्त विभाग को दिया गया है।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को कहा कि जिन भी मार्गों पर गड्ढे पाए जाएंगे, उन्हें 24 घंटे में भरा जाएगा। इसकी रिपोर्ट भी दिल्ली सरकार ने संबंधित विभाग से मांगी है। उन्होंने बताया कि विधायकों व लोक निर्माण विभाग के इंजीनियरों ने लोक निर्माण विभाग की 1,260 किलोमीटर लंबी सड़कों की जांच की थी। इस जांच में मार्गों पर कुल 232 गड्ढे पाए गए।

मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच के दौरान सड़कों पर कुल 283 क्षतिग्रस्त हिस्से भी पाए गए हैं जिनकी मरम्मत 31 अक्तूबर तक होगी। वहीं, 272 बड़े हिस्सों पर नई परत 30 नवंबर तक बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अन्य एजंसियों की ओर से किए गए कार्य में सड़कों के 392 हिस्सों को नुकसान पहुंचा है। इन संबंधित एजंसियों के साथ मुख्यमंत्री 24 अक्तूबर को बैठक करेंगे ताकि इस तरह की सड़कों की मरम्मत हो सके।

सार्वजनिक सूचना

एतदद्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपने पत्र सं. एफ नं. 21–111/2017–1ए–III दिनांक 11.10.2019 के तहत पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के यथा लागू प्रावधानों के अनुरूप, मैसर्स डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमि. द्वारा प्लाट नं. 15, शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली पर विकसित की जा रही "ग्रुप हाउसिंग (एसआईईएल)" परियोजना के लिये पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान कर दी है।

स्वीकृति पत्र की प्रतियां पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली–110003 के पास उपलब्ध है और इन्हें पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट: http://moef.gov.in/ पर भी देखा जा सकता है।

यह सार्वजनिक सूचना शिवाजी मार्ग, नई दिल्ली में उक्त ग्रुप हाउसिंग (एसआईईएल) को प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति के अनुपालन में जारी की जाती है।

राजीव सिंह
(अधिकृत हस्ताक्षरी)
डीएलएफ होम डेवलपर्स लिमि.
डीएलएफ सेंटर, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110 001

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI
जनपथ शाखा, 66 जनपथ
नई दिल्ली–110001

सांकेतिक कब्जा सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने वित्तीय परिसंपत्तियो के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रति भूति हित अधिनियम के प्रवर्तन के अधीन बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होने तथा प्रतिभूतिहित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(2) के अधीन प्रदत्त शक्तियो के अंतर्गत कर्जदार मैसर्स ट्राइबल क्राफ्ट्स (एक पार्टनशिप फर्म) को एक मांग सूचना दिनांकित 07.08.2019 को जारी किया था जिसमें सूचना में उल्लेखित राशि रु. 3,61,63,580.14 (रूपये तीन करोड़ इक्सठ लाख तिरेसठ हजार पाँच सौ अस्सी और पैसे चौदह मात्र), साथ में ब्याज [(i) On Cash Credit A/c @5.80% over one year MCLR, i.e. 14.50% p.a. w.e.f. 20.07.2019 and on (ii) Pre shipment credit limit @ applicable interest w.e.f. 31.07.2019, with monthly rests in both accounts.For bills overdue beyond 360 days under pre shipment, Export Credit Not Otherwise Specified (ECNOS) Rate @ 1 year MCLR +5.80%, presently 14.45% is applicable) और सभी लागत, प्रभार और खर्चे बैंक द्वारा, चुकौती की तिथि तक उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के अंदर प्रति भुगतान करने को कहा गया था।

कर्जदार राशि का प्रतिभुगतान करने में असफल हो गये है, इसलिए एतद्द्वारा कर्जदार तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने इसमे नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा, उक्त अधिनियम की धारा 13 (4), उक्त नियमों के नियम 8 के साथ पठित के अधीन उन्हे प्रदत्त शक्तियों के इस्तेमाल के अन्तर्गत दिनांक 17.10.2019 को लिया है।

विशेष रूप से कर्जदार तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा उक्त संपत्ति के साथ लेन–देन न करने के लिए सावधान किया जाता है तथा संपत्ति के साथ कोई भी लेन देन बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ शाखा के प्रभार वास्ते रु. 3,61,63,580.14 और उस पर उपरोक्तानुसार होने वाला ब्याज इत्यादि सहित के अधीन होगा।

उधारकर्ताओं/गारंटर्स का ध्यान एक्ट की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के अंतर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों के मुक्त करने हेतु उपलब्ध समय सीमा की ओर आकर्षित किया जाता है।

अचल संपत्ति का विवरण

(1) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि औद्योगिक सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) जोकि औद्योगिक प्लॉट नं. 6, ब्लॉक–बी, सैक्टर–57, न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र (नोएडा) के ले–आउट प्लान के अंतर्गत, न्यू ओखला औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिला गाजियाबाद, (यू.पी.) में स्थित, क्षेत्रफल 800 वर्ग मी., यह सम्पत्ति श्री पवन कुमार जैन पुत्र श्री पी.सी. जैन (गारंटर) के नाम पर है। चौहद्दी : उत्तर में – 30मी. चौडी रोड, दक्षिण में – औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–19, सैक्टर – 57, पूरब में – औद्योगिक सम्पत्ति, प्लॉट नं. बी–5, सैक्टर–57, पश्चिम में – औद्योगिक सम्पत्ति, प्लॉट नं. बी–7, सैक्टर–57

(2) सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि औद्योगिक सम्पत्ति (भूमि एवं भवन) जोकि औद्योगिक प्लॉट नं. 46, ब्लॉक–बी, सैक्टर–5, फेज– I, नोएडा, जिला गौतम बुद्ध (यू.पी.) क्षेत्रफल 418.60 वर्ग मी., सम्पत्ति का वह समस्त कम्प्लिट इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड (गारंटर) चौहद्दी : उत्तर में – औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–47, सैक्टर–5, दक्षिण में – 12.0 मी. चौडी रोड, पूरब में – 18.0 मी. चौडी रोड, पश्चिम में – औद्योगिक सम्पत्ति प्लॉट नं. बी–65, सैक्टर–5

दिनांक : 17.10.2019, स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

उच्च न्यायालय नई दिल्ली में
(मूल न्याय क्षेत्र)
कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में
तथा
मेग्नोस्टार टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रा.) लि. (परिसमापन में) के मामले में
सी.पी. सं. 359/2009 में
प्रपत्र सं. 63
[नियम 148(1) देखिए]
अपने दावे सिद्ध करने के लिए लेनदारों तथा कामगारों की सूचना के लिए विज्ञापन

एतद्वारा उपर्युक्त नामधारी कम्पनी के सभी लेनदारों (प्रतिभूत एवं अप्रतिभूत) वरीय लेनदारों तथा कामगारों, यदि कोई हो, को सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त नामधारी कम्पनी के विरुद्ध अपने सम्बद्ध ऋणों अथवा दावों को सिद्ध करने के लिए अपने सम्बद्ध नाम, पते तथा ऋण या दावे के विवरण और धारा 529ए तथा 530 के तहत किसी प्रियोरिटी टाइटल सहित निर्धारित प्रारूप में ऋण अथवा दावे सिद्ध करने का शपथपत्र या तो उन्हें 22.11.2019 को या इससे पूर्व आधिकारिक परिसमापक के कार्यालय में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बद्ध आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली के पास जमा कर दें या डाक द्वारा इस प्रकार भेजें कि उपर्युक्त तिथि तक पहुँच जायें। कोई लेनदार (प्रतिभूत या अप्रतिभूत) वरीय लेनदार तथा कामगार, यदि कोई हो, जो उपर्युक्त समय–सीमा के भीतर प्रमाण के अपने शपथपत्र जमा करने में असफल रहता है तो उसे अपने ऋण के सिद्ध होने से पूर्व लाभांश के किसी वितरण के लाभ से, अथवा, जैसी स्थिति हो, ऐसे वितरण पर आपत्ति करने से वंचित कर दिया जायेगा।

कोई लेनदार (प्रतिभूत या अप्रतिभूत) वरीय लेनदार तथा कामगार, यदि कोई हो, जिसने अपना सूचना द्वारा अपेक्षित आधिकारिक परिसमापक से लिखित में प्रमाण भेज दिया है, वह या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता द्वारा ऐसे ऋण या दावे की जाँच के समय ऐसे समय तथा स्थान पर जैसा कि कथित सूचना में निर्दिष्ट होगा, उपस्थित रह सकेगा और अपेक्षित के अनुसार अपने ऋण या दावे के अन्य प्रमाण प्रस्तुत कर सकेगा।

दिनांक : 23 सितम्बर, 2019.

(डी.के. सिंह)
आधिकारिक परिसमापक, दिल्ली
दिल्ली उच्च न्यायालय से सम्बद्ध
8वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली–110003
दूरभाष : 011–24693393–94
कम्पनी (न्यायालय) नियम, 1959 का प्रपत्र सं. 66 डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट www.mca.gov.in अथवा www.delhiol.com देखें।
डीएवीपी 07104/11/0067/1920

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (एम)–I/केपीजेड
केशव पुरम, दिल्ली–110035
ई–मेल आईडी : eem1kpz@gmail.com

एनआईटी संख्या - ई.ई(एम–I)/केपीजेड/टीसी/2019–20/27 दिनांक 11.10.2019

निविदा आमंत्रण सूचना

निविदा दस्तावेज की बिक्री/डाउनलोड आरंभ होने की तिथि: 11.10.19 को अपराह्न 5 बजे से
निविदा दस्तावेज ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि: 30.10.2019 को पूर्वाह्न 11 बजे तक
वित्तीय बोली खोलन : 30.10.2019 को पूर्वाह्न 11.15 बजे तक

आयुक्त, उत्तरी दिल्ली नगर निगम की ओर से कार्यपालक अभियंता (एम)–I/केशव पुरम अनुमोदित एवं योग्य ठेकेदारों से मुहरबंद प्रतिशत/मद दर निविदाए आमंत्रित करते हैं। कार्यपालक अभियंता (एम)–I/केशव पुरम द्वारा निविदाओं को वेबसाइट http://www.tenderwizard.com/NORTHDMCETENDER में खोला जाएगा। उद्धृत दरें 6 माह के लिए मान्य होगी।

1 कार्य का नाम: सी–63/केपीजेड में बी–एल ब्लॉक, शालीमार बाग(एस), मकान नंबर 10 से 109 तक लेन का सुधार लेखाशीर्ष: XL-VIII-S (d) FTC No. 19/XL/VIII-S (d) निविदा राशि (रुपये में): 4874384 अनुमानित लागत (रुपये में): 5270600 धरोहर जमा राशि (रुपये में): 97500 निविदा लागत (रुपये में): 500/- कार्य पूरा करने की अवधि: 04 माह

2 कार्य का नाम: सी–63/केपीजेड में एसी–ब्लॉक, शालीमार बाग(एस), मकान नंबर 70 नेहरू पार्क से फोर्टिस अस्पताल तक पीछे वाली चारदीवारी का सुधार लेखाशीर्ष : XL-VIII-S (d) FTC No. 19/XL/VIII-S (d) निविदा राशि (रुपये में): 3602905 अनुमानित लागत (रुपये में): 3895800 धरोहर जमा राशि (रुपये में): 72100 निविदा लागत (रुपये में): 500/– कार्य पूरा करने की अवधि: 04 माह

3 कार्य का नाम: सी–63/केपीजेड में एसी–ब्लॉक, शालीमार बाग(एस), मकान नंबर 6 से नेहरू पार्क तक चारदीवारी का सुधार लेखाशीर्ष : XL-VIII-S (d) FTC No. 19/XL/VIII-S (d) निविदा राशि (रुपये में): 4735133 अनुमानित लागत (रुपये में): 5120100 धरोहर जमा राशि (रुपये में): 94750 निविदा लागत (रुपये में): 500/– कार्य पूरा करने की अवधि: 04 माह

4. कार्य का नाम: सी–63/केपीजेड में बीएम (पश्चिमी ब्लॉक) शालीमार बाग में मकान नंबर 1 से 60, 61 से 187, 28 से 33, 8 से 13 तथा 112 से 125 तक जलनिकासी प्रणाली तथा लेन का विकास एवं सुधार कार्य लेखाशीर्ष: XL-VIII-S (d) FTC No. 19/XL/VIII-S (d) निविदा राशि (रुपये में): 2964427 अनुमानित लागत (रुपये में): 3205400 धरोहर जमा राशि (रुपये में): 59300 निविदा लागत (रुपये में): 500/– कार्य पूरा करने की अवधि: 04 माह

5 कार्य का नाम: वार्ड नंबर सी–63/केपीजेड एजी ब्लॉक, शालीमार बाग में 3.00 एम आरओडब्ल्यू की आंतरिक लेन का सुधार एवं विकास कार्य लेखाशीर्ष: XL-VIII-S (d) FTC No. 19/XL/VIII-S (d) निविदा राशि (रुपये में): 11802319 अनुमानित लागत (रुपये में): 12981800 धरोहर जमा राशि (रुपये में): 236100 निविदा लागत (रुपये में): 1000/– कार्य पूरा करने की अवधि: 09 माह

अनुमोदित/पात्र ठेकेदार, बिडिंग करने हेतु निविदा दस्तावेज को ऑनलाइन वेबसाइट http://www.tenderwizard.com से भी डाउनलोड कर सकते हैं। विस्तृत एनआईटी को वेबसाइट में भी देखा जा सकता है।

R.O No. 126/DPI/North DMC/2019-20 कार्यपालक अभियंता (एम)–I/केपीजेड

आन्ध्रा बैंक
(भारत सरकार का उपक्रम)

दीपाली चौक शाखा
भू तल 287 तरुण एन्क्लेव, दीपाली चौक, पीतमपुरा दिल्ली –110034
फ़ोन नं. 011–27021217,

कर्जदार को बिक्री के बारे में जानकारी हेतु नोटिस (30 दिन का नोटिस) (प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2)/ 8(6) के तहत)

शाखा का नाम / पता, उधारकर्ता / बंधककर्ता (ओं)/गारंटर (ओं)/सह आवेदक/सह आबंधक	सम्पत्ति का विवरण	सुरक्षित मूल्य / मांग सूचना की तिथि	कब्जा सूचना की तिथि
कर्जदार (1) मुखविंदर सिंह पुत्र माखन सिंह, म.न. बी –59, प्रथम तल, गणेश नगर –110018 यहां भी: डब्ल्यू जेड–ए–179, कृष्णा पार्क, नई दिल्ली –110018 यहां भी: डब्ल्यू जेड–22,प्रथम तल, ए/2, प्लॉट न 55, कृष्णा पार्क, गली न. –9, नई दिल्ली –18 कर्जदार (2)– पूजा शर्मा, पता : उपरोक्त गारंटर्स: श्री सचिन रावत, डब्ल्यू जेड–02/द्वितीय तल, एस पी मुखर्जी नगर, नई दिल्ली –110018.	अचल संपत्ति भूमि और भवन – प्रथम तल, डब्लूजेड–22 –ए2, प्लॉट न. 55, खसरा नंबर 2, श्री मुखविंदर सिंह और श्रीमति पूजा शर्मा से संबंधित, ग्राम नंगली जालिब, कृष्णा पार्क, गली नंबर 8, दिल्ली –110018 में स्थित और चौहद्दी पूर्व में : सड़क, पश्चिम में – संपत्ति का हिस्सा, उत्तर में : संपत्ति का हिस्सा, दक्षिण में – संपत्ति संख्या 54	₹ 11,38,000/- 03.01.2019	05.07.2019

जबकि बैंक द्वारा उपरिवर्णित तिथियों के अनुसार धारा 13(2) के तहत मांग सूचना द्वारा की गई मांग के बावजूद, आपकी तरफ बकाया राशि चुकाने में चूक की है। मैंने उपरोक्त अधिनियम के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त सम्पत्तियों का कब्जा प्रत्येक खाते के सामने वर्णित तिथि को प्राप्त कर लिया है। सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त किए जाने के बाद भी आपने आन्ध्रा बैंक की बकाया राशि का भुगतान नहीं किया है। अतएव, इस नोटिस की तिथि से 30 दिन बाद निम्नवर्णित सम्पत्ति ई–नीलामी द्वारा बेचना आवश्यक हो गया है। नीलामी की तिथि और समय तथा सेवा प्रदाता का विस्तृत विवरण बिक्री सूचना के माध्यम से सूचित किया जाएगा, जो अलग से जारी की जाएगी तथा सम्पत्ति सबसे अधिक मूल्य ऑफर करने वाले व्यक्ति को बेची जाएगी। चूंकि, सम्पत्ति की बिक्री हम दोनों को स्वीकार्य नियम एवं शर्तों के तहत, गुप्त बिक्री या व्यक्तियों से कोटेशन प्राप्त करने द्वारा भी की जा सकती है। यदि आपके पास सम्पत्ति की गुप्त बिक्री करने या व्यक्तियों से कोटेशन आमंत्रण द्वारा करने का कोई प्रस्ताव है, उसकी सूचना इस पत्र/नोटिस की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर मुझको दी जा सकती है। जिसमें असफल रहने पर यह मान लिया जाएगा कि आपके पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है तथा मैं सम्पत्ति/मशीनरी की बिक्री ऊपर दिए गए अनुसार निविदा आमंत्रण/सार्वजनिक नीलामी/ई–नीलामी/प्राइवेट ट्रीटी द्वारा करने हेतु कार्यवाही तत्काल आरंभ कर दूंगा। आगे, कृपया सूचित हों कि यदि आप मांग सूचना में विनिर्दिष्ट बकाया राशि का भुगतान, उस पर अनुवर्ती ब्याज तथा बैंक द्वारा आज की तिथि तक उपगत लागत एवं खर्चों सहित, उपरिवर्णित अनुसार बिक्री हेतु निर्धारित तिथि को अथवा पहले कर देते हैं, तो अनुसूची में वर्णित सम्पत्ति की बिक्री के लिए आगे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

दिनांकित : 10–10–2019, स्थान : नई दिल्ली चीफ मैनेजर/प्राधिकृत अधिकारी, आन्ध्रा बैंक

माननीय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल चंडीगढ़ बेंच के समक्ष

[illegible] 2016 की धारा 43, 45, 49 व 66 के [illegible] 30.09.2019 के अनुसार [illegible] 01.11.2019 [illegible]

क्र. सं.	प्रतिवादियों की सं.	नाम	पता
1.	7	[illegible]	[illegible], पंजाब–143521
2.	9	[illegible]	[illegible], पंजाब–143521
3.	15	[illegible] प्रा. लि.	[illegible]
4.	16	[illegible]	[illegible], पंजाब
5.	17	[illegible], दिल्ली	812/36, [illegible], दिल्ली–110062
6.	18	[illegible]	3140, प्लाट नं. 07, [illegible] रोड नं. 64, पीतमपुरा, दिल्ली
7.	19	[illegible]	433, [illegible], नया बाजार [illegible], दिल्ली
8.	20	[illegible]	1215, तिलक बाजार, दिल्ली
9.	21	[illegible]	1215, तिलक बाजार, दिल्ली
10.	22	[illegible]	475/2, तीसरा तल, [illegible], दिल्ली
11.	23	[illegible]	368/16, [illegible], पीतमपुरा, दिल्ली
12.	24	[illegible]	2244, तीसरा तल, [illegible], नया बाजार, दिल्ली
13.	25	[illegible] प्रा. लि.	[illegible], पंजाब
14.	26	[illegible]	[illegible], पंजाब
15.	27	[illegible]	[illegible], पंजाब

मोहित चावला
([illegible])
आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00524/2017-2018/10949
एससीओ 2435-36, सैक्टर 22-सी, चंडीगढ़
पंजीकृत ईमेल आईडी: ipservices@[illegible]
संपर्क: [illegible]

pnb Housing Finance Limited

पंजी. कार्यालय: 9वाँ तल, अंतरिक्ष भवन, 22, के.जी. मार्ग, नई दिल्ली–110001
फोन: 011–23357171, 23357172, 23705414, वेबसाईट: www.pnbhousing.com
शाखा का पता: 8वां तल, डीसीएम बिल्डिंग, 16, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली–110001
फोन: 011–23357170/74, ई–मेल: customercare@pnbhousing.com, वेबसाईट: www.pnbhousing.com

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम के अंतर्गत पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप एवं प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अनुपालन में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना प्रत्येक खाता के समक्ष नीचे वर्णित तिथि को जारी कर संबंधित ऋणधारकों को उक्त सूचना(ओं) की तिथि/ उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय उस राशि तथा ऋण अनुबंधों के अनुसार उस पर ब्याज के लिए पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि. के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपब्लध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

क्रम सं.	ऋण खाता सं.	ऋणधारक/सह–ऋणधारक/गारन्टर का नाम	मांग सूचना तिथि	बकाया राशि	कब्जा लेने की तिथि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण
1.	00016660008609 बी.ओ.: दिल्ली	श्री विकास भटनागर श्री प्रदीप चावला	1.3.2019	1.3.2019 को रु. 383903.24	11.10.2019 (सांकेतिक)	फ्लैट नं. ई 4/802, 8वां तल, वर्धमान गार्डेनिया सेक्टर 10, सोनीपत, हरियाणा 131001
2.	00016660007822 बी.ओ.: दिल्ली	श्री अनीश अहमद, श्री आशु रोहत्यगी	9.1.2019	9.1.2019 को रु. 1577216.15	14.10.2019 (सांकेतिक)	फ्लैट नं. एफ–3, एफएफ, एमआईजी, अमन रेजीडेन्सी, वि. प्लॉट नं. 840, शालीमार गार्डन एक्स्टें. 1, गाजियाबाद, उ.प्र.–201006
3.	00016660005076 बी.ओ.: दिल्ली	श्री आनंद पाल मलिक श्रीमती पूनम सरीन एवं श्री एनके राजपूत	11.6.2019	11.6.2019 को रु. 2926285.77	14.10.2019 (सांकेतिक)	फ्लैट नं. जी–2, प्लॉट नं. बी–188, भूतल, शालीमार गार्डन, एक्स्टेंशन–II, साहिबाबाद, गाजियाबाद, उ.प्र.–201005

स्थान: दिल्ली, तिथि: 17.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी, पीएनबी हाउसिंग फाइनांस लि.

कार्पोरेशन बैंक
आंचलिक कार्यालय, आर.पी.जी. टॉवर, 495/1, मंगल पांडे नगर, मेरठ–250001

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिए) [Rule - 8(1)]

यद्यपि वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण व पुनर्संरचण तथा प्रतिभूति ब्याज का प्रभावीकरण अधिनियम 2002 के अन्तर्गत तथा प्रतिभूति ब्याज (प्रभावीकरण) नियम 2002 के नियम 8 के साथ पठित धारा 13 (02) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कार्पोरेशन बैंक अधोहस्ताक्षरी ने विभिन्न बकायेदार ऋणियों एवं गारन्टरों को नोटिस में वर्णित राशि, नोटिस प्राप्ति के 60 (साठ) दिनों के अन्दर अदा करने हेतु मांग नोटिस जारी की थी। ऋणियों एवं गारन्टरों के द्वारा इस राशि की अदायगी में विफल रहने पर एतदद्वारा आम जनता को एवं ऋणी व गारन्टरों को विशेष रूप से सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने नीचे वर्णित सम्पत्तियों का अधिग्रहण उपरोक्त अधिनियम की धारा 13 (4) एवं नियमों के उपनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्नलिखित सम्पत्तियों का कब्जा उनके सम्मुख अंकित तिथि को कर लिया है। एतदद्वारा ऋणियों/गारन्टरों को विशेषतः और जन साधारण को सामान्यतः सूचित किया जाता है कि उक्त सम्पत्तियां का अधिग्रहण कर लिया गया है अतः इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई सौदा/व्यवहार बैंक के अतिरिक्त अन्य किसी से न करें एवं ऐसा कोई भी सौदा/व्यवहार कार्पोरेशन बैंक को देय राशि व सम्बन्धित ब्याज हेतु जैसा कि नीचे खाते के सम्मुख उल्लेखित किया गया है के अध्याधीन होगा।

शाखा का नाम	ऋणी और जमानती के नाम	कब्जा नोटिस की तारीख	मांग नोटिस की तारीख	मांग नोटिस के अनुसार बकाया राशि
बुलंदशहर	ऋणकर्ता :–(1) (ए) मैसर्स मीनाक्षी क्लॉथ हाउस, प्रो0 श्रीमती मीनाक्षी शर्मा पता: रामपुर कॉलोनी उर्फ मिर्जापुर शास्त्री नगर, बाईपास रोड बुलंदशहर–203001 (यूपी) गारंटर: 2 (ए) श्री विनोद कुमार पुत्र प्रेमपाल सिंह 1367/19, राधा नगर 5, शास्त्री नगर बुलंदशहर–203001 (यूपी)	15.10.2019	06.07.2019	रूपये 5,61,382.00 (रुपये पाँच लाख इक्सठ हजार तीन सौ बयासी केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– ईएमजी आवासीय प्लॉट स्थित मौहल्ला मोहन क्यूट खेत नंबर 1505,1514,1598,1995/02, 1367/एस, तहसील और जिला बुलंदशहर क्षेत्रफल–104.51 वर्ग मीटर संपत्ति श्रीमती मीनाक्षी शर्मा के नाम सीमायें:– पूर्व–7.2 मीटर चौड़ा प्रवेश/लगभग श्रीमती विमलेश देवी के सामने का मकान, पश्चिम– डिगर का प्लॉट, उत्तर– डिगर का प्लॉट, दक्षिण–रास्ता 6.86 मी. चौड़ा				
बुलंदशहर	ऋणकर्ता :–मैसर्स मुनेंद्र सिंह ठेकेदार, प्रो0 मुनेंद्र सिंह, 3/280, देवीपुरा 1, चारयार रोड बुलंदशहर–203001 (यूपी)	15.10.2019	06.07.2019	रूपये 10,60,678.00 (रुपये दस लाख साठ हजार छः सौ और अठत्तर केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– ईएमजी आवासीय भवन (मकान) असर संख्या 860 क्षेत्रफल 125.46 वर्ग मीटर स्थित खेत नं. 09 गांव चांदपुर परगना बारान और तहसील और जिला बुलंदशहर। संपत्ति मुनेंद्र सिंह पुत्र श्री प्रेमपाल सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें:– पूर्व–अजय का प्लॉट, पश्चिम–विजय का प्लॉट, उत्तर– रामवीर का प्लॉट, दक्षिण– रास्ता 25.00 फीट चौड़ा				
बुलंदशहर	ऋणकर्ता :–:– (ए) मैसर्स मां सरस्वती बुक एजेंसी प्रो. श्री मोनू कुमार, पता: ऋषि पैलेस के पास, स्याना रोड, बुलंदशहर–203001 (यूपी) (बी) मोनू कुमार पुत्र वीरु सिंह पता: नया गाँव, बुलंदशहर 203001 (यूपी) गारंटर: 2 (ए) श्री वीरू सिंह पुत्र सूरज सिंह पता: नया गाँव, बुलंदशहर 203001 (यूपी) (बी) श्रीमती चंपा देवी पत्नी वीरू सिंह, पता: नया गाँव, बुलंदशहर 203001 (यूपी)	15.10.2019	06.07.2019	रूपये 15,75,122.57(रुपये पंद्रह लाख पिचत्तर हजार एक सौ बाईस और पैसे सत्तावन केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– ईएमजी प्लॉट का भाग और पार्सल खेत नं. 95 और 96 का क्षेत्रफल 68.78 वर्गमीटर। स्थित ग्राम हीरापुर, परगना बारान, तहसील और जिला बुलंदशहर संपत्ति श्री वीरु सिंह पुत्र सूरज सिंह और श्रीमती चंपा देवी पत्नी वीरु सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें:–पूर्व: अन्य का प्लॉट, पश्चिम: जोगिंदर का प्लॉट, उत्तर: चरन और अन्य का खेत, दक्षिण: रास्ता 6.00 मी. चौड़ा				
कनाट पैलेस, देहरादून	ऋणकर्ता :–(ए) श्री पवन कुमार पंचम पुत्र श्री माम राज सिंह, वर्क शॉप अटेन्डेंट सरकारी पॉलिटेक्निक पिट्ठूवाला, पो. मेहूवाला, देहरादून –248001 2. श्रीमती राज रानी, खतौनी नं 238 खसरा नं 721, मौजा सेवा कला परगना पछवादून, देहरादून–248001	16.10.2019	04.07.2019	रूपये 19,39,133.00 (रुपये उन्नीस लाख उनतालिस हजार एक सौ तैतीस केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– ईएमजी आवासीय संपत्ति खा. नंबर 721 मौजा सेवा कला के एल ए सेंटर दून, देहरादून प्लॉट का कुल क्षेत्रफल 66.89 वर्गमीटर कुल कवर्ड क्षेत्रफल 70.81 वर्ग मीटर खतौनी 238 ऐशाली 1414 से 1419 खसरा न 721 रकबा 66.89 वर्ग मीटर मौजा सेवा कला परगना पछवादुन तहसील सदर जिला देहरादून स्वामित्व श्रीमती रजनी रानी पत्नी श्री पंचम कुमार सीमायें:– पूर्व: संगीता की भूमि पश्चिम: रवींद की भूमि, उत्तर: 12 फीट रोड, दक्षिण: श्री जय प्रकाश का मकान				
सिकंदराबाद	ऋणकर्ता :–1 (ए) मैसर्स प्रेम नारायण अतुल कुमार प्रो0 श्री प्रेम नारायण, पता: 36, हरि शाह सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर 203205 (यूपी) गारंटर: 2 (ए) श्री अतुल कुमार पुत्र प्रेम नारायण पता: 36, हरि शाह सिकंदराबाद, जिला बुलंदशहर 203205 (यूपी)	17.10.2019	06.07.2019	रूपये 14,64,057.80 (रूपये चौदह लाख चौसठ हजार सत्तावन और अस्सी पैसा केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– ई एम जी आवासीय मकान क्षेत्रफल 123.57 वर्ग मीटर स्थित मकान न. 54, 54/1 (डबल स्टोरी) मौहल्ला हरिशाह तहसील सिकंदराबाद जिला बुलंदशहर संपत्ति श्री प्रेम नारायण पुत्र भागवत प्रसाद के नाम पर संपत्ति की सीमायें:– पूर्व– आम रास्ता, पश्चिम– आवचक, उत्तर–आवचक, दक्षिण– जय नारायण मकान				
सिकंदराबाद	ऋणकर्ता :–1 (ए) शाहिद पुत्र सईद पता: मकान नंबर 140, बकरकसारान, सिकंदराबाद बुलंदशहर –203205 गारंटर :– 2 (ए) सईद पुत्र मौहम्मद शफी पता: मकान नंबर 140, बकरकसारान, सिकंदराबाद, बुलंदशहर –203205 2 (बी) शहीद पुत्र मौहम्मद यूनुस पता: चौधरीवाडा, सिकंदराबाद, बुलंदशहर–203205	17.10.2019	01.05.2019	रूपये 10,24,000.88 (रुपये दस लाख चौबीस हजार और अठासी पैसे केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल नंबर 243 क्षेत्रफल 19 वर्ग गज मौहल्ला बकरकसारान, सिकंदराबाद, बुलंदशहर में संपत्ति सईद पुत्र मौहम्मद शफी के नाम पर संपत्ति की सीमायें:–पूर्व– अब्दुल मजीद का मकान, पश्चिम–रास्ता गली, उत्तर– रास्ता गली, दक्षिण– अहमद नूर का मकान				
आवास विकास कॉलोनी, आगरा	ऋणकर्ता :–1 (ए) मैसर्स उत्तम प्लाइवुड एंड हार्डवेयर प्रोप. उत्तम सिंह पता: बागेल मार्केट सिकंदरा आगरा 282007, (बी) श्री उत्तम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उदय निवासी ग्राम रामनगर, नुटिला, शमशाबाद रोड, आगरा (सी) श्री उत्तम सिंह पुत्र स्वर्गीय श्री उदय भान निवासी पुष्पांजलि वाटिका सिकंदरा आगरा	16.10.2019	06.05.2019	रूपये 5,65,985.20 (रुपये पांच लाख पैंसठ हजार नौ सौ पिचासी और बीस पैसे केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– आवासीय मकान संपत्ति के सभी भाग और पार्सल श्री उत्तम सिंह के नाम स्थित आशियाना रेजीडेंसी, मौजा नैनानाजाट, आगरा प्लाट का क्षेत्रफल 92.89 वर्गमीटर। प्लॉट का सीमायें:–उत्तर– प्लॉट नंबर 13, दक्षिण– प्लॉट नंबर 11, पूर्व– प्लॉट नंबर 9, पश्चिम–रास्ता 21'				
सिकंदराबाद	ऋणकर्ता :–1 (ए) श्री यशपाल सिंह चौहान पुत्र सूरजपाल सिंह चौहान, पता: बी 32 नजीमापुराबाद 1 यमुना पुरम, बुलंदशहर 203121 उत्तर प्रदेश	17.10.2019	06.07.2019	रूपये 10,09,783.14 (रुपये दस लाख नौ हजार सात सौ तीरासी और चौदह पैसे केवल)
बंधक रखी गयी सम्पत्ति का विवरण– ईएमजी आवासीय प्लॉट खेत नंबर 1242 सिकंदराबाद देहात क्षेत्रफल 168.58 वर्ग मीटर स्थित सिकंदराबाद देहात परगना और तहसील सिकंदराबादजिला बुलंदशहर संपत्ति श्री यशपाल सिंह पुत्र श्री सूरजपाल सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें:– पूर्व– विक्रेता का प्लॉट, पश्चिम– बालमुकुंद का प्लॉट उत्तर– विक्रेता का प्लॉट और उसके बाद नाला, दक्षिण–सिकंदराबाद–बुलंदशहर रोड				

दिनांक – 17.10.2019 स्थान– बुलंदशहर, देहरादून, सिकंदराबाद, आगरा प्राधिकृत अधिकारी कार्पोरेशन बैंक

मौसम

तापमान	नोएडा	गाजियाबाद	गुरुग्राम	फरीदाबाद
अधिकतम	33.5 डि.से.	33.5 डि.से.	33.3 डि.से.	34.5 डि.से.
न्यूनतम	21.4 डि.से.	21.4 डि.से.	19.1 डि.से.	21.0 डि.से.

चिड़ियाघर में शेर के बाड़े में कूदा युवक

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

चिड़ियाघर में गुरुवार दोपहर उस वक्त अफरा-तफरी फैल गई, जब एक युवक आठ फुट गहरे शेर के बाड़े में कूद गया। वहां मौजूद पर्यटकों ने घटना के तुरंत बाद शोर मचाना शुरू कर दिया और युवक को बाहर आने के लिए कहने लगे। शोर-शराबा सुनकर चिड़ियाघर में तैनात सुरक्षाकर्मी बाड़े के पास पहुंचे और इसकी जानकारी चिड़ियाघर प्रशासन को दी। सूचना मिलने पर कर्मचारियों ने शेर को बेहोश कर युवक को सकुशल बाहर निकाला।

युवक की पहचान पूर्वी चंपारण, बिहार निवासी रेहान खान (21) के तौर पर हुई है। फिलहाल युवक दिल्ली के सीलमपुर में रह रहा था। दक्षिणी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्वाल ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर पता चला है कि युवक मानसिक रूप से बीमार है। उपायुक्त ने बताया कि निजामुद्दीन थाने की पुलिस युवक को एम्स ट्रामा सेंटर लेकर पहुंची, जहां से बाद में डॉक्टरों ने रेहान को शाहदरा स्थित इबहास सेंटर भेज दिया है। शेर का नाम सुंदरम है जिसकी उम्र 10 साल है।

रेहान को शेर के बाड़े से सकुशल निकाला गया।

चिड़ियाघर के प्रवक्ता रियाज अहमद खान ने बताया कि घटना दोपहर करीब 12 बजकर 30 मिनट की है। सूचना मिलने के बाद युवक को बचाने के क्रम में सबसे पहले शेर का ध्यान भटका कर उसे बाड़े के दूसरे हिस्से में पहुंचाया गया। इसके बाद शेर को बेहोश किया गया। चिड़ियाघर के क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद युवक को बाहर निकाल लिया। इस दौरान रेहान तकरीबन 15 मिनट तक बाड़े के अंदर रहा। उन्होंने बताया कि युवक ने चिड़ियाघर के स्टाफ से रेहान कह रहा था कि वह यहां पर मरने के लिए आया है। प्रवक्ता ने बताया कि घटना की जानकारी मिलने के बाद क्यूआरटी के सभी स्टाफ बचाव कार्य में जुट गए। इस बीच दिल्ली दमकल विभाग के कर्मचारी भी पहुंच गए थे और वे भी बचाव कार्य में जुटे रहे, जब तक युवक को बाहर नहीं निकला गया।

पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान पता चला है कि वह कुछ दिनों पहले ही बिहार से आया था। वह गुरुवार को चिड़ियाघर घूमने के लिए गया था। चिड़ियाघर के अंदर एक तरफ लोहे की ग्रिल थी और दूसरी तरफ बांस की लकड़ी का बाड़ा बनाया हुआ है। रेहान बांस की लकड़ी के बाड़े पर चढ़ गया और फिर अंदर घुस गया। उसके मामा शम्स खान ने बताया कि युवक सुबह घर से बाहर निकला था। उन्होंने बताया कि वह मानसिक तौर पर बीमार है। इस बीच वहां मौजूद पर्यटकों ने वीडियो भी बनाया। ये लोग युवक से बाहर आने की अपील कर रहे हैं। बावजूद इसके युवक शेर के पास जा रहा है और उसके पास बैठ कर पोज दे रहा है। साल 2014 में युवक बाघ के बाड़े में कूद गया था, जो बाघ का शिकार हो गया था। काफी मशक्कत करने के बाद चिड़ियाघर प्रशासन युवक बचाने में सफल नहीं हो पाया था।

अगले सप्ताह से आम्रपाली फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 अक्तूबर।

- आगामी सप्ताह से करीब 900 फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होगी
- कोर्ट ने आम्रपाली को रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू करने के दिए हैं निर्देश

आम्रपाली परियोजनाओं के लिए कोर्ट रिसीवर ने नोएडा प्राधिकरण को अगले सप्ताह से सेक्टर-45 स्थित सैफायर-1 में सत्यापित फ्लैटों की रजिस्ट्री शुरू कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही त्रिपक्षीय पट्टा विलेख निष्पादन के प्रारूप को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। इस काम के लिए एक सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी को नियुक्त किया गया है। माना जा रहा है कि आगामी सप्ताह से करीब 900 फ्लैटों की रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

23 जुलाई 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली हाउसिंग परियोजनाों को नियंत्रित करने, तैयार फ्लैटों के पंजीकरण, खरीदारों से रुपए स्वीकार करने, बगैर बिके फ्लैट बेचने और राज्य के स्वामित्व वाली एनबीसीसी बोर्ड के आम्रपाली से संबंधित कार्यों के लिए रिसीवर नियुक्त किया था। कोर्ट ने रजिस्ट्री को निष्पादित करने के लिए एक महीने का समय दिया था। जिसे बाद में तीन महीने तक बढ़ा दिया था क्योंकि फ्लैटों की बिक्री से संबंधित दस्तावेजों को सत्यापित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता बताई गई थी। फिलहाल प्राधिकरण आम्रपाली बिल्डर की विभिन्न परियोजनाओं के फ्लैट खरीदारों के दस्तावेजों का सत्यापन कर रहा है।

सत्यापन के बाद दस्तावेज प्रमाणित किए जा रहे हैं, ताकि पंजीकरण शुरू हो सके। पहले चरण में आम्रपाली सैफायर- प्रथम में फ्लैट सत्यापन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस दौरान नौ अपार्टमेंट के दस्तावेजों को सत्यापित किया गया। इस बीच, राज्य के स्वामित्व वाली एनबीसीसी ने विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को संशोधित करना शुरू कर दिया है। ताकि वह नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भी 15 आवास परियोजना और आम्रपाली की एक वाणिज्यिक परियोजना में निर्माण का काम शुरू कर सके। सत्यापन प्रक्रिया की नोएडा में शुरूआत सैफायर- प्रथम से की गई। उसके बाद क्रमवार सैफायर- 2, इडेन पार्क, प्लेटिनम व टाइटेनियम, जोडिएक, प्रिंसले स्टेट, सिलिकॉन सिटी फेज-1 के फ्लैट खरीदारों का सत्यापन किया जाए। ग्रेटर नोएडा में क्रमवार क्रिस्टल, ग्रांड, लेजर वैली परियोजना के फ्लैट खरीदारों का सत्यापन होगा।

खबरों में शहर

आज से शुरू होगा 'हेल्थ मेला'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

परफेक्ट हेल्थ मेला शुक्रवार को शुरू होगा। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन इसका उद्घाटन करेंगे। हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया व सरकार के तमाम विभागों के सहयोग से होने वाले इस मेले में स्वास्थ्य की जटिल बारीकियों को खेल खेल में या मनोरंजन के दूसरे माध्यमों से समझाया जाएगा। फिट इंडिया मुहिम को आगे बढ़ाते हुए इस मेले में बीमारियों से बचाव व उसके रोकथाम के उपाय तो किए ही जाएंगे। मरीजों के स्वास्थ्य की जांच व इलाज की तमाम पद्धतियों से इलाज के तमाम विकल्प भी मुहैया कराए जाएंगे। यह जानकारी फाउंडेशन के मुखिया डा केके अग्रवाल ने दी। उन्होंने बताया कि स्कूली बच्चों में तमाम सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए स्वास्थ्य जागरुकता फैलाई जाएगी। मेले में स्वास्थ्य प्रदर्शनी भी लगेगी।

दफ्तर का समय बदलने पर चल रही है बात

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

सम-विषम योजना के दौरान दिल्ली में दफ्तर का व्यस्तम समय सुबह 9 से शुरू होता और शाम में यह 6 से 9 बजे तक होता है। इस समय में बदलाव के लिए भी दिल्ली सरकार अध्ययन कर रही है। मुख्यंत्री ने बताया कि इस अध्ययन के लिए विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है। इस रिपोर्ट के आधार पर ही कार्य समय में बदलाव के संबंध में फैसला लिया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जनता से अपील की है कि दिल्ली में सम-विषम को सफल बनाने के लिए कार पूलिंग को बढ़ावा दें। अगर संभव है तो दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ एक ही कार से आएं जाएं। इससे भी प्रदूषण कम करने में मदद मिलेगी और रिश्तों को सुधारा जा सकेगा।

मेहंदी लगवाने के दौरान गायब हुई महिला के हाथ से अंगूठी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 अक्तूबर।

सेक्टर- 41 के बाजार में बुधवार रात मेहंदी लगाने वाले युवक ने महिला के हाथ से सोने की अंगूठी चोरी कर ली। आरोपी ने मेहंदी लगाने के दौरान वारदात को अंजाम दिया। गुरुवार सुबह जब महिला ने अपने वॉट्सएप पर मेहंदी लगे हाथ की फोटो देखी, तो उसमें उंगली से अंगूठी गायब थी। उसके बाद महिला को घटना का पता चला। महिला ने थाना सेक्टर-39 में मेहंदी लगाने वाले के खिलाफ शिकायत दी है। एसएचओ के मुताबिक आरोपी के एक साथी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

जेनरेटर की बॉडी में 90 पेटी शराब रख कर रहे थे तस्करी

जनसत्ता संवाददाता
नोएडा, 17 अक्तूबर।

सेक्टर-10 लालबत्ती के पास बुधवार देर रात पुलिस ने गाड़ी में रखे जेनरेटर की बॉडी के अंदर अवैध रूप से शराब ले जा रहे दो तस्कर गिरफ्तार किए हैं। आरोपी अवैध रूप से शराब को बिहार में कालाबाजारी के लिए ले जा रहे थे। गुरुवार को पुलिस ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें जेल भेजा गया।

थाना सेक्टर-24 के एसओ रामफल सिंह ने बताया कि बुधवार रात करीब 11 बजे गश्त के दौरान पुलिस को दो शराब तस्करों के दिल्ली से गाड़ी लेकर आने की जानकारी मिली। जानकारी के आधार पर पुलिस ने सेक्टर-10 की लालबत्ती के पास पहुंचकर ट्रक को रुकवाया। उस ट्रक में दो जेनरेटर की बॉडी रखी हुई थी।

मेट्रो स्टेशन के पास पत्रकार का मोबाइल फोन झपटा

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

पूर्वी दिल्ली के न्यू अशोक नगर थाना क्षेत्र में मेट्रो स्टेशन के पास मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने एक दैनिक अखबार के पत्रकार का फोन झपट लिया। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पीड़ित का नाम शेखर सिंह (32) है। पुलिस ने शेखर की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों की पहचान कर उनकी तलाश में जुटी है।

पीड़ित पत्रकार शेखर सिंह ने बताया कि वह परिवार के साथ मैदान गढ़ी, छतरपुर में रहते हैं। वह एक अंग्रेजी दैनिक अखबार में पत्रकार हैं। बुधवार रात करीब साढ़े आठ बजे वह अपने घर लौट रहा थे। जैसे ही वह न्यू अशोक नगर मेट्रो स्टेशन के पास पहुंचे। इस बीच उनके जानकार का फोन आया। वह फोन पर बात कर रहे थे उसी दौरान मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने उनका फोन झपट लिया और मौके से फरार हो गए।

पुलिस से मुठभेड़ के दो अलग मामलों में दो बदमाश गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

द्वारका में गुरुवार सुबह हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने कुख्यात बदमाश प्रिंस तेवतिया (29) को पकड़ा है। हालांकि इस दौरान अलवर, राजस्थान निवासी बदमाश प्रमोद पुलिस को चकमा देकर फरार होने में कामयाब रहा। प्रिंस की निशानदेही पर पुलिस ने दो पिस्तौल, कारतूस और खोखे जब्त किए हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच 13 राउंड गोलियां चलीं।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि आंबेडकर नगर थाने का घोषित बदमाश द्वारका में किसी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना के आधार पुलिस की एक टीम द्वारका पहुंची। इसी बीच पुलिस टीम की नजर द्वारका मोड़ के पास एक संदिग्ध कार पर पड़ी। टीम ने कार की पीछा करना शुरू किया। इसी बीच बदमाश कार से बाहर निकलकर भागने की कोशिश करने लगे। बदमाशों को जब लगा कि वे पकड़े जाएंगे तो उन्होंने गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई में गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली प्रिंस के पैर में जा लगी। हालांकि इस बीच मौका देख दूसरा आरोपी प्रमोद फरार हो गया। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में छापामारी कर रही है।

प्रिंस तेवतिया के खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश के अलावा अन्य अपराधिक मामले कई थानों में दर्ज हैं। प्रमोद के खिलाफ भी कई मामले दर्ज हैं।

झपटमारी और लूटपाट का आरोपी गिरफ्तार

स्पेशल सेल ने बुधवार देर रात को रोहिणी में हुई मुठभेड़ के बाद राज कुमार उर्फ रावण को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर एक पिस्तौल, कारतूस और खोखे जब्त किए हैं। आरोपी पर झपटमारी और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं। प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि आरोपी राज कुमार उर्फ रावण रोहिणी सेक्टर 11-24 के गंदा नाला के पास आने वाला है। सूचना के आधार पर एक टीम गठित की गई। टीम ने रात करीब साढ़े नौ बजे स्कूटी सवार रावण को रुकने का इशारा किया पर आरोपी नहीं रुका। टीम ने जब उसका पीछा करना शुरू किया तो उसने गोलियां चलानी शुरू कर दी। इस दौरान एक गोली पुलिसकर्मी के बुलेटप्रूफ जैकेट पर जा लगी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी गोलियां चलाई, जिनमें से एक गोली उसके पैर में लग गई। बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर पास के आंबेडकर अस्पताल में दाखिल कराया। उपायुक्त ने बताया कि आरोपी की निशानदेही पर एक स्कूटी और झपटी गई चेन जब्त की गई हैं।

देशभर के सात लाख युवाओं को मिलेगा प्रशिक्षण

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

प्रशिक्षण पखवाड़े के सफल आयोजन के बाद सात लाख युवाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुल गए हैं। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में यह जानकारी सामने आई है। युवाओं के लिए आठ सार्वजनिक उपक्रम के माध्यम से विभिन्न श्रेणी में यह प्रशिक्षण उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी व कौशल विकास मंत्री डॉ. महेंद्र नाथ पांडेय भी शामिल हुए। यह कार्यक्रम मार्च 2020 तक चलेगा। इस कार्यक्रम में दिल्ली समेत अन्य राज्यों में प्रशिक्षण के लिए निजी कंपनियों के साथ 22 समझौते किए गए हैं। रोजगार के लिए केंद्र सरकार ने इस पखवाड़े की पहल शुरू की थी। इसके तहत देश के 22 राज्यों में 50 से अधिक कार्यशाला आयोजित की गई। सभी राज्यों के लिए केंद्र सरकार ने 30 सितंबर को इस पखवाड़े की शुरुआत की थी।

एटीएम से छेड़छाड़ करने वाला पूर्व हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

जनकपुरी थाना पुलिस ने दिल्ली पुलिस के पूर्व हेड कांस्टेबल को स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के एटीएम में टैंपरिंग (छेड़छाड़) करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी को मुंबई स्थित बैंक के मुख्यालय से आए फोन के आधार पर पकड़ा गया। आरोपी की पहचान पूर्व हेड कांस्टेबल रवि कुमार मीणा (37) के रुप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के पास से दो लाख रुपए, 61 क्लोन एटीएम कार्ड और सात मोबाइल बरामद किए हैं। इसके अलावा आरोपी के ठिकाने से एक लैपटॉप, 14 पासबुक भी मिली हैं। पूछताछ में पता चला कि आरोपी 2004 में दिल्ली पुलिस में भर्ती हुआ था। बाद में उसने आपराधिक दुनिया में कदम रखा। इस कारण साल 2015 में उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी।

पश्चिमी जिला पुलिस उपायुक्त दीपक पुरोहित ने बताया कि मंगलवार देर रात करीब पौने बारह बजे जनकपुरी थाने में स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के मुख्यालय से पुलिस को फोन आया था, जिसमें बताया गया था कि जनकपुरी डिस्टिक सेंटर के पास एटीएम में एक शख्स जिसने लाल कुर्ता और पेंट पहने हुए है, मशीन से टैंपरिंग कर रहा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने देखा तो वहां एक शख्स बताए हुए हुलिया के मुताबिक मिला। पुलिस ने आरोपी को रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ में पता चला कि आरोपी पिछले काफी समय से इस धंधे को अंजाम दे रहा था। इंटरनेट पर वीडियो देखकर उसने एटीएम को टैंपरिंग करने का गुर सीखा था।

म्यांमा से भारत में हेरोइन की तस्करी कर रहे गिरोह का भंडाफोड़ , तीन गिरफ्तार

जनसत्ता संवददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

- पहले असम में लाते थे हेरोइन, दिल्ली-एनसीआर में होती थी आपूर्ति
- गिरफ्तार हुए तस्करों की कार से 25 किलो हेरोइन जब्त

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गुरुवार को म्यांमा से पूर्वोत्तर के रास्ते देश के कई राज्यों में हेरोइन की आपूर्ति करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस अंतरराष्ट्रीय गिरोह के तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनकी पहचान मोहम्मद हशिम (32), मोहम्मद साबिर (33) और नरेश कुमार (49) के तौर पर हुई है। तीनों उत्तर प्रदेश, बाराबंकी जिले के रहने वाले हैं। इन तीनों को लाजपत नगर के पास से दबोचा गया है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 25 किलो हेरोइन जब्त की है, जिसका अंतरराष्ट्रीय बाजार में करोड़ों रुपए में कीमत आंकी जा रही है। पूछताछ में तस्करों ने बताया कि गिरोह के सदस्य पहले असम में हेरोइन लाते थे। बाद में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के विभिन्न इलाकों में इसकी तस्करी की जाती थी। अभी तक स्पेशल सेल ने 10 बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 600 किलो से अधिक मादक पदार्थ जब्त किए हैं।

स्पेशल सेल के उपायुक्त प्रमोद सिंह कुशवाहा ने बताया कि टीम को सूचना मिली थी कि तस्कर भारी मात्रा में मादक पदार्थों के साथ दिल्ली में आने वाले हैं। सूचना के आधार पर एसीपी अतर सिंह की देखरेख में एक टीम का गठन किया गया। टीम को लाजपत नगर, बारापुला फ्लाइओवर के पास एक कार पर शक हुआ। पुलिसकर्मियों ने चालक को रुकने का इशारा किया तो वे फरार होने लगे। पर पुलिस ने कार सवार तीनों तस्करों को दबोच लिया। तस्करों ने कार में एक खास जगह बनाई हुई थी, जिसमें 10 किलो हेरोइन को छुपा कर रखा हुआ था। कार की पूरी तरह तलाशी लेने पर पुलिस ने करीब 25 किलो हेरोइन जब्त की।

सड़क हादसे में युवक की मौत, दो घायल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

मौर्या एन्क्लेव थाना क्षेत्र में मोटरसाइकिल सवार तीन युवक सड़क हादसे में घायल हो गए। घायलों में एक की मौत हो गई। तीनों युवक मोटरसाइकिल से अपने घर लौट रहे थे, तभी मोटरसाइकिल असंतुलित होकर सड़क पर फिसल गई। सूचना मिलने पर पुलिस तीनों को घायल हालत में पास के अस्पताल में लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने शिवकांत (27) को मृत घोषित कर दिया। वहीं, दीपक (26) और अमर सिंह (26) का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस ने शिवकांत के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखवा दिया है। बताया यह भी जा रहा है कि तीनों शराब के नशे में थे। जानकारी के मुताबिक शिवकांत मुकुंदपुर में परिवार के साथ रहता था। दोनों घायल भी मुकुंदपुर में रहते हैं। शिवकांत रोहिणी स्थित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करता था। उसके दोस्त भी उसी कंपनी में काम करते हैं। हादसे के समय मोटरसाइकिल शिवकांत चला रहा था, जबकि दीपक और अमर पीछे बैठे हुए थे। मौर्या एन्क्लेव के अंडरपास के पास उनकी बाइक का संतुलन बिगड़ गया और गिर गए। राहगीरों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने तीनों को सरोज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने शिवकांत को मृत घोषित कर दिया।

पड़ोसी राज्यों की पराली से बढ़ा दिल्ली का प्रदूषण : केजरीवाल

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुरुवार को कहा कि पड़ोसी राज्यों की पराली से दिल्ली की आबोहवा बिगड़ रही है। पिछले 8-10 माह में दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण में था लेकिन पराली के जलने से दिल्ली का वातावरण खराब हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली वालों ने अपना प्रदूषण स्तर 25 फीसद तक कम किया है और प्रदूषण के लिए दिल्ली वालों को दोष देना ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री ने प्रदूषण को लेकर एजंसियों की अलग-अलग रिपोर्ट पर भी सवाल खड़ा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह आकलन केवल रीयल टाइम सिस्टम की मदद से ही संभव हो सकता है। ऐसा सिस्टम दिल्ली सरकार तैयार कर रही है। यह सिस्टम अप्रैल 2020 तक तैयार होगा। इस सिस्टम के आधार पर हर चार घंटे के आधार पर प्रदूषण का सही आंकड़ा उपलब्ध होगा। इस सिस्टम को तैयार करने के लिए मशीनें आ चुकी हैं और इंडिया गेट के पास ही इसका निगरानी केंद्र तैयार किया जाएगा। इसके अध्ययन का कार्य दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास रहेगा।

उन्होंने कहा कि अब तक भी जिन रिपोर्ट का हवाला देकर प्रदूषण की स्थिति को बताया जा रहा है वह रिपोर्ट 2018 में टेरी के माध्यम से तैयार की गई थी जबकि वातावरण में लगातार बदलाव होते रहे हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि सर्दी में 36 फीसद तक प्रदूषण दिल्ली का है और यह गर्मियों में 26 फीसद तक हो जाता है। उन्होंने कहा कि बीते सप्ताह ही एक एंजसी ने रिपोर्ट की थी कि एक फीसद ही पराली का धुंआ है जबकि दूसरी एंजसी यह प्रदूषण 10 फीसद होने का दावा कर रही है। दोनों में 10 गुना का अंतर है और यह विज्ञान नहीं है।

'गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को मिले दो साल की राहत'

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर

- अनिल बैजल से मांग की है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को दो साल के लिए राहत दी जानी चाहिए : गुप्ता

विधानसभा में विपक्ष के नेता विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि उपराज्यपाल अनिल बैजल से मांग की है कि गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को दो साल के लिए राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के इन स्कूलों को बंद नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने मांग की है कि इसके लिए दिल्ली सरकार को आदेशों की समीक्षा करने के आदेश दिए जाएं। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने बीते सालों में एक भी नया स्कूल नहीं खोला है जबकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को पांच सौ नए स्कूल देने का वादा किया था, इसलिए गैर मान्यता प्राप्त स्कूल दिल्ली में शिक्षा व्यवस्था की जरूरत हैं।

इन स्कूलों को बंद करने का दिल्ली सरकार के पास कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन स्कूलों में बड़ी संख्या में गरीब परिवारों के बच्चे पढ़ रहे हैं और उन्हें घर नजदीक ही शिक्षा सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन बच्चों की निर्बाध शिक्षा के लिए स्कूलों को बंद किए जाने के आदेश की पुनः समीक्षा जरूरी है।

आज के कार्यक्रम

सभा-संगोष्ठी

इंडिया हैबीटाट सेंटर : न्यायिक प्रतिबद्धता विषय पर परिचर्चा, गुलमोहर सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

विविध

इंडिया हेबीटाट सेंटर : संगीत, स्टेन सभागार, सेंटर परिसर, लोधी रोड, शाम सात बजे।

epaper.jansatta.com

भाजपा-जद (एकी) का गठबंधन अटल : शाह

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली/पटना, 17 अक्तूबर।

जद (एकी) के साथ अपनी पार्टी के गठजोड़ के भविष्य को लेकर लगाई जा रही अटकलों पर विराम लगाते हुए भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि दोनों पार्टियों का गठबंधन 'अटल' है और अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि गठबंधन अटल है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में विधानसभा चुनाव लड़ेगा। राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गठबंधन का नेतृत्व करना जारी रखेंगे। भाजपा अध्यक्ष का यह बयान ऐसे समय में आया है, जब राज्य में भाजपा और जद (एकी) के बीच मतभेद की अटकलें लगाई जा रही थीं।

शाह ने कहा कि बिहार में भाजपा और जद (एकी) का गठबंधन अटल है और दोनों मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। यह पूरी तरह से स्पष्ट है। दरअसल, उनसे पूछा गया था कि अगले साल बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव क्या भाजपा अकेले लड़ने पर विचार कर रही है। शाह ने गठबंधन में असहजता को तवज्जो नहीं देते हुए कहा कि यह स्वाभाविक है कि स्थानीय स्तर पर कुछ मतभेद उभरें और यह एक स्वस्थ गठबंधन का संकेत है। बस मतभेद को मनभेद में नहीं बदलना चाहिए। भारी बारिश से पटना में हाल में हुए जलजमाव सहित कई मुद्दों को लेकर कुमार की भाजपा नेता गिरिराज सिंह व कुछ अन्य पार्टी नेता आलोचना करते रहे हैं। इस पर जद (एकी) नेताओं की ओर से प्रतिक्रिया भी आती रही। जद (एकी) नेताओं ने शाह की इस घोषणा का स्वागत करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया।

> *कहा*, अगले साल होने वाला बिहार विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा।

केंद्रीय गृह मंत्री के ताजा बयान से महागठबंधन में निराशा पैदा हो सकती है, जो राजग में टूट की उम्मीद कर रहा था। महागठबंधन के नेताओं का मानना था कि कुमार लगातार तीन कार्यकाल मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन मोदी और शाह के आक्रामक नेतृत्व के तहत भाजपा बिहार में प्रभाव बढ़ाने की योजना बना रही है। जद (एकी) के राष्ट्रीय महासचिव श्याम रजक ने ट्वीट किया कि मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व और नरेंद्र मोदी का धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव नीतीशजी के नेतृत्व में लड़ने की बात कहकर कुछ लोगों की शंका को दूर करने का काम किया है।

सर्वविदित हो कि आज दिनांक 17.10.2019 में मंजू गुप्ता पत्नी स्व0 डा0 संजीव कुमार गुप्ता निवासिनी 537ए/071ए, महाराजा अग्रसेन नगर, मोहिबुल्लापुर, सीतापुर रोड, लखनऊ द्वारा प्रियदर्शिनी कालोनी, सीतापुर रोड से गुजरते वक्त उक्त मकान के 2 चेन डीड दिनांकित 05.06.1999 क्रमांक सं0 2286 एवं दिनांकित 19.03.2012 क्रमांक सं0 4054 वास्तव में कहीं गिर गई है एवं खो गयी है।

घोटाले में घिरे त्रिपुरा के पूर्व मंत्री को नहीं मिली अग्रिम जमानत

अगरतला, 17 अक्तूबर (भाषा)।

माकपा की केंद्रीय समिति के सदस्य एवं त्रिपुरा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री बादल चौधरी को 600 करोड़ रुपए के पीडब्ल्यूडी घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए यहां की एक अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। इस घोटाले में कथित भूमिका के लिए चौधरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है।

पश्चिम त्रिपुरा के सत्र न्यायाधीश श ा ु ब्य स ा ची पुरकायस्थ ने कहा कि पूर्व मंत्री को राहत नहीं दी जा सकती है। चौधरी के वकील पी रॉय बर्मन ने संवाददाताओं को बताया कि अग्रिम जमानत नहीं देने के खिलाफ वह त्रिपुरा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे।

केरल : 50 करोड़ का सोना जब्त, 17 हिरासत में

कोच्चि, 17 अक्तूबर (भाषा)।

केरल में सीमा शुल्क विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत त्रिशूर जिले में 23 परिसरों से लगभग 50 करोड़ रुपए के करीब 123 किलोग्राम तस्करी का सोना जब्त किया है। एक शीर्ष अधिकारी ने गुरुवार को यह जानकारी दी।

सीमा शुल्क आ य ु क्त (रोकथाम) सुमीत कुमार ने बताया कि राज्य में तस्करी के खिलाफ चलाए गए एक अभियान के तहत छापे मारे गए, जिस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया गया। तस्करों ने कथित रूप से तमिलनाडु के विभिन्न शहरों से सोना इकट्ठा किया था और इसकी तस्करी त्रिशूर में की गई।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank
...भरोसे का प्रतीक! ...the name you can BANK upon!
बीओः एनआईटी फरीदाबाद (नीलम सिनेमा हॉल के पीछे) टेलीः 0129-2415880, मेल आईडीः bo0167@pnb.co.in

कब्जा सूचना
[प्रतिभूति हित प्रवर्तन] नियमावली, 2002 के नियम 8 (1) के अंतर्गत

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक, के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना नीचे प्रत्येक खाता के समक्ष वर्णित तिथि को जारी कर नीचे वर्णित ऋणधारकों/मार्टगैजरों/गारन्टरों को उक्त सूचना की तिथि / सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक, नीचे वर्णित, इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक/ गारन्टरों/ मार्टगैजरों तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि नीचे तालिका में वर्णित तिथि को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक /गारन्टर/मार्टगैजर का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिये उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों/गारन्टरों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय आगे के ब्याज तथा अन्य चार्जेज एवं खर्चे के अतिरिक्त नीचे वर्णित राशि के लिये पंजाब नेशनल बैंक के चार्ज के अधीन होगा।
यदि ऋणधारक/गारन्टर इस प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर बकाये वापस नहीं लौटाते हैं तो बकाये की वसूली के लिये निर्दिष्ट रूप में सम्पत्ति की बिक्री कर दी जायेगी।

ऋणधारक/गारन्टर का नाम	गिरवी रखी गई सम्पत्ति का विवरण	मांग सूचना तिथि एवं बकाया राशि (जैसा कि धारा 13 (2) सूचना में वर्णित है)	कब्जा की तिथि
मे. मयंक ट्रेडर्स	उसके पाटनर्स श्रीमती नीलम गोयल एवं प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से मे. डी पी शर्मा एण्ड क. के नाम में उप रजिस्ट्रार फरीदाबाद के कार्यालय में बुक नं. 1, जिल्द नं. 0, पेज नं. 10 में प्रविष्ट बिक्री प्रलेख सं. 2485 तिथि 4.6.2014 के माध्यम से पंजी. स्टोन क्रशिंग जोन मोहबताबाद, जिला फरीदाबाद में स्थित वर्कर्स हाउसिंग प्लॉट नं. 63, एरिया 500 वर्ग यार्ड्स के साथ स्टोन क्रशर साइट नं. 63, माप 4835.50 वर्ग यार्ड्स का ईएम।	01.06.2019 31.05.2019 को रु. 2,01,85,090.58 (रुपये दो करोड़ एक लाख पचासी हजार नब्बे एवं पैसे अन्ठावन मात्र)	16.10.2019

तिथिः 16.10.2019 स्थानः फरीदाबाद
हस्ता/- प्राधिकृत अधिकारी पंजाब नेशनल बैंक

IndiGo

इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड
सीआईएनः एल62100डीएल2004पीएलसी129768
पंजीकृत कार्यालयः सेंट्रल विंग, ग्राउंड फ्लोर, थापर हाउस, 124, जनपथ, नई दिल्ली – 110 001, भारत
टेलीफोनः +91 9650098905, फैक्सः +91 11 43513200
ई-मेलः investors@goindigo.in, वेबसाइटः www.goindigo.in

सूचना

एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 47 के अनुसरण में सूचना दी जाती है कि कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक, अन्य तथ्यों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और अर्धवार्षिक अलेखापरीक्षित स्वसंपूर्ण एवं समेकित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृति हेतु जो वैधानिक लेखापरीक्षकों द्वारा सीमित समीक्षा पर निर्भर है, गुरूवार, 24 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की जाएगी।

उपरोक्त बैठक से सम्बंधित विवरण कंपनी की वेबसाइट www.goindigo.in तथा स्टॉक एक्सचेंजों की वेबसाइट www.nseindia.com तथा www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है।

वास्ते इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड
हस्ता/-
संजय गुप्ता
कंपनी सचिव तथा मुख्य अनुपालन अधिकारी

स्थान : गुड़गाँव
दिनांक : 17 अक्टूबर, 2019

कार्यालयः रिकवरी अधिकारी-II
ऋण वसूली अधिकरण-II, दिल्ली
4था तल, जीवन तारा बिल्डिंग, संसद मार्ग, पटेल चौक, नई दिल्ली-110001

आर.सी. नं. 48/2008 ई-नीलामी बिक्री सूचना तिथिः 04.10.2019

केनरा बैंक बनाम मै. ऊषा माइक्रोप्रॉसेस कंट्रोल्स लि. एवं अन्य
कथित रिकवरी प्रमाण पत्र में मेरे आदेश तिथि 4.10.2019 के अनुसार 20.11.2019 को सार्वजनिक ई-नीलामी बिक्री द्वारा नीचे वर्णित सम्पत्ति की बिक्री की जाएगी।
यह नीलामी बिक्री वेबसाइट https:www.drtauctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।
ई-नीलामी की तिथि एवं समयः 20.11.2019 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. (4 बजे दोपहर के बाद यदि जरूरी हुआ, 5 मिनट की अवधि के विस्तार के साथ।)

क्रम सं.	सम्पत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य (रु. में)	धरोहर राशि (ईएमडी) (रु. में)
1.	सम्पत्ति एनके-3/207, नीति खंड-III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.	रु. 61,00,000/-	रु. 6,10,000/-

नियम एवं शर्तें
1. नीलामी बिक्री वेबसाइट पोर्टल https://www.drtauctiontiger.net पर ''ऑन लाईन ई-नीलामी'' होगी।
2. ईएमडी का भुगतान ''रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, खाता आर.सी. नं. 48/2008'' के पक्ष में देय डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर द्वारा अधोलिखित खाता- केनरा बैंक, खाता सं. 3038295000001, आईएफएससी कोड नं. CNRB0003038 में एनईएफटी/ आरटीजीएस द्वारा किया जाएगा। उक्त डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर अथवा एनईएफटी/ आरटीजीएस के द्वारा भुगतान के मूल प्रमाण, ईएमडी सहित पहचान के स्व-सत्यापित प्रमाण (वोटर आई-कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस/ पासपोर्ट) जिसमें भविष्य में पत्राचार का पता शामिल हो तथा पैन कार्ड की स्वतः सत्यापित प्रति तथा कम्पनी के मामले में कम्पनी के बोर्ड के सदस्यों द्वारा पारित प्रस्ताव की प्रति अथवा कम्पनी की प्रतिनिधित्व/ एटॉर्नी को पुष्ट करने वाले अन्य दस्तावेज अधिकतम 18.11.2019 के 4.00 बजे अप. तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में पहुंच जाना चाहिए। उसके बाद प्राप्त ईएमडी अथवा ईएमडी के मूल प्रमाण को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
3. ईएमडी या ईएमडी के एनईएफटी/आरटीजीएस द्वारा जमा की गई मूल प्रमाण तथा प्रेषक के विवरणों जैसे पते, ई-मेल आईडी तथा मोबाइल नंबर आदि से युक्त लिफाफे के ऊपर ''आरसी नं. 48/2008'' शीर्षांकित किया जाना चाहिए।
4. संपत्ति की बिक्री ''जैसा है जहां है आधार'' पर की जा रही है।
5. बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि अपनी बोली जमा करने तथा ई-नीलामी में भाग लेने से पूर्व विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए पोर्टल https://www.drtauctiontiger.net देखें एवं/ अथवा श्री रणजीत कुमार, मुख्य प्रबंधक मोबाईल नं. 9773670093 केनरा बैंक, एआरएम-II शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001, लैंडलाइन नं.: 011-23323891, 011-23753121, ई-मेल cb3038@canarabank.com से संपर्क करें।
6. संभावित बोलीदाता को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा तथा अग्रिम में लॉगिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो मै. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ए-801 वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज अहमदाबाद-380006, टेली. नं. 079-40230816/ 820, 079-40230831-833, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी, ई-मेल kushal@auctiontiger.net, मो. नं. 08980690773, श्री नितीश झा, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, संपर्क नं. 8800896847, ई-मेल आईडीः support@auctiontiger.net से प्राप्त करना उक्त ई-नीलामी बोली में भाग लेने के लिए अनिवार्य है।
7. इच्छुक बोलीदाता मै. ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लि. ए-801 वाल स्ट्रीट-II, ओरिएंट क्लब के सामने, निकट गुजरात कॉलेज, एलिस ब्रिज, अहमदाबाद-380006, टेली नं. 079-40230816/ 820, 079-40230831-833, संपर्क व्यक्तिः श्री कुशल कोठारी, ई-मेल kushal@auctiontiger.net, मो. नं. 08980690773, श्री नितीश झा, ई-मेल आईडीः delhi@auctiontiger.net, संपर्क नं. 8800896847, ई-मेल आईडीः support@auctiontiger.net से ई-नीलामी प्रक्रिया का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।
8. केवल ऐसे बोलीदाता ऑन-लाइन ई-नीलामी में भाग लेने के लिए अधिकृत होंगे जिनके पास वैध यूजर आईडी एवं पास्वर्ड तथा डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर या एनईएफटी/आरटीजीएस के माध्यम से ईएमडी के भुगतान का निश्चित प्रमाण होगा।
9. संभावित बोलीदाता 14.11.2019 तथा 15.11.2019 को 10.30 पूर्वा. से 4.00 बजे अप. तक साईट पर संपत्ति का निरीक्षण कर सकते हैं।
10. जो इच्छुक बोलीदाता 18.11.2019 तक रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के कार्यालय में आरक्षित मूल्य से ऊपर अपना प्रस्ताव जमा करते हैं वे ई-नीलामी में भाग लेने के योग्य होंगे जो 20.11.2019 को 3 बजे अप. से 4 बजे अप. के बीच आयोजित की जाएगी। यदि बोली अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो अंतिम समय स्वतः 5 मिनट आगे बढ़ जाएगी।
11. बोलीदाता रु. 1,00,000/- (रुपए एक लाख मात्र) के गुणक में अपनी बोली में सुधार कर सकते हैं।
12. असफल बोलीदाता ई-नीलामी के तत्काल बाद रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली, सीएच बैंक, अर्थात् केनरा बैंक एआरएम-II शाखा, संसद मार्ग, नई दिल्ली-110001 से प्रत्यक्ष रूप से अपना ईएमडी प्राप्त कर सकते हैं।
13. सफल/उच्चतम बोलीदाता को धरोहर राशि (ईएमडी) समायोजित करने के रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली खाता ''आरसी नं. 48/2008'' के पक्ष में 25% का डिमांड ड्राफ्ट/ पे आर्डर तैयार करना होगा तथा उसे अगले कार्य दिवस के 4 बजे अप. तक इस अधिकरण में भेजना होगा अन्यथा धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी।
14. सफल उच्चतम बोलीदाता को सम्पत्ति की नीलामी की तिथि से 15वें दिन, उस दिन को छोड़कर अथवा यदि 15वाँ दिन रविवार या अवकाश होता है तो 15वें दिन के बाद प्रथम कार्यालय दिवस को रु. 1000/- तक 2% तथा उससे अधिक की सकल राशि पर 1% की दर से पाउन्डेज शुल्क के साथ रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली के पक्ष में देय शेष 75% बिक्री राशि का भुगतान करना होगा (डाक द्वारा शेष 75% राशि के भुगतान की स्थिति में वह उक्त रूप से रिकवरी अधिकारी के पास पहुंच जाना चाहिए। निर्धारित अवधि में भुगतान में चूक करने पर बिक्री की नई उद्घोषणा जारी करने के बाद संपत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। बिक्री के खर्चे के डेफ्रे करने के बाद अधोहस्ताक्षरी यदि उपयुक्त समझते हैं तो जमा की गई राशि सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा चूक करने वाले क्रेता को उस राशि अथवा जिसके लिए बाद में उसकी बिक्री की जाएगी, के प्रति दावे करने के सभी अधिकारों से वंचित कर दिया जाएगा।
15. अधोहस्ताक्षरी को उसका कोई भी कारण बताए बिना यदि अस्वीकार्य होता है तो किसी या सभी बोलियों को स्वीकार अथवा निरस्त करने तथा किसी भी समय नीलामी को स्थगित करने का अधिकार है तथा इस संदर्भ में उनका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

सम्पत्ति की अनुसूची

बिक्री की जाने वाली संपत्ति का विवरण	सम्पत्ति या उसके भाग पर गणना की गई राजस्व	संपत्ति पर देय अधिभारों का विवरण	दावे यदि कोई हो जिसे सम्पत्ति पर रखा गया हो अथवा उस प्रकृति तथा मूल्य के अन्य कोई ज्ञात विवरण
सम्पत्ति एनके-3/207, नीति खंड-III, इन्दिरापुरम, गाजियाबाद, उ.प्र.	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं

(अविनाश चन्द्रा)
रिकवरी अधिकारी-II, डीआरटी-II, दिल्ली

सावरकर न होते तो 1857 की क्रांति इतिहास नहीं बनती : शाह

वाराणसी, 17 अक्तूबर (भाषा/जनसत्ता)।

भारत के दृष्टिकोण से इतिहास के पुनर्लेखन पर जोर देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि वीर सावरकर न होते तो 1857 की क्रांति इतिहास न बनती और उसे भी हम अंग्रेजों की दृष्टि से ही देखते। दो दिन पहले ही भाजपा की महाराष्ट्र इकाई ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा कि पार्टी केंद्र सरकार से सावरकर को भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न देने को कहेगी।

गृह मंत्री ने कहा कि वीर सावरकर ने ही 1857 की क्रांति को पहले स्वतंत्रता संग्राम का नाम देने का काम किया वरना आज भी हमारे बच्चे उसे विद्रोह के नाम से जानते। उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 'गुप्तवंशक वीर' स्कंदगुप्त विक्रमादित्य का ऐतिहासिक पुनःस्मरण व भारत राष्ट्र का राजनीतिक भविष्य विषय पर आयोजित दो दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

उन्होंने कहा कि वामपंथियों को, अंग्रेज इतिहासकारों को दोष देने से कुछ नहीं होगा। हमें अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा। क्या इतिहासकार पुनर्लेखन नहीं कर सकते हैं। कोई नही रोकता है। शाह ने कहा कि अब समय आया है हमारे देश के इतिहासकारों को एक नए दृष्टिकोण के साथ इतिहास को लिखने का। उन्होंने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में आज देश फिर से एक बार अपनी गरिमा प्राप्त कर रहा है, आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का सम्मान मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा है।

शाह ने कहा कि सम्राट स्कंदगुप्त को इतिहास में वह स्थान नहीं मिला, जो मिलना चाहिए।

IFFCO-TOKIO GENERAL INSURANCE COMPANY LIMITED
Registration No. 106 dated 4.12.2000
Regd. Office : IFFCO Sadan, C-1, District Centre, Saket, New Delhi-110017
IFFCO-TOKIO GENERAL INSURANCE Muskurate Raho

UNAUDITED REVENUE ACCOUNTS FOR THE HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2019

(₹ In '000)

S. No.	PARTICULARS	HALF YEAR ENDED 30.09.2019				HALF YEAR ENDED 30.09.2018			
		FIRE	MARINE	MISC	Total	FIRE	MARINE	MISC	Total
1	Premiums Earned (Net)	275,765	342,747	21,048,842	21,667,354	201,586	306,131	18,816,796	19,324,513
2	Profit / (Loss) on Sale / Redemption of Investments	784	542	39,526	40,852	1,379	1,029	67,442	69,850
3	Others : Transfer & Duplicate Fee	-	-	1,976	1,976	-	-	1,828	1,828
	Exchange Gain / (Loss)	-	-	(543)	(543)	-	-	15	15
	Handling Charges	(360)	12	500	152	(1,405)	(31)	664	(772)
	Contribution from Shareholders Funds towards Excess EoM	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Interest, Dividend & Rent - Gross	46,203	31,963	2,332,135	2,410,301	41,837	31,232	2,046,729	2,119,798
	TOTAL (A)	322,392	375,264	23,422,436	24,120,092	243,397	338,361	20,933,474	21,515,232
1	Claims Incurred (Net)	205,580	288,207	19,349,842	19,843,629	153,719	170,934	17,044,905	17,369,558
2	Commission	(231,150)	(9,071)	1,114,267	874,046	(112,857)	(7,529)	1,119,542	999,156
3	Operating expenses related to Insurance Business	38,628	61,401	3,270,390	3,370,419	28,474	47,398	2,506,453	2,582,325
4	Premium Deficiency	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (B)	13,058	340,537	23,734,499	24,088,094	69,336	210,803	20,670,900	20,951,039
	Operating Profit / (Loss) from Insurance Business C=(A-B)	309,334	34,727	(312,063)	31,998	174,061	127,558	262,574	564,193
	APPROPRIATIONS								
	Transfer to Shareholders' Account	309,334	34,727	(312,063)	31,998	174,061	127,558	262,574	564,193
	Transfer to Catastrophe Reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
	Transfer to Other Reserves	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL (C)	309,334	34,727	(312,063)	31,998	174,061	127,558	262,574	564,193

UNAUDITED PROFIT AND LOSS ACCOUNT FOR THE HALF YEAR ENDED 30th SEPTEMBER, 2019

(₹ In '000)

S. No.	PARTICULARS	HALF YEAR ENDED 30.09.2019	HALF YEAR ENDED 30.09.2018
1	OPERATING PROFIT / (LOSS)		
	(a) Fire Insurance	309,334	174,061
	(b) Marine Insurance	34,727	127,558
	(c) Miscellaneous Insurance	(312,063)	262,574
		31,998	564,193
2	INCOME FROM INVESTMENTS		
	(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	793,397	526,817
	(b) Profit on sale of investments	13,447	17,359
	Less: Loss on Sale of Investments	-	-
		806,844	544,176
3	OTHERS		
	(a) Miscellaneous Income	9,526	10,757
	(b) Profit on Sale of Fixed Assets	76	90
	TOTAL (A)	848,444	1,119,216
4	PROVISIONS (Other than taxation)		
	(a) For diminution in the value of investments	-	-
	(b) For doubtful Debts	-	-
	(c) For doubtful Advances	-	-
5	OTHER EXPENSES		
	(a) Expenses other than those related to Insurance Business	-	-
	(b) Bad Debts / Advances written off	-	-
	(c) Loss on Sale of Fixed Assets	-	-
	(d) Expenses on Corporate Social Responsibility (CSR)	38,500	20,000
	(e) Fines & Penalties	-	-
	(f) Expenses transferred from Policyholders Account	-	-
	TOTAL (B)	38,500	20,000
	Profit Before Tax (C) = (A-B)	809,944	1,099,216
	Less: Provision for Taxation		
	Current Tax	139,900	183,500
	Deferred Tax	84,300	77,000
	Less: Short / (Excess) provision for taxation for earlier years		
	Current Tax	-	138,800
	Deferred Tax	-	(136,700)
	Profit After Tax	585,744	836,616
	APPROPRIATIONS		
	(a) Interim dividends paid during the year	-	-
	(b) Proposed Final Dividend	-	-
	(c) Dividend Distribution Tax	-	-
	(d) Transfer to any Reserves or Other Accounts	-	-
	Balance of Profit brought forward from Last Year	15,272,404	13,486,184
	Balance carried forward to Balance sheets	15,858,148	14,322,800
	Basic & Diluted Earnings per Share (Equity Shares of Face Value of ₹10 each)	2.14	3.05

UNAUDITED BALANCE SHEET AS AT 30th SEPTEMBER, 2019

(₹ In '000)

S. No.	PARTICULARS	AS AT 30.09.2019	AS AT 30.09.2018
1	SOURCES OF FUNDS		
	SHARE CAPITAL	2,742,183	2,742,183
	RESERVES AND SURPLUS	20,379,135	18,843,787
	FAIR VALUE CHANGE ACCOUNT		
	-Shareholder	(2,584)	(1,043)
	-Policyholders	(10,039)	(3,143)
	BORROWINGS	-	-
	TOTAL	23,108,695	21,581,784
2	APPLICATION OF FUNDS		
	INVESTMENTS		
	Investments-Shareholders	18,851,321	19,130,159
	Investments-Policyholders	73,232,137	57,656,097
	LOANS	-	-
	FIXED ASSETS	644,855	393,315
	DEFERRED TAX ASSET (NET)	300,300	228,200
	CURRENT ASSETS :		
	Cash and Bank Balances	1,824,591	684,132
	Advances and Other Assets	20,764,222	20,375,585
	Sub-Total (A)	22,588,813	21,059,717
	CURRENT LIABILITIES	69,542,223	57,828,150
	PROVISIONS	22,966,508	19,057,554
	Sub-Total (B)	92,508,731	76,885,704
	NET CURRENT ASSETS (C) = (A-B)	(69,919,918)	(55,825,987)
	MISCELLANEOUS EXPENDITURE (To the extent not written off or adjusted)	-	-
	TOTAL	23,108,695	21,581,784
3	CONTINGENT LIABILITIES		
	Partly paid up investments	-	-
	Claims, other than against policies, not acknowledged as debts by the company	-	-
	Underwriting commitments outstanding (in respect of shares and securities)	-	-
	Guarantees given by or on behalf of the company	-	-
	Statutory demands / liabilities in dispute, not provided for	2,084,301	748,474
	Reinsurance obligations to the extent not provided for in the accounts	-	-
	Others	-	-
	Total	2,084,301	748,474

Notes:
1. The Company has followed the same accounting policies in the preparation of financial results for the half year ended 30th September, 2019 as have been followed in the preparation of financial results for the year ended 31st March, 2019.
2. The financial results for the half year ended 30th September, 2019 were approved by the Board of Directors in their meeting held on 9th October, 2019 and have been subjected to limited review by the Statutory Auditors.
3. The figures of previous period have been regrouped and reclassified, wherever neccessary, to conform to current period's classification.
4. The amount of ₹ 137.45 crores is shown as Unallocated premium in Schedule 13, represents Farmers' share in Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna against which details are awaited for issuing the policy.

UNAUDITED ANALYTICAL RATIOS

S. No.	PARTICULARS	HALF YEAR ENDED 30.09.2019	HALF YEAR ENDED 30.09.2018
1	Gross Direct Premium Growth Rate	20.19%	55.84%
	Fire	67.27%	8.33%
	Marine Total	14.50%	1.90%
	Miscellaneous Total	17.48%	62.43%
	Marine Cargo	14.90%	2.15%
	Marine Hull	2.54%	-5.19%
	Motor OD	11.11%	6.53%
	Motor TP	20.99%	6.16%
	Motor Total	15.98%	6.35%
	Engineering	23.06%	-31.19%
	Aviation	30.33%	24.07%
	Workmen Compensation	12.46%	1.44%
	Personal Accident	-38.94%	172.95%
	Public / Product Liability	15.75%	35.44%
	Health	96.15%	54.20%
	Crop	-4.24%	748.52%
	Other Miscellaneous	16.17%	13.21%
2	Gross Direct Premium to Net Worth Ratio (In Times)	1.81	1.61
3	Growth rate of Net Worth	7.11%	18.51%
4	Net Retention Ratio	57.28%	55.70%
	Fire	7.48%	9.64%
	Marine Total	45.37%	41.83%
	Miscellaneous Total	62.50%	59.29%
	Marine Cargo	45.65%	42.52%
	Marine Hull	35.71%	20.96%
	Motor OD	64.62%	84.74%
	Motor TP	94.78%	84.82%
	Motor Total	80.14%	84.78%
	Engineering	17.06%	21.09%
	Aviation	24.98%	3.51%
	Workmen Compensation	95.00%	94.86%
	Personal Accident	88.37%	84.55%
	Public / Product Liability	63.96%	56.82%
	Health	85.07%	92.71%
	Crop	21.24%	14.92%
	Other Miscellaneous	37.05%	35.62%
5	Net Commission Ratio	3.60%	5.10%
	Fire	-83.15%	-52.27%
	Marine Total	-2.05%	-2.09%
	Miscellaneous Total	4.74%	5.89%
	Marine Cargo	-2.08%	-2.44%
	Marine Hull	-1.02%	19.40%
	Motor OD	15.66%	18.60%
	Motor TP	1.36%	-1.55%
	Motor Total	6.96%	8.66%
	Engineering	19.30%	28.63%
	Aviation	6.22%	-40.49%
	Workmen Compensation	20.14%	21.31%
	Personal Accident	10.09%	10.32%
	Public / Product Liability	29.16%	25.14%
	Health	4.53%	6.23%
	Crop	-12.90%	-21.71%
	Other Miscellaneous	5.64%	6.16%
6	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	14.61%	14.10%
7	Expense of Management to Net Written Premium Ratio	25.18%	25.05%
8	Net Incurred Claims to Net Earned Premium	91.58%	89.88%
9	Combined Ratio	109.09%	108.18%
10	Technical Reserves to Net Premium Ratio (In Times)	2.93	3.07
11	Underwriting Balance Ratio	-11.17%	-8.42%
	FIRE	95.26%	65.61%
	MARINE	0.64%	31.14%
	MISCELLANEOUS	-12.76%	-9.85%
12	Operating Profit Ratio	0.14%	2.91%
13	Liquid Assets to Liabilities Ratio (In Times)	0.27	0.18
14	Net Earning Ratio	2.42%	4.27%
15	Return on Net Worth Ratio	2.53%	3.88%
16	Available Solvency Margin (ASM) to Required Solvency Margin (RSM) Ratio	1.59	1.57
17	NPA Ratio	NIL	NIL
	Gross NPA Ratio	NIL	NIL
	Net NPA Ratio	NIL	NIL
	Equity Holding Pattern for Non-Life Insurers		
1	No. of Shares	274,218,300	274,218,300
2	Percentage of shareholding (Indian / Foreign)	51/49	51/49
3	Basic and diluted EPS before extraordinary items (net of tax expense) for the year (₹)	2.14	3.05
4	Basic and diluted EPS after extraordinary items (net of tax expense) for the year (₹)	2.14	3.05
5	Book value per share (₹)	84.32	78.72

Note: # All ratios are related to Indian operations as the Company does not have any foreign operations.

Our Products: Motor Insurance | Health Insurance | Travel Insurance | Home Insurance
For full range of products, visit: www.iffcotokio.co.in

For and on behalf of the Board,
Warendra Sinha
Managing Director & CEO

IRDAI Regd. No.: 106 | CIN No.: U74899DL2000PLC107621
Insurance is the subject matter of solicitation.

Corporate Office: IFFCO Tower-II, Plot No. - 3, Sector - 29, Gurugram - 122001 | Ph: +91-124-2850100 Fax: +91-124-2577923 | 24

घाटी के घाव

जम्मू-कश्मीर में जन-जीवन सामान्य करने के लिए प्रतिबंध क्या हटने शुरू हुए, चरमपंथी गतिविधियों ने सिर उठाना शुरू कर दिया है। हालांकि इसकी आशंका पहले से थी। खूफिया सूचनाएं मिल रही थीं कि जैसे ही प्रतिबंध हटेंगे, वहां चरमपंथी गतिविधियां बढ़ सकती हैं। इसीलिए घाटी में कर्फ्यू हटाने और संचार सुविधाओं की बहाली में करीब ढाई महीने लग गए। मगर विपक्षी दल इस बात को लेकर सरकार पर हमलावर थे कि वह घाटी के लोगों के मूलभूत अधिकारों का हनन कर रही है। पाकिस्तान भी अंतरराष्ट्रीय मंचों पर गुहार लगाता फिर रहा था कि पूरे जम्मू-कश्मीर को एक जेल में तब्दील कर दिया गया है। वहां के लोगों का दमन हो रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंध हटाने शुरू कर दिए। फिर वहां ब्लॉक विकास परिषद के चुनाव भी कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अनुमान था कि इस तरह घाटी के लोग लोकतांत्रिक प्रक्रिया में लौटना शुरू कर देंगे और लोकतंत्र पर उनका भरोसा बढ़ेगा। मगर चरमपंथी संगठन जैसे पहले से तैयार बैठे थे कि मौका मिलते ही वे अपनी साजिशों को अंजाम देंगे। इसी का नतीजा है कि जम्मू-कश्मीर में कठुआ, पुलवामा, शोपियां, पुंछ, अनंतनाग आदि जगहों पर आतंकी सक्रियता बढ़ गई। उन्होंने शोपियां में एक फल बिक्रेता और पुलवामा में एक दिहाड़ी मजदूर की गोली मार कर हत्या कर दी।

घाटी में अनुच्छेद तीन सौ सत्तर हटने का विरोध अब नए ढंग से भी सुगबुगाने लगा है। वहां से आने वाली सेबों की खेप में सेबों पर पाकिस्तान के समर्थन और भारत के विरोध में नारे लिखे मिले। उन नारों में आतंकवादियों का समर्थन भी जताया गया था। हालांकि यह सेब किसानों या सामान्य फल विक्रेताओं का विरोध नहीं जान पड़ता। निश्चित रूप से इसके पीछे भी चरमपंथी गुटों का हाथ होगा। वहां सशस्त्र बलों का सख्त पहरा है, आतंकवादियों के लिए किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना आसान नहीं है। इसलिए वे अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के मकसद से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, जो उनकी खीज का पता देती हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि इस तरह वे स्थानीय लोगों का समर्थन हासिल कर सकेंगे, पर यह भ्रम ही साबित होगा। मगर उनकी ये हरकतें सरकार और सशत्रबलों के लिए एहतियात बरतने के संकेत तो हैं ही।

जम्मू और लद्दाख संभाग में पहले भी कोई बड़ी चुनौती नहीं थी, सबसे बड़ी चुनौती कश्मीर में थी। वहीं पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों की पैठ हो पाती है और वे अशांति फैलाने का प्रयास करते हैं। हालांकि अलगाववादी संगठनों पर नकेल कसी जा चुकी है, विपक्षी राजनीतिक दलों की गतिविधियां भी शिथिल हैं, इसलिए उनके घाटी के आम लोगों को उकसाने की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वहां के युवाओं में एक प्रकार का आक्रोश दबा हुआ है। चरमपंथी और अलगाववादी ताकतों, कट्टरपंथी नेताओं के बहकावे में आकर वे पहले भी आजाद कश्मीर की मांग के साथ सड़कों पर उतरते रहे हैं। इसलिए विशेष राज्य का दर्जा समाप्त होने के बाद उनमें आक्रोश और बढ़ा है। वह फूटने का रास्ता तलाश रहा है। उसी को रोकने के प्रयास किए जाने जरूरी हैं। हालांकि सीमा पार से मिल रही मदद रुक जाने से वे अपने पांव नहीं पसार सकते, पर बाहरी मजदूरों, व्यापारियों, अधिकारियों आदि को निशाना बना कर अपना आक्रोश जाहिर करेंगे। अब सरकार और सुरक्षाबलों को इससे पार पाने पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है।

भुखमरी की जकड़

किसी भी देश में आम नागरिकों की सेहत का स्तर यह बताता है कि वहां के विकास कार्यक्रमों में स्वास्थ्य के मुद्दे को कितनी प्राथमिकता मिल सकी है। लोगों की सेहत की स्थिति इस बात पर निर्भर है कि भरपेट और संतुलित भोजन तक उनकी कितनी पहुंच है। इस लिहाज से देखें तो विकास और अर्थव्यवस्था की रफ्तार बढ़ने के तमाम दावों के बीच भारत में अपेक्षित प्रगति संभव नहीं हो सकी है। गौरतलब है कि वैश्विक स्तर पर जारी हुए ताजा भुखमरी सूचकांक, 2019 के आंकड़ों में भारत की स्थिति काफी चिंताजनक है। दुनिया के एक सौ सत्रह देशों की सूची में भारत को एक सौ दो नंबर पर जगह मिल सकी है। जबकि पड़ोसी देश नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश को इस सूची में बेहतर जगह मिली है। इससे यही पता चलता है कि हमारे यहां बेशक विकास को मुख्यधारा की राजनीति का मुद्दा बनाने में कामयाबी मिली है, लेकिन इसके बुनियादी पहलुओं को केंद्र में रख कर जरूरी कदम नहीं उठाए गए या उन पर अमल नहीं किया गया। यह बेवजह नहीं है कि नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश भी इस मामले में हमसे बेहतर स्थिति में पहुंच गए, जो अपनी बहुत सारी बुनियादी जरूरतों तक के लिए आमतौर पर भारत या फिर दूसरे देशों पर निर्भर रहते हैं।

यों ऐसे हालात लंबे समय से बने हुए हैं कि एक ओर रखरखाव के पर्याप्त इंतजाम और जरूरतमंदों तक पहुंच के अभाव में भारी पैमाने पर अनाज सड़ कर बर्बाद हो जाता है, दूसरी ओर देश में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है, जिन्हें पेट भरने लायक भोजन नहीं मिल पाता। इस मसले पर एक बार सुप्रीम कोर्ट को यहां तक कहना पड़ा था कि गोदामों में या उनके बाहर सड़ कर अनाज के बर्बाद होने से अच्छा है कि उसे गरीबों में मुफ्त बांट दिया जाए। लेकिन इस तल्ख रुख के बावजूद न सरकारों का रुख बदला, न इस मसले पर कोई नीतिगत पहलकदमी हुई। आज भी नीतियों और व्यवस्थागत कमियों की वजह से भारी पैमाने पर अनाज की बर्बादी होती है और कहीं बहुत सारे लोगों की थाली में जरूरत भर भी भोजन नहीं पहुंच पाता। अफसोस की बात है कि विकास के ब्योरों में इस समस्या को पर्याप्त जगह नहीं मिल पाती। यही वजह है कि जब विकास की संपूर्ण तस्वीर का आकलन होता है, तो उसमें हमारा देश काफी पीछे खड़ा दिखता है, जबकि अर्थव्यवस्था के साथ-साथ अन्य कसौटियों पर अपेक्षया कमजोर माने वाले हमारे कुछ पड़ोसी देशों ने इस मसले पर एक निरंतरता की नीति अपनाई और अपनी स्थिति में सुधार किया।

इसमें कोई शक नहीं कि दावों के मुताबिक सतह पर विकास की चमक दिखती है। लेकिन सच यह है कि देश में होने वाली तरक्की का लाभ मुख्य रूप से एक छोटा तबका ही उठा पा रहा है और बाकी लोग हाशिये के बाहर ही रह जाते हैं। अगर गरीबी और अमीरी के बीच खाई चौड़ी हो रही है तो इसका मुख्य कारण विकास का एक छोटे दायरे में सिमटा होना है। हालांकि देश में भूख और कुपोषण की समस्या से लड़ने के लिए अनेक योजनाएं हैं और समय-समय पर इसके लिए अभियान भी चलाए जाते हैं, लेकिन अगर भुखमरी के सूचकांक में देश की स्थिति सुधरने के बजाय बिगड़ी है तो इससे साफ है कि या तो नीतिगत स्तर पर कोई बड़ी खामी है या फिर इस मसले से पार पाने में राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है।

कल्पमेधा

कल्पना ज्ञान से अधिक महत्त्वपूर्ण है। ज्ञान तो सीमित है, कल्पना संसार को घेर लेती है।
-अलबर्ट आइंस्टीन

रोजगार से दूर होती महिलाएं

ऋतु सारस्वत

भारत में एक तिहाई कंपनियां तो ऐसी हैं जहां कोई भी महिला कार्यरत नहीं है, जबकि इकहत्तर फीसद कंपनियों में महिलाओं की संख्या मात्र दस फीसद से भी कम है। महज चौबीस फीसद कंपनियां ऐसी हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर महिलाएं नौकरी में हैं भी, तो उनके सामने वे तमाम बाधाएं हैं जिनके चलते या तो वे खुद नौकरी छोड़ देती हैं या फिर निकाल दी जाती हैं। यह स्थिति कमोबेश दुनियाभर में एक जैसी है।

देश में समान योग्यता रखने के बावजूद महिलाओं की बेरोजगारी दर पुरुषों के मुकाबले दोगुनी है। यह खुलासा 'भारत में नियुक्ति में लैंगिक भेदभाव' नामक शोध में हुआ है। इसके मुताबिक शहरों में काम करने वाली योग्य शिक्षित महिलाओं में सत्तासी फीसद बेरोजगार हैं, जबकि पुरुषों में यह आंकड़ा मात्र चार फीसद है, जिनके पास काम नहीं है। 'फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट (एलएफपीआर) 2017-18' की रिपोर्ट भी इस हकीकत को पुष्ट करती है। यह रिपोर्ट बताती है कि पिछले साल भारत में महिलाओं की रोजगार में शामिल होने की दर 23.3 फीसद के निचले स्तर पर थी। 2011-12 में पंद्रह से उनतीस वर्ष की कामकाजी महिलाओं की रोजगार में शमिल होने की दर में आठ फीसद की गिरावट हुई थी, जो 2017-18 में 16.4 फीसद हो गई। इसी तरह तीस से पचास वर्ष की महिलाओं में रोजगार की दर में सात फीसद की गिरावट देखने को मिली थी। स्पष्ट है कि तीस से पचास वर्ष की कामकाजी महिलाओं में तीन में से दो काम नहीं कर रही हैं। इनमें से ज्यादातर का कहना है कि वे गृहस्थी की जिम्मेदारियां निभा रही हैं।

लेकिन क्या परिवार का दायित्व ही महिलाओं की प्राथमिकता है, या फिर वे भी बाहर जाकर काम करना चाहती हैं। समाज और परिवार द्वारा निरंतर यह छवि गढ़ी जाती है कि महिलाएं स्वयं काम नहीं करना चाहतीं। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि यदि महिलाओं के लिए रोजगार के रास्ते खुले हों तो घर में रहने वाली एक-तिहाई महिलाएं काम करना चाहेंगी। दरअसल, भारत ही नहीं विश्वभर में महिलाओं का संघर्ष दो तरफा है। एक ओर परिवार और दूसरी ओर रोजगार देने वाली सस्थाएं हैं जो उन्हें काम पर रखने की इच्छुक नहीं होतीं। भारत में सामाजिक मानक महिलाओं को लेकर आश्चर्यजनक रूप से रूढ़िवादी हैं। 2012 में हुए एक शोध में चौरासी फीसद भारतीयों ने इस बात पर सहमति जताई थी कि यदि रोजगार कम हो तो महिलाओं के बजाय पुरुषों को काम करने का अधिक अधिकार है। यह सोच हैरान नहीं करती क्योंकि आर्थिक स्वावलंबन पर आज भी पुरुषों का आधिपत्य माना जाता है और यह स्वीकारोक्ति घर और बाहर दोनों ही जगह है। यही कारण है कि पुरुष को नौकरी करने के लिए किसी से अनुमति नहीं लेनी पड़ती, जबकि लड़कियों और महिलाओं को काम करने, रोजगार योग्य नए कौशल सीखने के लिए अपने पिता, भाई या पति से अनुमति लेनी पड़ती है।

यह चिंताजनक विषय है कि समान शैक्षणिक स्तर और काबिलियत होने पर भी महिलाओं के पास रोजगार नहीं है। यह सवाल पैदा होना भी स्वभाविक है कि पिछले कुछ दशकों में जब शिक्षा तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है तो उनके पास रोजगार क्यों नहीं है। अध्ययन बताते हैं कि करीब अठहत्तर फीसद पात्र स्नातक महिलाएं संगठित कार्यबल का हिस्सा नहीं बनती हैं। ये वे महिलाएं हैं जो केवल सामाजिक कारणों से अपनी पढ़ाई पूरी करती हैं, न कि संगठित कार्यबल में भागीदार बनने की इच्छा के कारण। ये 'इच्छा' उस समाजीकरण की परिणति है जो स्त्री को यह विश्वास दिलाती है कि उसका जन्म परिवार की देखभाल के लिए ही हुआ है और पुरुष का कर्तव्य घर के लिए पैसे कमाना है।

यह तथ्य ही इस हकीकत को सत्यापित करने के लिए काफी है कि देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) अमदाबाद की लगभग पचास फीसद स्नातक लड़कियां काम नहीं कर रही हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा को दरकिनार करते हुए परिवार को प्राथमिकता दी। 'स्त्रियां होती ही ऐसी हैं, उनके लिए स्वयं की इच्छा कोई मायने नहीं रखती, अगर कुछ उनके लिए महत्त्वपूर्ण है तो घर-परिवार', निरंतर दोहराए गए ये वाक्य महिलाओं के इर्द-गिर्द सम्मोहन का ऐसा मायाजाल सदियों से बनाते आ रहे हैं कि वे स्वयं ही यह विश्वास करने लगती हैं कि उनका पहला और आखिरी दायित्व परिवार की देखभाल ही है। परिवार और बच्चों को संभालने का दबाव महिलाओं पर निरंतर बनाया जाता है। अगर महिलाएं उस दबाव का सामना करते हुए कार्यस्थल की राह चुनती हैं तो वहां भी उन्हें उसी असहयोगात्मक व्यवहार का सामना करना पड़ता है जो उन्हें अपने परिवार से मिलता है। कार्यस्थल पर उनके किए हर कार्य को संशय से देखा जाता है। अगर वे किसी कार्य में असफल हो जाएं तो उसे मानवीय भूल न मान कर 'स्त्री होने के कारण प्राप्त असफलता' की तथाकथित अवधारणा से जोड़ कर देखा जाता है। घर से लेकर कार्यस्थल पर निरंतर कसी जाने वाली कसौटी के चलते

अधिकांश महिलाएं स्वयं ही अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता के स्वप्न को तिलांजलि दे देती हैं।

हाल ही में हुए नेशनल सैंपल सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक तकनीकी प्रशिक्षण पाने के बाद रोजगार पाने में महिलाएं पुरुषों की तुलना में काफी पीछे हैं। आंकड़े बताते हैं कि तकनीकी प्रशिक्षण पाने वालों में करीब सत्तर फीसद युवक और अड़तीस फीसद महिलाओं को ही रोजगार मिल पाता है। ऐसा इसलिए होता है कि कंपनियां ही महिलाओं को काम पर रखना नहीं चाहतीं। भारत में एक तिहाई कंपनियां तो ऐसी हैं जहां कोई भी महिला कार्यरत नहीं है, जबकि इकहत्तर फीसद कंपनियों में महिलाओं की संख्या मात्र दस फीसद से भी कम है। महज चौबीस फीसद कंपनियां ऐसी हैं जहां महिलाओं और पुरुषों को बराबर का अधिकार दिया गया है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हो जाती। अगर महिलाएं नौकरी में हैं भी, तो उनके सामने वे तमाम बाधाएं हैं जिनके चलते या तो वे खुद नौकरी छोड़ देती हैं या फिर निकाल दी जाती हैं। यह स्थिति कमोबेश दुनियाभर में एक जैसी है।

पिछले साल अक्तूबर में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ने बताया था कि 'स्वचालन' जैसी नई प्रौद्योगिकियों ने वैश्विक स्तर पर महिलाओं से जुड़ी लगभग अठारह करोड़ नौकरियों को खतरे में डाल दिया है। 'हाई पोटेंशियल अंडर हाई प्रेशर इन इंडिया टेक्नोलॉजी सेक्टर' की रिपोर्ट बताती है कि भारत में उच्च क्षमता वाले पुरुष और महिलाएं एक समान स्तर पर शुरू करते हैं, लेकिन समय के साथ महिलाओं के लिए लिंगभेद उभर रहा है। जो कम कमाती हैं, कम विकास के अवसर प्राप्त करती हैं, जो प्रगति के लिए आगे बढ़ती हैं और पुरुषों की तुलना में घर पर अधिक जिम्मेदारियों का सामना करती हैं, उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है। महिलाओं का मां बनना कंपनियों को नुकसान का सौदा दिखाई पड़ता है। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि जब महिलाओं ने अपनी गर्भावस्था का जिक्र अपने मैनेजर या सहकर्मियों से किया तो उन्होंने पाया कि उन्हें कैरियर में प्रोत्साहन दिए जाने की दर में कमी आई।

बंगलुरु में नई कंपनियों और छोटी कंपनियों के सर्वे में यह बात सामने आई कि छियालीस फीसद कंपनियों ने पिछले डेढ़ साल में ज्यादातर पुरुष कर्मियों की ही बहाली की। वहीं इसी तरह के एक अध्ययन में इस बात का खुलासा हुआ कि 2004-05 से 2011-12 के दौरान अट्ठाईस लाख महिलाओं को नौकरी से निकाल दिया गया। संशोधित मातृत्व लाभ अधिनियम के बाद एक साल में ही ग्यारह से अठारह लाख महिलाओं की नौकरी चली गई।

यह तय है कि जब तक महिलाओं पर परिवार और नौकरी में से किसी एक को चुनने का दबाव रहेगा, तब तक महिलाएं नौकरियों से दूर होती रहेंगी। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का सुझाव है कि बच्चों की देखभाल के लिए दी जाने वाली मदद से महिलाओं के कामकाजी होने की संभावना बढ़ जाएगी। एसोचैम के सुझावों के मुताबिक श्रमबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष रोजगार कौशल प्रशिक्षण, छोटे शहरों में रोजगार के अवसर, बच्चों और बुजुर्गों की देखरेख के लिए केयर सेंटर, सुरक्षित कार्यस्थल जैसे प्रयास बढ़ाने होंगे। सरकारी स्तर पर प्रयास तो अपरिहार्य हैं ही, पर उससे भी अधिक उस सोच में बदलाव की आवश्यकता है जो स्त्री का दायरा घर की चारदीवारी तक सीमित रखना चाहती है।

विज्ञान की चेतना

दुनिया मेरे आगे

कैलाश चंद्र काण्डपाल

वैज्ञानिक दृष्टिकोण आजकल फिर चर्चा में है। हालांकि यह एक अलग बात है कि क्या इस पर चर्चा की जरूरत है या एक अच्छा जनतांत्रिक और प्रगतिशील देश बनने के लिए इसका होना नितांत जरूरी है। अगर हम विश्व का विश्लेषण करें तो पाएंगे कि इसके वर्तमान स्वरूप में होने में भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्त्वपूर्ण योगदान रहा है। यूरोपीय पुनर्जागरण के बाद इसी दृष्टिकोण से औद्योगिक क्रांति की नींव पड़ी और उसके बाद विश्व इतिहास के नए पन्ने लिखे गए, जिसमें उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद जैसे आख्यान आए और विश्व में नया आर्थिक और सामाजिक स्वरूप उभरा। इसने मात्र विज्ञान और प्रौद्योगिकी में ही योगदान नहीं दिया, बल्कि एक जीवन दर्शन भी दिया जो एक प्रगतिशील समाज के लिए महत्त्वपूर्ण है। यह बात दीगर है कि यह हमारा भविष्य भी निर्धारित करेगा।

स्वतंत्र भारत में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रतिबद्धता की बात सत्तर के दशक में शुरू हुई, जिसे 'अपोलो-11' यान के चंद्रमा की यात्रा के घटनाक्रम से भी जोड़ा जाता है। इसी दशक में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए देशव्यापी प्रचार-प्रसार देखा भी गया, जिसमें कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी दशक के उत्तरार्ध में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को संविधान में बयालीसवें संशोधन से मूल कर्तव्यों के रूप में समाहित किया गया और स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में भी इसने अपनी प्रमुख जगह बनाई। इसमें इस बात को रेखांकित करना आवश्यक है कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रबल हिमायती थे। भारत के संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों में एक यह साफतौर पर लिखा गया है कि 'भारत का नागरिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का सुधार करे'। दरअसल, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मूल कर्तव्य के रूप में संविधान में समाहित करने का निर्णय सतही नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक जीवन दर्शन है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण मात्र विज्ञान विषय से संबधित नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन के रूप में समाज को दिशा देता है। यह नागरिकों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि वे जिज्ञासा से प्रेरित रहें, प्रश्न करने की प्रवृत्ति बनाए रखें, तर्कशील और विवेकसम्मत बनें। तर्कशील और विवेकसम्मत समाज ही वास्तव में एक बेहतर जनतांत्रिक समाज की बुनियाद होता है। कई प्रकार से विविधता वाले देश भारत में अगर यह दृष्टिकोण प्रमुखता से अपनी जगह पाता है तो इसकी प्रगति के कई रास्ते खुलते हैं, चाहे वे एक वांछित समाज के हों या एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरने के। राष्ट्र के रूप में हमें यहां यह समझ लेना होगा कि हम जहां और जैसे हैं, इसका एक इतिहास है और इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण नहीं रही है। समाज में व्याप्त असमानता, अंधविश्वास आदि इसी बात के प्रमुख उदाहरण हैं कि हमारी चेतना में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अहम स्थान नहीं रखता है। आज भी अंधविश्वास के कई नमूने हमें हर रोज दिखाई पड़ते हैं। अगर हम इन असमताओं और अंधविश्वासों पर तर्क कर विवेकसम्मत तरीके से सोचें तो यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये भारत के लिए वांछित समाज बनाने और इसकी उन्नति में बाधक हैं।

समाज में वैज्ञानिक दृष्टिकोण लाने का दायित्व औपचारिक शिक्षा पर भी है और खासतौर पर स्कूली शिक्षा पर। वर्तमान में सारे प्रयासों के बाद भी स्कूली शिक्षा एक ढर्रे पर सिमटी दिखती है। अंकों की होड़ ने इसमें समझने के बजाय रटने की प्रवृत्ति को ही बढ़ावा दिया है। विषयगत अध्ययन में 'क्यों' के सवालों में बच्चे संघर्ष करते दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक दृष्टिकोण या चिंतन इस बात को रेखांकित करता है कि औपचारिक शिक्षा के तहत विषयगत अध्ययन में जब तक 'क्यों' पर विमर्श नहीं किया जाएगा, तब तक यह दृष्टिकोण स्थापित नहीं होगा। वर्तमान स्कूली शिक्षा का ताना-बाना इसी पर बुना हुआ है और इसके लिए निर्धारित पाठ्यचर्या की रूपरेखा इस पर बात करती है। लेकिन समस्या इस पर अमल या काम करने के तरीके में दिखती है। आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वांछित स्वरूप हमें कक्षा-कक्ष की प्रक्रियाओं में नहीं दिखता है।

औपचारिक स्कूली शिक्षा का मुख्य उद्देश्य एक बेहतर वांछित समाज का निर्माण करना है। भारत के लिए ऐसे वांछित समाज की परिकल्पना भी भारत के संविधान में स्पष्ट की गई है कि भारत के लोग ऐसे समाज के लिए संविधान को अंगीकार करते हैं जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। वास्तविक रूप में देखा जाए तो इस प्रकार के समाज को पाने के लिए हमें अभी और सायास प्रयत्न करने हैं। यह तभी संभव है जब हम तर्कपूर्ण और विवेकशील बनें और इसकी राह हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मिलती है।

वैज्ञानिक दृष्टिकोण और चिंतन हमें इस बात में मदद करेगा कि हम अपने भीतर निष्पक्ष रूप से सोचने-समझने की प्रवृत्ति विकसित करें। हमें अपने स्कूलों में बच्चों को ऐसे चिंतन में लगाना होगा, ताकि वे खुद को, अपने आसपास होने वाली घटनाओं और उनके अंतर्संबधों को तार्किक रूप से समझ सकें और इस पर अपनी तर्कसम्मत और विवेकपूर्ण राय बना कर आगे बढ़ें, ताकि वे एक जागरूक नागरिक के रूप में उभरें, न कि भेड़चाल का अनुसरण करने वाली भीड़ के रूप में।

दुरुस्त आयद

बीते दिनों विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देर से ही सही मगर दुरुस्त कदम उठाते हुए युवाओं को सोशल मीडिया की नैतिकता और शिष्टाचार सिखाने के लिए इसे स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया है। सोशल मीडिया के दुरुपयोग को देखते हुए उसके बारे में युवाओं को जागरूक करने के लिए इस तरह के पाठ्यक्रम की आवश्यकता बड़ी शिद्दत से महसूस की जा रही थी। आजकल सोशल मीडिया आपस में लोगों के जुड़ने और संचार का प्रमुख साधन बन गया है। हमारे जीवन में उसकी निरंतर बढ़ती उपयोगिता के साथ-साथ उसका निहित स्वार्थी तत्त्वों द्वारा दुरुपयोग भी बढ़ता जा रहा है।

आज सोशल मीडिया को कुछ लोगों ने दुष्प्रचार का माध्यम भी बना लिया है जिसके कारण झूठी और नफरत फैलाने वाली खबरों की एक अलग ही दुनिया बन गई है जो समाज को बांटने और आपसी विश्वास में दरारें डालने का काम कर रही है। बड़े पैमाने पर अफवाहों, खौफ और नकारात्मक खबरों को प्रसारित-प्रचारित करने में सोशल मीडिया की भूमिका के मद्देनजर कई बार इसे नियमित और नियंत्रित करने के लिए सख्त कानून बनाने की मांग भी उठती रही है।

सोशल मीडिया में झूठी खबरों की समस्या की गहराई का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अधिकांश परंपरागत माध्यम, जैसे रेडियो, टीवी और पत्र-पत्रिकाएं 'फेक न्यूज' यानी झूठी या फर्जी खबरों को जानने की व्यवस्था करने लगे हैं। अमेरिका जैसे देश इस मामले में अत्यंत जागरूक हैं और वहां सोशल नेटवर्किंग साइट पर नियंत्रण को लेकर पर्याप्त कदम समय-समय पर उठाए जाते हैं। भारत में भी सोशल मीडिया से संबंधित नैतिक और शिष्टाचार से जुड़े पाठ्यक्रम युवाओं की भावनात्मक और बौद्धिक क्षमताओं को विकसित करने और उनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने में महती भूमिका निभाएंगे तभी सही मायने में सोशल मीडिया अपने नाम को सार्थक करेगा।

● *बिजेंद्र कुमार, आंबेडकर कॉलेज, दिल्ली*

पटाखों से परहेज

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपील की है कि दिवाली पर फटाखे नहीं फोड़ें। प्रदूषण के कारण सभी को परेशान होना पड़ता है। हम सब बुराइयों का ठीकरा सरकार पर फोड़ते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझते हैं। पूरे देश की जनता से उम्मीद है कि फिजा में शोर व धुआं फैलाने से तौबा करें। चाहे दिवाली हो, शादी-ब्याह हो या खुशी का कोई अन्य अवसर हो, सभी लोग पटाखे नहीं फोड़ने का संकल्प लें। अगर हमें पर्व मनाना है तो ऐसे पटाखे इस्तेमाल करें जो पर्यावरण के अनुकूल हों। सरकार को ऐसे पटाखों के बारे में जनता को जागरूक करना चाहिए। हम सभी संकल्प लें कि ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जो वातावरण को विषैला बनाए।

● *हेमा हरि उपाध्याय अक्षत, खाचरोद, उज्जैन*

दिल्ली की हवा

दिल्ली-एनसीआर में आठ वर्ष बाद लगभग तीन महीने का समय ऐसा रहा जब हवा लगातार सांस लेने लायक बनी रही। मानसून के दौरान भी स्थिति काफी हद तक सही रही। नौ अक्तूबर तक वायु गुणवत्ता सूचकांक 173 यानी मध्यम स्तर तक था पर उसके अगले ही दिन अचानक खराब श्रेणी में पहुच गया। तब से लगातार दिल्ली की हवा में प्रदूषक कणों की मात्रा बढ़ती जा रही है। इसके आगे और बढ़ने की आशंका है क्योंकि हरियाणा में पराली जलाई जाने लगी है। मानसून के जाते ही दिल्ली के स्वच्छ हवा चली गई। अब सरकार जनता को विश्वास दिलाने के लिए कागजी कार्रवाई कर रही है। आखिर इस समस्या को गंभीरता से कब लिया जाएगा?

● *नीतीश कुमार पाठक, आश्रम, नई दिल्ली*

अश्लीलता का प्रसार

समाज के कई पहलुओं को हम फिल्मों के जरिए समझते हैं। अब ये फिल्में डिजिटल (ऑनलाइन) प्लेटफॉर्म के जरिए 'वेब सीरीज' का रूप ले रही हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म ने लोगों के घरों में स्मार्टफोन के माध्यम से खासी पैठ बना ली है जिसका लाभ उठाकर लगातार गाली-गलौच, नशा व अश्लील यौन संबंधी सामग्री परोसी जा रही है।

सेंसर बोर्ड से फिल्मों पर तो नियंत्रण हो जाता है लेकिन डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए कोई सेंसर या नियम-कानून लागू नहीं होते हैं। एक ओर सरकार पॉर्नोग्राफी वेबसाइट बंद करने का प्रयास कर रही है मगर दूसरी तरफ इन प्लेटफार्म के जरिए इसे बढ़ावा मिल रहा है। इसकी लत से युवा अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हाल ही में बेंगलुरु के एक युवक को अस्पताल में इसलिए भर्ती कराया गया कि उसे 'नेटफ्लिक्स' की लत गई थी। ऐसी लत खासकर युवाओं को आकर्षित कर नशा और अश्लील यौन सामग्री देखने पर मजबूर कर रही है।

हाल में ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने जस्टिस फॉर राइट्स फाउंडेशन (एनजीओ) द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी थी पर उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के पीठ ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, विधि एवं न्याय मंत्रालय और संचार मंत्रालय को नोटिस जारी किया व नेटफ्लिक्स और एमेजॉन प्राइम वीडियो जैसे ऑनलाइन मीडिया प्रसारण की सामग्री को नियंत्रित करने के लिए दिशा-निर्देश तय करने की मांग वाली याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है।

● *प्रमोद पांडेय, दिल्ली*

पराली से खाद

विकास अक्सर विनाश के कंधों पर सवार होकर आता है। जब से मजदूरी ज्यादा होने के कारण और मशीनों से कटाई आसानी से हो जाने लगी, तभी से किसानों ने खेतों में पराली जलाना शुरू कर दिया। हाथ से कटाई होती थी तो भूसा बचता था और भूसा इस्तेमाल हो जाता था। अब ऐसा नहीं हो पाता और पराली जलाने से पर्यावरण को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है इसे लेकर पर्यावरणविदों ने अभी से आगाह करना शुरू कर दिया है। दिल्ली, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हवा जरूरत से ज्यादा जहरीली हो चुकी है।

इसे रोकने की जिम्मेदारी सरकार की है। यदि किसानों को विधिवत जानकारी दी जाए और समझाया जाए कि पराली को 'बायो कंपोस्ट' के जरिए खाद बनाकर खेत में ही फिर इस्तेमाल कर लें तो अगली फसल बिना कीटनाशक और बिना खाद के भी बहुत अच्छी हो सकती है। स्थितियां बद से बदतर हों उसके पहले ही इसके लिए सरकार को पहल करनी होगी।

● *रमेश माहेश्वरी, सुल्तानपुर*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com

नई फिल्म
- मेक इन इंडिया
- *लाल कप्तान*
- घोस्ट

बॉक्स ऑफिस

फिल्म	कुल कमाई
वॉर	261.8 करोड़
जोकर	49 करोड़
ड्रीम गर्ल	136.05 करोड़
स्काई इज पिंक	10.5 करोड़

17 अक्तूबर तक की कमाई

जन्मदिन
- सनी देओल 19 अक्तूबर
- नरगिस फाखरी 20 अक्तूबर
- *परिणीति चोपड़ा 22 अक्तूबर*
- प्रभास 23 अक्तूबर

सीक्वेल फिल्मों से संतुष्टि नहीं मिलती : रितेश

आरती सक्सेना

साल 2003 में रितेश देशमुख ने बॉलीवुड में कदम रखा था। 40 फिल्में कर चुके रितेश की गिनती बॉलीवुड के बेहतरीन कलाकारों में होती है। इन दिनों रितेश अपनी नई फिल्म 'हाउसफुल 4' और 'मरजावां' को लेकर चर्चा में हैं। पेश है उनसे हुई बातचीत...

आमने सामने

सवाल : 'मरजावां' में आपने तीन फुट के विलेन का किरदार निभाया है। आपसे पहले कमल हासन ने फिल्म 'अप्पू राजा' में भी कुछ ऐसा ही किरदार निभाया था। तो क्या आपको लगता है कि आपकी तुलना कमल हासन से हो सकती है ?

● कमल हासन लीजेंड एक्टर हैं उनसे मेरी तुलना करना गलत होगा। 'मरजावां' में मेरे कद को छोटा दिखाने के लिए ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया गया। मुझमें जो खामियां थी उसे तकनीकी के जरिए दूर किया गया है। जबकि कमल हासन ने खुद अपने पैरों को मोड़ कर बोने का किरदार निभाया था। 'मरजावां' में मेरा किरदार दमदार है, इसमें कोई दो राय नहीं है।

सवाल : शाहरुख खान फिल्म 'जीरो' में बौने बनें नजर आए थे, लेकिन वह फिल्म फ्लॉप रही ?

● यह तो फिल्म की तकदीर पर निर्भर करता है। मुझे आज भी याद है मैं शाहरुख खान से 'जीरो' के सेट पर मिलने गया था तब उन्होंने बहुत उत्साहित होकर अपना किरदार सुनाया था। कहने का मतलब यह है कि भले ही फिल्म फ्लॉप हो या हिट, लेकिन एक कलाकार को उस किरदार को निभाते समय आत्मसंतुष्टि होनी चाहिए।

सवाल : लंबे समय बाद 'मरजावां' फिल्म से आपको चुनौती भरी भूमिका मिली है। तो क्या यह समय आपके अभिनय करिअर के लिए सही है ?

● हां काफी हद तक। वैसे मैंने अपने अभिनय करिअर में इससे पहले भी खलनायक का किरदार निभाया है। लेकिन 'मरजावां' में निभाया गया किरदार बिलकुल हट कर है।

सवाल : फिल्म 'हाउसफुल 4' में आप किस तरह का किरदार निभा रहे हैं ?

● मैं इस फिल्म में दोहरी भूमिका में हूं जिसमें से एक बांगडू महाराज है तो दूसरा रॉय के किरदार में है। इस फिल्म की कहानी पुनर्जन्म पर आधारित है। यह फिल्म हंसी-मजाक से भरपूर है।

सवाल : आप कई सीक्वल फिल्मों में काम कर रहे हैं। क्या इसकी वजह यह है कि इन फिल्मों की तीन हफ्ते चलने की गांरटी होती है ?

● ऐसा नहीं है कि हर सीक्वल फिल्म हिट ही होती है। ये सीक्वल फिल्म पर निर्भर करता है कि वह किस फिल्म की सीक्वल बनी है। जैसे फिल्म 'दबंग 3' जब रिलीज होगी तो दर्शक निश्चित ही उसे देखने के लिए पागल हो जाएंगे। 'गोलमाल' की सीरिज भी हिट है इसी तरह 'हाउसफुल 4' में भी फुल कॉमेडी है जिसे दर्शक जरूर देखने जाएंगे।

सवाल :आपने कई सारी सीक्वल फिल्में की हैं। क्या आप इनमें काम करके एक अभिनेता के तौर पर संतुष्ट हैं ?

● सीक्वेल फिल्म में काम करने में मजा आता है लेकिन बतौर अभिनेता संतुष्टि नहीं मिलती। सीक्वेल के साथ मैंने ऐसी फिल्में भी की हैं जो मुझे बतौर अभिनेता संतुष्ट करे। जैसे 'एक विलेन' में मैं खलनायक की भूमिका में तो फिल्म 'अपना सपना मनी मनी' में मैं सेक्सी लड़की के किरदार में नजर आया था। इसी तरह 'मरजावां' भी बहुत ही दिलचस्प फिल्म है।

बुद्ध के आंदोलन से एक संवाद

रोहित कुमार

'इतना ही समझ पाते हैं।' नाटक की केंद्रीय पात्र सुंदरी के इस संवाद के साथ पर्दा गिर जाता है। संसार और संन्यास में उलझा पति और रूप गर्विता पत्नी के बीच आते हैं भारत के धर्म का नक्शा बदल देनेवाले बुद्ध। भोग और निर्वाण के बीच का द्वंद्व दिखाता यह नाटक ऐतिहासिकता में समकालीनता की मांग करता है। क्या बुद्ध तथागत सिर्फ इसलिए बन पाए कि उन्होंने यशोधरा का त्याग किया? बुद्ध के धम्म यानी मुक्ति मार्ग की विवेचना को किस तरह देखा जाए? इन्हीं सवालों के साथ बौद्धकालीन भारत के दांपत्य में स्त्री-पुरुष संबंधों को रंगमंच पर उतारा गया कालिदास अकादमी, उज्जैन के अभिरंग नाट्यगृह में। नाट्य संस्था अभिनव रंगमंडली की इस प्रस्तुति की खासियत यह रही कि नाटक को बिना किसी सूत्रधार के मंचित किया गया। नाटक की परिकल्पना एवं निर्देशन शरद शर्मा का था।

नाटक
लहरों के राजहंस

नाटक की पृष्ठभूमि में है तथागत का वह आंदोलन जो पूरे भारत की धार्मिक तस्वीर बदल रहा था। नाटक बुद्ध के सौतेले भाई नंद और उसकी पत्नी सुंदरी के इर्द-गिर्द रचा गया है। नंद की पत्नी सुंदरी भोग-विलास की प्रतिनिधि है, जिसका मानना है कि बुद्ध के बैराग्य के पीछे उनकी पत्नी यशोधरा की विफलता है। सुंदरी बुद्ध को चुनौती देती है कि वह लहरों के राजहंस को निर्वाण के पथ पर ले जाएं। सुंदरी का अहंकार तब टूट जाता है जब उसके द्वारा आयोजित काम उत्सव में अतिथि नहीं आते हैं। अतिथि बुद्ध के प्रभाव में आकर इस उत्सव से दूर हो जाते हैं। यह घटना सौंदर्य और चातुर्य की स्वामिनी सुंदरी के जीवन में नया संघर्ष ले आती है।

नंद का व्यक्तित्व विभाजित है। कभी वह पत्नी का समर्पित प्रेमी बन जाता है तो उसी वक्त उसे बुद्ध का संघ भी अपनी ओर खींचने लगता है। वह न पत्नी का है और न तथागत का। संसार और सन्यास के बीच उलझ कर वह दुखी अवस्था में ही रहता है। जब वह कहता है, 'तथागत से पूछूंगा कि उन्होंने मेरे केशों का क्या किया। अगर मेरे केश अब भी उनके पास हैं तो वे उन्हें लौटा दें। मेरी पत्नी को मेरे केश ही चाहिए।' सुंदरी को अहसास होता है कि उसके पति की इतनी ही समझ है कि वह उसके केशों से प्यार करती है। वह सुंदरी जो बुद्ध के पूरे आंदोलन को चुनौती दे रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि वह खुद को कितना समझती है।

बुद्ध और उनके धार्मिक विचारों को साहित्य या मंच पर उतारना बहुत आसान नहीं होता है। खासकर ऐतिहासिकता जब समकालीनता की मांग करे तो बुद्ध और जटिल हो जाते हैं। बुद्ध और उनके आंदोलन को जिस तरह मंच पर उतारा गया वह सराहनीय है जिसे और श्रेष्ठ बनाने की संभावना दिखती है। प्रकाश संयोजन ने नाटक की कथावस्तु को उभारा। केंद्रीय कलाकारों ने अपनी ओर से बेहतरीन किया।

मोहिना की शाही शादी

सुनील दत्त पांडेय

रिपोर्ट

मध्य प्रदेश की रीवा रियासत की राजकुमारी और टीवी कलाकार 'यह रिश्ता क्या कहलाता है' में किरदार निभा रहीं मोहिना कुमारी सिंह की शाही शादी उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के छोटे बेटे सुयश के साथ बीते सोमवार की रात देवनगरी हरिद्वार उपनगर कनखल में गंगा तट पर स्थित बैरागी कैंप में हुई। इस शादी के चश्मदीद एक लाख से ज्यादा लोग बने। उनमें आम आदमी से लेकर बड़े-बड़े शामिल थे। इस शादी के लिए महल उमा पंडाल बनाया गया था।

इस शाही शादी में गवाह बने कई बड़े नाम मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत उत्तराखंड की राज्यपाल बेनी रानी मौर्य, योग गुरु स्वामी रामदेव केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक सहित कई विधायक शंकराचार्य राजराजेश्वराश्रम जूना अखाड़ा के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरि महामंडलेश्वर हरि चेतनानंद महामंडलेश्वर, स्वामी संतोषानंद सहित कई लोगों ने वर-वधू को आशीर्वाद दिया। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी रौतेला और जाने-माने सूफी गायक कैलाश खेर से लेकर तमाम बॉलीवुड के छोटे पर्दे के कई कलाकार भी इस शादी समारोह में पहुंचे। शादी समारोह की भव्यता देखते ही बन रही थीं। मोहिना सिंह रीवा के राजा पुष्पराज सिंह जूदेव की बेटी है।

शाही शादी में वर वधु को आशीर्वाद देने पहुंचे स्वामी रामदेव ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सतपाल महाराज के बेटे सुयश और रीवा की राजकुमारी मोहिना विवाह बंधन में बंध गए। इन दोनों को लाखों लोगों का आशीर्वाद और स्नेह मिला है।

खबर कोना

मणिरत्नम की अगली फिल्म में ऐश

बॉलीवुड अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन अब कम ही फिल्मों में नजर आती हैं। पिछले साल वे फिल्म 'फन्ने खां' में नजर आईं थी। वहीं खबर है कि ऐश्वर्या जल्द ही मणिरत्नम की एक फिल्म में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म में उनका डबल रोल होगा। इस बारे में जानकारी देते हुए ऐश्वर्या राय ने कहा है कि 'वह और फिल्मकार मणिरत्नम एक बार फिर साथ काम करने जा रहे हैं। मणिरत्नम के साथ काम करने में उन्हें हमेशा ही आनंद आता है।' ऐश्वर्या इससे पहले मणिरत्नम की फिल्म ईश्वर, गुरू और रावण में काम कर चुकी हैं। ऐश्वर्या ने कहा कि इस फिल्म के लिए हां करने से पहले उन्हें कुछ भी सोचना नहीं पड़ा। उन्होंने कहा, 'मणि मेरे गुरु हैं और वह हमारे देश के सबसे अद्भुत और प्रतिभाशाली निर्देशकों में से एक हैं।' फिलहाल ऐश्वर्या डिज्नी के 'मालफिसेंट: मिस्ट्रेस ऑफ एविल' के विशेष कार्यक्रम में व्यस्त है। ऐश ने इसमें एंजेलिना जोली के किरदार को आवाज दी है। यह फिल्म 18 अक्टूबर को रिलीज होगी।

रणबीर कपूर ने बंधाया आलिया को ढांढस

बॉलीवुड गलियारों में लंबे समय से आलिया भट्ट और रणबीर कपूर के रोमांस की खबरें हैं। वहीं एक कार्यक्रम के दौरान आलिया ने कहा कि फिल्म 'कलंक' की असफलता से उबरने में रणबीर कपूर ने उनका खूब साथ दिया और उनका मनोबल बढ़ाया। इसी साल अप्रैल में रिलीज हुई करण जौहर की मल्टीस्टारर फिल्म 'कलंक' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप रही। आलिया, वरुण धवन, माधुरी दीक्षित, संजय दत्त, कुणाल खेमू और आदित्य रॉय कपूर जैसे बड़े सितारों वाली 'कलंक' एक महत्वाकांक्षी पीरियड फिल्म थी। हाल ही में एक कार्यक्रम में आलिया बॉलीवुड के जाने-माने फिल्म निर्देशक करण जौहर के साथ मौजूद थी। इस दौरान करण जौहर ने आलिया भट्ट से फिल्म कलंक के फ्लॉप होने के बाद खुद को कैसा संभाला इसके लेकर सवाल किया। करण जौहर के इस सवाल पर आलिया ने अपने कथित ब्वॉयफ्रेंड रणबीर कपूर का जिक्र किया।

दीपिका 2020 की शुरुआत में करेंगी 'डार्क रोमांटिक फिल्म'

डिंपल गर्ल लगातार फिल्में कर रही हैं। दीपिका पादुकोण इन दिनों फिल्म 'छपाक' और '83' की शूटिंग में व्यस्त है। इन दोनों फिल्मों की शूटिंग खत्म करने के बाद वह 'डार्क रोमांटिक फिल्म' की शूटिंग में लग जाएंगी। इस बारे में अभिनेत्री ने कहा कि वह 'छपाक' के बाद एक 'डार्क रोमांटिक फिल्म' के लिए अगले साल की शुरुआत से शूटिंग शुरू करेंगी। उल्लेखनीय है कि चरित्रों के नकारात्मक पक्ष एवं उनके रोमांस पर आधारित फिल्मों को 'डार्क रोमांटिक फिल्म' कहा जाता है। एक मौके पर दीपिका ने कहा कि ' मुझे एक ऐसी फिल्म मिली है जिसकी शूटिंग अगले साल शुरू होने की संभावना है लेकिन यह कोई हल्की फिल्म नहीं है। यह एक डार्क फिल्म होगी लेकिन रोमांटिक पृष्ठभूमि में होगी। 'इस फिल्म से पहले दीपिका 'छपाक' में दिखेंगी।

'जर्सी' के हिंदी रीमेक में नजर आएंगे शाहिद

बॉक्स ऑफिस पर 278 करोड़ की कमाई के बाद शाहिद कपूर की फिल्म 'कबीर सिंह' अभी तक 2019 की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म है। इस फिल्म की सफलता ने शाहिद को वहां पहुंचा दिया है जहां वे कभी नहीं थे। बता दें कि यह फिल्म तेलुगु फिल्म 'अर्जुन रेड्डी' की रीमेक थी। वहीं सुनने में आ रहा है कि इस फिल्म की सफलता से शाहिद कपूर इतने उत्साहित हैं कि अब वह खेल पर आधारित तेलुगू फिल्म 'जर्सी' के हिंदी रीमेक में मुख्य भूमिका निभाएंगे। यह फिल्म 28 अगस्त, 2020 को सिनेमाघरों में आएगी। तेलुगू फिल्म 'जर्सी' में नानी ने मुख्य किरदार निभाया था। नानी को फिल्म 'मक्खी' से बॉलीवुड में पहचान मिली थी। 'जर्सी' के निर्देशक गौतम तिन्नानूरी ही हिंदी रीमेक का भी निर्देशन करेंगे।

मणिपुरी नृत्य में रास

शशिप्रभा तिवारी

नृत्योत्सव

राजधानी दिल्ली में मणिपुरी नृत्य को लोकप्रिय बनाने में गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह और उनकी पत्नी व नृत्यांगना चारूसिजा माथुर का योगदान महत्वपूर्ण है। दशकों से यहां रहते हुए वे मणिपुरी नृत्य प्रस्तुत करते रहे हैं। मणिपुरी नृत्य के परिधान और साज-सज्जा को दर्शक पसंद करते हैं। लेकिन अभी भी यह नृत्य शैली बहुत ज्यादा प्रचलन में नहीं आ पाई। बहरहाल, इसे लोगों तक पहुंचाने में स्पीक मैके जैसी संस्था ने भी महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। इसी क्रम में विरासत-2019 के तहत नृत्य समारोह आयोजित था।

लेडी इरविन कॉलेज में यह समारोह आयोजित था। मणिपुरी नृत्य विधा के बारे में गुरु राजकुमार सिंहजीत ने कहा कि नृत्य हमारी आत्मा की छिपी हुई धरोहर है। कलाएं, हमारे जीवन को प्रकाशित करती हैं। संस्कृति, देश और सभ्यता को विस्तार देने के लिए, इसकी सांस्कृतिक आत्मा को रोज-रोज तलाशना व तराशना पड़ता है। यही भारत की विशेषता है। हमलोग किसी भी भाषा में अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन, कलाकार अपनी आंगिक चेष्टा और भावों के जरिए अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति देता है। उसके संवाद का जरिया उसकी कला होती है। हालांकि, मणिपुरी नृत्य के विकास व उदय की कहानी थोड़ी अलग है। मणिपुरी नृत्य पूरी तरह जीवन, जीवन के संस्कार और कलाधर्म से जुड़ा हुआ है।

समारोह के दौरान पहली प्रस्तुति बसंत रास थी। इसे चारूसिजा माथुर और उनके साथी कलाकारों ने पेश किया। रास नृत्य मणिपुर में मंदिर के प्रांगण में रात भर किया जाता है। पर मंचीय प्रस्तुति के मद्देनजर इसे संक्षिप्त रूप से कलाकार पेश करते हैं। रचना 'निकुंज तुम आओ कृष्ण राधासखी' पर प्रस्तुति आधारित थी। प्रस्तुति में मोहक अंग व पाद संचालन के साथ भ्रमरियों का लयात्मक प्रयोग नृत्यांगनाओं ने किया।

अगली प्रस्तुति पुंग चोलम थी। संकीर्तन पर आधारित पुंग चोलम को पुरुष कलाकारों ने पेश किया। मणिपुर में संकीर्तन सामाजिक व धार्मिक उत्सवों के दौरान आयोजित किया जाता है। यह शिशु जन्मोत्सव, उपनयन संस्कार, विवाह और श्राद्ध के अवसर पर गाया जाता है। इस प्रस्तुति ने समां बांध दिया। इस समारोह के दौरान लेडी इरविन कॉलेज की छात्रा शिल्पा ने कुचिपुड़ी नृत्य पेश किया। उन्होंने रचना 'मुत्थुकारी यशोदा देवकीसुत' पर यशोदा और बालक कृष्ण के भावों को विवेचित किया।

समारोह में कॉलेज की प्राचार्य डॉ अनूपा सिद्धू, स्पीक मैके की कॉ-आडिर्नेटर श्रद्धा शर्मा, मालविका मजूमदार की उपस्थिति खास रही।

'चंडीगढ़ बने छोटा मुंबई'

तमन्ना अख्तर

'किस्मत ने हम तीनों भाइयों को कला के क्षेत्र में काम करने का मौका दिया। मेरे सबसे बड़े भाई रविंदर पराशर फिल्म निर्देशक हैं और अब वे अमेरिका में रहते हैं। लेकिन मैं अपना देश, अपनी जन्मभूमि को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। मैं चंडीगढ़ को छोटा मुंबई बनाना चाहता हूं ताकि यहां के कलाकारों को बाहर न जाना पड़े। यह बात चंडीगढ़ निवासी अभिनेता राजेश पराशर ने जनसत्ता सकही। उनका कहना है कि यहां एक से बढ़कर एक कलाकार हैं लेकिन अवसरों के अभाव के कारण उन्हें मुंबई जाना पड़ता है। यदि यहां कोई फिल्म बन भी जाए तो प्रोडक्शन के लिए मुबंई जाना पड़ता है। इससे बजट बढ़ जाता है।

एक बैंकर पिता और गृहिणी मां के घर जन्मे राजेश चार भाई-बहनों में सबसे छोटे है। बचपन से ही उनकी रुचि फिल्मों में रही है। सेक्टर-27 स्थित मोती राम स्कूल से प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के बाद सेक्टर-10 के डीएवी कॉलेज से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। राजेश के फिल्मी करिअर की शुरुआत तनुजा चंद्रा निदेशक की फिल्म 'संघर्ष' से बतौर सहायक निर्देशक के रूप में की। उनके पास आलिया भट्ट, अक्षय कुमार, प्रीति जिंटा, मिथुन चक्रवर्ती, विजय राज जैसे अभिनेताओं के साथ काम करने का अनुभव है उन्होंने कहा, संघर्ष (1991) जैसी बड़ी फिल्म में काम करने की मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। 1998 में पूरा पराशर परिवार चंडीगढ़ से मुंबई चला गया। 17 साल बाद इस परिवार ने चंडीगढ़ में वापसी की। साल 2014 में रिलीज हुई कबाब में हड्डी फिल्म की पूरी शूटिंग चंडीगढ़ में हुई। इसमें राजेश ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिर अमेरिकन वेब-सीरीज प्लेइंग विथ द पास्ट बनाने का फैसला किया, जिसे अमेरिका और इंग्लैंड में खूब पसंद किया गया। इस सीरीज के दूसरे सीजन बनाने का काम जल्द शुरू होगा। राजेश हॉलीवुड अभिनेता रॉबर्ट डी निरो को अपना आदर्श मानते है।

स्मिता पाटील (17 अक्तूबर, 1955-13 दिसंबर 1986)

आज रपट जाएं तो हमें न उठइयो...

गणेशनंदन तिवारी

स्मिता पाटील में देश की चारों दिशाओं के फिल्मकारों को अपनी कहानी के पात्र नजर आए। नतीजा यह हुआ कि स्मिता ने पंजाबी फिल्म 'साल सोलवां चढ्या' की तो गुजराती 'भवनी भवाई' भी की। कन्नड़ 'अन्वेषणे' की तो मलयालम 'चिदंबरम' और मराठी 'सामना' या 'जैत रे जैत' और बांग्ला में 'देवशिशु' और 'अकालेर संधाने' भी की। मात्र 31 साल की उम्र में स्मिता का निधन हुआ था। कल, 17 अक्तूबर को, स्मिता की 64वीं जयंती थी।

हमारी याद आएगी

अभिनय की विधिवत शिक्षा लेकर फिल्मों में आए कलाकारों को शुरू में लगता है कि वे अपनी शर्तों पर फिल्मजगत में बदलाव ले आएंगे। मगर समय के साथ वे फिसल कर मुख्यधारा के सिनेमा में बहते देखे जाते हैं। नसीरुद्दीन शाह से लेकर ओम पुरी और शबाना आजमी सभी के साथ यही हुआ। स्मिता पाटील भी इससे बच नहीं पाई थीं। अपनी फिल्म 'नमक हलाल' के गाने 'आज रपट जाएं तो हमें न उठइयो...' की तरह वह अपने बनाए उसूलों से फिसलीं और फिर फिसलती चली गईं। जान-बूझकर, चिढ़कर। दो-तीन फिल्में साल में करने वाली स्मिता 10-12 फिल्में कर रही थीं, जिनमें कई बेसिर पैर की थीं और उनमें स्मिता के करने के लिए ज्यादा कुछ नहीं था। हालांकि उन्होंने साथ-साथ छोटे बजट की फिल्में भी कीं।

पुणे के फिल्म और टीवी संस्थान से निकलीं स्मिता न तो पैसे और न ही नाम कमाने की चाह लेकर फिल्मों में आईं थी। वे दूरदर्शन पर समाचार वाचिका थीं, जिन्हें देख कर श्याम बेनेगल को लगा कि वह सिर्फ उन्हें ही खबरें सुना रही हों। बड़ी-बड़ी बोलती आंखों वाली स्मिता को उन्होंने 'चरणदास चोर' (1975) में मौका दिया। उसके बाद 'निशांत' और गुजरात के दूध उत्पादक किसानों से दो-दो रुपए लेकर बनाई गई 'मंथन' (1976) बनाई। स्मिता भी इन फिल्मों में काम कर खुश थीं। उनका लक्ष्य था छोटे बजट की सामाजिक सरोकारों वाली फिल्मों को आगे बढ़ाना। उन्होंने बड़े बजट की कई फिल्में ठुकराई थीं क्योंकि इन फिल्मों में करना उन्हें पसंद नहीं था।

कम बजट की 'सामना' (1974), 'चरणदास चोर', 'निशांत' (1975) 'मंथन' (1976), 'भूमिका' (1977), 'गमन' (1978), 'भवनी भवाई', 'आक्रोश', 'द नक्सलाइट', (1980), 'चक्र', 'सदगति' (1981) जैसी फिल्में स्मिता कर चुकी थीं। दो राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते। मगर जब समांतर फिल्में बनाने वाले निर्देशकों को स्टार और ब्रांड के चक्कर में फंसते देखा, तो खीजकर स्मिता ने अपने उसूल उठाकर ताक पर रख दिए और जो फिल्म सामने आई, वह साइन कर डाली।

इसकी शुरुआत हुई थी 1982 से (इस साल उनकी 11 फिल्में रिलीज हुईं थीं) जब दक्षिण के लेखक, निर्माता, निर्देशक श्रीधर ने उन्हें 'दिले नादां' (1982) का प्रस्ताव दिया। स्मिता की यह पहली कमर्शियल फिल्म थी जिसमें राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, जया प्रदा जैसे स्टार थे।

हेमा मालिनी जब श्रीधर की एक फिल्म का ऑडीशन देने आईं थीं, तो उन्होंने उनसे कहा था कि वह कभी हीरोइन नहीं बन सकतीं। वक्त की बात है, बाद में श्रीधर को हेमा मालिनी को अपनी फिल्म 'गहरी चाल' में हीरोइन बनाना पड़ा।

हालांकि खुद श्रीधर भी रिजेक्ट किए जा चुके थे। उनकी पहली कहानी दक्षिण के नामी बैनर एवीएम ने ठुकरा दी थी। बाद में इसी एवीएम ने श्रीधर की लिखी पहली तमिल फिल्म 'रथ पसायम' हिंदी में 'भाई भाई' (1956, अशोक कुमार, किशोर कुमार) नाम से बनाई। 1961 की 'नजराना' (राज कपूर, वैजयंतीमाला) से खुद श्रीधर ने हिंदी फिल्में बनानी शुरू की थीं। उन्होंने 'दिल एक मंदिर'(1963), 'प्यार किए जा'(1966), 'गहरी चाल' (1973) जैसी फिल्में बनाईं। यह संयोग है कि स्मिता की पहली कमर्शियल फिल्म 'दिले नादां' (1982) श्रीधर की आखिरी हिंदी फिल्म थी।

हरियाणा के 1.82 करोड़ मतदाता तय करेंगे 1169 उम्मीदवारों की किस्मत

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

- 90 विधानसभा क्षेत्रों के लिए मतदान 21 अक्तूबर को
- 1064 पुरुष व 104 महिला उम्मीदवार चुनाव मैदान में

हरियाणा विधानसभा के चुनाव में सूबे के करीब 1.82 करोड़ मतदाता 1169 उम्मीदवारों की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे। प्रदेश में नई विधानसभा के गठन के लिए आगामी 21 अक्तूबर को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग का दावा है कि उसने निष्पक्ष व शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए हैं।

चुनाव आयोग के गुरुवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा में कुल 1,82,82,570 मतदाता हैं। इनमें 97.7 लाख पुरुष और 85 लाख महिला मतदाताओं के अलावा 724 अनिवासी भारतीय और 1.07 लाख सर्विस वोटर शामिल हैं। राज्य की 90 विधानसभा सीटों के लिए कुल 1169 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इनमें 1064 पुरुष, 104 महिलाएं और एक अन्य उम्मीदवार शामिल हैं। सर्वाधिक 25 उम्मीदवार हांसी सीट पर और सबसे कम छह उम्मीदवार अंबाला छावनी और शाहबाद (सुरक्षित) सीट पर हैं।

हरियाणा की चुनावी दौड़ में राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त एकमात्र दल इनेलो है। राष्ट्रीय दल भाजपा और कांग्रेस ने सभी 90 सीटों पर, बसपा ने 87 और क्षेत्रीय दल इनेलो ने 81 सीट पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं। जजपा सहित अन्य दलों ने 434 उम्मीदवार चुनाव मे उतारे हैं। जबकि 375 निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए राज्य में कुल 19,578 मतदान केंद्र पर 27,611 ईवीएम की मदद से मतदान कराने की तैयारी पूरी कर ली है।

हरियाणा विधानसभा का यह चुनाव कई मायनों में बेहद महत्त्वपूर्ण है। 2014 में सूबे में पहली बार भाजपा की सरकार बनने वाले प्रदेश के मतदाताओं का फैसला यह तय करेगा कि भाजपा दोबारा सत्ता हासिल करेगी या किसी और दल को मौका मिलेगा। यह चुनाव चौटाला परिवार की सियासी विरासत को भी तय करेगा। जानकारों का कहना है कि इनेलो से अलग हट कर जजपा का गठन होने के मद्देनजर यह निश्चित रूप से देखा जाएगा कि हरियाणा की जनता इनमें से किस खेमे के साथ खड़ी होती है।

थरूर ने पाकिस्तान को दिखाया आईना

पेज 1 का बाकी

प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल ने अंतर-संसदीय संघ के 141वें सम्मेलन में पाकिस्तान के निराधार आरोपों का खंडन किया। भारतीय संसदीय शिष्टमंडल की तरफ से थरूर ने कहा कि पाकिस्तान ने संकीर्ण राजनीतिक लाभ के लिए जो मुद्दा उठाया है वह भारत का आंतरिक मामला है और इस चर्चा का हिस्सा नहीं है। भारतीय शिष्टमंडल इसे पूरी तरह खारिज करता है। उन्होंने कहा, 'मैं भारत में मुख्य विपक्षी दल का संसद सदस्य हूं। हम जम्मू और कश्मीर तथा अन्य मुद्दों के बारे में अपनी सरकार से चर्चा और वाद-विवाद करने के लिए अपने संसदीय मंच का प्रयोग करते रहेंगे। इसलिए यह लड़ाई अपने देश में और संसद सदस्य के रूप में होगी। हमें सीमा-पार से अवांछित हस्तक्षेप की न तो जरूरत है और न ही हम इसका समर्थन करते हैं। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। यह विडंबना ही है कि जो देश जम्मू-कश्मीर में अनगिनत सीमापार आतंकवादी हमले करने के लिए जिम्मेदार है वह कश्मीरियों का मसीहा होने का ढोंग कर रहा है। लेकिन भारत की संसद ऐसे विद्वेषपूर्ण प्रयासों को सफल नहीं होने देगी। बाद में दूसरे सत्र में भी थरूर ने पाकिस्तानी पक्ष की दलीलों का कड़ा प्रतिवाद करते हुए इस्लामाबाद पर तीखा प्रहार किया।

महाराष्ट्र में सुधरी किसानों की स्थिति, हरियाणा में बढ़ी बेटियां

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

- चुनाव में भाजपा दोनों राज्यों में इस मुद्दों पर लड़ेगी चुनाव
- चुनाव से पूर्व पार्टी के वादों का रिपोर्ट कार्ड तैयार, 96 फीसद लागू हुए

महाराष्ट्र में किसान की दशा सुधरी है। वहीं हरियाणा में भी बेटियों के अनुपात में सुधार हुआ है। लोक नीति शोध केंद्र (पीपीआरसी) ने यह रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट दोनों ही राज्यों में पांच वर्षो के कामकाज के आधार पर तैयार की गई है। गुरुवार को भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व शोध केंद्र के निदेशक डॉ. विनय सहस्त्रबुद्धे और सुमित भसीन ने रिपोर्ट जारी की। आगामी चुनाव में भाजपा इन्हीं मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में जाएगी। 2014 के चुनावी वादों को इस रिपोर्ट का आधार बनाया गया है। दावा किया कि भाजपा ने जनता से किए 96 फीसद वादों को पूरा किया है।

विनय सहस्त्रबुद्धे ने बताया कि महाराष्ट्र में किसानों की वित्तीय हालत खराब होने की वजह से आत्महत्याओं के मामले सामने आ रहे थे। राज्य सरकार ने किसानों के लिए विशेष नीति बनाकर काम किया। इससे महाराष्ट्र में आत्महत्या की घटनाओं में कमी आई है। महाराष्ट्र के अध्ययन में यह दावा किया गया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सबसे अधिक कार्य भूजल स्तर में सुधार हुआ है। इसका लाभ किसानों को भी मिला है और ये योजनाएं सूखे की स्थिति से निपटने से भी मददगार साबित हुई हैं। राज्य सरकार ने 18 हजार गांवों को सूखे से राहत दिलाई है। परियोजना के तहत 11,494 गांवों में 3.78 लाख से अधिक कार्य पूर्ण किए गए हैं और नेटवर्क को मजबूत किया गया है। अब मराठावाड़ा में जल ग्रिड बनाने पर काम किया जा रहा है। इससे सभी क्षेत्रों तक पानी पहुंचाना आसान होगा।

उन्होंने कहा कि दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्र अभी विकास से अछूते हैं। इन इलाकों तक विकास पहुंचाना ही आगामी पांच साल की सबसे बड़ी चुनौती होगी। भाजपा ने महाराष्ट्र में विपरीत परिस्थितियों में भी विकास पहुंचाया है। राज्य में 1.5 करोड़ से अधिक मुद्रा लाभार्थी, 1.5 करोड़ जनधन लाभार्थी, 41 लाख से अधिक उज्ज्वला लाभार्थी, 50 लाख से अधिक जमीन स्वास्थ्य कार्ड लाभार्थी और 66 लाख पीएम किसान सम्मान योजना लाभार्थी हैं।

सुमित भसीन ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और खेलों के माध्यम से हरियाणा काफी तेजी से आगे बढ़ा है। इसमें बेटियों ने अहम भूमिका निभाई है। अब तक हरियाणा में लड़कियों की संख्या में कमी सबसे बड़ी संकट थी। विभिन्न योजनाओं से बेटियों को बढ़ावा मिला है और महिला-पुरुष अनुपात सुधरा है। यह नीति राज्य सरकार ने 2015 में लागू की थी। इस अभियान में गरीब तबके का स्तर उठाने के लिए अनुसूचित जातियों को भी इससे जोड़ा गया था। इसके बेहतर परिणाम सामने आए हैं। खेलों में हरियाणा ने 186 में से 111 खेलों में बढ़त बनाई है। हर खेल क्षेत्र में पदक हासिल किए हैं। इसके अतिरिक्त पुलिस व सिविल डिफेंस के लिए भी हरियाणा से लड़कियां आगे आई हैं। इन्हें आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है।

करतारपुर गलियारा : पाक के सेवा शुल्क प्रस्ताव को भारत ने ठुकराया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

करतारपुर गलियारे के शुरू होने से पहले भारत ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए श्रद्धालुओं से सेवा शुल्क पर रुख नरम करने की नसीहत दी है। पाकिस्तान ने इस गलियारे को लेकर समझौते का अंतिम मसौदा भारत के पास भेजा है। इसके मुताबिक हर भारतीय तीर्थयात्री से 20 डॉलर का सेवा शुल्क या एंट्री फी ली जाएगी।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि पाकिस्तान के साथ हम सेवा शुल्क प्रस्ताव के अलावा सभी मुद्दों पर सहमति पर पहुंच गए हैं। पाकिस्तान 20 डॉलर (1,420 रुपए) सर्विस चार्ज पर अड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि श्रद्धालुओं के हित को देखते हुए वह सेवा शुल्क नहीं लगाए।

पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को भारत पहले ही ठुकरा चुका है। भारत ने उम्मीद जताई कि यात्रा शुरू होने से पहले दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हो जाएंगे। रवीश कुमार ने कहा कि करतारपुर गलियारे पर कई दौर की बैठक हुई है। इसमें तीर्थयात्रियों से वसूले जाने वाले शुल्क के अलावा अन्य सभी मुद्दों पर सहमति बन गई है। हाल में पाकिस्तान ने करतारपुर गलियारे को लेकर समझौते का अंतिम मसविदा भारत के पास भेजा। इसके मुताबिक पाकिस्तान प्रत्येक भारतीय तीर्थयात्री से 20 डॉलर की फीस लेगा। भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। पाकिस्तान के प्रस्ताव के मुताबिक, इस गलियारे के जरिए रोजाना 5000 तीर्थयात्रियों को करतारपुर साहिब जाने की इजाजत होगी, जिसे कुछ दिन बाद बढ़ाकर 10,000 किया जा सकता है।

चिदंबरम 24 अक्तूबर तक ईडी हिरासत में भेजे गए

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत गिरफ्तार पूर्व केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम को अदालत ने गुरुवार को 24 अक्तूबर तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने धनशोधन मामले में कांग्रेस नेता से पूछताछ के लिए 14 दिन की रिमांड मांगी थी। साथ ही अदालत ने जांच एजंसी को रिमांड के दौरान उन्हें पश्चिमी शौचालय मुहैया कराने, दवाई लेने, घर का बना खाना खाने देने और अलग सेल में रखने के भी निर्देश दिए। ईडी को रिमांड मंजूरी के बाद चिदंबरम की ओर से इन सहूलियतों की मांग वाली अर्जी दी गई थी जिसे जज ने मंजूर कर लिया। इससे पहले महान्यायवादी तुषार मेहता ने अदालत से कहा कि चिदंबरम से हिरासत में पूछताछ की जरूरत है क्योंकि ईडी के पास पीएमएलए के तहत अपराध को साबित करने के लिए अतिरिक्त सामग्री है। इसका चिदंबरम के वकील कपिल सिब्बल ने कड़ा विरोध किया और अदालत में कहा कि जब चिदंबरम जेल में थे, तब ईडी ने उनसे पूछताछ क्यों नहीं की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने प्रवर्तन निदेशालय को रिमांड पर लेकर कांग्रेस नेता से पूछताछ करने की अनुमति दे दी। उधर अदालत ने सीबीआइ की ओर से दर्ज आइएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम (74) की न्यायिक हिरासत अवधि भी 24 अक्तूबर तक के लिए बढ़ा दी है। बता दें कि चिदंबरम सीबीआइ की ओर से दर्ज आइएनएक्स भ्रष्टाचार मामले में फिलहाल तिहाड़ जेल में हैं।

पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और न्यायमूर्ति कुमार का तबादला

पेज 1 का बाकी

को भी जांच करने का आदेश दिया था।

इस पूर्व आइएएस अधिकारी को न्यायमूर्ति कुमार ने पिछले साल भ्रष्टाचार के मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था लेकिन निचली अदालत ने उसे नियमित जमानत दे दी थी। न्यायमूर्ति कुमार ने अपने 28 अगस्त के आदेश की प्रतियां प्रधान न्यायाधीश, शीर्ष अदालत की कॉलिजियम, कानून मंत्रालय और प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजने का भी निर्देश दिया था। बाद में, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एपी साही की अध्यक्षता में न्यायाधीशों की पूर्ण पीठ ने न्यायमूर्ति कुमार के आदेश को न्यायिक और प्रशासनिक दायरे से बाहर करार दिया था। न्यायमूर्ति कुमार को हाई कोर्ट के प्रशासन ने न्यायिक कार्य से वंचित कर दिया था लेकिन एक दिन बाद ही उनके न्यायिक कार्य बहाल कर दिए गए थे।

कॉलिजियम ने हाई कोर्ट के दो न्यायाधीशों न्यायमूर्ति रवि रंजन और न्यायमूर्ति मोहम्मद रफीक को क्रम से झारखंड और मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के पदों पर पदोन्नत करने की सिफारिश की है। न्यायमूर्ति रंजन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में न्यायाधीश हैं जबकि न्यायमूर्ति रफीक राजस्थान हाई कोर्ट में तैनात हैं।

कॉलिजियम ने मेघालय हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए मित्तल का मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तबादले की सिफारिश की है। इससे पहले, कॉलिजियम ने न्यायमूर्ति मित्तल का मद्रास हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के तौर पर तबादला करने की सिफारिश की थी।

बांग्लादेशी गार्ड की गोलीबारी में बीएसएफ जवान की मौत

पेज 1 का बाकी

कि बीजीबी ने उन तीनों को पकड़ लिया था, लेकिन बाद में दो को छोड़ दिया। मछुआरों के मुताबिक, बीजीबी ने उनसे कहा कि वे बीएसएफ के पोस्ट कमांडर को 'फ्लैग मीटिंग' के लिए बुलाएं। जब बीएसएफ के अधिकारी और जवान भारतीय मछुआरे की तलाश में गए तो बीजीबी ने उनपर गोलाबारी कर दी। बीएसएफ के अधिकारियों के मुताबिक, पश्चिम बंगाल में भारत-बांग्लादेश सीमा पर गुरुवार को हुई 'फ्लैग मीटिंग' के दौरान एक बांग्लादेशी सीमा गार्ड द्वारा एके-47 राइफल से चलाई गई गोली से सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के एक जवान की मौत हो गई और एक जवान घायल हो गया। अधिकारियों ने बताया कि घटना मुर्शिदाबाद जिले में सीमा सुरक्षा बल की काकमारीचर सीमा चौकी पर सुबह करीब नौ बजे हुई, जब मछुआरों के एक मुद्दे को सुलझाने के लिए पद्मा नदी के बीच जमीन के एक छोटे भाग 'चर' पर बीएसएफ के जवान बीजीबी जवानों तक पहुंचे। बीजीबी जवानों ने जिन तीन भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया था, उन मछुआरों को बीएसएफ ने ही अंतरराष्ट्रीय सीमा के भीतर मछली पकड़ने की अनुमति दी थी। बीजीबी ने दो मछुआरों को छोड़ दिया था। तीसरे को बंधक बनाए जाने की सूचना के बाद बीएसएफ की 117 वीं बटालियन के पोस्ट कमांडर उपनिरीक्षक अपनी छह जवानों की टीम के साथ मोटर बोट पर सवार होकर मसला सुलझाने निकले। लेकिन बात नहीं बनने पर उस टीम को लौटना पड़ा। जब बीएसएफ की टीम बीजीबी के 'आक्रामक' रुख को देखकर लौट रही थी, तभी उसके सैयद नामक एक जवान ने पीछे से गोली चलाई दी। बीजीबी जवान ने अपनी एके-47 राइफल से गोली चलाई जो हेड कांस्टेबल विजय भान सिंह के सिर में लगी। तत्काल उनकी मृत्यु हो गई।

करतारपुर जाने वालों के लिए लगेंगे पासपोर्ट मेले

पेज 1 का बाकी

उनके लिए यह विशेष योजना शुरू की गई है। इस तरह के मेले पंजाब, हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी लगाए जाएंगे, ताकि पासपोर्ट जारी होने वाले आवेदकों को परेशानी न हो गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में करतारपुर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने पासपोर्ट जरूरी करार दिया है। इसी के चलते विदेश मंत्रालय ने यह सुविधा शुरू की है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, 20 अक्तूबर से पाकिस्तान स्थित करतारपुर साहिब जाने के लिए तीर्थयात्री ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए पासपोर्ट की जरूरत होगी, वीजा की नहीं। अधिकारियों के मुताबिक, करतारपुर गलियारे का काम हर हाल में 31 अक्तूबर तक पूरा कर लिए जाने की योजना है। भारतीय सीमा पर आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गलियारे का उद्घाटन करेंगे। आवेदन करने के समय पासपोर्ट, आधार और पैन कार्ड की जानकारी भी मांगी जाएगी। इसके अलावा किसी तरह के पुलिस केस या मुकदमे की जानकारी भी देनी होगी। यात्रा की अनुमति पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही दी जाएगी।

370 व सावरकर पर नरम पड़ी कांग्रेस

पेज 1 का बाकी

अनुच्छेद 370 को संसद में पेश किया गया, कांग्रेस ने उसका विरोध किया। इस तरह का कदम उठाने से पहले जम्मू-कश्मीर के लोगों का दिल जीतना जरूरी था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने संसद में इस पहल के पक्ष में मतदान किया न कि इसके विरोध में।

सिंह के बयान ऐसे समय में आए हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान अनुच्छेद 370 के मुद्दे पर कांग्रेस पर प्रहार कर रहे हैं। वहीं शरद पवार और प्रफुल्ल पटेल सहित राकांपा के नेताओं के खिलाफ विभिन्न मामलों में ईडी की जांच चल रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को किसी से राष्ट्रभक्ति का प्रमाणपत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान इसकी भूमिका के बारे में सब जानते हैं। भाजपा या आरएसएस ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा नहीं लिया था।

उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजंसियों का इस्तेमाल राजनीतिक प्रतिशोध लेने में नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ईडी को राजग के शासनकाल में पहले की तुलना में ज्यादा शक्तियां मिलीं और राजनीतिक बदले की भावना से इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार प्रफुल्ल पटेल के साथ न्याय करेगी। हमें उम्मीद है कि इन ताकतों का इस्तेमाल राजनीतिक बदले की भावना से नहीं किया जाएगा।

पूर्व प्रधानमंत्री ने राजग सरकार के नागरिकता संशोधन विधेयक पर भी प्रहार किया और इसे विभाजनकारी कदम बताते हुए मुसलिमों के खिलाफ भेदभाव बताया। उन्होंने दावा किया कि संसद के इतिहास में पहली बार इस तरह का विभाजनकारी विधेयक पेश किया गया। असम में राष्ट्रीय नागरिक पंजिका के बारे में सिंह ने कहा कि भाजपा को उम्मीद थी कि इसमें मुसलिम बाहर आएंगे, लेकिन जो 19 लाख लोग अपनी नागरिकता साबित नहीं कर पाए उनमें से 12 लाख बंगाली हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि एनआरसी जैसे मामलों में निष्पक्ष तरीके से देखने की जरूरत है और जब लोग चाहते हैं कि विदेशी नागरिकों की पहचान की जाए और सुनिश्चित करना चाहते हैं कि उन्हें कोई फायदा नहीं मिले, तो हमें इस मुद्दे को पूरी सहानुभूति के साथ मानवीय समस्या के तौर पर देखना चाहिए।

टीवी चैनल खबर देने में सतर्कता बरतें

पेज 1 का बाकी

कोर्ट में जारी मौजूदा सुनवाई के मद्देनजर अटकलों पर आधारित कोई प्रसारण नहीं किया जाए। इसके अलावा फैसले से पहले उसके बारे में और उसके संभावित परिणामों के बारे में भी कोई प्रसारण नहीं किया जाए जो सनसनीखेज, भड़काऊ या उकसाने वाला हो। इसमें समाचार चैनलों से कहा गया है कि वह सुप्रीम कोर्ट में लंबित सुनवाई के संबंध में तब तक कोई समाचार प्रसारित नहीं करें जब तक कि उनके संवाददाता या संपादक ने ठीक तरह से उसकी प्रामाणिकता और सत्यता की पुष्टि मुख्य रूप से अदालत के रिकॉर्डों से या सुनवाई के दौरान खुद उपस्थित होकर नहीं कर ली हो। इसमें कहा गया है कि चैनल अयोध्या मामले में लोगों के जश्न या प्रदर्शन दिखाने वाले दृश्य प्रसारित नहीं करें। परामर्श में कहा गया है कि किसी भी समाचार कार्यक्रम के प्रसारण से ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए कि किसी भी समुदाय के प्रति पक्षपात किया गया है या किसी के प्रति पूर्वाग्रह रहा है। एनबीएसए ने सलाह दी कि इसका ख्याल रखा जाना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को कट्टरपंथी विचार रखने का मौका न मिल सके, बहस के दौरान भी और दर्शक प्रभावित न हो सकें। ऐसी बहसों से बचना चाहिए जो भड़काऊ हों और जनता के बीच तनाव पैदा कर सकती हों।

धवन के खिलाफ बार काउंसिल में शिकायत

पेज 1 का बाकी

पीठ के समक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा के एक घटक की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने इस मामले की सुनवाई के अंतिम दिन यह नक्शा दिखाया था। राजीव धवन ने इस पर आपत्ति की थी। विकास सिंह द्वारा सचित्राकृति मानचित्र (पिक्टोरियल मैप) दिए जाने पर धवन ने न्यायालय कक्ष में ही उसे फाड़कर सनसनी पैदा कर दी थी। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रमोद पंडित जोशी ने एक बयान में कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन ने शीर्ष अदालत में पेश किए गए नक्शे की प्रति के टुकड़े टुकड़े करके अत्यधिक अनैतिक काम किया है। धवन का यह कृत्य सुप्रीम कोर्ट बार की गरिमा को ठेस पहुंचाता है।

हाई कोर्ट ने कार्यवाही पर लगी रोक हटाई

पेज 1 का बाकी

मजिस्ट्रेट की अदालत में चैनल के खिलाफ चल रही मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। मोइत्रा ने याचिका में दलील दी थी कि जब मामला सम्मन जारी करने से पहले के चरण में था तो सत्र अदालत को मानहानि की कार्यवाही में दखल नहीं देना चाहिए था। यह आदेश चौधरी की अपील पर दिया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी मानहानि याचिका में प्रासंगिक तथ्यों को छिपाने के लिए सांसद के खिलाफ शपथ भंग की कार्रवाई होनी चाहिए।

मोइत्रा ने हाई कोर्ट के समक्ष अपनी याचिका में कहा था कि सत्र न्यायालय को 'प्रस्तावित' आरोपी की याचिका पर उनके खिलाफ कार्यवाही पर रोक नहीं लगानी चाहिए थी। मानहानि याचिका में मोइत्रा ने कहा था कि 25 जून को संसद में उनके द्वारा दिया गया बयान संयुक्त राष्ट्र संग्रहालय स्थित नरसंहार से संबंधित पोस्टर से प्रेरित था जिसमें शुरुआती फासीवाद के 14 संकेत थे और उन्होंने स्पष्ट रूप से स्रोत का उल्लेख किया था कि यह संकेत उक्त पोस्टर से लिए गए हैं। शिकायत में दावा किया गया कि समाचार चैनल ने यह प्रसारित किया कि उन्होंने संसद में दिए अपने 'नफरत भरे बयान' की साहित्यिक चोरी की। इसके बाद जी न्यूज ने मोइत्रा के खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने मीडिया में कथित तौर पर उसके खिलाफ बयान दिए।

हरियाणा में कांग्रेस की हवा : हुड्डा

पेज 1 का बाकी

कहा कि हरियाणा विधानसभा के इस चुनाव में जम्मू-कश्मीर और अनुच्छेद 370 को हटाना कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा की अपनी सरकार से हरियाणा के लोग चार-पांच चीजें ही चाहते हैं- पहला उनके बच्चों को नौकरी मिल जाए, सरकारी कर्मचारियों का मनमुताबिक तबादला हो जाए, नहर में सही वक्त पर पानी आ जाए, फसल का सही दाम मिल जाए और पुलिस तंग नहीं करे। फौज में काम कर चुके हरिराम ने कहा कि एक और मसला महत्त्वपूर्ण है। हेलमेट नहीं होने की एवज में ये पुलिस वाले जो हजारों रुपए का जुर्माना कर रहे हैं, यह कोई अच्छी बात है क्या। लोग इससे बहुत नाराज हैं।

मोटर वाहन अधिनियम 2019 में बदलाव के बाद लगाया गया भारी भरकम जुर्माना स्थानीय लोगों के लिए बड़ा चुनावी मुद्दा है। जनता की नब्ज पकड़ते हुए हुड्डा ने अपनी जनसभा में इस मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि 15 हजार रुपए की मोटरसाइकिल पर आप 22 हजार का जुर्माना ठोक दोगे, यह कोई कानून हुआ। इसको हम आने वाले समय में बदला जाएगा। हरियाणा में इसे नहीं लागू रहने दिया जाएगा।

हुड्डा ने कहा कि समूचे राज्य का दौरा करने के बाद उनका यह दावा है कि फिजा बदली हुई है। पूरे राज्य में कांग्रेस के पक्ष में हवा चल रही है। पार्टी को जो समर्थन मिल रहा है उससे मुझे विश्वास है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। अनुच्छेद 370 के मामले को हुड्डा ने कहा कि जहां तक अनुच्छेद 370 का सवाल है तो पूरा देश मेरे विचार के बारे में जानता है। परंतु यह चुनाव का मुद्दा नहीं है क्योंकि अब कानून बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग होते हैं लेकिन विधानसभा चुनाव अलग होता है। इस चुनाव में स्थानीय मुद्दे महत्त्वपूर्ण हैं। भाजपा सरकार ने 154 वादे किए थे, लेकिन उसने एक भी वादा नहीं पूरा किया।

दुकानें खुलीं, सड़कों पर दिखे निजी वाहन

पेज 1 का बाकी

यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ विक्रेताओं ने टीआरसी चौक-पोलो ग्राउंड रोड पर दुकानें लगाई थीं। अधिकारियों ने बताया कि शहर और कश्मीर के अन्य हिस्सों में निजी परिवहन बिना किसी बाधा के चलते दिखे। उन्होंने बताया कि घाटी के कुछ इलाकों में ऑटो रिक्शा और अंतर जिला टैक्सियां भी चलती दिखीं। हालांकि, परिवहन के दूसरे माध्यम सड़क पर नहीं दिखे। अधिकारियों ने कहा कि स्कूल और कॉलेज खुले, लेकिन बच्चों की उपस्थिति नहीं दिखी, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी आशंकाओं की वजह से उनके माता-पिता ने उन्हें घरों पर ही रखा। कश्मीर में सोमवार को मोबाइल सेवाएं बहाल कर दी गईं, लेकिन सेवाओं के दुरुपयोग की आशंकाओं के कारण उसी रात फिर से एसएमएस की सुविधा रद्द कर दी गई।

दुनिया देख रही है नए भारत का आत्मविश्वास

पेज 1 का बाकी

वालों को बेहतरीन सबक सिखाएंगे। इतिहास हर उस व्यक्ति को याद रखेगा जिसने अनुच्छेद 370 के प्रावधानों को खत्म करने की आलोचना की है।' उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रविरोधी तत्वों को ऑक्सीजन मुहैया कराया है। उन्होंने कहा, 'जब राष्ट्रीय अखंडता की बात आती है, आप हिंदू और मुसलिम के बारे में सोचते हैं। क्या यह आपके लिए उपयुक्त है? कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कहा कि अनुच्छेद 370 के ज्यादातर प्रावधानों को निरस्त करना किसी की हत्या करने जैसा है। भारत-पाकिस्तान मुद्दा आंतरिक मामला नहीं है। अनुच्छेद 370 को हटाए जाने से देश में तबाही होगी... सूची इतनी लंबी है कि मुझे इसे बताने के लिए 21 अक्तूबर तक यहां रहना पड़ेगा।' मोदी ने कहा कि देश कांग्रेस को दंडित करने का अवसर देख रहा है।

मोदी ने सतारा में कहा कि उनकी सरकार छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांतों को लेकर प्रतिबद्ध है एवं देश के खिलाफ बुरी नजर रखने वालों के खिलाफ मुंहतोड़ जवाब देने की ताकत रखती है। सतारा लोकसभा सीट से पार्टी प्रत्याशी उदयनराजे भोंसले के प्रचार करने आए मोदी ने कहा कि शिवाजी महाराज की तरह उनकी सरकार भी सुरक्षा बलों को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच साल से केंद्र और राज्य सरकार शिवाजी महाराज के मूल्यों पर दृढ़ रही है। राष्ट्रवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा हमारी शीर्ष प्राथमिकता है और जो लोग देश पर बुरी नजर रखेंगे उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

उन्होंने कहा कि विपक्ष ने वीर सावरकर की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कांग्रेस और राकांपा राष्ट्रीय भावनाओं को नहीं समझते। उन्हें लोकसभा चुनाव में सबक सिखाया गया और अब महाराष्ट्र एवं हरियाणा के चुनाव में भी जनता उन्हें कड़ी सजा देगी। मोदी ने सतारा को अपनी 'गुरु भूमि' करार देते अपने गुरु लक्ष्मण इनामदार का उल्लेख किया जो जिले के ही खाटू गांव के रहने वाले थे। उन्होंने शिवाजी महाराज के वंशज शिवेंद्रराजे भोंसले और उदयनराजे भोंसले के राकांपा छोड़कर भाजपा में शामिल होने का जिक्र करते हुए कहा, 'पहले हमारे पास छत्रपति शिवाजी के केवल संस्कार थे। अब हमारे पास उनका पूरा परिवार है।' शिवेंद्रराजे सतारा से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं जबकि उदयनराजे सतारा लोकसभा उपचुनाव में भाजपा के प्रत्याशी हैं।

ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल से यातायात प्रभावित

पेज 1 का बाकी

की ओर से 'चक्का जाम' के आह्वान पर निजी परिवहन वाहन गुरुवार को समूचे जम्मू क्षेत्र में सड़कों से दूर रहे। इससे पहले जम्मू-पठानकोट राजमार्ग पर अपने वाहन चलाने वाले निजी ट्रांसपोर्टर सोमवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए थे और टोल प्लाजा की स्थापना के खिलाफ अपना प्रदर्शन जारी रखा।

सरकार ने इस हड़ताल के दौरान लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचने में होने वाली परेशानी से बचाने के लिए राज्य पथ परिवहन निगम (एसआरटीसी) के वाहनों को विभिन्न मार्गों पर सड़क पर उतारा था। इसके बावजूद निजी परिवहन वाहनों के नहीं होने की वजह से छात्रों और कार्यालय जाने वालों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा।

राज्य प्रशासन पर ट्रांसपोर्टरों की वाजिब मांगों पर आंखें मूंदने का आरोप लगाते हुए एजेकेटीडब्ल्यू के अध्यक्ष टीएस बजीर ने कहा कि वे लखनपुर से कश्मीर तक चक्का जाम के लिए मजबूर हुए। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन ने सरोर में टोल प्लाजा को हटाने संबंधी यात्री ट्रांसपोर्टरों की लंबे से लंबित मांगों को पूरा करने के संबंध में सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। सरकार ने उनकी मांगों को लेकर चुप्पी साध रखी है, जिससे वे हड़ताल पर जाने के लिए मजबूर हुए।

सरोर टोल प्लाजा का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) ने 11 अक्तूबर को उद्घाटन किया था, जिस पर समाज के सभी वर्गों और भाजपा समेत राजनीतिक दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी और इसे हटाने के लिए पत्र लिखा था।

पाकिस्तानी एफ-16 ने भारतीय यात्री विमान को घेर लिया था

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

काबुल जा रहे स्पाइसजेट के विमान को एक घंटे तक हवा में घेरे रखा

डीजीसीए के अधिकारियों ने जांच रिपोर्ट के आधार पर इसकी जानकारी दी

काबुल जा रहे एक भारतीय यात्री विमान को पाकिस्तानी एफ-16 लड़ाकू विमानों ने 23 सितंबर को घेर लिया था। गुरुवार डीजीसीए के अधिकारियों ने इस मामले में जांच रिपोर्ट के आधार पर बताया कि दो पाकिस्तानी एफ-16 विमान के पायलटों ने स्पाइसजेट के पायलट से उड़ान के दौरान ही पूछताछ की। उन्होंने पायलट से उड़ान की विस्तृत जानकारी मांगी और ऊंचाई घटाने निर्देश भी दिए। यात्रियों को इशारे कर विमान की खिड़कियां बंद करा दी थीं। बाद में स्थिति साफ होने पर पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने उस यात्री विमान को अफगानी वायु सीमा तक छोड़ा।

डीजीसीए अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि की है कि गफलत दूर होने के बाद भी पाकिस्तानी फाइटर प्लेन ने स्पाइसजेट को तब तक घेरे रखा, जब तक स्पाइसजेट के विमान ने पाकिस्तानी वायु सीमा को पार करके अफगानिस्तान की सीमा में प्रवेश नहीं कर लिया। काबुल में सुरक्षित उतरने के बाद वापसी में उड़ान करीब पांच घंटे लेट हुई।

स्पाइसजेट के विमान एसजी-21 ने 23 सितंबर को दिल्ली से काबुल के लिए उड़ान भरी थी। इसमें करीब 120 यात्री सवार थे। इस दौरान पाकिस्तानी वायु सीमा को भारत के लिए खुला रखा गया था। विमान के पायलट ने डीजीसीए अधिकारियों को बयान दिया है कि उसने पाकिस्तानी एफ-16 के पायलटों को बताया कि यह स्पाइसजेट है। यह भारतीय वाणिज्यिक उड़ान है, जिसमें यात्री सवार हैं। यह काबुल जा रहा है।

पाकिस्तानी लड़ाकू विमान के पायलटों ने स्पाइसजेट के पायलट को निर्देश देकर विमान की ऊंचाई घटाने और पायलट से उड़ान की विस्तृत जानकारी देने को कहा। दरअसल, हर उड़ान का एक कोड होता है। स्पाइसजेट का कोड 'एसजी' है। पाकिस्तानी एटीएस ने स्पाइस जेट को 'आइए' यानी इंडियन आर्मी या इंडियन एयरफोर्स समझ लिया।

जरूरी हो तभी घरों से निकलें : सफर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

वायु प्रदूषण के मद्देनजर महिलाओं व बुजुर्गों के लिए खास एहतियात बरतने का परामर्श

दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर गुरुवार को भी बेहद खराब बना रहा। बच्चों, गर्भवती महिलाओं व बुजुर्गों के लिए खास एहतियात बरतने का परामर्श जारी किया गया है। लोगों को सलाह दी गई है कि बहुत जरूरी हो तभी घरों से निकलें व सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल करें।

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक दक्षिणी दिल्ली के वीआइपी इलाके में सीरीफोर्ट के पास भी आइक्यू का स्तर 306 मापा गया। आमतौर से हराभरा यह इलाका साफ माना जाता है, लेकिन यहां की हवा में भी मोटे धूलकणों की मात्रा दिन में कई बार खतरनाक स्तर को पार कर गई। जब हवा में पीएम 10 की मात्रा 400 के पार होकर 427-438 होते हुए 500 माईक्रोग्राम प्रतिघन मीटर पहुंच गई।

आनंद विहार में हवा में प्रदूषकों की औसत मात्रा (आइक्यू) का स्तर 304 मापा गया। यहां मोटे धूलकणों (पीएम10) का स्तर दिन में खतरनाक स्तर तक पहुंच गया था। 329 आइक्यू के साथ बवाना की भी हवा बेहद खतरनाक मापी गई। मोटे घूलकण यहां भी दिन में दो बार खतरनाक स्तर तक पहुंचे। 292 आइक्यू के साथ आयानगर में हवा खराब दर्जे की बनी रही। डीटीयू के पास आइक्यू का स्तर 322 रहा। जहां मोटे धूलकणों यानी पीएम 10 का स्तर दिन में 410 तक पहुंच गया। जहांगीरपुरी में आइक्यू का स्तर 304 रहा, जबकि मोटे धूलकणों की मात्रा यहां कम ही रही।

इसी तरह 276 आइक्यू के साथ आइटीओ थोड़ी बेहतर स्थिति में रहा, जहां मोटे धूलकण कम रहे। आमतौर से यहां वाहनों की भीड़ अधिक होने से प्रदूषण ज्यादा रहता है। मुंडका में मोटे धूलकणों की परत छाई रही। यहां आइक्यू भले 308 के आसपास रहा, लेकिन यहां मोटे धूलकण दिन में कई बार खतरनाक स्तरक के पार गया। एअरपोर्ट पर मोटे धूलकण दिन में खतरनाक स्तर 400 के पार तो गया, लेकिन फिर जल्दी ही इसमें गिरावट देखी गई। जिसके बाद आइक्यू का स्तर 241 मापा गया।

इसी तरह मथुरा रोड पर आइक्यू का स्तर तो 246 ही रहा, लेकिन हवा में महीन धूलकणों की मात्रा दिन में कई बार 300 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर को पार कर गई। नरेला में 318 आइक्यू के साथ हवा बेहद खराब दर्जे की बनी रही। महीन धूलकणों की मात्रा यहां पर दिन में कई बार साढ़े तीन सौ के करीब पहुंची। इसे देखते हुए सफर ने परामर्श जारी किया है। जिसमें कहा गया है दिल व फेफड़े के मरीज खास सावधानी बरतें। वे अपने साथ जरूरी दवाएं जरूर रखें।

पंजाब नैशनल बैंक **punjab national bank**
.......भरोसे का प्रतीक ...the name you can BANK upon!
(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

रिकवरी विभाग, सर्किल कार्यालयः उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली-110025 फोनः 011-25744163
ई-मेलः condelrd@pnb.co.in

आम जनता के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना

जैसा कि वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने प्रत्येक ऋणधारक के समक्ष नीचे वर्णित विवरणों के अनुसार ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगेजरों (यहां के बाद ऋणधारक के रूप में वर्णित) से बकाया राशि की वसूली के लिए मांग सूचना जारी किया था। पुनः वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए संबंधित प्राधिकृत अधिकारियों ने नीचे सूचीबद्ध ऋणधारकों को स्वीकृत ऋण/साख सुविधाओं के संदर्भ में प्रतिभूतियों के रूप में धारित नीचे वर्णित प्रतिभूत परिसंपत्तियों को कब्जा कर लिया है। जैसा कि मांग सूचना के अनुसार ऋणधारकों से पंजाब नेशनल बैंक के प्रतिभूत बकाए ऋण तथा वसूली, यदि बाद में कोई की गई हो, को घटाकर उस पर बैंक द्वारा वहन की गई लागतों एवं चार्जेज के साथ आगे के ब्याज की वसूली के लिए यह बिक्री सार्वजनिक ई-नीलामी द्वारा की जाएगी। आम जनता को व्यक्तिगत रूप से या विधिवत अधिकृत एजेन्ट के माध्यम से बोली करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। पात्र संपत्ति के लिए बैंक बोली करने के लिए स्वतंत्र होगा।

प्रतिभूति परिसंपत्तियों की बिक्री की अनुसूची

क्रम सं.	ऋणधारक का नाम एवं बैंक शाखा	मांग सूचना की तिथि एवं उसमें वर्णित राशि बकाया	मॉर्टगेजर (संपत्ति के स्वामी) के नाम के साथ सम्पत्ति का विवरण	कब्जा की स्थिति (भौतिक या सांकेतिक)	आरक्षित मूल्य	धरोहर राशि भुगतान (ईएमडी) राशि रु. लाख में	ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि	खाता का विवरण जिसमें आरटीजीएस/एनईएफटी एवं आईएफएससी कोड के माध्यम से ईएमडी जमा की जाएगी	संपत्ति के निरीक्षण की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय	बोली वृद्धि राशि (रुपए में)	प्राधिकृत अधिकारी/नोडल अधिकारी का नाम एवं संपर्क सं.	सरकारी बकाया देयता, यदि कोई हो
1.	मै. एशियन कार्गो मूवर्स बीओः एमएसएमई पटपड़गंज, दिल्ली- 110092	2.7.2018 रु. 538.98 लाख	विपुल बंसल, पुत्र गणपति राय बंसल तथा श्रीमती हर्षिता बंसल, पत्नी विपुल बंसल के नाम में फ्रीहोल्ड डुप्लेक्स फ्लैट नं. 17 सी, दूसरा तल तथा तीसरा तल, सूर्य विहार, डुण्डाहेरा, गुड़गांव, हरियाणा- 122016, साइट का एरिया 2391 वर्ग फीट, कारपेट एरिया 2150 वर्ग फीट	भौतिक	रु. 144 लाख	रु. 14.40 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4904003171160, पीएनबी एमएसएमई पटपड़गंज, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0490400	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री काशिफ नेहाल बेग, एम.नं. 7897991900, बीओः एमएसएमई पड़पड़गंज, दिल्ली, नोडल अधिकारी, श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427), उप सर्किल प्रमुख पीएनबी, सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
2.	मै. एशियन कार्गो मूवर्स बीओः एमएसएमई पटपड़गंज, दिल्ली- 110092	2.7.2018 रु. 538.98 लाख	विपुल बंसल, पुत्र गणपति राय बंसल के नाम में फ्रीहोल्ड भू तल,, पीछे का भाग, (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 54, ब्लॉक सी, विवेक विहार, दिल्ली- 110095, एरिया 750 वर्ग फीट (सुपर एरिया), 630 वर्ग फीट (कार्पेट एरिया)	भौतिक	रु. 113.00 लाख	रु. 11.30 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4904003171160, पीएनबी एमएसएमई पटपड़गंज, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0490400	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री काशिफ नेहाल बेग, एम.नं. 7897991900, बीओः एमएसएमई पड़पड़गंज, दिल्ली, नोडल अधिकारी, श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427), उप सर्किल प्रमुख पीएनबी, सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
3.	मै. श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स (पी) लिमिटेड बी ओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	12.7.2017 रु. 539.15 लाख	श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स पी लि. के स्वामित्व में फ्री होल्ड शॉप नं. 17, भू तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 एवं 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005 माप 10.03 वर्ग मी.	सांकेतिक	रु. 4.60 लाख	रु. 0.46 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408003171160, पीएनबी मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री चितरंजन चौधरी, एम. नं. 9425501156, बीओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
4.	मै. श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स (पी) लिमिटेड बी ओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	12.7.2017 रु. 539.15 लाख	कम्पनी के नाम में फ्री होल्ड शॉप नं.1 से 9, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 एवं 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005 माप 1008 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 22.50 लाख	रु. 2.25 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408003171160, पीएनबी मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री चितरंजन चौधरी, एम. नं. 9425501156, बीओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
5.	मै. श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स (पी) लिमिटेड बी ओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	12.7.2017 रु. 539.15 लाख	कम्पनी के नाम में फ्रीहोल्ड शॉप नं. 10, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 एवं 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005 माप 10.03 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 2.70 लाख	रु. 0.27 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408003171160, पीएनबी मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री चितरंजन चौधरी, एम. नं. 9425501156, बीओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
6.	मै. श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स (पी) लिमिटेड बी ओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	12.7.2017 रु. 539.15 लाख	कम्पनी के नाम में फ्रीहोल्ड शॉप नं. 11 से 17, प्रथम तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 एवं 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005 माप 756 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 16.20 लाख	रु. 1.62 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408003171160, पीएनबी मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री चितरंजन चौधरी, एम. नं. 9425501156, बीओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
7.	मै. श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स (पी) लिमिटेड बी ओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	12.7.2017 रु. 539.15 लाख	कम्पनी के नाम में फ्रीहोल्ड शॉप नं. 10, दूसरा तल (बिना छत के अधिकार के) प्लॉट नं. 86, खसरा नं. 97, 98 एवं 99, प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया, गाजियाबाद, उ.प्र.-201005 माप 10.03 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 2.70 लाख	रु. 0.27 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408003171160, पीएनबी मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री चितरंजन चौधरी, एम. नं. 9425501156, बीओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
8.	मै. श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स (पी) लिमिटेड बी ओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	12.7.2017 रु. 539.15 लाख	श्री पारस सैनिटरी एंड पाइप्स प्रा. लि. के स्वामित्व में फ्रीहोल्ड शॉप नं. 3 एवं 8, भू तल, 86 प्रकाश इंडस्ट्रियल एरिया साहिबाबाद (नया) उ.प्र.-201005, माप 10.03 वर्ग मी.	सांकेतिक	रु. 10.00 लाख	रु. 1.00 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408003171160, पीएनबी मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री चितरंजन चौधरी, एम. नं. 9425501156, बीओः मयूर विहार फेज-II, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
9.	मै. केडीएस ग्रीन लैंड बिल्डर्स एंड प्रमोटर्स (पी) लि. बी ओ.: एआरएमबी, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	7.10.2015 रु. 629.34 लाख	पंडित रीअल्टर पी लि. के नाम में 16 ए/203, भू तल, सेक्टर 16 ए, वसुन्धरा, गाजियाबाद, उ.प्र.-201012, प्लॉट एरिया 312.58 वर्ग मी. तथा निर्मित एरिया 134.99 वर्ग मी. में फ्रीहोल्ड आवासीय मकान	सांकेतिक	रु. 75.00 लाख	रु. 7.50 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता नामः पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंद भांजा, एजीएम, एम. नं. 7044070801, बीओः एआरएमबी, मयूर विहार दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
10.	मै. केडीएम सर्विस प्रोवाइडर (पी) लि. बी ओ.: एआरएमबी, मयूर विहार फेज-II, दिल्ली-110091	3.7.2014 रु. 1073.62 लाख	ई-74, खसरा नं. 13/24, राजस्व ग्राम खिजराबाद, अब भारत नगर के नाम से विदित, तहसील डिफेन्स कॉलोनी, न्यू फ्रैंडस कॉलोनी, नई दिल्ली में प्लॉट माप 93 वर्ग यार्ड्स पर फ्रीहोल्ड आवासीय आईपी।	भौतिक	रु. 307 लाख	रु. 30.70 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 4408002100515419, खाता नामः पीएनबी एआरएमबी सरफैसी रिकवरी खाता आईएफएससी कोडः PUNB0440800	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री शिवानंद भांजा, एजीएम, एम. नं. 7044070801, बीओः एआरएमबी, मयूर विहार दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
11.	सिद्धांत इन्टरनेशनल (पी) लिमिटेड, बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.1.2017 1915.03 लाख	श्रीमती कविता गुप्ता के नाम में फ्री होल्ड आवासीय सम्पत्ति 4831/6, दूसरा तल, छत के अधिकार के साथ, डिप्टी गंज, सदर बाजार, दिल्ली-110006, एरिया-69 वर्ग यार्ड्स।	सांकेतिक	रु. 78.25 लाख	रु. 7.83 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक खाता नं. 0115003171160, खाता नामः "पीएनबी सिविल लाइन्स" आईएफएससी कोडः PUNB0011500	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/-	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम. नं. 83888377701/ 9453045241, बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
12.	सिद्धांत इन्टरनेशनल (पी) लिमिटेड, बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.1.2017 1915.03 लाख	श्रीमती कविता गुप्ता के नाम में फ्री होल्ड आवासीय सम्पत्ति 4831/2, प्रथम तल, डिप्टी गंज, बिना छत के अधिकार के, सदर बाजार, दिल्ली-110006, कवर्ड एरिया-621.00 वर्ग फीट।	भौतिक	रु. 61.50 लाख	रु. 6.15 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक खाता नं. 0115003171160, खाता नामः "पीएनबी सिविल लाइन्स" आईएफएससी कोडः PUNB0011500	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/-	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम. नं. 83888377701/ 9453045241, बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
13.	श्री हरि ओवरसीज प्रा. लि. बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.1.2017 518.12 लाख	दीपक गुप्ता, पुत्र सत्य प्रकाश गुप्ता के नाम में खाली प्लॉट नं. एस-4/51, चैतन्य विहार, फेज-2, ग्राम राजपुरा बांगड़, वृन्दावन, मथुरा, उ.प्र., माप 162 वर्ग मी.	भौतिक	रु. 18.50 लाख	रु. 1.85 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक खाता नं. 0115003171160, खाता नामः "पीएनबी सिविल लाइन्स" आईएफएससी कोडः PUNB0011500	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/-	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम. नं. 83888377701/ 9453045241, बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
14.	मै. रिद्धि रोटोफ्लेक्स, बीओः गुजरावाला टाउन	17.1.2018 रु. 70.68 लाख	आशा जैन एवं विपिन जैन के नाम में 186, खसरा नम्बर 214/2, सराई पीपल थैला, दिल्ली-110033, माप 253 वर्ग यार्ड्स	भौतिक	रु. 88.00 लाख	रु. 8.80 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक खाता नं. 1470002100037887 सरफैसी रिकवरी आईएफएससी कोडः PUNB0147000	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/-	प्राधिकृत अधिकारीः श्रीमती इकबाल कौर, एम.न. 9968316607, बीओः गुजरावाला टाउन, दिल्ली नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
15.	सीपी इंडस्ट्रीजः बीओ.: शालीमार बाग, दिल्ली-110088	9.1.2018 रु. 282.76 लाख	श्री विपिन गोयल के नाम में सी-6, लॉरेन्स इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली-110035, 3रा तल, माप 1375 वर्ग फीट में फ्री होल्ड निर्मित औद्योगिक सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा।	भौतिक	रु. 48.00 लाख	रु. 4.80 लाख	5.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 184002100028965, खाता नं. "पीएनबी शालीमार बाग सरफैसी रिकवरी खाता" आईएफएससी कोडः PUNB0418400	4.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	8.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/-	प्राधिकृत अधिकारीः डीडी सोनी (एजीएम) (एम नं. 8130694683) बीओः शालीमार बाग शाखा, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
16.	मै. नेहा एक्सपोर्ट्स बीओ.: शालीमार बाग, दिल्ली-110088	21.5.2019 रु. 3317.16 लाख	श्रीमती सुरिन्दर कौर कालरा, पत्नी अमरजीत सिंह कालरा के नाम में ग्राम बसई दारा पुर, रजौरी गार्डन, नई दिल्ली-110027 के नाम से विदित में स्थित निर्मित सम्पत्ति सं. ए-2/122, माप 241.9 वर्ग यार्ड्स में बिना छत/टैरेस के अधिकार के फ्री होल्ड दूसरा तल	सांकेतिक	रु. 180 लाख	रु. 18.00 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 184002100028965, खाता नं. "पीएनबी शालीमार बाग सरफैसी रिकवरी खाता" आईएफएससी कोडः PUNB0418400	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000/-	प्राधिकृत अधिकारीः डीडी सोनी (एजीएम) (एम नं. 8130694683) बीओः शालीमार बाग शाखा, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
17.	मै. हीया ट्रेडर्स बी.ओ.: खारी बावली, दिल्ली-110006	18.10.2018 रु. 42.87 लाख	पन्ना लाल के स्वामित्व में फ्री होल्ड आईपी 5187-ए/4, वार्ड नं. XVI, खसरा नं. 298, ब्लॉक डी, गली नं. 4, बस्ती रेघर, कृष्णा नगर, करोल बाग, नई दिल्ली-110005, माप 75 वर्ग यार्ड्स	सांकेतिक	रु. 242.00 लाख	रु. 24.20 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0122003171160, खाता नामः "पीएनबी सरफैसी रिकवरी खाता" आईएफएससी कोडः PUNB0012200	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राजीव दीक्षित, मुख्य प्रबंधक मो.: 8826938222, बीओः सीएलडीएफ (एनई), यमुना विहार, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, सुश्री अंजू यादव, मो. 8130694637 बीएम खारी बावली	ज्ञात नहीं
18.	मै. फिरोज फैब्रिकेशन बी.ओ.: खारी बावली, दिल्ली-110006	18.10.2018 रु. 26.09 लाख	खसरा नं. 10/1, मकान सं. 43, ग्राम हस्तसाल कॉलोनी, विकास नगर के नाम से विदित, सुरक्षा विहार, ब्लॉक-ए, नई दिल्ली-110059 में फ्री होल्ड आईपी	सांकेतिक	रु. 22.00 लाख	रु. 2.20 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0122003171160, खाता नामः "पीएनबी सरफैसी रिकवरी खाता" आईएफएससी कोडः PUNB0012200	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राजीव दीक्षित, मुख्य प्रबंधक मो.: 8826938222, बीओः सीएलडीएफ (एनई), यमुना विहार, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, सुश्री अंजू यादव, मो. 8130694637 बीएम खारी बावली	ज्ञात नहीं
19.	मै. कशीफा टेक्सटाईल्स बी.ओ.: खारी बावली, दिल्ली-110006	15.11.2018 रु. 80.54 लाख	रश्मिखान, पत्नी कयूम खान के नाम में फ्री होल्ड आईपी एस-221/6, प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, खसरा नं. 23/20, ग्राम खयाला, विष्णु गार्डन, गली नं. 7, नई दिल्ली-110018, माप 1080 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 72.15 लाख	रु. 7.22 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0122003171160, खाता नामः "पीएनबी सरफैसी रिकवरी खाता" आईएफएससी कोडः PUNB0012200	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राजीव दीक्षित, मुख्य प्रबंधक मो.: 8826938222, बीओः सीएलडीएफ (एनई), यमुना विहार, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, सुश्री अंजू यादव, मो. 8130694637 बीएम खारी बावली	ज्ञात नहीं
20.	मै. अलंकार ऑफसेट प्रिन्टर्स बी.ओ.: खारी बावली, दिल्ली-110006	10.7.2018 रु. 41.17 लाख	संजय कपूर के नाम में फ्री होल्ड निर्मित मकान डब्ल्यूजेड-82/1, प्रथम तल, बैक साइड, छत/टैरेस के अधिकार के साथ, संत नगर एक्स्टें., नई दिल्ली-110018, माप 450 वर्ग फीट	सांकेतिक	रु. 23.00 लाख	रु. 2.30 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0122003171160, खाता नामः "पीएनबी सरफैसी रिकवरी खाता" आईएफएससी कोडः PUNB0012200	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राजीव दीक्षित, मुख्य प्रबंधक मो.: 8826938222, बीओः सीएलडीएफ (एनई), यमुना विहार, दिल्ली, नोडल अधिकारीः श्री आर.के. बंसल (एम. नं. 8289026427, उप सर्किल प्रमुख, पीएनबी सर्किल कार्यालय, उत्तर दिल्ली, 3रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली, सुश्री अंजू यादव, मो. 8130694637 बीएम खारी बावली	ज्ञात नहीं
21.	श्री हरिओवरसीज प्रा. लि. बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.1.2017 518.12 लाख	श्रीमती पल्लवी गुप्ता, पत्नी दीपक गुप्ता के नाम में कॉमर्सियल यूनिट नं. 308, 3 रा तल, सिटी सेन्टर, प्लॉट नं. 1 बी 3, ट्विन डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, सेक्टर 10, रोहिणी, दिल्ली-110085, माप 16.23 वर्ग मी.	भौतिक	रु. 76.00 लाख	रु. 7.60 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता नामः 'पीएनबी सिविल लाइन्स आईएफएससी कोडः PUNB0011500	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम नं. 8588837770/9453045241; बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
22.	श्री हरिओवरसीज प्रा. लि. बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.1.2017 518.12 लाख	जी-103, भू तल, सम्पत्ति सं. 783, देश बंधु गुप्ता रोड, करोल बाग, नई दिल्ली-110005	भौतिक	रु. 99.00 लाख	रु. 9.90 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता नामः 'पीएनबी सिविल लाइन्स आईएफएससी कोडः PUNB0011500	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम नं. 8588837770/9453045241; बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
23.	एक दन्त कन्स्ट्रक्शन बी.ओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.10.2016 190.21 लाख	श्रीमती शीला सिंह, पत्नी राम सिंह के नाम में डी-171, सेक्टर-49, जिला गौतम बुध नगर, नोएडा-201301, माप 153 वर्ग मी.	भौतिक	रु. 142.00 लाख	रु. 14.20 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता नामः 'पीएनबी सिविल लाइन्स आईएफएससी कोडः PUNB0011500	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम नं. 8588837770/9453045241; बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं
24.	एक दन्त कन्स्ट्रक्शन बी.ओः सिविल लाइन्स, दिल्ली-110054	3.10.2016 190.21 लाख	श्री रवीश वत्स तथा रवीण वत्स के नाम में डी-18, सेक्टर-7, फेज-1, जिला गौतम बुध नगर, नोएडा-201301, माप 334.50 वर्ग मी.	भौतिक	रु. 150.00 लाख	रु. 15.00 लाख	19.11.2019	पंजाब नेशनल बैंक, खाता नं. 0115003171160, खाता नामः 'पीएनबी सिविल लाइन्स आईएफएससी कोडः PUNB0011500	18.11.2019 को 2.30 अप. से 4.30 अप.	22.11.2019 को 11.30 पूर्वा. से 12.30 अप.	रु. 25000	प्राधिकृत अधिकारीः श्री राकेश निगम (मुख्य प्रबंधक) एम नं. 8588837770/9453045241; बीओः सिविल लाइन्स, दिल्ली, नोडल अधिकारी श्री आर.के.बंसल (एम. नं. 8289026427 उप सर्किल प्रमुख, उत्तर दिल्ली, 3 रा तल, राजेन्द्र भवन, राजेन्द्र प्लेस, नई दिल्ली	ज्ञात नहीं

ई-नीलामी के संक्षिप्त नियम एवं शर्तें: बिक्री प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 में निर्दिष्ट नियमों एवं शर्तों के अधीन होगी। 1. सम्पत्ति की बिक्री "जैसा है जहां है आधार" तथा "जो भी जैसा है" आधार पर की जाएगी। 2. यह नीलामी बिक्री पोर्टल https://etender.pnb.net.in पर "ई-नीलामी के माध्यम से ऑनलाइन होगी। 3. इच्छुक बोलीदाताओं को प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष ऊपर वर्णित नोडल अधिकारी से एसएमएस/ईमेल द्वारा सम्पर्क कर अग्रिम में लागिन आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त करना होगा जो ई-बोली के लिए अनिवार्य है। 4. प्राधिकृत अधिकारी को बिना कारण बताए किसी बोली को स्वीकार करने अथवा यदि अस्वीकार्य पाते हैं, सभी बोलियों को निरस्त करने अथवा किसी भी समय नीलामी को स्थगित/रद्द करने का अधिकार है तथा उनका निर्णय अंतिम होगा। 5. यदि बोली नीलामी की समाप्ति से पूर्व अंतिम 5 मिनट में रखी जाती है तो समाप्ति का समय स्वतः 5 मिनट बढ़ जाएगा। 6. बोलीदाता को पैन कार्ड एवं आवासीय पते के प्रमाण की स्कैन की गई प्रतियों को अपलोड करना होगा। व्यक्ति को छोड़कर अन्य बोलीदाता को ई-बोली के लिए नियत विवरण अपलोड करना होगा। 7. सफल बोलीदाता को पूर्व में जमा की गई ईएमडी सहित तत्काल 25% बोली राशि का भुगतान करना होगा। 8. सफल बोलीदाता को बिक्री की पुष्टि के 15 दिनों के भीतर शेष 75% बोली राशि का भुगतान करना होगा। 9. तत्काल 25% बोली राशि अथवा निर्धारित अवधि के भीतर शेष 75% राशि का भुगतान नहीं करने पर पहले से जमा की गई राशि जब्त कर ली जाएगी तथा प्रतिभूत परिसम्पत्ति की फिर से बिक्री की जाएगी। 10. पंजीकरण चार्जेज, स्टाम्प ड्यूटी, कर आदि सहित सभी सांविधिक बकाए/एटैन्डेंट चार्जेज तथा अन्य बकायों का वहन सफल क्रेता को ही करना होगा। 11. यह प्रकाशन उपरोक्त ऋणधारकों/गारन्टरों/मार्टगेजरों के लिए क्रम सं. 1 से 15 के लिये 15 दिनों तथा क्रम सं. 16 से 24 के लिये 30 दिनों की सूचना भी है। विस्तृत विवरणों तथा सम्पूर्ण नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया अधोलिखित वेबसाईट देखें एवं/अथवा प्रत्येक सम्पत्ति के समक्ष ऊपर वर्णित नोडल अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी से सम्पर्क करें: https://etender.pnb.net.in, www.pnbindia.in; www.eprocure.gov.in/publish/app.

तिथिः 16.10.2019 **स्थानः नई दिल्ली** **प्राधिकृत अधिकारीगण, पंजाब नेशनल बैंक**

epaper.jansatta.com

गोमांस ले जाने के आरोप में एक गिरफ्तार

मुजफ्फरनगर, 17 अक्तूबर(भाषा)।

पुलिस ने कथित तौर पर गोमांस ले जा रहे एक शख्स को गिरफ्तार किया है। इससे पहले दोनों पक्षों में गोलीबारी हुई जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। क्षेत्राधिकारी राममोहन शर्मा ने बताया कि बुधवार को जिले के रहमतपुर गांव में गोमांस ले जाने की सूचना मिली। जिस पर कार्रवाई कर रही पुलिस की संदिग्ध आरोपियों से झड़प हो गई। झड़प के बाद एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया जबकि दो आरोपी भागने में सफल रहे।

शर्मा ने बताया कि पुलिस ने उनके पास से मांस, एक मोटरसाइकिल और कुछ औजार बरामद किए हैं। बरामद मांस गोमांस है या नहीं इसकी पुष्टि के लिए लैब रिपोर्ट का इंतजार है।

सांसदों को संस्कृत का प्रशिक्षण देने की पेशकश

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) से संबद्ध एक गैर लाभकारी संगठन ने सांसदों को संस्कृत सीखने और बोलने का प्रशिक्षण देने के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया है। संस्कृत भारती के अखिल भारतीय समन्वयक दिनेश कामत ने कहा कि संगठन ने पूर्व में भी सांसदों के लिए ऐसे प्रशिक्षणों का आयोजन किया है। अमेरिका में भी इसकी एक शाखा है। संगठन संस्कृत को पुनः प्रचलित करने की दिशा में काम कर रहा है।

कामत ने बताया कि हमने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से अनुरोध किया है। सांसदों को संस्कृत सीखने और बोलने में प्रशिक्षित करने के लिए 10 दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए उनसे अनुमति मांगी गई है। कामत ने कहा कि बिरला ने संस्कृत भारती के प्रतिनिधियों से कहा है कि वह उनके अनुरोध पर विचार करेंगे। संगठन की दिल्ली इकाई के प्रभारी कौशल किशोर तिवारी ने कहा कि उनका प्रतिनिधिमंडल बिरला से दोबारा मुलाकात की योजना बना रहा है।

वन विभाग ने पैंगोलिन को बचाया

नीमच (मध्य प्रदेश), 17 अक्तूबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश के वन विभाग ने नीमच जिले के एक गांव से दुर्लभ वन्य प्राणियों में शामिल एक पैंगोलिन को बचाया। वन मंडलाधिकारी (डीएफओ) सतीश कुमार ने गुरुवार को बताया कि वन विभाग को बुधवार को सूचना मिली थी कि नीमच जिले की रतनगढ़ रेंज के बामन बर्डी गांव में ग्रामीणों को पैंगोलिन मिला है।

सूचना पर वन विभाग के अफसर तुरंत बामन बर्डी गांव पहुंचे और देर रात पैंगोलिन का रेस्क्यू कर लिया।

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

अचल सम्पतियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई–नीलामी द्वारा)

वित्तीय सम्पत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निमाण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढा गया

इस प्रकार आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित लेनदार को बंधक / चार्ज किया गया है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है कार्पोरेशन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के अधिकारी, नीचे बताए गए दिनांक पर 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा, जैसा कि कार्पोरेशन बैंक से यहां उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं)। रिजर्व प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और कम से कम जमा किये जाने वाले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भी वहां उल्लेख किया गया है।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र. सं. 1 शाहजहांपुर शाखा (1150) A/c No 510101006279808 IFSC Code CORP0001150	ऋणी: मैसर्स साई ऑटो सेल्स प्रोपराइटर श्री राज किशोर सक्सेना, पता: बरेली मोड़, कांठ रोड, शाहजहांपुर –242001 गारंटर: श्रीमती मनोरमा देवी पत्नी राधेश्याम सक्सेना, पता: ग्राम नवादा इंदीयापुर, परगना जमौर, तहसील सदर, शाहजहांपुर वर्तमान निवासी मकान नं. 2 / सी, रेलवे कॉलोनी, पोस्ट रोजा, शाहजहांपुर –242001	रुपये– 28,28,010/- (रुपये अट्ठाईस लाख अट्ठाईस हजार दस केवल) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

सम्पत्ति का विवरण :– संपत्ति के सभी भाग और पार्सल गैर कृषि भूमि का भाग गाटा संख्या 509, क्षेत्रफल 0.028 हेक्टर। स्थित ग्राम नवादा इंदीयापुर, परगना जमौर, एन एच 24, तहसील सदर, जिला– शाहजहांपुर स्वामिनी श्रीमती मनोरमा देवी। सीमायें:–पूर्व घुरई का खेत पश्चिम- विक्रेता का खेत उत्तर- राष्ट्रीय राजमार्ग
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: 23,06,000/- (रुपये तेईस लाख छः हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: 2,30,600/- (रुपये दो लाख तीस हजार छः सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sai_auto_sales_5.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–2 शाहजहांपुर (1150) A/C No. 510101006279808 IFSC CODE: CORP0001150	उधारकर्ता : मै0 माधव एंटरप्राइजेज, जी सर्जीवियर के पास, हथौरा बुजुर्ग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001 साझेदार : 1. श्री माधव खन्ना पुत्र अशोक कुमार खन्ना, 2. श्रीमती सीमा खन्ना उर्फ रूपू पत्नी अशोक कुमार खन्ना पता : जी सर्जीवियर के पास, हथौरा बुजुर्ग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001 गारंटर : श्रीमती सीमा खन्ना उर्फ रूपू पत्नी अशोक खन्ना पता : जी सर्जीवियर के पास, हथौरा बुजुर्ग, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001	राशि रु. 6,00,000 / –(रुपए छः लाख मात्र) ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

संपत्ति का विवरण :– संपत्ति सं. 1 गैर कृषि भूमि का एक हिस्सा है गाटा संख्या 773, क्षेत्र उपाय 135.44 वर्ग मीटर ग्राम हथौरा बुजुर्ग, जिला– शाहजहांपुर में सीमा खन्ना के नाम पर स्थित है। उक्त संपत्ति इस प्रकार है पूर्व हाउस ऑफ सुरेश चंद्र दास, पश्चिम रस्ता, उत्तर सुमन लता की सभा, दक्षिण सुनील मोरिस की सभा।
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक(10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रु 29,24,000 / – (रुपये उनतीस लाख चौबीस हजार केवल) रुपये जमा करने के लिए बयाना रु 2,92,400 / – (रुपए दो लाख बानवे हजार चार सौ केवल) ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए दिए गए लिंक को देखें। https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/madhav_enterprises_3.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.–3 शाहजहांनपुर (1150) A/C No. 510101006279808 IFSC Code: CORP0001150	उधारकर्ता : मै0 शर्मा फर्टीलाइजर्स, प्रो0 सूरज प्रकाश शर्मा पता मौहल्ला सैनिक कालोनी, निकट पंचपीर निगोही रोड, शाहजहानपुर उ0प्र0–242001, 2(अ) कमलेश रानी पत्नी स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर–242001 2(ब) सुनीता शर्मा पुत्री स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर–242001 2(स) संजय शर्मा पुत्र स्व0 श्री सत्यपाल शर्मा, पता सैनिक कालोनी, निगोही रोड, अशोक विहार, शाहजहानपुर–242001 2(द) वेद प्रकाश रावल पुत्र श्री देशराज रावल, पता मकान न0–126, रामनगर कालोनी शाहजहानपुर–242001	रूपये 10,49,053 / –(रुपए दस लाख उनचास हजार तरेपन रुपये मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

संपत्ति का विवरण :– सम्पत्ति का समस्त भाग रिहाइशी प्लॉट ग्राम जलालनगर बाहर चुंगी, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर, जिसका क्षेत्रफल पूरब व पश्चिम में 60 फुट व उत्तर दक्षिण में दोनों तरफ 30 फुट कुल क्षेत्रफल 167.22 वर्गमीटर है। सम्पत्ति की सीमाएं – पूरब में कच्चा रास्ता, पश्चिम में कच्ची जमीन, उत्तर में बेचने वाले की जमीन, दक्षिण में बेचने वाले की जमीन। सम्पत्ति की स्वामिनी श्रीमती कमलेश रानी, सूरज प्रकाश शर्मा, संजय शर्मा तथा सुनीता शर्मा है।
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक(10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रु. 30,76,000 / – (रुपए तीस लाख छियत्तर हजार केवल) रुपये जमा करने के लिए बयाना 3,07,600 / – (तीन लाख सात हजार छः सौ केवल) ई–नीलामी वेबसाइट https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, दिए गए लिंक को देखें। https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/sharma_fertilizers_2.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.4 बुलन्दशहर शाखा (0792) A/c No.: 520101208954988 IFSC : CORP0000792	ऋणी : (अ) अवन्तिका एन्टरप्राईजेज, प्रोपराइटर : श्री पुरुषोत्तम पता : हनुमान मन्दिर के सामने, चौक बाजार, बुलन्दशहर (उ0प्र0)–203001 (ब) श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सहस्त्रपाल, पता: 489/2, मौहल्ला साठा, परगना बरन, तहसील व जिला बुलन्दशहर।	रुपये 20,83,941/= (रुपये बीस लाख तिरासी हजार नौ सौ इकतालीस मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

प्रोपर्टी नं0 1 : (1) आवासीय भवन, म0नं0 582 का सम्पूर्ण भाग, सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 167.22 वर्गमीटर। सम्पत्ति की सीमायें : पूर्व-5 मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम-श्री सतीश का मकान, उत्तर-श्री ज्ञानचन्द का मकान, दक्षिण-श्रीमती मुन्नीदेवी का मकान। (2) आवासीय भवन का सम्पूर्ण भाग, सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 20 वर्ग गज। सम्पत्ति की सीमायें : पूर्व-पांच मीटर चौड़ा रास्ता, पश्चिम-मकान का शेष भाग व अन्य सम्पत्ति, उत्तर-गैलरी, दक्षिण-श्री अशोक का मकान। दोनों सम्पत्ति गड़रियों वाली गली, सराय रोड, परगना, तहसील व जिला बुलन्दशहर में स्थित, मालिक : श्रीमती सावित्री देवी पत्नी स्व0 श्री सहस्त्रपाल। ई-ऑक्शन की दिनांक और समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (दस मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ)। रिजर्व मूल्य : रु0 22,72,000/- (रुपये बाइस लाख बहत्तर हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : 2,27,200/- (रुपये दो लाख सत्ताईस हजार दो सौ) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/avantika_enterprises_5.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं. 5 बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206036497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : (1) मै0 फैयाज खान फ्रूट कम्पनी प्रोपराईटर श्री फरियाद खान पता : 39, गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। (2) श्री फरियाद खान पता : 39, गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। गारन्टर : (1) श्री असलम खान पता : गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली। (2) श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान पता : गोविन्दपुर, निकट इस्लामिया मदरसा, बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली।	रुपये 11,72,361/- (रुपये ग्यारह लाख बहत्तर हजार तीन सौ इकसठ मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

प्रोपर्टी नं0 1 : खसरा नं0 248, गोविन्दपुर, बरेली का सम्पूर्ण भाग सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 86 वर्ग मीटर। नामे श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान ई-ऑक्शन की दिनांक और समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (दस मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ)। रिजर्व मूल्य : सम्पत्ति सं0 (1) रु0 9,12,000/- (रुपये नौ लाख बारह हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : सम्पत्ति सं0 (1) रु0 91,200/- (रुपये इक्यानवे हजार दो सौ मात्र)। ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/fayyaz_khan_fruit_co_1.pdf
प्रोपर्टी नं0 2 : वार्ड नं0 22, खसरा नं0 248, गोविन्दपुर, बरेली। सम्पत्ति का क्षेत्रफल : 86 वर्ग मीटर। नामे श्री दिलावर खान पुत्र श्री मुन्ना खान। ई-ऑक्शन की दिनांक और समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (दस मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ)। रिजर्व मूल्य : सम्पत्ति सं0 (2) रु0 4,76,000/- (रुपये चार लाख छियत्तर हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : सम्पत्ति सं0 (2) रु0 47,600/- (रुपये सैंतालीस हजार छः सौ मात्र)। ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/fayyaz_khan_fruit_1.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–6 मेरठ शाखा (0505) A/C No. 520101244217137 IFSC Code CORP0000505	उधारकर्ता: मै0 गोस्वामी भारत गैस प्रो0 श्रीमती ममता गोस्वामी पत्नी रविन्द्र कुमार गिरि मकान न0 123 गली न0 1 नेहरूनगर मेरठ–250001 गारंटर : श्री शिवराम गिरि पुत्र श्री कालू गिरि पता, मकान न0 123 गली न0 1 नेहरूनगर मेरठ–250001	राशि रु. 24,95,400.61 / –(रुपए चौबीस लाख पिचानवे हजार चार सौ इकसठ रुपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

संपत्ति का विवरण:–सम्पत्ति सं. 1. सपत्ति के सभी भाग और पार्सल की माप 0.1485 हेक्टेयर (1485 वर्गमीटर) का हिस्सा खसरा नं 203 / 2 के ग्राम लोधीपुर सोंदत मेन मेरठ गढमुक्तेश्वर रोड परगना व तहसील गढमुक्तेश्वर जिला हापुड़ जो कि श्री शिवराम गिरि पुत्र श्री कालू गिरि के नाम है। में स्थित है सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार है–पूर्व में श्री अनिल गिरि की भूमि पश्चिम में चक रोड, उत्तर में श्री कुंवर पाल गिरि की भूमि, दक्षिण में गढ़ मेरठ रोड
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ रिजर्व मूल्य रु 62,95,000 / – (रुपए बासठ लाख पिचानवे हजार केवल) बयाना जमा करने के लिए रु0 6,29,500 / – (केवल छः लाख उन्तीस हजार पांच सौ रुपये)
ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/goswami_bharat_gas_2.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.7 बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206036497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : (1) मैसर्स हिमाचल कश्मीर एपल कम्पनी प्रोपराइटर मौ0 इश्तयाक खान। पता : शेड नं0 13, न्यू फ्रूट मंडी, डेलापीर, बरेली– 243001 (2) प्रोपराइटर मौ0 इश्तयाक खान पुत्र मौ0 मुश्ताक खान। पता : मकान नं0 150, गोविन्दापुर, बरेली -243502 गारंटर : (1) बंदु खान पुत्र मौ0 मुन्ना खान। पता : 155, गोविन्दापुर, बरेली - 243502 (2) गारंटर : इदरीस खान पुत्र मौ0 यार खान पता: बरकातनगर, सी.बी. गंज, बरेली–243502	रूपये 20,35,554/- (रूपये बीस लाख पैंतीस हजार पांच सौ चौवन मात्र)+ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

सम्पत्ति का विवरण :– सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो कि खसरा न0 12, गांव गोविन्दापुर, बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 420.00 वर्गमीटर है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं:- पूरब दिशा में वाजिद हामिद खान, पश्चिम दिशा में रेलवे लाईन, उत्तर दिशा में चक रोड दक्षिण दिशा में चक रोड।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रूपये 35,70,000/- मात्र (रूपये पैंतीस लाख सत्तर हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : रूपये 3,57,000/- (तीन लाख सत्तावन हजार मात्र) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/himachal_kashmir_apple_company_3.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.8 बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206036497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : (1) मैसर्स जफर जरी आर्ट, प्रोपराइटर जफर आलम पता : 82, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)–243001 (2) जफर आलम पता : 82, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0)–243001 गारंटर : चमन शाह पुत्र छोटे शाह पता : 82–ए, परतापुर चौधरी, इज्जत नगर, बरेली (उ0प्र0) 243001	रूपये 5,12,650.00 (रूपये पांच लाख बारह हजार छः सौ पचास मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति जो खसरा नं0 88, 89 एवं 90, गांव परतापुर चौधरी दो मिनार मस्जिद, बरेली में स्थित है।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रूपये 10,71,000/- मात्र (रूपये दस लाख इकहत्तर हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 1,07,100/- (रूपये एक लाख सात हजार एक सौ मात्र) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jafar_zari_art_3.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.–9 सहारनपुर (0665) Ac/ No. 520101208489653 IFSC CORP0000665	ऋणी: मै0 मुस्कान फर्नीचर प्रो0 मौ0 अकरम पता सेन्ट मैरी स्कूल के सामने, सहारनपुर गारंटर : श्रीमती मुसम्मत खादिजा बेगम पुत्री श्री मौ0 रफीक पता इब्राहिमनगर बिलाका रोड, सहारनपुर–247001	रूपये 10,34,485.00 / –(रुपए दस लाख चौंतीस हजार चार सौ पिचासी मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण :– सम्पत्ति का समस्त भाग प्लाट संख्या 1 के हिस्से और पार्सल गांव इलालपुर (रजवाह पुलिया से सन्ट मैरी स्कूल तक) (राना नगर), परगना और तहसील में श्रीमति मुसम्मत खदीजा बेगम के नाम पर)। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 184.68 वर्गमीटर है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में श्री इश्तकार की दुकान, पश्चिम दिशा में रास्ता 18 फुट चौड़ा, उत्तर दिशा में अन्य प्लाट, दक्षिण दिशा में बिलकाना रोड, उल्लेखित सम्पत्ति में एक मुखंड और एक भूमि जिसका क्षेत्रफल क्रमशः 142.97 वर्गमीटर और 41.71 वर्ग मीटर है।
ई–ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रूपये 21,17,000 मात्र (रूपये इक्कीस लाख सत्रह हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 2,11,700.00 (रूपये दो लाख ग्यारह हजार सात सौ मात्र) ई ऑक्शन वेबसाईट https://www.corpbank.auctiontiger.net
बिक्री की विस्तृत जानकारी नियम एव शर्तो के लिये कृपया दिये गये लिंक का संदर्भ लें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/muskan_furniture_4.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–10 सहारनपुर शाखा (0665) A/C No. 520101208489653 IFSC Code CORP0000665	उधारकर्ता: मै0 नेशनल कैटरिंग स्टोर प्रो0 सायरा बानो मकान नं0 10 / 376 छत्ता जम्बू दास, टोली गेट, सहारनपुर–2470001 उ0प्र0 गारंटर : आजाद हसन पुत्र श्री नसीर अहमद म0न0 10 / 376 छत्ता जम्बू दास, टोली गेट, सहारनपुर–2470001 उ0प्र0	राशि रु. 19,43,863.00 / –(रुपए उन्नीस लाख तिरालीस हजार आठ सौ तरेसठ रुपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

संपत्ति का विवरण:–सम्पत्ति सं. 1. आवासीय कम कार्मिशियल भवन 2 / 3 भवन निर्माण क्षेत्रफल 200 वर्गगज प्लाट नम्बर 32 व 33 खसरा न0 823 / 2 स्थित धारा कोटला बेरोन जो कि श्रीमती सायरा बानो सहारनपुर दारे अबासी कालोनी निकट गोल्डन कालोनी सहारनपुर उ0प्र0 के नाम पर है। सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं– पूर्व में प्लाट न0 34, पश्चिम में इरशाद का मकान उत्तरे में अन्य की जमीन दक्षिण में 15 फुट चौड़ा रास्ता
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ रिजर्व मूल्य रु 19,00,000 / – (रुपए उन्नीस लाख केवल) बयाना जमा करने के लिए रू0 1,90,000 / – (केवल एक लाख नब्बे हजार रुपये)
ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/national_satering_store_2.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–11 सहारनपुर (0665) Ac/ No. 520101208489653 IFSC CORP0000665	उधारकर्ता: मैसर्स नेहा प्रोविजन स्टोर प्रोपराइटर श्री सुखबीर सिंह सैन्ट मेरी स्कूल के सामने, सहारनपुर पता : गांव एवं पोस्ट सरसावा वायुसेना स्टेशन के सामने, सहारनपुर, उ0प्र0– 247001 गारंटर: श्री तेजपाल सिंह पुत्र श्री फुल सिंह पता गांव एवं पोस्ट सरसावा वायुसेना स्टेशन के सामने, सहारनपुर, उ0प्र0– 247001	राशि रु. 24,70,745.00 / –(रुपए चौबीस लाख सत्तर हजार सात सौ पैंतालीस मात्र) समस्त ब्याज एवं अन्य खर्चे

सम्पत्ति का विवरण सम्पत्ति सं 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खसरा संख्या 297 में स्थित एक मकान संख्या 17 दारा सोराना खुर्द ग्राम सोराना तहसील नाकुर जिला सहारनपुर श्री सुखबीर सिंह और श्री तेजपाल सिंह के नाम पर दर्ज है। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 408.50 वर्गगज है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में श्रीमति फुलवती की सम्पत्ति, पश्चिम दिशा में श्री कंवर पाल की सम्पत्ति, उत्तर दिशा में श्री सांगे राम की सम्पत्ति, दक्षिण दिशा में अम्बाला रोड।
ई–ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रूपये 57,00,000 मात्र (रूपये सतावन लाख मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 5,70,000.00 (रूपये पांच लाख सत्तर हजार मात्र) ई ऑक्शन वेबसाईट https://www.corpbank.auctiontiger.net
बिक्री की विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तो के लिये कृपया दिये गये लिंक का संदर्भ लें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/neha_provision_store_4.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.–12 पचपेरा (3452) A/c No. 510251000444428 IFSC CORP0003452	ऋणी : मैसर्स रीतू आभूषण केन्द्र प्रोपराइटर श्री संजय कुमार पता : मकान नं0 98, पचपेरा, मेरठ–250406	रूपये 6,39,715 / – (रूपये छः लाख उनतालीस हजार सात सौ पन्द्रह मात्र)+ ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग का क्षेत्रफल 70 वर्गगज गांव पचपेरा, कॉरपोरेशन बैंक के समीप पचपेरा ब्रांच में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं– पूरब दिशा में श्री राजेश का मकान, पश्चिम दिशा में श्री राकेश का मकान, उत्तर दिशा में श्री बुद्ध का मकान, दक्षिण दिशा में सड़क। सम्पत्ति का मालिक श्री संजय पुत्र श्री धर्म सरन निवासी गांव पचपेरा, मेरठ ई–ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रूपये 11,75,000 मात्र (रूपये ग्यारह लाख पिचहत्तर हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 1,17,500.00 (रूपये एक लाख सत्तरह हजार पांच सौ मात्र) ई ऑक्शन वेबसाईट https://www.corpbank.auctiontiger.net
बिक्री की विस्तृत जानकारी नियम एवं शर्तो के लिये कृपया दिये गये लिंक का संदर्भ लें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ritu_abhushan_kendra_2.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–13 सहारनपुर शाखा A/C No. 520101208489653 IFSC Code CORP0000665	उधारकर्ता: 1(अ) मै0 टॉप कलेक्शन प्रो0 नवाब अली न्यू सम्राट विक्रम कालोनी निकट अंग्रेजो का कब्रिस्तान जिला सहारनपुर उ0प्र0 247001 1(ब) श्री नवाब अली पुत्र श्री शमशाद अली न्यू सम्राट विक्रम कालोनी निकट अंग्रेजो का कब्रिस्तान जिला सहारनपुर उ0प्र0 247001 गारंटर : (अ) मुसरत बेगम पत्नी श्री शमशाद अली न्यू सम्राट विक्रम कालोनी निकट अंग्रेजो का कब्रिस्तान जिला सहारनपुर उ0प्र0 247001	राशि रु. 10,36,436.00 / –(रुपए दस लाख छत्तीस हजार चार सौ छत्तीस रुपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

संपत्ति का विवरण:–सम्पत्ति सं. 1. सम्पत्ति का समस्त भाग मुसरत बेगम पत्नी श्री शमशाद न्यू सम्राट विक्रम कालोनी निकट अंग्रेजो का कब्रिस्तान जिला सहारनपुर उ0प्र0 247001 प्लाट न0 11, खसरा 1789 / 18 बकदारा कोर ताला, सम्राट कालोनी सहारनपुर सम्पत्ति का क्षेत्रफल 207 वर्गगज सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं पूर्व में प्लाट न0 10 जो अब वाजूब का है, पश्चिम में प्लाट न0 12 जो अब जब्बार का है, उत्तर में 20 फुट चौड़ा रास्ता, दक्षिण में अन्य की सम्पत्ति
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ रिजर्व मूल्य रु 26,27,000 / – (रुपए छब्बीस लाख सत्ताईस हजार केवल) बयाना जमा करने के लिए रु0 2,62,700 / – (केवल दो लाख बासठ हजार सात सौ रुपये) ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/top_collection_4.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–14 किच्छा शाखा (1735) A/C No. 510251000444480 IFSC Code CORP0001735	उधारकर्ता: 1(अ) मै0 रूबी आटा चक्की, पता गांव पटेरी निकट गुरूद्वारा, किच्छा उधमसिंहनगर उत्तराखण्ड–263148 1(ब) हरप्रीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह, पता 30, गांव बैंक नंगला किच्छा, उधमसिंहनगर उत्तराखंड–263148 (स) सुमित शुक्ला पुत्र श्री शैलेन्द्र शुक्ला, पता वार्ड नं0 9, गली नं0 4 निकट शिव मंदिर, सिंह कालोनी रूद्रपुर, उधमसिंहनगर 2631531 (द) देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री सुखवंन्द्र सिंह पता, 88 पटेरी उधमसिंह नगर–263148	राशि रु. 19,07,043.00 / –(रुपए उन्नीस लाख सात हजार तैंतालीस रूपये मात्र) प्लस ब्याज और अन्य खर्च

संपत्ति का विवरण–सम्पत्ति सं. 1. सम्पत्ति का समस्त भाग खाता सं0 00116, प्लॉट नं0 59म, सम्पत्ति का क्षेत्रफल 504 वर्गमीटर जो कि श्री हरप्रीत सिंह पुत्र श्री अमरीक सिंह के नाम है। सम्पत्ति की सीमाएं इस प्रकार हैं–पूर्व में गुरूद्वारा, पश्चिम में पवन त्यागी का प्लॉट, उत्तर में रास्ता, दक्षिण में मोथीराम का प्लॉट सेल डीड रजिस्ट्रार बही नं0 01, जिल्द नं0 1301, पेज 280–298, सीरियल नम्बर 547 सब रजिस्ट्रार ऑफिस किच्छा
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ रिजर्व मूल्य रु 16,60,000 / – (रुपए सोलह लाख साठ हजार केवल) बयाना जमा करने के लिए रू0 1,66,000 / – (केवल एक लाख छियासठ हजार रुपये) ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/r_k_floor_mills_2.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम ऋणी :	बकाया धनराशि
क्र.सं.15 मेरठ शाखा A/c No.: 520101244217137 IFSC : CORP0000505	मै अंशु टैक्सटाईल्स प्रो0 श्री रोहताश कुमार पता शॉप नं0–182 / 2 सुभाष बाजार, निकट कोतवाली मेरठ–250001 गारंटर : श्री साहू सिंह पुत्र श्री नानक चन्द पता, 240 / 12 जयदेवी नगर गढ़ रोड मेरठ–250001	रुपये 9,80,241/- (रुपये नौ लाख अस्सी हजार दो सौ इकतालीस मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

प्रोपर्टी नं0 1 : संपत्ति के सभी भाग एक मकान नं0 240 मापने वाले 197 वर्ग गज की वर्तमान में जय देवी नगर, विशाल मेगा मार्ट के पास, गढ़ रोड, मेरठ के रूप में जाना जाता है, जो लाल सिंह नगर में है जो पूर्व से नीचे के रूप में घिरा हुआ है 49.3 फुट उसके बाद सड़क पश्चिम 149.3 फुट उसके बाद उत्तर 36 के मालिक की भूमि : प्लॉट नम्बर साउथ 36 उसके बाद 12 चाइड रोड ओनर श्री शौ सिंह एस/ओ नानक चंद ई-ऑक्शन की दिनांक और समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक। रिजर्व मूल्य : रु0 37,70,000/- (रुपये सैंतीस लाख सत्तर हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : 3,77,000/- (रुपये तीन लाख सत्तर हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/anshu_textiles.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं. 16 पीलीभीत शाखा (0894) A/c No.: 520101206730562 IFSC : CORP0000894	ऋणी : मैसर्स दीप बैटरीज, प्रोपराईटर श्रीमति दीपा गुप्ता पत्नि श्री साकेत गुप्ता पता: निकट डिग्री कालेज चौराहा, 324 नई बस्ती–2, शिव शक्ति बरात घर, बाईपास रोड, पीलीभीत उ0प्र0–262001 गारंटर : बलवीर सिंह पुत्र हरवंश सिंह, पता: निकट डिग्री कालेज चौराहा, 324, नई बस्ती–2, शिव शक्ति बरात घर, बाईपास रोड, पीलीभीत उ0प्र0 262001	रुपये 45,22,812.79 (रुपये पैंतालिस लाख बाइस हजार आठ सौ बारह और पैसे उनासी मात्र) - ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग प्लाट नं0 128, गांव रूपपुर कमालू, तहसील एवं जिला पीलीभीत, क्षेत्रफल : 502 वर्गमीटर, श्रीमति दीपा गुप्ता के नाम है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं:- पूरब दिशा में प्लाट नं0 320, पश्चिम दिशा में श्रीमति रेखा अग्रवाल का प्लाट नं0 129, उत्तर दिशा में प्लाट नं0 104, दक्षिण दिशा में प्लाट श्री अंकित अग्रवाल एवं श्री अर्पित अग्रवाल।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रुपये 29,97,000/- मात्र (रुपये उनतीस लाख सत्तानवे हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : रुपये 2,99,700/- (रुपये दो लाख निन्यानवे हजार सात सौ मात्र) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/deep_batteries_2.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.17 रामनगर शाखा (1457) A/c No.: 520101258174064 IFSC : CORP0001457	ऋणी : मैसर्स हिमालय ट्रेडर्स प्रोपराइटर श्री राजेश पाल, पता : 896, दुल्लेपुरी, पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल उत्तराखंड -244715 गारंटर : रमेश पाल पुत्र श्री बाँके लाल, पता : 896, दुल्लेपुरी, पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715	रुपये 283,395.63/- (रुपये दो लाख तिरासी हजार तीन सौ सत्तानवे एवं तिरसठ पैसे मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खाता संख्या 43, खसरा संख्या 309/1/1 मिन, गांव उदयपुरी चौपड़ा, रामनगर, नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। सम्पत्ति का क्षेत्रफल 186.30 वर्गमीटर। सम्पत्ति के मालिक रमेश पाल पुत्र श्री बाँके लाल। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार है: पूरब दिशा में गली, पश्चिम दिशा में इन्द्रजीत सिंह का प्लाट, उत्तर दिशा में श्री राम कुमार का प्लाट, दक्षिण दिशा में 8 फुट कच्चा रास्ता।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रुपये 21,30,000/- मात्र (रुपये इक्कीस लाख तीस हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रुपये 2,13,000/- (रुपये दो लाख तेरह हजार मात्र) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/himalaya_traders_0.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं. 18 रुद्रपुर (1064) Ac/No. 521011216985400 IFSC Code CORP0001064	ऋणी : जगमोहन पुत्र जसमन्त, पता ए-2/37, प्लेटिनम टॉवर, जेस्टा डवलपर्स कालोनी, फुलसुंगा रोड, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड -263153 गारन्टर : राजेश पुत्र बिन्द्रा, पता निकट जेसिस पब्लिक स्कूल, गंगापुर रोड, निकट आटा चक्की, रुद्रपुर, उधमसिंह नगर, उत्तराखंड 263153	रुपये 7,30,638.00/- (रुपये सात लाख तीस हजार छः सौ अड़तीस रुपये मात्र)। ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग मकान/ फ्लेट सं0-ए- 1/122, प्रथम तल क्षेत्रफल 450 वर्गफिट खसरा सं0-224, 225, 245, 246 जो कि जेस्टा नामक परियोजना के अन्तर्गत ग्राम फुलसुंगा, तहसील किच्छा उधमसिंह नगर।
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक (दस मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbank.auctiontiger.net रिजर्व मूल्य : रु0 7,20,000.00/- (रुपये सात लाख बीस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : 72,000.00/- (रुपये बहत्तर हजार मात्र)
ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/jagmohan_3.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.19 विकासनगर (1929) Ac/No. 510251000444459 IFSC Code CORP0001929	ऋणी : मै0 मलिक एण्ड सन्स टायर्स, प्रो0 परवेज, पता वार्ड नं0–5, मैन रोड़, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून–248198 गारन्टर : श्री जुनैद पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0–5, मैन रोड़, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून–248198 श्री शौकीन पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0 -5, मैन रोड़, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून–248198 जावेद पुत्र स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0 -5, मैन रोड़, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून- 248198 श्रीमति शकीला पत्नी स्व0 श्री महफूज, पता वार्ड नं0–5, मैन रोड़, बाबूगढ़, विकासनगर, देहरादून–248198	रुपये 07,48,865.00/- (रुपये सात लाख अड़तालीस हजार आठ सौ पैंसठ रुपये मात्र) +ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त रिहाईशी जमीन का प्लाट खाता नं0–326 खसरा नं0 (पुराना 1715) नया खसरा नं0–2095 क्षेत्रफल 280 वर्गमीटर मौजा ढाल, परगना पछुआ दून, विकासनगर, देहरादून में स्थित है। परवेज, जुनैद, शौकीन, जावेद पुत्रगण स्व0 श्री महफूज और श्रीमती शकीला पत्नी स्व0 श्री महफूज के नाम पर हैं।।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक। (दस मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbank.auctiontiger.net रिजर्व मूल्य : रु0 23,57,000/- (रुपये तेईस लाख सत्तावन हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि : 2,35,700/- (रुपये दो लाख पैंतीस हजार सात सौ मात्र)। बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/malik_and_son_tyres_0.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.20 बरेली शाखा (0581) A/c No.: 520101206036497 IFSC : CORP0000581	ऋणी : मैसर्स रईस खान अरशद खान, प्रोपराइटर इदरीश खान, पता: 66, गोविन्दापुर, निकट इस्लामिया बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज, बरेली श्री इदरीश खान पता: 66, गोविन्दापुर, निकट इस्लामिया बड़ी मस्जिद, मदरसे वाली गली, सी0बी0 गंज बरेली	रुपये 3,80,413/- (रुपये तीन लाख अस्सी हजार चार सौ तेरह रुपये मात्र)। ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति स01 सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो गांव गोविन्दापुर, बरेली (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 197.49 वर्गमीटर है।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रूपये 26,35,000/- मात्र (रूपये छब्बीस लाख पैंतीस हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 2,63,500/- (दो लाख तिरसठ हजार पांच सौ मात्र) ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rais_khan_arshad_khan_1.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.21 आगरा संजय पैलेस शाखा (0686) A/c No.: 510101000278544 IFSC : CORP0000686	ऋणी : रंजीत सिंह पुत्र श्री राम प्रसाद पता: 06, बताशा मार्किट, नूरी दरवाजा, आगरा-282002 पता: द्वारा श्री उमेश चंद्र कश्यप, म.नं. 37, ग्राउंड फ्लोर, ऋषिपुरम कालोनी, सिकन्दरा, आगरा- 282007 पता: गांव बस सुवन, पो0 बेरी चाहर, तहसील खेरागढ़, आगरा -283102 गारंटर : मैसर्स श्रीमती राखी चौहान पुत्री रविन्द्र सिंह, पता: नंगला सिकन्दर, नंगला डल टूंडला, फिरोजाबाद -283204 पता: द्वारा श्री गोपाल द्वारा नाहर सिंह यादव, फ्लैट नं. एफ- 1, फर्स्ट फ्लोर, बलदेव आशियाना फ्लोर, गुरुलीन बहादुर एन्क्लेव गुरु के ताल, सिकन्दरा, आगरा- 282007 पता: खसरा नं. 388 शिव कुंज, मौजा बाजरपुर, आगरा -280007	रूपये 6,01,803/- (रूपये छः लाख एक हजार आठ सौ तीन मात्र)। ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति का समस्त भाग जिसके अन्तर्गत बन्धक सम्पत्ति एक रिहायशी प्लॉट/ मकान है जो कि खसरा नं0 388, शिव कुंज, मौजा बाजरपुर तहसील और जिला आगरा (उत्तर प्रदेश) में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति का क्षेत्रफल 55.73 वर्गमीटर है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं:- शिव चरन की प्लॉट उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में रमेश का प्लॉट, पश्चिम में अन्य प्लॉट, पूरब में 25 फुट चौड़ा रास्ता है।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रूपये 9,18,000/- मात्र (रूपये नौ लाख अठारह हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 91,800/- (रूपये इक्यानवे हजार आठ सौ मात्र)। ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ranjit_singh_3.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र.सं.22 बाजपुर शाखा (1632) A/c No.: 510101000593690 IFSC : CORP0001632	ऋणी : मैसर्स एस.एस. एसोसिएट, प्रोपराइटर अजहर अहमद पता : नगर पालिका रोड, मेन बाजार, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड - 262401 गारंटर : रियाज मौ0 खान पुत्र मौ0 शेरखान पता: वार्ड नं0 06, ईदगाह के समीप, मस्जिद के पास, गांव मुन्डिया पिस्तौर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर उत्तराखंड -262401	रुपये 13,99,657.18 (रुपये तेरह लाख निन्यानवे हजार छः सौ सत्तावन एवं पैसे अट्ठारह मात्र) + ब्याज एवं अन्य समस्त खर्चे

सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं0 1 सम्पत्ति का समस्त भाग खसरा नं0 100/8 मिनिमम क्षेत्रफल 155 वर्गफुट (और 139.405 वर्गमीटर) जो गांव भूना, इस्लाम नगर, तहसील बाजपुर, उधम सिंह नगर में स्थित है। सम्बन्धित सम्पत्ति की सीमायें इस प्रकार हैं:- पूरब दिशा में महेश की जमीन, पश्चिम दिशा में राजेन्द्र का मकान, उत्तर दिशा में हरपाल सिंह का मकान, दक्षिण दिशा रास्ता।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य : रूपये 9,46,000 मात्र (रूपये नौ लाख छियालिस हजार मात्र) जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि रूपये 94,600.00 (रूपये चौरानवे हजार छः सौ मात्र)
ई-ऑक्शन वेबसाइट : https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/s_s_associates_2.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–23 शाहजहानपुर 1150	उधारकर्ता: मै0 पी यू मशीनरी प्रो0 श्री उमा शंकर अवस्थी पुत्र स्वर्गीय दुर्गा शंकर अवस्थी पता मल्हार टॉकीज के पास, शाहजहांपुर –242001 गारंटर: सीता राम सक्सेना पुत्र स्वर्गीय राघव प्रसाद सक्सेना पता: सिविल लाइन एरिया (दुर्गा हॉस्टल के पीछे), शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश –242001	राशि रु. 5,05,738.50 / –(रुपए पांच लाख पांच हजार सात सौ अड़तीस रुपये पचास पैसे मात्र) ब्याज एव अन्य समस्त खर्च

संपत्ति का विवरण :– सम्पत्ति सं. 1 से संबंधित सभी हिस्सा और पार्सल एम आर के नाम पर मोहल्ला रोशन गंज जाफजारी, शाहजहांपुर में स्थित है। उमा शंकर अवस्थी पुत्र स्व0 दुर्गा शंकर अवस्थी। क्षेत्र का माप 130.80 वर्ग मीटर है। निम्नानुसार बंधा गया उत्तर श्री पप्पू यादव का घर दक्षिण श्री श्याम नाथ रस्तोगी की समाय पूर्व सी सी लेन पश्चिम श्री राम कुमार राठौर का घर।
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, 11:00 पूर्वाह्न से अपराह्न 02:00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रु। 14,93,000 / – (रुपए चौदह लाख तिरानवे हजार केवल) बयाना जमा करने के लिए रु। 1,49,300 / – (केवल एक लाख उनचास हजार तीन सौ) ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/p_u_machinery_0.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–24 शाहजहानपुर (1150)	उधारकर्ता : मै0 श्री महाकाल ट्रेडर्स प्रो0 विपिन कुमार गुप्ता पुत्र श्री कृष्ण बहादुर गुप्ता पता 275, मोहम्मद जाई, चित्रा टॉकीज के पास, शाहजहांपुर –242001 गारंटर : बृजेश कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय राज बहादुर गुप्ता पता 105, बेच्चा कटरा, शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश	राशि रु. 5,26,390 / –(रुपए पांच लाख छब्बीस हजार तीन सौ नब्बे रुपये मात्र) ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च

सम्पत्ति का विवरण :– सम्पत्ति सं. 1 मोहल्ला मोहम्मद जाई, तहसील सदर, जिला शाहजहांपुर में स्थित आवासीय घर से संबंधित संपत्ति के सभी हिस्से और पार्सल, क्षेत्र 153.47 वर्ग मीटर है। संपत्ति के मालिक श्री विपिन कुमार गुप्ता हैं। संपत्ति इस प्रकार है पूर्व गंगा राम, पश्चिम गली, उत्तर का घर चंदमान वडवानी का घर, दक्षिण घर का निकास।
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, 11:00 पूर्वाह्न से अपराह्न 02:00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रु 17,10,000 / – (रुपये सत्रह लाख दस हजार केवल) बयाना जमा करने के लिए रु 1,71,000 / – (केवल एक लाख इकहत्तर हजार केवल) ई–नीलामी वेबसाइट–https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/shree_mahakal_traders_0.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि रूपये
क्र.सं.–25 शाहजहानपुर 1150	उधारकर्ता : राकेश अग्निहोत्री पुत्र स्वर्गीय राम लालितेय अग्निहोत्री पता 329, गुलमर्ग कॉलोनी, ग्राम चिनौर पावरन रोड, शाहजहांपुर –242001 सह–आवेदक : – रेखा अग्निहोत्री पत्नी राकेश अग्निहोत्री पता : 329, गुलमर्ग कॉलोनी गांव चिनौर पावरन रोड, शाहजहांपुर –242001	राशि रु 8,62,533 / –(रुपए छः लाख बासठ हजार पांच सौ तैंतीस रुपये मात्र) ब्याज एव अन्य समस्त खर्च

संपत्ति का विवरण :– संपत्ति सं. 1 खसरा नंबर 136 में मौजूद गैर कृषि संपत्ति, क्षेत्र 150.9 वर्ग मीटर में ग्राम चिनौर, सदर, शाहजहांपुर में रेखा अग्निहोत्री के नाम पर है। उक्त संपत्ति इस प्रकार है। पूर्व 20 फीट कच्चा रास्ता, पश्चिम विक्रेता की जमीन, उत्तर 25 फीट कच्चा रास्ता, दक्षिण विक्रेता की जमीन।
ई–नीलामी की तिथि और समय 06.11.2019, 11:00 पूर्वाह्न से अपराह्न 02:00 बजे तक (10 मिनट असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) रिजर्व मूल्य रुपये 14,51,000 / – (रुपये चौदह लाख इक्यावन हजार रुपये मात्र) केवल रुपये जमा करने के लिए बयाना रुपये 1,45,100 / – (रुपए एक लाख पैंतालीस हजार ई–नीलामी वेबसाइट https: //www-corpbank-auctiontiger-net
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/rakesh_agnihotri_0.pdf में दिए गए लिंक को देखें।

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र. सं0 26 बाजपुर शाखा (1632) A/c No 510101000593690 IFSC -CORP0001632	ऋणी : 1 (ए) मैसर्स अम्बे ब्रिक फील्ड पार्टनर्स: 1. संजय पाठक, 2. समीर पाठक, 3. विश्वामित्र पाठक पता: ग्राम मलखदपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर -262401 गारंटर: 2 (ए) संजय पाठक पुत्र विश्वामित्र पाठक, पता: ग्राम मलखदपुर, बाजपुर -262401 2 (बी) समीर पाठक पुत्र विश्वामित्र पाठक, पता: ग्राम मलखदपुर, बाजपुर -262401 2 (सी) विश्वामित्र पुत्र दिगम्बर नाथ, पता: मकान नंबर 1, मलखदपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर -262401 2 (डी) आशा रानी पत्नी विश्वामित्र, पता: मकान नंबर 1, मलखदपुर, बाजपुर, उधम सिंह नगर -262401 2 (ई) रमेश गर्ग पुत्र सत्यपाल गर्ग, पता 18 शिवालय, वार्ड नंबर 09, राजेश कॉलोनी, बाजपुर -262401	रुपये– 9,97,889 / – (रुपये नौ लाख सत्तानवे हजार आठ सौ नवासी केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज।

सम्पत्ति का विवरण :– भूमि संपत्ति के सभी भाग और पार्सल आशा रानी पत्नी विश्वामित्र के नाम स्थित खसरा नंबर 30 / 2 मिन क्षेत्रफल 0.807 हेक्टे. मलखदपुर, बेरिया रोड बाजपुर।
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रुपये 48,51,000/- (रुपये अड़तालीस लाख इक्यावन हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: रुपये 4,85,100 (रुपये चार लाख पिचासी हजार एक सौ केवल)
बिक्री एव विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/ambay_brick_field_0.pdf

क्र. सं. / शाखा	ऋणी एवं जमानतदारों के नाम	बकाया धनराशि
क्र. सं0 27 रामपुर शाखा (1283) A/c No 510101000279996 IFSC- CORP0001283	ऋणी : 1 (ए) – श्री भूपेंद्र पाल सिंह उर्फ भूपेंद्र यादव, पता: मकान नंबर 52, ईडब्ल्यूएस नूर महल, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइन्स, रामपुर –244901 श्रीमती अनीता यादव पत्नी श्री भूपेन्द्र पाल सिंह, पता: मकान नंबर 52, ईडब्ल्यूएस नूर महल, आवास विकास कॉलोनी, सिविल लाइन्स, रामपुर –244901	रुपये– 7,00,000.00(रुपये सात लाख केवल) प्लस अन्य खर्च और आगामी ब्याज।

सम्पत्ति का विवरण :– संपत्ति 2 - संपत्ति मकान के सभी भाग और पार्सल स्थित नया गांव शाहबाद रोड तहसील सदर जिला रामपुर संपत्ति भूपेन्द्र पाल सिंह यादव के नाम पर सीमायें– पूर्व: अन्य लोगों की संपत्ति पश्चिम: 12 फीट चौड़ी रोड, उत्तर– अन्य लोगों की संपत्ति दक्षिण: सर्वेश कुमार की संपत्ति
ई–ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रुपये 8,50,000(रुपये तेरह लाख अस्सी हजार केवल), जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: रुपये 85,000/- (रुपये पिचासी हजार केवल बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें:
https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/bhupendra_pal_singh_alias_bhupendra_yadav.pdf

देश के रणनीतिक हित में है बीएसएनएल : प्रसाद

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने बृहस्पतिवार को कहा कि बीएसएनएल का अस्तित्व देश के रणनीतिक हित में है और सरकार कंपनी के समक्ष आ रही मुश्किलों को दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने माना कि दूरसंचार क्षेत्र में कुछ दिक्कतें हैं, जिनके ऊपर सरकार गौर कर रही है।

प्रसाद ने इंडिया इकोनॉमिक कांक्लेव में कहा कि बीएसएनएल देश के रणनीतिक हित में है। कहीं बाढ़ आए या चक्रवात, सबसे पहले बीएसएनएल की सेवाएं निशुल्क होती हैं। उनके राजस्व का 75 फीसद हिस्सा कर्मचारियों के वेतन पर खर्च हो जाता है, जबकि अन्य कंपनियों को इसके लिए पांच-दस फीसद ही खर्च करना पड़ता है। बीएसएनएल अपने कर्मचारियों को सितंबर महीने का वेतन नहीं दे पाई है। ऐसी खबरें हैं कि वित्त मंत्रालय बीएसएनएल और एमटीएनएल को बंद करना चाहता है।

प्रसाद ने कहा कि सरकार दूरसंचार क्षेत्र की दिक्कतों को भी दूर करना चाहती है, लेकिन सरकार यह भी उम्मीद करती है कि कंपनियां अपना नेटवर्क बेहतर बनाने और उपभोक्ताओं को अपनी सेवाओं से संतुष्ट करने की जिम्मेदारी निभाएंगी। उन्होंने देश में 5जी सेवाओं की शुरुआत के बारे में समयसीमा की जानकारी नहीं दी। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह भारत को 5जी से संबंधित बौद्धिक संपदा का केंद्र बनाना चाहते हैं। प्रसाद ने कहा कि हमने परीक्षण के लिए स्पेक्ट्रम दिया है। मैं चाहूंगा कि भारत 5जी से संबंधित बौद्धिक संपदा का केंद्र बने, लेकिन जहां तक 5जी का सवाल है, हमें इस बारे में सतर्कता से काम करना होगा कि दुनिया में किस तरह की पारिस्थितिकी विकसित होती है। उन्होंने कहा कि 5जी प्रौद्योगिकी से कई मुद्दे जुड़े हुए हैं।

पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कारखाने बंद हुए : मनमोहन

मुंबई, 17 अक्तूबर (भाषा)

पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने गुरुवार को केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि आर्थिक सुस्ती और सरकार के उदासीन रवैए की वजह से भारतीयों के भविष्य और आकांक्षाओं पर असर पड़ रहा है।

उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में राज्य की देवेंद्र फड़णवीस सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पिछले पांच साल में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कारखाने बंद हुए हैं। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में कारोबारी धारणा काफी कमजोर हुई है और इस वजह से लगातार कारखाने बंद हो रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान यहां पहुंचे मनमोहन सिंह ने मुद्रास्फीति के मामले में केंद्र को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मुद्रास्फीति को दबाए रखने की सनक से गुरुवार को किसान परेशान हैं। सरकार की आयात-निर्यात नीति ऐसी है जिससे समस्याएं खड़ी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष पर आरोप मढ़ने में जुटी है। वह समस्याओं का समाधान ढूंढने में पूरी तरह विफल रही है। केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार दोनों ही लोगों के अनुकूल नीतियां नहीं अपनाना चाहती हैं, जिससे लोग परेशान हैं।

सूचकांक 453 अंक उछलकर 39,000 के पार हुआ

मुंबई, 17 अक्तूबर (भाषा)।

वैश्विक बाजारों में तेजी के समर्थन से घरेलू शेयर बाजारों में भी गुरुवार को लगातार पांचवें कारोबारी सत्र में तेजी रही। बंबई शेयर बाजार के सूचकांक में गुरुवार को 453 अंक का उछाल दर्ज किया गया। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच ब्रेक्जिट समझौता होने की खबरों को निवेशकों ने हाथों-हाथ लिया।

वित्त मंत्री सीतारमण के और सुधारों को बढ़ाए जाने के संकेत के बाद घरेलू कारोबारियों में भी उत्साह दिखा। वित्त मंत्री ने अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को भारत में निवेश का आग्रह करते हुए प्रोत्साहन उपायों का संकेत दिया।

तीस शेयरों वाला सूचकांक बढ़त के साथ खुला ओर पूरे दिन सकारात्मक दायरे में रहा। अंत में यह 453.07 अंक यानी 1.17 फीसद की तेजी के साथ 39,052.06 अंक बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह ऊंचे में 39,104.69 और नीचे में 38,557.43 अंक तक गया।

नेशनल स्टाक एक्सचेंज का निफ्टी भी 122.35 अंक यानी 1.07 फीसद की बढ़त के साथ 11,586.35 अंक पर बंद हुआ। सूचकांक के शेयरों में येस बैंक सर्वाधिक लाभ में रहा। इसमें 15.19 फीसद की तेजी रही। उसके बाद क्रमसे टाटा मोटर्स, इंडसइंड बैंक, एसबीआई, बजाज आटो, एशियन पेंट्स, एक्सिस बैंक, टाटा स्टील और मारुति का स्थान रहा।

इनमें 9.82 फीसद तक की तेजी आई। वहीं दूसरी तरफ एचसीएल टेक, वेदांता, पावर ग्रिड, कोटक बैंक, इन्फोसिस, ओएनजीसी, टेक महिंद्रा, एल एंड टी और एचडीएफसी बैंक 1.04 फीसद तक नीचे आए। कारोबारियों के अनुसार घरेलू बाजार पर यूरोपीय शेयर बाजारों का असर रहा। ब्रिटेन और यूरोपीय संघ ने कहा कि वे लंबी बातचीत के बाद ब्रेग्जिट समझौते पर पहुंचे हैं। इसके अलावा चीन सरकार के अमेरिका से शुल्क युद्ध तुरंत समाप्त करने को लेकर बातचीत की अपील से भी बाजार धारणा को बल मिला। हालांकि, एशिया के अन्य बाजारों में शंघाई, हांगकांग, सोल और तोक्यो में मिला-जुला रुख देखने को मिला।

निवेश के लिए भारत से अच्छी कोई जगह नहीं : सीतारमण

वाशिंगटन, 17 अक्तूबर (भाषा)।

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि निवेशकों को पूरी दुनिया में भारत से बेहतर कोई जगह नहीं मिलेगी जहां लोकतंत्र में यकीन करने के साथ ही पूंजीवाद का सम्मान किया जाता है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आइएमएफ) मुख्यालय में बातचीत के एक सत्र में सीतारमण ने दुनिया भर के निवेशकों को आश्वासन दिया कि सरकार नए सुधार लाने पर निरंतर काम कर रही है।

उन्होंने बुधवार को कहा, 'यह (भारत) आज भी सबसे तेजी से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था है। इसके पास उत्कृष्ट कुशलता वाली श्रमशक्ति और ऐसी सरकार है जो सुधार के नाम पर जरूरी चीजों और इन सबसे ऊपर लोकतंत्र एवं विधि के शासन पर लगातार काम कर रही है।' निवेशक भारत में निवेश क्यों करें, इस सवाल के जवाब में सीतारमण ने कहा कि भले ही अदालती व्यवस्था में थोड़ी देरी हो जाती है लेकिन भारत एक पारदर्शी एवं मुक्त समाज है। उन्होंने कहा कि भारत में कानून व्यवस्था के साथ काम होता है और बहुत तेजी से सुधार हो रहे हैं, विलंबों को कम करने की दिशा में भी।

भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघों के संघ (फिक्की) और अमेरिका भारत रणनीतिक एवं साझेदारी फोरम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, 'इसलिए आपको भारत जैसा लोकतंत्र पसंद और पूंजीवाद का सम्मान करने जैसा स्थान नहीं मिलेगा।' भारतीय अर्थव्यवस्था की सुस्ती को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार राजकोषीय घाटे को और नहीं बढ़ने देने को लेकर प्रतिबद्ध है और सरकार 'संकटग्रस्त' क्षेत्रों की समस्या को सुलझाने के लिए कदम उठा रही है। सीतारमण ने कहा कि सार्वजनिक अवसंरचनाओं पर खर्च कर या लोगों के हाथ में पैसा देकर, इस दो आयामी दृष्टिकोण से उपभोग बढ़ाने को सुनिश्चित किया जा सकता है। यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है कि संकट जो कुछ क्षेत्रों तक सीमित है, उससे निपटा जा सके। वित्त मंत्री ने कहा कि यह प्रक्रिया निरंतर चलनी चाहिए तब तक कि अर्थव्यवस्था में सही मायने में ठोस प्रगति नहीं दिखती।

'नौ शहरों में आवास बिक्री जुलाई-सितंबर में 25 फीसद गिरी'

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

नौ प्रमुख शहरों में आवास बिक्री जुलाई-सितंबर अवधि में 25 फीसद गिरकर 65,799 इकाई रही। जबकि नई परियोजनाओं की पेशकश में 45 फीसद गिरावट दर्ज की गई। इसकी प्रमुख वजह ग्राहकी धारणा और मांग का कमजोर रहना है। रीयल एस्टेट ब्रोकिंग कंपनी प्रॉप टाइगर की एक रपट में यह जानकारी सामने आई है।

इस महीने की शुरुआत में एनारॉक और जेएलएल इंडिया ने भी सात प्रमुख शहरों में जुलाई-सितंबर अवधि में आवास बिक्री में 18 फीसद और एक फीसद गिरावट की रपट दी थी। न्यूज कॉर्प के समर्थन वाली प्रॉप टाइगर ने अपनी 'रीयल इंसाइट' रपट में कहा कि नौ प्रमुख शहरों में समीक्षावधि में 65,799 आवासीय इकाइयों की बिक्री हुई है। पिछले साल इसी अवधि में यह संख्या 88,078 इकाई थी।

वोडाफोन आइडिया का टीसीएस से करार पांच साल बढ़ा

नई दिल्ली,17 अक्तूबर (भाषा)

वोडाफोन आइडिया ने टाटा कंसल्टेंसी र्सिवसेज (टीसीएस) के साथ भागीदारी करार पांच साल के लिए बढ़ा दिया है। देश की सबसे बड़ी आइटी सेवा कंपनी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।

टीसीएस ने शेयर बाजारों को भेजी सूचना में कहा कि टीसीएस और वोडाफोन आइडिया लि.(वीआइएल) ने अपने दशक भर पुराने रणनीतिक करार का पांच साल के लिए और विस्तार कर दिया है। वीआईएल उपभोक्ताओं के अनुभव के विस्तार को आधुनिक प्रौद्योगिकियां अपना रही है। कंपनी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क एकीकरण कर रही है।

दिल्ली में टमाटर के दाम अब भी आसमान पर

नई दिल्ली,17 अक्तूबर (भाषा)।

दिल्ली में टमाटर के भाव अब भी आसमान पर बने हुए हैं। यह खुदरा बाजार में 60 से 80 रुपए प्रति किलोग्राम तक बिक रहे हैं। हालांकि, सरकार ने मदर डेयरी से सफल स्टोर पर टमाटर प्यूरी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए कहा है, लेकिन इसका बाजार पर कोई असर नहीं दिख रहा।

POST OFFER ADVERTISEMENT IN TERMS OF REGULATION 18(12) OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SUBSTANTIAL ACQUISITION OF SHARES AND TAKEOVERS) REGULATIONS, 2011, AS AMENDED ("SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011") WITH RESPECT TO THE OPEN OFFER TO THE PUBLIC EQUITY SHAREHOLDERS OF

SUNEDISON INFRASTRUCTURE LIMITED
(FORMERLY YKM INDUSTRIES LIMITED)

CIN: L40100TN1994PLC028263

Registered Office: 11th Floor, Bascon Futura, New No: 10/2, Old No: 56L, Venkatanarayana Road, T. Nagar, Chennai – 600 017. **Tel No:** 044-43405950; **Email id:** cscompliance@sunedisoninfra.com

OPEN OFFER TO PUBLIC SHAREHOLDERS OF SUNEDISON INFRASTRUCTURE LIMITED ("TARGET COMPANY"/ "SUNEDISON") FOR ACQUISITION OF 11,22,475 FULLY PAID UP EQUITY SHARES OF FACE VALUE ₹ 10/- EACH REPRESENTING 25.00% OF THE TOTAL PAID UP EQUITY SHARE CAPITAL ("VOTING SHARE CAPITAL") OF THE TARGET COMPANY FOR CASH, AT AN OFFER PRICE OF ₹ 13/- EACH BY AVYAN RENEWABLE SOLAR PRIVATE LIMITED ("ACQUIRER").

This **Post Offer Advertisement** is being issued by **Keynote Financial Services Limited ("Manager to the Offer")**, on behalf of the Acquirer in connection with the offer made in compliance with Regulation 18(12) of the SEBI (SAST) Regulations, 2011. This Post Offer Advertisement has to be read with Public Announcement issued on July 26, 2019 **("PA")**, the Detailed Public Statement published on August 02, 2019 **("DPS")** and Letter of Offer dated September 05, 2019 **("LOF")** dispatched to the public shareholders on September 12, 2019. The DPS with respect to the aforementioned Offer was published in **Financial Express** (all editions) - English National Daily, **Jansatta** (all editions) - Hindi National Daily, **Mumbai Lakshadeep** (Mumbai edition) - Marathi Regional Daily (regional language daily where the place of the stock exchange is situated) and **Makkal Kural** (Chennai Edition) - Tamil Regional Daily (regional language daily where registered office of the target company is situated).

1. Name of the Target Company : SunEdison Infrastructure Limited.
2. Name of the Acquirer : Avyan Renewable Solar Private Limited
3. Name of Manager to the Offer : Keynote Financial Services Limited.
4. Name of Registrar to the Offer : Cameo Corporate Services Limited.
5. Offer Details
   a. Date of opening of the Offer : Thursday, September 19, 2019
   b. Date of closing of the Offer : Thursday, October 03, 2019.
6. Date of Payment of Consideration : Wednesday, October 16, 2019.
7. Details of Acquisition

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document	Actual
7.1	Offer Price(₹)	13/-	13/-
7.2	Aggregate Number of Shares Tendered	11,22,475	5,31,811
7.3	Aggregate Number of Shares Accepted	11,22,475	5,31,811
7.4	Size of Offer (Number of Shares multiplied by offer price of shares) (₹)	1,45,92,175/-	69,13,543/-
7.5	Shareholding of the Acquirer before Agreements/Public Announcement (No. & %)	Nil	Nil

Sr. No.	Particulars	Proposed in the Offer Document		Actual	
		Number	% of Total Equity Share Capital	Number	% of Total Equity Share Capital
7.6	Shares Acquired by way of Agreements	16,83,713	37.50	13,91,869*	31.00
7.7	Shares Acquired by way of Open Offer	11,22,475	25.00	5,31,811	11.84
7.8	Shares Acquired after Detailed Public Statement	Nil	N.A	Nil	N.A
7.9	Post offer shareholding of Acquirer	28,06,188	62.50	19,23,680	42.84
7.10	Pre offer shareholding of the Public	11,22,475	25.00	11,22,475	25.00
7.11	Post offer shareholding of the Public	Nil	N.A	5,90,664	13.16

N.A– Not Applicable

*The Acquirer has entered into an Addendum Share Purchase Agreement dated October 07, 2019 wherein it has been agreed between the Acquirer and the Sellers that the Acquirer shall acquire 13,91,869 equity shares of ₹ 10/- each instead of 16,83,713 equity shares of ₹ 10/- each as agreed in the original Share Purchase Agreement Dated July 26, 2019.

8. The Acquirer along with its Directors severally and jointly accept full responsibility for the information contained in this Post Offer Advertisement and also for the obligations under SEBI (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers), 2011.
9. A copy of this Post Offer Advertisement will be available on the websites of SEBI, BSE Ltd and at the registered office of the Target Company.

ISSUED BY MANAGER TO THE OFFER ON BEHALF OF THE ACQUIRER

KEYNOTE

Keynote Financial Services Limited
(formerly Keynote Corporate Services Limited)
The Ruby, 9th Floor, Senapati Bapat Marg, Dadar (West), Mumbai – 400 028
Tel: +91-22- 6826 6000-3, **Fax:** +91-22- 6826 6088
E-mail: mbd@keynoteindia.net. **Website:** www.keynoteindia.net
Contact Person: Mr. Shashank Pisat, **SEBI Registration No.:** INM 000003606

For and on behalf of AVYAN RENEWABLE SOLAR PRIVATE LIMITED
Sd/-
Krishnan Venkatesan
Authorized Signatory

Place: Chennai
Date: October 17, 2019

कार्पोरेशन बैंक Corporation Bank

अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए बिक्री सूचना (ई-नीलामी द्वारा)
वित्तीय सम्पत्तियों के सुरक्षा और पुनर्निर्माण और सुरक्षा ब्याज अधिनियम, 2002 के प्रवर्तन के तहत अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री नोटिस सुरक्षा ब्याज (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा गया

इस प्रकार आम तौर पर जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं) को नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति सुरक्षित ऋणदाता के पास बंधक / चार्ज किया गया है, जिसका रचनात्मक कब्जा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा लिया गया है कार्पोरेशन बैंक (सुरक्षित लेनदार) के अधिकारी, नीचे बताए गए दिनांक पर 'जैसा है' और 'जो कुछ भी है' पर बेचा जाएगा, जैसा कि कार्पोरेशन बैंक से यहां उल्लिखित बकाया राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित उधारकर्ता(ओं) और गारंटीकर्ता(ओं)। रिजर्व प्राइस (न्यूनतम मूल्य) और कम से कम जमा किये जाने वाले अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट का भी यहां उल्लेख किया गया है।

क्र. सं. 1 शामली शाखा (0848) A/c No 51010100383718 IFSC Code-CORP0000848
ऋणी एवं जमानतदारों के नाम: ऋणी: 1 (ए) मैसर्स आलम मंसूरी जनरल स्टोर प्रोप. आलम मंसूरी पता: नौकुआ रोड, ... बुढ़ा बाबू शामली -247776 गारंटर: 2 (ए) श्री इकबाल मंसूरी पुत्र मोहम्मद शाकूर, पता: नौकुआ रोड, मोहल्ला बुढ़ा बाबू शामली -247776 2 (बी) श्री गुलजार मंसूरी पुत्र मोहम्मद शकूर, पता: नौकुआ रोड, मोहल्ला बुढ़ा बाबू शामली -247776
बकाया धनराशि: रुपये- 3,70,461/- (रुपये तीन लाख सत्तर हजार चार सौ इकसठ केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर)
सम्पत्ति का विवरण :- संपत्ति के सभी भाग और पार्सल दुकान गोडाउन के साथ स्थित ... वार्ड नंबर 4, बुढ़ा बाबू, शामली 247776 संपत्ति का क्षेत्रफल 52.86 वर्ग मीटर ... संपत्ति की सीमायें- पूर्व- सड़क ... [विक्रय विलेख का विवरण: बही नंबर 1, खंड संख्या 3085, पृष्ठ संख्या 35 / 58, क्रमांक 5184 दिनांक 15.05.2012 को रजिस्ट्रार कार्यालय शामली में]
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **12,26,000.00** /-(रुपये बारह लाख छब्बीस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **1,22,600/-** (रुपये एक लाख बाईस हजार छः सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/aalam_mansuri_general_store.pdf

क्र. सं. 2 रामनगर शाखा (1457) A/c No 520101258174064 IFSC Code-CORP0001457
ऋणी: 1 (ए) इन्डियन ब्रिक्स सप्लायर्स प्रो. शाकिर हुसैन पुत्र करीमुल्ला पता: ग्राम टांडा मल्लू, पोस्ट शिलकिया, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715 गारंटर: 2 (ए) ... प्रसाद सिंह पुत्र ... सिंह, पता: ... पीरूमदारा, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715
बकाया धनराशि: रुपये- 5,36,681.78/- (रुपये पांच लाख छत्तीस हजार छः सौ इक्यासी और अठत्तर पैसे केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर)
सम्पत्ति का विवरण :- संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित गांव टांडा मल्लू, तहसील रामनगर, नैनीताल में श्री शाकिर हुसैन पुत्र करीमुल्ला के नाम पर संपत्ति का क्षेत्रफल 116.03 वर्ग मीटर खसरा नंबर (प्लॉट नंबर) 84 / 1 मिन संपत्ति की सीमायें- पूर्व- 10 फुट चौड़ी कच्चा रास्ता, पश्चिम- ..., उत्तर- ... की भूमि, दक्षिण- विक्रेता की भूमि, बिक्री विलेख पंजीकृत एस. आर. रामनगर बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 386, पेज नंबर 363-388, क्रम संख्या 3533 दिनांक 14.09.2012
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **11,70,000.00/-** (रुपये ग्यारह लाख सत्तर हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **1,17,000.00/-** (केवल एक लाख सत्रह हजार रुपए)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/indian_bricks_suppliers.pdf

क्र. सं. 3 रामनगर शाखा (1457) A/c No 520101258174064 IFSC Code-CORP0001457
ऋणी: 1 (ए) खान प्लाई और माइका एंटरप्राईजेज प्रो. सलमा बेगम पत्नी शाकिर हुसैन, पता: ग्राम टांडा मल्लू, पोस्ट शिलकिया, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715 2 (ए) शाकीर हुसैन पुत्र करीमुल्लाह, पता: ग्राम टांडा मल्लू, पोस्ट शिलकिया, रामनगर, नैनीताल, उत्तराखंड -244715
बकाया धनराशि: रुपये- 2,44,072.38/- (रुपये दो लाख चवालिस हजार बहत्तर और अड़तीस पैसे केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर)
सम्पत्ति का विवरण :- संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित ग्राम शिलकिया, तहसील रामनगर, नैनीताल श्री शकीर हुसैन पुत्र करीमुल्ला के नाम पर। संपत्ति का क्षेत्रफल 30.20 वर्ग मीटर खसरा नंबर 852 / 2, खाता संख्या 213 संपत्ति की सीमायें- पूर्व- दुकान आबिद हुसैन की, पश्चिम- मोहम्मद फुरकान की दुकान, उत्तर- 10 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, दक्षिण- लिंक मार्ग। बिक्री विलेख पंजीकृत एस. आर. रामनगर में बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 132, पेज नंबर 25-52, क्रम संख्या 1075 दिनांक 26.05.2009
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **8,50,000.00/-** (रुपये आठ लाख पचास हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **85,000.00/-** (रुपये पिचासी हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/khan_ply_and_mica_enterprises.pdf

क्र. सं. 4 रामनगर शाखा (1457) A/c No 520101258174064 IFSC Code-CORP0001457
ऋणी: 1 (ए) मलिक ब्रिक सप्लायर प्रो. मोहम्मद अकरम पता: पीरूमदारा, रामनगर, जिला - नैनीताल, उत्तराखंड-244715 गारंटर्स:- 2 (ए) तायरा खातून पत्नी मोहम्मद अकरम पता: दुर्गापुरी, पीरूमदारा, रामनगर, जिला नैनीताल, उत्तराखंड-244715 2 (ए) राजेश पाल पुत्र रमेश पाल पता: 896, दुर्गापुरी पीरूमदारा, रामनगर, जिला नैनीताल उत्तराखंड-244715
बकाया धनराशि: रुपये- 2,44,072.38/- (रुपये दो लाख चवालिस हजार बहत्तर और अड़तीस पैसे केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर)
सम्पत्ति का विवरण :- ईएमजी संपत्ति स्थित खाता संख्या 104, खसरा नंबर (प्लॉट नंबर) 6 मिन, एरिया ई एस डब्ल्यू-25, एस-36 और एस-26, यानी 775 वर्ग फीट (72.02 वर्ग मीटर), ग्राम ... चौराहा, तहसील रामनगर, जिला नैनीताल श्रीमती तायरा खातून पत्नी अकरम के नाम पर। संपत्ति की सीमायें- पूर्व: ... पश्चिम: 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता, उत्तर: विमला देवी की भूमि, दक्षिण: 20 फीट चौड़ा कच्चा रास्ता
बिक्री विलेख पंजीकृत बुक नंबर 1, जिल्द नंबर 439, पृष्ठ संख्या 71-76, क्रम संख्या 3087 दिनांक 08.01.2014 रजिस्ट्रार रिकॉर्ड रामनगर, नैनीताल पर पंजीकृत है।
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **15,20,000.00/-** (रुपये पंद्रह लाख बीस हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **1,52,000.00** /- (रुपये एक लाख बावन हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/malik_brick_supplier.pdf

क्र. सं. 5 बुलंदशहर शाखा (0792) A/c No 520101208954968 IFSC Code-CORP0000792
ऋणी: 1 (ए) श्री मुकेश अग्रवाल पुत्र स्व. श्री महावीर प्रसाद, पता: 91, शीतल गंज इंटा रोरी, बुलंदशहर -203001
बकाया धनराशि: रुपये- 4,29,337/- (रुपये चार लाख उनतीस हजार तीन सौ सैंतिस केवल डिमांड नोटिस की तारीख के अनुसार)
सम्पत्ति का विवरण :- दृष्टि बंधक मारुति वैगन R LXI CNG (M) चेसिस नंबर MA3EWDE1S00B94675 और इंजन नंबर K10BN7895333 वाहन पंजीकरण संख्या UP13AT3863
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **3,00,000.00/-** (रुपये तीन लाख केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **30,000.00** /- (रुपये तीस हजार केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/mukesh_agrawal.pdf

क्र. सं. 6 काशीपुर शाखा (1284) A/c No 520101202371391 IFSC Code-CORP0001284
ऋणी: 1 (ए) मैसर्स उत्तराखंड केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्रो. बबिता चौहान, पता: ग्राम रामनगर, तहसील जसपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड-244712 गारंटर: 2 (ए) दिग्विजय सिंह पुत्र बाबू सिंह, पता: मौहल्ला भूप सिंह, वार्ड नंबर 8, जसपुर, उधम सिंह नगर 2 (बी) श्रीमती बबीता पत्नी श्री दिग्विजय सिंह, पता: मौहल्ला भूप सिंह, वार्ड नंबर 8, जसपुर, उधम सिंह नगर 2 (सी) अखिलेश चंद्र गुप्ता पुत्र श्री धर्मवीर गुप्ता, पता: मौहल्ला जुलाहन, वार्ड नंबर 4, राजपूत सभा भवन के पास, जसपुर, उधम सिंह नगर
बकाया धनराशि: रुपये- **1,49,31,342**/- (रुपये एक करोड़ उनचास लाख इकतीस हजार तीन सौ बयालिस केवल डिमांड नोटिस की तारीख पर)
सम्पत्ति का विवरण :-1. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित मौजा रामनगर तहसील जसपुर जिला उधमसिंह नगर खाता संख्या 00152, खसरा संख्या 442 मिन, क्षेत्रफल 4595 वर्ग मीटर श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें-पूर्व- ... पश्चिम-राजीव कुमार रघुवंशी की भूमि, उत्तर- श्रीमती पूनम अग्रवाल की भूमि, दक्षिण- सड़क (गिफ्ट विलेख दिनांक 20.01.2014 को पंजीकृत बही नंबर 01, जिल्द नंबर 184, पृष्ठ संख्या 363 / 368, क्रम संख्या 349 दिनांक 20.01.2014 को सब रजिस्ट्रार जसपुर पंजीकृत है)
2. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान स्थित मौहल्ला भूप सिंह, जसपुर जिला उधम सिंह नगर, क्षेत्रफल 50.33 वर्ग मीटर श्री दिग्विजय सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें:-पूर्व: बलवीर सिंह की भूमि, पश्चिम-रास्ता 12 फीट चौड़ी, उत्तर- ओमप्रकाश शर्मा का मकान दक्षिण: सुरेंद्र और नरेश का मकान।(गिफ्ट विलेख दिनांक 18.09.2002 पंजीकृत बही नंबर 01, जिल्द नंबर 1167, पृष्ठ संख्या 119 / 122, क्रम संख्या 3149 सब रजिस्ट्रार काशीपुर में पंजीकृत है।)
3. संपत्ति के सभी भाग और पार्सल मकान स्थित मौहल्ला भूप सिंह, तहसील जसपुर, उधमसिंह नगर क्षेत्रफल 55.76 वर्ग मीटर, श्रीमती बबीता पत्नी श्री दिग्विजय सिंह के नाम पर। संपत्ति की सीमायें:-पूर्व- बलवीर सिंह की संपत्ति, पश्चिम: रास्ता 12 फीट चौड़ा, उत्तर: गंगाराम की भूमि, दक्षिण: दिग्विजय सिंह का मकान (बिक्री विलेख दिनांक 11.11.2004 पंजीकृत बही नंबर 01, जिल्द नंबर 1307, पृष्ठ संख्या 177 / 180, क्रम संख्या 5335 दिनांक 11.11.2004 को सब रजिस्ट्रार काशीपुर में पंजीकृत है)
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: संपत्ति संख्या 1: संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 1,80,00,000 / – (रुपये एक करोड़ और अस्सी लाख केवल) संपत्ति संख्या 2: संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 16,50,000 / – (रुपये सोलह लाख पचास हजार रुपय केवल) संपत्ति संख्या 3: संपत्ति का आरक्षित मूल्य रु. 14,15,000 / – (रुपये चौदह लाख पंद्रह हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: संपत्ति संख्या 1: रु. 18,00,000 / – (रुपये अठारह लाख केवल), संपत्ति संख्या 2: रु. 1,65,000 / – (रुपये एक लाख पैंसठ हजार केवल), संपत्ति संख्या 3: रु. 1,41,500 / – (एक लाख इकतालिस हजार पांच सौ केवल) बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/uttrakhand_chemicals_industries.pdf

क्र. सं. 7 शामली शाखा (0848) A/c No 51010100383718 IFSC Code-CORP0000848
ऋणी: 1 (ए) श्री वकिल पुत्र लियाकत, पता: मकान नंबर 159, ग्राम पावटी कला, पोस्ट कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247776 1 (बी) श्रीमती रिहाना पत्नी श्री वकिल, पता: मकान नंबर 158, ग्राम पावटी कला, पोस्ट कैराना, जिला शामली, उत्तर प्रदेश-247776
बकाया धनराशि: रुपये- 7,06,704/- (रुपये सात लाख छः हजार सात सौ चार केवल डिमांड नोटिस की तारीख के अनुसार)
सम्पत्ति का विवरण :- आवासीय फ्लॉट के सभी भाग और पार्सल क्षेत्रफल 50.18 वर्ग मीटर श्री वकिल पुत्र श्री लियाकत के नाम पर संपत्ति स्थित ग्राम खेड़ी करमू, तहसील- शामली और जिला शामली। संपत्ति की सीमायें- पूर्व: जाहिद का मकान, पश्चिम: राजू का मकान, उत्तर: हाजी का मकान, दक्षिण- रोड। [बिक्री विलेख विवरण: बही संख्या 1, जिल्द नंबर 4285, पृष्ठ संख्या 72 / 82, क्रमांक 5018 दिनांकित 19.05.2015 पर सब रजिस्ट्रार कार्यालय, शामली]
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 19.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: रु **7,57,000.00** (रुपये सात लाख सतावन हजार केवल) जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **75,700** / – (रुपये पिचहत्तर हजार सात सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vakil.pdf

दिनांक : 17.10.2019 स्थान: शामली, बुलन्दशहर, रामनगर, काशीपुर प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक

क्र. सं. 28 आगरा आवास विकास शाखा (1728) A/c No 510101003284304 IFSC -CORP0001728
ऋणी: 1 (ए) मैसर्स अट्रैक्टिव क्रिएटर्स पता 305, मगवान लोक कॉम्प्लेक्स, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, सिकंदरा, बोदला, आगरा -282007 पार्टनर्स: 1 (बी) विजय भटनागर पुत्र आर बी एल भटनागर, पता: 16 / 230, आवास विकास, बोदला, सिकंदरा, आगरा -282007 1 (सी) पूनम भटनागर पत्नी विजय भटनागर, पता: 16 / 230, आवास विकास, बोदला, सिकंदरा, आगरा -282007 1 (डी) अर्पित सिंह पुत्र विजय भटनागर, पता: 305, मगवान लोक परिसर, कारगिल पेट्रोल पंप के पास, सिकंदरा, बोदला, आगरा -282007 पता: 38, मनीषा विहार, शास्त्रीपुरम, आगरा -282007
बकाया धनराशि: रुपये- 10,51,631.50 (रुपये दस लाख इक्यावन हजार छः सौ इकतीस और पचास पैसे केवल) तथा अन्य खर्च और आगामी ब्याज।
सम्पत्ति का विवरण :- संपत्ति के सभी भाग और पार्सल दुकान नं. 305, मगवान लोक कोमर्शियल कॉम्प्लेक्स, पश्चिम पुरी रोड, सिकंदरा, ... कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के सामने आगरा। संपत्ति का क्षेत्रफल 12.13 वर्ग मीटर। संपत्ति स्वामिनी श्रीमती पूनम भटनागर पत्नी विजय भटनागर। संपत्ति की सीमायें:-उत्तर: दुकान न. 304, दक्षिण: दुकान न. 206, पूर्व: आम रास्ता, पश्चिम: अन्य की संपत्ति। बिक्री विलेख का विवरण -संपत्ति बही संख्या 1, जिल्द न. 5832, पृष्ठ सं. 211 / 236, क्रम न. 5983, दिनांक 08.09.2008 में पंजीकृत हैं।
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.11.2019 प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **15,25,000.00** (रुपये पंद्रह लाख पच्चीस हजार केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **1,52,500.00** (रुपये एक लाख बावन हजार पांच सौ केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/attractive_creaters_0.pdf

क्र. सं. 29 आगरा आवास विकास शाखा (1728) A/c No 510101003284304 IFSC -CORP0001728
ऋणी: 1 (ए) मैसर्स सुरेश बाबू शू फैक्ट्री प्रो. सुरेश बाबू, पता: 45 / 2 ई / 31, राम नगर, जगदीशपुरा, आगरा -282002 1 (बी) राम रति देवी पत्नी सुरेश बाबू, पता: 45 / 2 ई / 31, नगला अजीता, राम नगर, जगदीशपुरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा -282002
बकाया धनराशि: रुपये- 9,87,585/- (रुपये नौ लाख सत्तासी हजार पांच सौ पिचासी केवल) तथा अन्य खर्च और आगामी ब्याज।
सम्पत्ति का विवरण :- आवासीय मकान के सभी भाग और पार्सल 45 / 2 ई / 31 नगला अजीता राम नगर, जगदीशपुरा, लोहामंडी वार्ड, आगरा श्रीमती राम रति देवी के नाम पर। संपत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर। संपत्ति की सीमायें- उत्तर: अन्य की संपत्ति, दक्षिण: दाता राम की संपत्ति, पूर्व: 3.05 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिम: 2.43 मीटर चौड़ी सड़क।
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **18,00,000.00** (रुपये अठारह लाख केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **1,80,000.00** (रुपये एक लाख अस्सी हजार केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/suresh_babu_shoe_factory_0.pdf

क्र. सं. 30 मेरठ साकेत शाखा (2104) A/c No 520101006555949 IFSC Code-CORP0002104
ऋणी: मैसर्स वसीम एंटरप्राइजेज प्रो. मोहम्मद वसीम अकरम अंसारी पता: मकान नंबर 173, नगला नगर, पुर्वी इस्लामाबाद, हापुड़ रोड, मेरठ -250001 गारंटर: मो. असलम अंसारी पुत्र मो. शराफत, पता: मकान नंबर 173, ... नगर, पुर्वी इस्लामाबाद, हापुड़ रोड, मेरठ -250001
बकाया धनराशि: रुपये- **18,92,575.00** (रुपये अठारह लाख बानवे हजार पांच सौ पिचहत्तर केवल) तथा अन्य खर्च और आगामी ब्याज।
सम्पत्ति का विवरण :- आवासीय संपत्ति के सभी भाग और पार्सल स्थित एमपीएल नंबर 31 (पुराना नंबर 20), खसरा नंबर 4408 एमआई का भाग, नौचंदी कालोनी, ... नगर, हापुड़ रोड, मेरठ। संपत्ति का क्षेत्रफल 83.61 वर्ग मीटर, संपत्ति मोहम्मद असलम अंसारी और श्री वसीम अकरम अंसारी पुत्र श्री शराफत हुसैन के नाम पर। सीमायें:- पूर्व: रास्ता 12' चौड़ा, पश्चिम: शराफत हुसैन का मकान, उत्तर- जाहिदीन का मकान, दक्षिण- अजहर का मकान।
ई-ऑक्शन की दिनांक और समय: 06.11.2019, प्रातः 11.00 से दोपहर 02.00 बजे तक
रिजर्व मूल्य: **20,00,000/-** (रुपये बीस लाख केवल)
जमा की जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि: **2,00,000/-** (रुपये दो लाख केवल)
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गया लिंक का संदर्भ लें: https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/vaseem_enterprises_0.pdf

क्र.सं. 31 बुलन्दशहर शाखा (0792) A/c No.: 520101208954968 IFSC : CORP0000792
ऋणी: 1(अ) नेगी प्रकाशन, प्रोपराइटर जगदीश सिंह नेगी, पता: हरिहर प्रेस कम्पाउन्ड, पुराने जेल के समीप, बुलन्दशहर-203001 गारंटर: 2(अ) श्रीमति हंसा नेगी पत्नि श्री जगदीश सिंह नेगी पता: हरिहर प्रेस कम्पाउन्ड, पुराने जेल के समीप, बुलन्दशहर 203001
बकाया धनराशि: रुपये 27,21,205.50 (रुपये सत्ताईस लाख इक्कीस हजार दो सौ पांच एवं पचास पैसे मात्र) +ब्याज एवं अन्य समस्त खर्च
सम्पत्ति का विवरण : सम्पत्ति सं. 1 सम्पत्ति का समस्त भाग रिहायशी मकान जगदीश सिंह नेगी पुत्र श्री आनन्द सिंह नेगी तथा श्रीमति हंसा नेगी पत्नि श्री जगदीश सिंह नेगी **निवासी** नेगी प्रकाशन, हरिहर प्रेस कम्पाउन्ड बुलन्दशहर-203001 जिसका **क्षेत्रफल** 91.19 वर्गमीटर, मौहल्ला भूड़ (धर्म ...), बुलन्दशहर में स्थित है। सम्बन्धित **सम्पत्ति की सीमायें** इस प्रकार है: पूरब दिशा में आर जी ..., पश्चिम दिशा में नानक चन्द का मकान, उत्तर दिशा में रास्ता कच्चा 30 फुट चौड़ा, दक्षिण दिशा में ... का भाग।
ई-ऑक्शन की दिनांक एवं समय : 06.11.2019, प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे के मध्य (10 मिनट के असीमित ऑटो एक्सटेंशन के साथ) **रिजर्व मूल्य :** रुपये 38,58,000/- मात्र (रुपये अड़तीस लाख अट्ठावन हजार मात्र) **जमा किये जाने वाली अर्नेस्ट मनी की धनराशि** रुपये 3,85,800/- (रुपये तीन लाख पिचासी हजार आठ सौ मात्र) **ई-ऑक्शन वेबसाइट :** https://www.corpbankauctiontiger.net
बिक्री एवं विस्तृत नियम एवं शर्तों के लिये दिये गये लिंक का संदर्भ लें : https://corpbank.com/sites/default/files/corpbank-page-files/tender/negi_prakashan_2.pdf

दिनांक : 17.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी, कार्पोरेशन बैंक
स्थानः बाजपुर, रामपुर, आगरा, बुलन्दशहर, बरेली, मेरठ, सहारनपुर, शाहजहांपुर, पचपेरा, किच्छा, पीलीभीत, रामनगर, रूद्रपुर, विकासनगर

पूर्वी चीन में दो अमेरिकी हिरासत में

बेजिंग 17 अक्तूबर (एएफपी)।

पूर्वी चीन में अंग्रेजी की शिक्षण कक्षाएं चलाने वाले दो अमेरिकी व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। दोनों की नियोक्ता कंपनी का कहना है कि उन्हें झूठे आरोपों में गिरफ्तार किया गया है। इदाहो आधारित कंपनी चाइना होरिजन ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा कि जैकब हरलान और अलीसा पीटरसन को पिछले महीने जिआंग्सु प्रांत से पकड़ा गया था।

जॉनसन-जुंके का एलान, ब्रेग्जिट समझौते पर सहमति

लंदन, 17 अक्तूबर (भाषा)।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने गुरुवार को कहा कि ब्रसेल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक से पहले ब्रिटेन और यूरोपीय संघ (ईयू) के वार्ताकारों के बीच ब्रेग्जिट समझौते पर सहमति बन गई है। ईयू आयोग के अध्यक्ष ज्यां क्लोद जुंके ने भी करार पर सहमति बनने की पुष्टि करते हुए कहा कि अब इसे यूरोपीय नेताओं के समक्ष चर्चा के लिए रखा जाएगा।

ईयू सम्मेलन में शामिल होने के लिए रवाना होने से पहले जॉनसन ने ट्वीट किया, 'हम बेहतरीन करार पर सहमति बनाने में सफल हुए हैं।' जुंके ने ट्वीट किया, 'जहां चाह, वहां करार और हमारे पास एक करार है। यह ईयू और ब्रिटेन के लिए निष्पक्ष और संतुलित है व यह समस्या का हल निकालने के लिए हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप है।' उन्होंने कहा, 'मैं यूरोपीय परिषद से करार को समर्थन देने की अनुशंसा करता हूं।'

ब्रिटेन और ईयू करार के कानूनी मसौदे पर काम कर रहे हैं लेकिन इसे लागू करने के लिए ब्रिटेन और ईयू की संसदों से मंजूरी लेनी होगी।

उत्तरी आयरलैंड के इनकार से ब्रेग्जिट करार पर खतरा मंडराया

ब्रसेल्स, 17 अक्तूबर (एएफपी)।

यूरोपीय संघ (ईयू) से सौहार्दपूर्ण तरीके से अलग होने की कोशिशों के बीच ब्रसेल्स में सदस्य देशों के नेताओं का शिखर सम्मेलन हो रहा है, लेकिन उत्तरी आयरलैंड के नेताओं की ओर से नाटकीय रूप से करार के मौजूदा मसौदे को खारिज किए जाने से फिर नए सिरे से पेंच फंस गया है।

ईयू और ब्रिटेन के वार्ताकार रात भर समझौते के मसौदे पर सहमति बनाने की कोशिश करते रहे जिसे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन संभवतः अपने समकक्ष के सामने रखेंगे।

उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) ने यह कहकर आशंका पैदा कर दी है कि वह अब भी इस करार का समर्थन नहीं करेगी। ब्रिटेन को 31 अक्तूबर तक ईयू से अलग होना है और जॉनसन इस समयसीमा में किसी करार पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

ब्रिटेन की ओर से वार्ता टीम का नेतृत्व ईयू से अलग होने के मामले के राज्यमंत्री स्टीफन बर्कले और ईयू वार्ता टीम का नेतृत्व माइकल बरनिये कर रहे हैं। दोनों पक्ष बुधवार को बातचीत के उस दौर में पहुंचे जहां समझौते पर सहमति को लेकर दबाव चरम पर है ताकि दो दिवसीय ईयू शिखर सम्मेलन के दौरान 28 सदस्य देशों के नेता उसे मंजूरी दे सकें। बहरहाल, अब भी यूरोपीय संघ, आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच सीमा शुल्क व कर व्यवस्था को लेकर गतिरोध बना हुआ है।

वैश्विक नेताओं के अकाउंट नियमों से पूरी तरह ऊपर नहीं : ट्विटर

सैन फ्रांसिस्को, 17 अक्तूबर (एपी)।

ट्विटर ने कहा कि विश्व के नेताओं को इसके उन प्रतिबंधों से पूरी तरह छूट नहीं है, जिसमें उपयोगकर्ता हिंसा की धमकी देते हैं या वेबसाइट पर आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। सैन फ्रांसिस्को की कंपनी ने अपने नियमों को स्पष्ट किया क्योंकि कुछ डेमोक्रेट सांसदों का कहना है कि वे चाहते हैं कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से हटाया जाए। ट्रंप इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बेरोकटोक संवाद के लिए करते हैं।

ट्विटर का कहना है कि वह किसी भी उपयोगकर्ता के खिलाफ अपनी नीतियों को लागू करेगा जब बाल यौन उत्पीड़न, किसी व्यक्ति को निजी सीधी धमकी देना या किसी की निजी सूचना को पोस्ट करना जैसे मामले सामने आते हैं। इससे प्रतीत होता है कि ट्रंप के अकाउंट को फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इस हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से ट्विटर ने ट्वीट को लेकर अपनी नीतियों के विस्तार की घोषणा की।

ट्विटर ने जून में कहा था कि इसके नियमों का उल्लंघन करने वाले वैश्विक नेताओं के ट्वीट अगर जनहित मूल्यों वाले हैं तो उन्हें चेतावनी दी जाएगी। ट्विटर ने मंगलवार को कहा कि वह किसी भी अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई करेगा, चाहे विश्व का कोई नेता हो या कोई और जो किसी व्यक्ति के खिलाफ स्पष्ट और सीधी धमकी देता है और यह संदर्भ पर भी निर्भर करेगा। ट्विटर ने कहा, 'संदर्भ क्या है? दुनिया का कोई नेता अगर सीधे किसी हस्ती से संवाद करता है या राजनीतिक व विदेश नीति के मुद्दों पर टिप्पणी करता है उस पर 'कार्रवाई होने की संभावना नहीं है।'

फिलीपीन में भूकम्प से एक की मौत, कई घायल

दवाओ (फिलीपीन), 17 अक्तूबर (एपी)।

दक्षिणी फिलीपीन में बुधवार देर रात आए भूकम्प में एक लड़की की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। इस भूकम्प में कई घर ढह गए और अफरा-तफरी में हजारों लोग घरों से बाहर आ गए।

अमेरिकी भूगर्भीय सर्वेक्षण ने जानकारी दी कि 6.4 तीव्रता वाले इस भूकम्प का केंद्र तटीय प्रांत सुल्तान कुदरत के शहर कोलंबियो से करीब आठ किलोमीटर (5 मील) दूर 14 किलोमीटर गहराई में था।

पुलिस ने जानकारी दी कि मागुइनडानाओ प्रांत के दातु पगलास शहर में एक घर की दीवार गिरने से एक लड़की की मौत हो गई।

उत्तरी कोटाबाटो के मलांग शहर के उप महापौर जोसेलिटो पिनोल ने कहा कि एक अस्पताल में भूकम्प से सुरक्षा व्यवस्था करने के दौरान सिंडर ब्लॉक गिरने से तीन लोग घायल हो गए। कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गईं और कुछ बिजली के खंभे उखड़ गए।

दवाओ डेल सर प्रांत के मैग्सेसे कस्बे में घर ढहने से 20 से अधिक ग्रामीण घायल हो गए। अधिकारियों ने बताया प्रांत के प्रमुख क्षेत्रीय परिवहन केंद्र किदापावान शहर में बिजली कट गई। इमारतों को हुए नुकसान का निरीक्षण करने के लिए गुरुवार को भूकम्प प्रभावित क्षेत्रों में स्कूलों में कक्षाएं नहीं लगीं।

अमेरिकी सांसदों को कश्मीर का मौजूदा हाल बताया

वाशिंगटन, 17 अक्तूबर (भाषा)।

अमेरिका में भारत के राजदूत हर्षवर्धन शृंगला ने बुधवार को अमेरिकी सांसदों को जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद राज्य के हालात और वहां शांति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी।

शीर्ष भारतीय राजनयिक ने पहली बार सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को कश्मीर की स्थिति के बारे में जानकारी दी, क्योंकि कई सांसदों ने कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को लेकर असंतोष जताया है।

जम्मू-कश्मीर के अधिकारियों ने कहा था कि 16 अगस्त से ही प्रतिबंधों को धीरे-धीरे हटाया जा रहा है और सितंबर के पहले हफ्ते तक ज्यादातर प्रतिबंधों को हटा दिया गया है। इस दिशा में प्रमुख कदम के तौर पर 14 अक्तूबर को सभी नेटवर्क की पोस्ट-पेड मोबाइल फोन सेवाओं को बहाल कर दिया गया।

> **शीर्ष** भारतीय राजनयिक ने पहली बार सदन की विदेश मामलों की समिति के सदस्यों को कश्मीर की स्थिति के बारे में जानकारी दी, क्योंकि कई सांसदों ने कश्मीर में लगे प्रतिबंधों को लेकर असंतोष जताया है।

कई कांग्रेस सदस्य जो समिति के सदस्य नहीं है, वे भी राजदूत की ब्रीफिंग में शामिल हुए और अधिकतर सांसद विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी के थे। ब्रीफिंग में कांग्रेस सदस्य अमी बेरा एकमात्र भारतीय-अमेरिकी सांसद थे।

शृंगला और यहां स्थित भारतीय दूतावास तथा न्यूयॉर्क, शिकागो, अटलांटा, ह्यूस्टन और सैन फ्रांसिस्को में स्थित वाणिज्य दूतावासों के अन्य राजनयिकों ने जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने के बाद सैकड़ों अमेरिकी सांसदों और उनके सहयोगियों से संपर्क कर अपनी बात रखी है।

पांच अगस्त को जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधानों को निरस्त करने के भारत सरकार के फैसले के बाद सरकार ने स्थित सामान्य करने के लिए कदम उठाए हैं।

सीरिया पर जुबानी जंग में उलझे ट्रंप और पेलोसी

वाशिंगटन, 17 अक्तूबर (भाषा)।

सीरिया से अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाए जाने के मुद्दे पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी के वाक्युद्ध में उलझने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अमेरिका की घरेलू राजनीति का स्तर गिर गया है। दोनों के बीच यह जुबानी जंग बुधवार को उस वक्त शुरू हुई जब व्हाइट हाउस ने डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स दोनों के शीर्ष समिति सदस्यों एवं नेतृत्व और कांग्रेस सदस्यों को सीरिया पर नीति के बारे में जानकारी देने के लिए बुलाया था। इस बैठक में दोनों नेताओं ने एक-दूसरे पर गंभीर रूप से भावुक होने के आरोप लगाए।

> **अमेरिका की राजनीति का स्तर गिरा**
>
> ट्रंप ने 79 वर्षीय डेमोक्रेटिक पार्टी नेता को ट्विटर पर 'बीमार व्यक्ति' बताया। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा, 'नैंसी पेलोसी को तुरंत मदद की जरूरत है। या तो उनके दिमाग में गड़बड़ी है या बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें हमारा महान देश पसंद नहीं।' ट्रंप ने कहा, 'वह आज वाइट हाउस में पूरी तरह भावुक हो गईं। यह देखना बहुत दुखद था। उनके लिए प्रार्थना करें, वह बहुत बीमार व्यक्ति हैं।'

कुछ घंटों बाद ट्रंप ने 79 वर्षीय डेमोक्रेटिक पार्टी नेता को ट्विटर पर 'बीमार व्यक्ति' बताया। ट्रंप ने ट्विटर पर कहा, 'नैंसी पेलोसी को तुरंत मदद की जरूरत है। या तो उनके दिमाग में गड़बड़ी है या बात सिर्फ इतनी है कि उन्हें हमारा महान देश पसंद नहीं।' ट्रंप ने कहा, 'वह आज वाइट हाउस में पूरी तरह भावुक हो गईं। यह देखना बहुत दुखद था। उनके लिए प्रार्थना करें, वह बहुत बीमार व्यक्ति हैं।' ट्रंप ने अन्य ट्वीट में कहा, 'किसी काम के नहीं डेमोक्रेट्स, पेलोसी और शूमर।'

ट्रंप ने वाइट हाउस बैठक कक्ष की एक तस्वीर भी ट्वीट की जिसके साथ लिखा, 'घबराई नैंसी पागलों की तरह भावुक हुई।' पेलोसी ने तुरंत इसको अपने ट्विटर प्रोफाइल का कवर पेज बना लिया। सांसद चक शूमर ने वाइट हाउस में संवाददाताओं को बताया कि ट्रंप ने पेलोसी को 'तीसरे दर्जे की नेता' कह कर उनका अपमान किया। डेमोक्रेट्स ने कहा कि पेलोसी के अपमान के खिलाफ उन्होंने बैठक से वॉकआउट किया।

पेलोसी ने संवाददाताओं से कहा, 'सबसे दुखद यह है कि मैं हर वक्त राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करती हूं और मैंने उन्हें बताया कि मैं उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करती हूं। मेरे विचार में अब हमें उनकी सेहत के लिए भी प्रार्थना करनी होगी।' एक सवाल पर पेलोसी ने स्पष्ट किया कि वह राष्ट्रपति की मानसिक सेहत के लिए बात नहीं कर रहीं हैं बल्कि सच का सामना करने के तरीके के बारे में कह रही हैं। वाइट हाउस की प्रेस सचिव स्टेफनी ग्रिशम ने ट्रंप के व्यवहार का बचाव किया और कहा कि उनका व्यवहार संयत था।

फ्रांस के विदेश मंत्री ने आइएस के कैदियों पर इराक से वार्ता की

बगदाद, 17 अक्तूबर (एएफपी)।

फ्रांस के शीर्ष राजनयिक ने बगदाद में गुरुवार को उत्तरी सीरिया से विदेशी आतंकवादियों को स्थानांतरित करने पर वार्ता की ताकि उन पर इराक में मुकदमा चलाया जा सके। उत्तर सीरिया में तुर्की के हवाई हमले के कारण बड़ी संख्या में कैदी जेल तोड़ कर फरार हो रहे हैं।

> **यूरोपीय** सरकारें चिंतित हैं कि तुर्की के अभियान के कारण इस्लामिक स्टेट (आइएस) के करीब 12 हजार संदिग्ध लड़ाके फरार हो जाएंगे जिन्हें सीरिया के कुर्दों ने गिरफ्तार कर रखा है। इनमें हजारों विदेशी लड़ाके शामिल हैं।

यूरोपीय सरकारें चिंतित हैं कि तुर्की के अभियान के कारण इस्लामिक स्टेट (आइएस) के करीब 12 हजार संदिग्ध लड़ाके फरार हो जाएंगे जिन्हें सीरिया के कुर्दों ने गिरफ्तार कर रखा है। इनमें हजारों विदेशी लड़ाके शामिल हैं।

फ्रांस के विदेश मंत्री ज्यां वेस ले द्रायं की इराक के विदेश मंत्री मोहम्मद अली अल-हकीम, राष्ट्रपति बरहम सालेह और प्रधानमंत्री अदेल अब्देल महदी के साथ वार्ता में यह मुद्दा शीर्ष एजेंडा में शामिल था।

ले द्रायं ने फ्रांस के टीवी चैनल बीएफएम को बुधवार को बताया, 'हमें इराक के अधिकारियों के साथ मिलकर मुद्दों का समाधान करने की जरूरत है ताकि हम न्यायिक व्यवस्था में इन सभी लड़ाकों के साथ न्याय करने का रास्ता तलाश सकें जिनमें फ्रांसीसी लड़ाके भी शामिल हैं।' फ्रांस के राजनयिक सूत्रों ने कहा कि इसका उद्देश्य विदेशी आतंकवादियों पर न्याय के सिद्धांतों और मानवाधिकारों का पालन करते हुए इराक की अदालतों में मुकदमा चलाना है।

इसमें एक मुद्दा इराक में मौत की सजा का होगा जो पूरे यूरोपीय संघ में प्रतिबंधित है।

बेल्जियम, ब्रिटेन, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन ने स्थिति का आकलन करने के लिए इस हफ्ते बगदाद में टेक्निकल मिशन पर अधिकारियों को भेजा था। आइएस पर इराक के विशेषज्ञ हिशाम अल हाशमी ने 'एएफपी' को बताया कि अमेरिकी, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और इराकी अधिकारियों के बीच जेलों के निर्माण को लेकर वार्ता चल रही है।'

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA
(Set up by an Act of Parliament)
ICAI Bhawan, Indraprastha Marg, New Delhi-110002

NOTICE INVITING TENDERS

ICAI invites sealed tenders under two bid systems from reputed, experienced and financially sound manpower service providers for providing Casual Manpower (Unskilled, Semi-skilled, Skilled Category) on outsource basis for its offices located at C-1, Sector-1 and A-29, Sector-62, Noida. The tender forms can be downloaded from ICAI's website www.icai.org. The last date for submission of sealed tender is 08th November, 2019 upto 2.00 P.M.

Acting Secretary, ICAI

फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
पंजी. कार्यालय : दानी कारपोरेट पार्क, 5वां तल, 158, सीएसटी रोड, कलीना, सांताक्रूज (पू), मुंबई-400098, फोन : 022-6741 2314, फैक्स : 022-6741 2313
सीआईएन : यू67190एमएच2007पीटीसी168303 ई-मेल : info@phoenixarc.co.in
वेबसाइट : www.phoenixarc.co.in

शुद्धिपत्र

16 अक्टूबर, 2019 को प्रकाशित बिक्री सूचना में सबसे नीचे वर्णित तिथि एवं स्थान 16 अक्टूबर, 2019 के स्थान पर 11 अक्टूबर, 2019 और स्थान नई दिल्ली के स्थान पर नोएडा के रूप में पढ़ें। प्रकाशित बिक्री सूचना की अन्य विषयवस्तु पूर्ववत रहेगी।

प्राधिकृत अधिकारी
वास्ते फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड
(फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 20-1 की ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

स्थान : नोएडा
तिथि : 17-10-2019

सिंडिकेटबैंक SyndicateBank

BRANCH - DEHRA.

कब्जा नोटिस
8(1), नियम के तहत, सुरक्षा प्रवर्तन नियम, 2002

जैसा कि अधोहस्ताक्षर कर्ता ने वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत सिंडिकेट बैंक देहरा शाखा का प्राधिकृत अधिकारी होते हुए तथा धारा 13(2) सहपठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 27.06.2019, को मांग नोटिस जारी किया था जिसमें उधारकर्ता तारा चन्द, मनवीरी पत्नि तारा चन्द, ब्रह्म सिंह पुत्र होती राम खाताधारक हैं को मांग नोटिस की प्राप्ति के 60 दिनों के भीतर राशि रू.-4,54,467.25/- (रूपये चार लाख चउवन हजार चार सौ सड़सठ और पच्चीस पैसा केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

ऋणी द्वारा धनराशि अदा न करने पर ऋणी तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(4) सपठित उक्त अधिनियम के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 16 अक्टूबर 2019 को निम्नलिखित वर्णित संपत्तियों का कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से संपत्तियों के मालिक तथा आम तौर पर जनता को इस संपत्ति के संबंध में कोई भी लेन-देन न करने की चेतावनी दी जाती है। इस संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन सिंडिकेट बैंक, देहरा शाखा को देय धनराशि रू.-4,57,952.03/- (रूपये चार लाख सत्तावन हजार नौ सौ बावन और तीन पैसा केवल) अदा करने को तथा उस पर ब्याज अदा करने को कहा गया था।

अचल संपत्तियों का विवरण

एक आवासीय मकान जिसकी माप 51 स्क्वेयर यार्ड हसनपुर लोधा, जिला हापुड़ मालिक मनवीरी। **जिसकी सीमाएँ- उत्तर** में श्री रनवीर का घर, **दक्षिण** में राम सिंह का घर, **पूर्व** में राज सौ. का घर और **पश्चिम** में रास्ता 9 फिट चौड़ा।

दिनांक: 16.10.2019
स्थान: देहरा।

प्राधिकृत अधिकारी
सिंडिकेट बैंक, क्षेत्रीय कार्यालय

Arcil

एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि. (अर्सिल)
मै. उदय इस्टेट्स प्रा. लि. से संबंधित वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिये स्थापित ट्रस्ट(टों) के ट्रस्टी की हैसियत से कार्यरत
अर्सिल कार्यालय: द रूबी, 10वां तल, 29, सेनापति बापत मार्ग, दादर (वेस्ट) मुम्बई-400028
वेबसाईट: www.arcil.co.in, CIN: U65999MH2002PLC134884

बिक्री के लिये सार्वजनिक सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 6(2) तथा नियम 8(6) तथा नियम 9(1) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल एवं चल परिसम्पत्तियों की बिक्री के लिये ई नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से मै. उदय इस्टेट्स प्रा. लि. (ऋणधारक) तथा गारंटरों श्री अजय गुप्ता, श्री अभिशेक गुप्ता, श्री प्रदीप गुप्ता, श्री अंकुर गुप्ता, मै. गणपति बिल्डटेक प्रा. लि., मै. रोशन फ्रॉजेन कोल्ड स्टोरेज एवं मै. सभरवाल फूड इंडस्ट्रीज प्रा. लि. (''गारन्टरों'') को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास हाइपोथेकेटेड/मार्टगैज/बंधक रखी गई नीचे वर्णित चल एवं अचल सम्पत्ति जिसका एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड-प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है की एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये आगे के ब्याज एवं लागत के साथ 11 जून, 2012 को रु. 799384596/- (रुपए उन्यासी करोड़ तिड़ानवे लाख चौड़ासी हजार पांच सौ छियानवे मात्र) की वसूली के लिये ''जैसा है जहां है'', ''जो भी जैसा है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है आधार'' पर 4 नवंबर, 2019 को बिक्री की जायेगी। आरक्षित मूल्य रु. 86 करोड़ (रुपये छियासी करोड़ मात्र) है। धरोहर राशि भुगतान रु. 8.60 करोड़ (रुपए आठ करोड़ साठ लाख) मात्र होगी।

सम्पत्ति का विवरण:

ऋणधारक के नाम में डिस्ट्रिक्ट सेन्टर, शास्त्री पार्क, दिल्ली-53 में स्थित फ्री होल्ड भूमि, प्लॉट नं. 1 (होटल प्लॉट) एरिया माप 3860 वर्ग मीटर एवं उस पर भवन* जिसकी चौहद्दी इस प्रकार हैः पूर्वः 18 मीटर चौड़ी सड़क, पश्चिमः ग्रीन, उत्तरः रोड/ विद्यमान ईएसएस, दक्षिणः पार्किंग क्षेत्र

*** शामिल नहीं हैः 1) शॉप नं. जी 1, जी 2, जी 3, जी 4, जी 5 एवं जी 6, उपरोक्त सम्पत्ति के भूतल में पड़ी स्टॉक/ इन्वेन्टरी तथा ii) शाप नं. एफ-1 में प्रथम तल पर पड़ी इन्वेन्टरी/ स्टॉक/ विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया नीचे वर्णित लिंक देखें।**

अर्सिल को ज्ञात अधिभारोंः अर्सिल को ज्ञात नहीं।

इसके अतिरिक्त बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड-प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट अर्थात् **http://www.arcil.co.in** में दी गई लिंक देखें तथा अर्सिल के अधिकारी अर्थात् श्री मेराज सैयद (022-66248655/9820485425) श्री अमरेन्द्र म्यूलाय (9821152080) से सम्पर्क करें।

स्थानः मुम्बई
तिथिः 18 अक्टूबर, 2019

प्राधिकृत अधिकारी
एसेट रीकन्स्ट्रक्शन कम्पनी (इंडिया) लि.

Form A
PUBLIC ANNOUNCEMENT
(Under Regulation 6 of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)
FOR THE ATTENTION OF THE CREDITORS OF EMU LINES PRIVATE LIMITED

RELEVANT PARTICULARS		
1.	Name of corporate debtor	EMU LINES PRIVATE LIMITED
2.	Date of incorporation of corporate debtor	27/07/1998
3.	Authority under which corporate debtor is incorporated / registered	RoC- Delhi
4.	Corporate Identity No. / Limited Liability Identification No. of corporate debtor	U63040DL1998PTC095106
5.	Address of the registered office and principal office (if any) of corporate debtor	201/36-A, SIDDHARTH CHAMBERS II KALU SARAI, HAUZ KHAS, NEW DELHI - 110016
6.	Insolvency commencement date in respect of corporate debtor	15.10.2019
7.	Estimated date of closure of insolvency resolution process	12.04.2020, 180 days from the commencement of the CIRP
8.	Name and registration number of the insolvency professional acting as interim resolution professional	Ashok Kriplani IBBI/IPA-003/IP-N00009/2016-17/10071
9.	Address and e-mail of the interim resolution professional, as registered with the Board	**10/18, 1st Floor, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60 ashok.kriplani1956@gmail.com**
10.	Address and e-mail to be used for correspondence with the interim resolution professional	**17/13, GF, Old Rajinder Nagar, New Delhi-60 emulinescirp@gmail.com**
11.	Last date for submission of claims	29.10.2019
12.	Classes of creditors, if any, under clause (b) of sub-section (6A) of section 21, ascertained by the interim resolution professional	N/A
13.	Names of Insolvency Professionals identified to act as Authorised Representative of creditors in a class (Three names for each class)	N/A
14.	(a) Relevant Forms and (b) Details of authorized representatives	Weblink: https://www.ibbi.gov.in/home/downloads

Notice is hereby given that the National Company Law Tribunal has ordered the commencement of a corporate insolvency resolution process of the **EMU LINES PRIVATE LIMITED** on 15/10/2019.

The creditors of **EMU LINES PRIVATE LIMITED**, are hereby called upon to submit their claims with proof on or before 29/10/2019 to the interim resolution professional at the address mentioned against entry No. 10.

The financial creditors shall submit their claims with proof by electronic means only. All other creditors may submit the claims with proof in person, by post or by electronic means.

Submission of false or misleading proofs of claim shall attract penalties.

Name and Signature of Interim Resolution Professional : Sd/- Ashok Kriplani
Date and Place : 17/10/2019, New Delhi

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण कार्य मामले)
मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- अल्पकालीन पुनर्निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा सख्या:- 130/RI/2019-20/RDD(RWA)/CHAIBASA दिनाक- 17.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आइडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रुपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि	टेन्डर कॉल नं0
1.	RDD(RWA)/ CHAIBASA /08/ 2019-20	चाईबासा-चक्रधरपुर मुख्य पथ (तुरूबलाई) से पुरनियाँ भाया चोंदमारी, गालुहासा, बलीराजावासा तक पथ का सुदृढीकरण कार्य (ल- 12.300 कि0 मी0)	2,94,32,845.00	दो करोड़ चौरानवे लाख बत्तीस हजार आठ सौ पैंतालीस रू0 मात्र	18 माह	द्वितीय

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 23.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 01.11.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 04.11.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 05.11.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता:- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमंडल, चाईबासा के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मेन्ट सेल

PR 220167 Rural Work Department (19-20)_D

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मा0) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 178/2019-20/RDD(RWA)/GARHWA दिनांक : 17.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1	RDD(RWA)/ GARHWA/22/ 2019-20	मझिआंव मेन रोड, गोपालपुर मोड़ से जतरी बंजारी रोड भाया तरहे एवं कुसुमियादामर तक पथ का सुदृढीकरण कार्य (ल-10.280 कि0मी0)	3,04,46,200.00	तीन करोड़ चार लाख छियालीस हजार दो सौ रू0 मात्र	15 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि- 25.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 06.11.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियत्रण कक्ष, रांची से निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 07.11.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय - 08.11.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता - मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), कार्य प्रमंडल, **गढ़वा** के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मेन्ट सेल

PR 220155 (Rural Work Department)19-20#D

झारखंड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले) मुख्य अभियंता का कार्यालय
102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, कचहरी रोड, रांची

ई- निविदा आमंत्रण सूचना

ई-निविदा संख्या:- 177/2019-20/RDD(RWA)/JAMSHEDPUR दिनांक :- 17.10.2019

मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग(ग्रा0का0मा0), झारखंड, रांची द्वारा निम्न विवरण के अनुसार e-procurement पद्धति से निविदा आमंत्रित की जाती है।

क्र0 सं0	आईडेन्टी फिकेशन संख्या / पैकेज संख्या	कार्य का नाम	प्राक्कलित राशि (रूपये में) अंक में	अक्षर में	कार्य समाप्ति की तिथि
1	RDD(RWA)/ JAMSHEDPU R /11/ 2019-20	प्रखण्ड पोटका पंचायत कोवाली के ग्राम चाउरडीह चौक से लोहोमोचा, पहाड़पुर, कालीयाबेड़ा से होते हुए कुन्दुकोचा गोल्ड माईन्स तक पथ का सुदृढीकरण कार्य (ल- 7.600 कि0मी0)	1,84,74,700.00	एक करोड़ चौरासी लाख चौहत्तर हजार सात सौ रू0 मात्र	12 माह

2. वेबसाईट में निविदा प्रकाशन की तिथि:- 25.10.2019
3. ई-निविदा प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय:- 06.11.2019 अपराह्न 5.00 बजे।
4. जिला नियंत्रण कक्ष, रांची में निविदा शुल्क, अग्रधन की राशि, शपथ पत्र के मूल प्रति एवं अपलोड किये गये तकनीकी योग्यता दस्तावेज की एक प्रति जमा करने की तिथि:- 07.11.2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 3.30 बजे तक।
5. निविदा खोलने की तिथि एवं समय:- 08.11.2019 पूर्वाह्न 11.30 बजे।
6. निविदा आमंत्रित करने वाले पदाधिकारी का नाम एवं पता- मुख्य अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), झारखंड, रांची, 102, द्वितीय तल्ला, अभियंत्रण भवन, रांची।
7. ई-निविदा प्रकोष्ठ का दूरभाष सं0- 0651-2207818
8. निविदा शुल्क भारतीय स्टेट बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट के रूप में कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा0का0मामले), कार्य प्रमंडल, **जमशेदपुर** के पक्ष में भुगतेय होगा जो लौटाया नहीं जायेगा।

विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट jharkhandtenders.gov.in में देखा जा सकता है।

नोडल पदाधिकारी
ई-प्रोक्युर्मेन्ट सेल

P.R. 220156 Rural Work Department(19-20)-D

पीएमसी बैंक का पूर्व निदेशक 22 तक पुलिस रिमांड पर

मुंबई, 17 अक्तूबर (भाषा)।

मुंबई की एक अदालत ने पंजाब एंड महाराष्ट्र को-आपरेटिव (पीएमसी) बैंक घोटाले में बैंक के पूर्व निदेशक सुरजीत सिंह अरोड़ा को 22 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। अरोड़ा को मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्लू) ने गिरफ्तार किया था। इस घोटाले की जांच कर रही आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि अरोड़ा ने अपने पद का 'दुरुपयोग' करते हुए इस घोटाले में सहयोग किया।

अदालत ने बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक जॉय थॉमस को भी गुरुवार को पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अरोड़ा को आर्थिक अपराध शाखा ने बुधवार को गिरफ्तार किया था। पीएमसी बैंक के 4,355 करोड़ रुपए के घोटाले के सिलसिले में अरोड़ा को जांच एजंसी ने तलब किया था। उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अरोड़ा को गुरुवार को मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट एसजी शेख की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने उन्हें 22 अक्तूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया। इस मामले में गिरफ्तार होने वाले अरोड़ा पांचवें आरोपी हैं।

> आर्थिक अपराध शाखा ने कहा कि अरोड़ा ने अपने पद का 'दुरुपयोग' करते हुए इस घोटाले में सहयोग किया।

आर्थिक अपराध शाखा के एक अधिकारी ने कहा कि अरोड़ा पीएमसी बैंक में निदेशक रह चुके हैं। वे बैंक की ऋण समिति में भी थे। घोटाले में उनकी भूमिका सामने आई है। वह ऋण मंजूर करने की प्रक्रिया में शामिल रहे हैं। अधिकारी ने कहा कि एचडीआइएल समूह को व्यापक स्तर पर ऋण सुविधा दी गई, जिसमें घोटाला हुआ। अरोड़ा ने इस कथित घोटाले को 'संरक्षण' दिया।

ईओडब्लू ने पहले ही अदालत को सूचित किया है कि बैंक अधिकारियों ने एचडीआइएल के 44 ऋण खातों को 21,049 फर्जी खातों से बदला ताकि रियल एस्टेट समूह की ऋण भुगतान में असफलता को छिपाया जा सके। बैंक के मौजूदा संकट की यह प्रमुख वजह है। जांच एजंसी ने कहा कि अन्य आरोपियों के साथ मिलकर अरोड़ा ने इस घोटाले में भूमिका निभाई। एजंसी ने कहा कि अरोड़ा को निदेशक मंडल में बैंक के कामकाज के बेहतर संचालन के लिए शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया।

अरोड़ा और थॉमस के अलावा इस घोटाले में एचडीआइएल के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक राकेश वधावन, उनके पुत्र सारंग वधावन और पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

फिलहाल जेल में रहना होगा नीरव को, अगली सुनवाई 11 नवंबर को

लंदन, 17 अक्तूबर (भाषा)।

ब्रिटेन की एक अदालत ने भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी को 11 नवंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का गुरुवार को आदेश दिया। हिरासत की नियमित सुनवाई के लिए लंदन की जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में उसकी पेशी हुई। वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत की न्यायाधीश नीना टेम्पिया ने पुष्टि की कि मोदी के प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई अगले साल 11 से 15 मई के बीच होनी है और उसे हर 28 दिन में 'अंतिम समीक्षा सुनवाई' के लिए वीडियो लिंक के जरिए पेश होना होगा जब तक कि अगली फरवरी से मुकदमा शुरू नहीं हो जाता।

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के साथ करीब दो अरब डॉलर की धोखाधड़ी करने एवं धनशोधन के आरोप में नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित किए जाने के मामले के संबंध में यह सुनवाई चल रही है। नीरव मोदी को स्कॉटलैंड यार्ड के अधिकारियों ने 19 मार्च को गिरफ्तार किया था और वह तब से ही दक्षिण-पश्चिम लंदन की वैंड्सवर्थ जेल में बंद है।

SBI भारतीय स्टेट बैंक, तनावग्रस्त आस्ति प्रबंधन शाखा–I
12वां तल, जवाहर व्यापार भवन, एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉलस्टॉय मार्ग, जनपथ, नई दिल्ली–110001, फोन: 011-23701070, 23701097, 23701157, 23701167, 23701195, फैक्स: 23701202, ई-मेल: sbi.04109@sbi.co.in

शुद्धिपत्र

दिनांक 07.10.2019 को इस समाचार पत्र, दिल्ली संस्करण में छपे विज्ञापन ई–नीलामी सूचना के संदर्भ में आम जनता को सूचित किया जाता है कि खाता मैसर्स 4 जीनियस माइंडस् प्रा. लि., (क्र.सं. 4) की सम्पत्तियों की ई–नीलामी दिनांक 05.11.2019 को होनी है। संशोधित आरक्षित मूल्य और धरोहर राशि निम्न प्रकार पढ़ा जाए:

नीलामी के अधीन आवृत्त प्रभारित प्रतिभूति का पता	संशोधित आरक्षित मूल्य / संशोधित धरोहर राशि / वृद्धि राशि
रिहायशी सम्पत्ति का वह समस्त भाग एवं अंश जोकि भूमि एवं भवन मकान नं. एम–48, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–1, नई दिल्ली–110048 में स्थित (प्लॉट क्षेत्रफल 510 वर्ग गज) और चल (स्थायी रूप से चिपका नहीं) घरेलू सामान जोकि मकान नं. एम–48, ग्रेटर कैलाश, पार्ट–I, नई दिल्ली–110048 में रखा है, वैध प्रभार और लागत वसूलने के लिए बेचा जा रहा है और सुरक्षित संपत्ति के रूप में नहीं है। श्री आदित्य अग्रवाल, श्री अभिषेक अग्रवाल और श्री अखिलेश अग्रवाल यह सभी श्री अरविन्द अग्रवाल के पुत्र	₹ 2051.00 लाख ₹ 205.10 लाख ₹ 1.00 लाख

अन्य सभी शर्तों का विवरण/ नियम व शर्तें उपरोक्तानुसार अखबार में छपे ई–नीलामी सूचना के अनुसार रहेगी।

दिनांक 18.10.2019 हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी, भारतीय स्टेट बैंक

इंडियन ओवरसीज बैंक
कुण्डली शाखा (2193) एससीओ 24, फेज 1, एचएसआईआईडीसी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लैक्स, कुण्डली, सोनीपत, हरियाणा– 131028, फोन: 0180–221998, ईमेल: iob2193@iob.in

कब्जा सूचना (सांकेतिक) [(परिशिष्ट-IV- (नियम 8 (1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत इंडियन ओवरसीज बैंक के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 27.8.2018 जारी कर ऋणधारक श्री बलवान सिंह, प्रॉप मै. आर.के. प्लास्टिक, निवासी: मकान सं. 420, वार्ड नं. 4, जिन्द रोड, गोहना, जिला–सोनीपत) (यहां के बाद ''ऋणधारकों'' के रूप में वर्णित) को सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 47,33,033.12/– (रुपए सैंतालिस लाख तैंतीस हजार तैंतीस एवं पैसे बारह मात्र) तथा वसूली की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

1) ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, दिनांक पंद्रह अक्तूबर 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित संपत्ति का सांकेतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित संपत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन संपत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय मांग सूचना जारी करने के बाद वसूली यदि कोई की गई हो, को घटाकर मांग सूचना में वर्णित उपरोक्त तिथि से भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं स्वीकृत रेट्स पर उस पर आगे के ब्याज, लागत के साथ 14.10.2019 को रु. 47,33,033.12/– (रुपए सैंतालिस लाख तैंतीस हजार तैंतीस एवं पैसे बारह मात्र) के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक के चार्ज के अधीन होगा। कब्जा लेने की तिथि को बकाया राशि भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दरों एवं रेट्स पर आगे के ब्याज, चार्जेज आदि के साथ 14.10.2019 को रु. 47,33,033.12/– (रुपए सैंतालिस लाख तैंतीस हजार तैंतीस एवं पैसे बारह मात्र) है।

3) ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसंपत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।

अचल संपत्ति का विवरण

एमसी लिमिट गोहना के भीतर मैन जिंद रोड, गोहना, तह. गोहना, जिला सोनीपत में स्थित सम्पत्ति का सभी भाग तथा हिस्सा जिसकी चौहद्दी इस प्रकार है: पूर्व: संतोष रानी का शॉप एवं रामफल लथार का मकान, पश्चिम: शॉप एवं ओम प्रकाश सैनी का मकान, उत्तर: जिन्द रोड, दक्षिण: बलवान का मकान।

तिथि: 15.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: हरियाणा इंडियन ओवरसीज बैंक

DABUR INDIA LIMITED
CIN - L24230DL1975PLC007908
Regd. Office: 8/3, Asaf Ali Road, New Delhi - 110 002
Tel. No. - 011-23253488, Fax No. - 011-23222051
Website - www.dabur.com; e-mail: investors@mail.dabur

NOTICE

Notice is hereby given that the undermentioned share certificates of the Company have been reported to be lost or misplaced.

SL.NO	FOLIO NO.	NAME	CERTIFICATE NOS	SHARES	DISTINCTIVE NOS
1	DIL0041630	SUNIL JAIN	107124	2000	905088716 -905090715
2	DIL0039763	TEJALBEN SONI PRAKASHBHAI SONI	**5812 72273	**100 1000	**22890051-22890150 34445281-34446280
3	DIL0032800	BASUNDHORA SAIKIA (Deceased)	**17496 **38761 71631 81494 81495 87648 107315	**100 **100 2000 1000 1000 2000 6000	**24058451-24058550 **26184951-26185050 33649501-33651500 601233419-601234418 601234419-601235418 605537678-605539677 905463650-905469649
4	DIL0903192	JOHN OOMMEN (Deceased) SUSANNA OOMMEN JOHN	85082 107478	1000 1000	602733495-602734494 905841626-905842625

** Shares of nominal value of Rs.10/- each of Dabur India Limited.
1. Any person who has a claim or lien or interest in the above shares and having any objection to the issue of duplicate share certificates in lieu of the above, is requested to notify the same to the Company at its Registered Office latest by 31.10.2019,indicating the nature of the claim, lien or interest of his/her objection to the said issue of duplicate share certificates through an affidavit duly attested.
2. In case company does not receive any objection within aforesaid period it shall proceed with the issue of new share certificates of the face value of Re.1 each in lieu of the old shares of the face value of Rs.10 or Re.1 each, as the case may be, comprised in the above mentioned lost share certificates without entertaining any claim/damages whatsoever it may be.
3. The submission of documents by the members to the company shall be deemed to be completed on 31.10.2019 being last date of receipt of objection, if any, by the company on the above shares.

New Delhi
16.10.2019

for DABUR INDIA LIMITED
(A K JAIN)
E.V.P. (Finance) & Company Secretary

HDFC BANK लीगल सेल
प्लॉट # 31, नजफगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, टावर–ए, 1ला तल, शिवाजी मार्ग, मोती नगर, नई दिल्ली–110015

परिशिष्ट-IV-ए (देखें नियम 8 (6) का प्रावधान]
अचल सम्पत्तियों की बिक्री के लिये बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल परिसम्पत्तियों की ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्द्वारा आम जनता तथा विशेष रूप से ऋणधारक (कों) तथा गारन्टर (रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत क्रेडीटर के पास गिरवी/चार्ज्ड नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति जिसका एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भौतिक कब्जा किया गया है, की श्री मुकेश अगरवाल, श्री लोकेश कुमार अगरवाल एवं श्री राकेश कुमार अगरवाल से एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर के बकाये 14.09.2018 को रु. 24541934/– तथा लागू दर पर आगे के ब्याज तथा चार्जेज की वसूली के लिये 29 नवम्बर, 2019 को ''जैसा है जहां है'', ''जैसा है जो भी है'' तथा ''जो कुछ भी वहां है'' आधार पर बिक्री की जायेगी। प्रत्येक सम्पत्ति के लिये आरक्षित मूल्य रु.1,25,00,000/– तथा प्रत्येक सम्पत्ति के लिये धरोहर राशि भुगतान रु. 12,50,000/– होगी।

अचल सम्पत्ति का संक्षिप्त विवरण

सम्पत्ति सं. 1: श्री मुकेश अगरवाल के स्वामित्व में जागृति नगर सीएचबीएस लि. जागृति एन्क्लेव, दिल्ली के नाम से विदित कॉलोनी की ले आउट प्लान में स्थित सम्पूर्ण भू तल, बिना छत के अधिकार के, निर्मित सम्पत्ति सं. 281, माप 186.67 वर्ग यार्डस।
आरक्षित मूल्य: रु. 1,25,00,000/–, ईएमडी मूल्य: रु. 12,50,000/–
सम्पत्ति सं. 2: श्री लोकेश कुमार अगरवाल के स्वामित्व में जागृति नगर सीएचबीएस लि. जागृति एन्क्लेव, दिल्ली के नाम से विदित कॉलोनी की ले आउट प्लान में स्थित सम्पूर्ण प्रथम तल, बिना छत के अधिकार के, निर्मित सम्पत्ति सं. 281, माप 186.67 वर्ग यार्ड्स।
आरक्षित मूल्य: रु. 1,25,00,000/– ईएमडी मूल्य: रु. 12,50,000/–
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिये कृपया एचडीएफसी बैंक लि., प्रतिभूत क्रेडीटर की वेबसाईट http://10.1.34.34/assets/popuppages/important_notices.htm में दी गई लिंक देंखे।

तिथि: 17.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: दिल्ली एचडीएफसी बैंक लि.

सार्वजनिक सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारे क्लाईंट, मेसर्स मुथूट फाईनान्स लि. (GSTIN 32AABCT0343B1Z7), पंजीकृत कार्यालय तल 2, मुथूट चेम्बर्स, बैनर्जी रोड, कोच्चि – 682018, केरल, भारत, CIN: L65910KL1997PLC011300, दूरभाष: +91 484-2396478, 2394712, फैक्स: +91 484-2396506, mails@muthootgroup.com, www.muthootfinance.com ऋण चुकाने में असफल ऋणियों के गिरवी रखे सोने के गहनों (30.06.2018 की अवधि तक NPA खातों) की निम्नलिखित विवरणों के अनुसार नीलामी करेगी। इच्छुक सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं।

नीलामी की तिथि: 24.10.2019
Allahabad - Samellan Marg: MUL-616, 885, **Allahabad - Naini:** MUL-1135, 1234, **Allahabad - Old Katra:** MUL-1000, 1063, 1335, 1350, 1497, 1806, **Allahabad - Shivcharan Road:** MUL-754, 876, 1036, 1066, 1122, 1437, **Allahabad - Civil Lines:** MGL-1717, 1718, MUL-1112, 1158, 1167, 1205, 1472, 1542, 1699, MWS-66, 111, 184, 190, 717, 746, **Muthiganj:** MGL-21

कम शुद्धता के गहनों की नीलामी (31.12.2018 की अवधि तक एनपीए खाते)
नीलामी की तिथि: 24.10.2019
Allahabad - Old Katra: MAL-978, **Allahabad - Naini:** MUL-1734

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमश: उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखें कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी पूरी नहीं हो जाती तो ऐसी स्थिति में वह संबंधित नीलामी वहीं दिनांक 25.10.2019 को क्रमश: नीलामी केंद्र Ground Floor, Property No. 9/9 Manmohan Park, Katra, Allahabad, Uttar Pradesh - 211002 में संचालित की जाएगी/जारी रहेगी। और ऐसी स्थिति में जहाँ इस सबके बावजूद कथित गहनों की नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दी जाएगी।

Date of Auction: 24.10.2019
Pratapgarh - (UP): MSL-2320, 2487, MUL-73, 83, 126, 176, 190, 240, 256, 278, 326, 355, 689

नीलामी नीचे दिखाए अनुसार जिस शाखा हेड में ग्राहक का ऋण खाता है क्रमश: उन्हीं शाखाओं में संचालित की जाएगी।
हालाँकि, कृपया यह ध्यान रखे कि यदि निर्धारित तिथि (तिथियों) में नीलामी सफलतापूर्वक नहीं हो जाती तो ऐसी नीलामी आगामी तिथियों में भी इसी स्थान पर जारी रहेगी। इस संबंध में कोई अतिरिक्त सूचनाएं नही दी जाएगी।

कोहली एण्ड सोब्ती, एडवोकेट,
ए 59ए, पहली मंजिल, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली – 110024

नोट: ग्राहक नीलामी की निर्धारित तिथि से पहले हमारे क्लाइंट की बकाया राशि का भुगतान करके अपने गहनों की गिरवी छुड़ा सकते हैं। ग्राहक ईमेल आईडी: auctiondelhi@muthootgroup.com या 7834886464,7994452461 पर कॉल करके संपर्क कर सकते हैं।

प्रपत्र ए
सार्वजनिक घोषणा
[भारतीय दिवाला और ऋण शोध अक्षमता बोर्ड (कार्पोरेट व्यक्तियों के लिए ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया) विनियमावली, 2016 के विनियम 6 के अधीन]
मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लेनदारों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कार्पोरेट देनदार का नाम	मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
2.	कार्पोरेट देनदार के निगमन की तिथि	05/01/1990
3.	प्राधिकरण जिसके अधीन कार्पोरेट देनदार निगमित/पंजीकृत है	रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज, दिल्ली
4.	कार्पोरेट देनदार की कार्पोरेट पहचान संख्या / सीमित दायित्व पहचान संख्या	U74999DL1990PLC123785
5.	कार्पोरेट देनदार के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई) का पता	[illegible] नई दिल्ली, पूर्वी दिल्ली, दिल्ली–110092 भारत (एमसीए वेबसाइट के अनुसार)
6.	कार्पोरेट देनदार के संबंध में ऋण शोध अक्षमता आरम्भ तिथि	30/09/2019 (15/10/2019 को माननीय एनसीएलटी, दिल्ली कोर्ट नं. III द्वारा अधोहस्ताक्षरी को IRP के रूप में नियुक्त किया गया था)
7.	ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया के समापन की पूर्वानुमानित तिथि	27/03/2020 (दिवाला प्रक्रिया आरम्भ होने से 180वां दिन)
8.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के रूप में कार्यरत ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल का नाम और रजिस्ट्रेशन नम्बर	मुकेश गुप्ता IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254
9.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पता और ई–मेल, जैसा कि बोर्ड में पंजीबद्ध है	पता: [illegible] नई दिल्ली–110068 ईमेल: camukeshjp@rediffmail.com
10.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल का पत्राचार हेतु प्रयुक्त पता और ई–मेल	पता: [illegible] नई दिल्ली–110068 ईमेल: [illegible]@rediffmail.com
11.	दावा प्रस्तुत करने हेतु अंतिम तिथि	29/10/2019
12.	अंतरिम समाधान प्रोफेशनल द्वारा धारा 21 की उप–धारा (6क) के खंड (ख) के तहत अभिनिश्चित लेनदारों की श्रेणियां, यदि कोई	रियल एस्टेट आवंटियों
13.	किसी श्रेणी में लेनदारों के अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने हेतु चिन्हित ऋण शोध अक्षमता प्रोफेशनल के नाम (प्रत्येक श्रेणी के लिए तीन नाम)	(1) श्री अरविंद मित्तल [IBBI/IPA-001/IP-P01358/2018-19/12081] पंजीकृत पता: [illegible] सेक्टर–55, फरीदाबाद, हरियाणा –121004 ईमेल: [illegible]@gmail.com (2) श्री विनोद कुमार चौरसिया [IBBI/IPA-001/IP-P00109/2017-18/10200] पंजीकृत पता: ए–756, सेक्टर –2, रोहिणी नई दिल्ली –110085 ईमेल: cavinodchaurasia@gmail.com (3) सुश्री रमनप्रीत कौर [IBBI/IPA-001/IP-P-01375/2018-2019/12301] पंजीकृत पता: सी–1008, [illegible] टावर, [illegible] सूरजकुंड, फरीदाबाद, हरियाणा –121009 ईमेल: ramanpreet@impaoca.com
14.	(क) संबंधित प्रपत्र और (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण पर उपलब्ध है	(क) वेबलिंक: http://www.ibbi.gov.in/home/downloads (ख) अधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपरोक्त बिंदु 13 पर उपलब्ध है।

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि न्यायाधिकरण, नई दिल्ली ने दिनांक 30 सितम्बर, 2019 को मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के विरुद्ध कार्पोरेट ऋण शोध अक्षमता समाधान प्रक्रिया आरंभ करने का आदेश दिया है। लेकिन रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के अंतरिम [illegible] के रूप में अधोहस्ताक्षरी को नियुक्त करने का आदेश 15.10.2019 को पारित किया गया।
1. मैसर्स रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के लेनदारों से एतद्द्वारा अपने दावों का प्रमाण 29 अक्तूबर 2019 को अथवा पूर्व अंतरिम समाधान प्रोफेशनल के समक्ष ऊपर प्रविष्टि 10 के सम्मुख वर्णित पते पर प्रस्तुत करने की मांग की जाती है।
2. वित्तीय लेनदारों को अपने दावों का प्रमाण केवल इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा प्रस्तुत करना होगा। अन्य सभी लेनदार अपने दावों का प्रमाण व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक साधनों से प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. [illegible]
4. दावे के फर्जी अथवा भ्रामक प्रमाण की प्रस्तुति दंडनीय होगी।

दिनांक: 18 अक्तूबर 2019
स्थान: नई दिल्ली

हस्ता/–
मुकेश गुप्ता
अंतरिम समाधान प्रोफेशनल
रोहतास प्रोजेक्ट्स लिमिटेड
[IBBI/IPA-001/IP-P-01494/2018-2019/12254]

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	ड्रीम प्रोकॉन प्राइवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	25.05.2011
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, दिल्ली (कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित कम्पनी)
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U70200DL2011PTC19778
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजीकृत कार्यालय: 811, 8वां तल, कृष्णा अपरा प्लाजा, टावर–1, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, दिल्ली, नई दिल्ली–110034
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	सीआइआरपी शुरू होने की तिथि: 6.9.2019 [(IB)1771/(ND)/2018 में माननीय एनसीएलटी, नई दिल्ली के आदेश द्वारा (आदेश की प्रति 15.10.2019 को प्राप्त की गई)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	4.3.2020 (दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	नाम: श्री मनीश गुप्ता पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-001/IP-P01131/2018-2019/11826
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेल:	पता: एमपीआरएंड क., ई–62, एलजीएफ, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110024 ईमेल पता: ip.manishgupta31@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: एमपीआरएंड क., ई–62, एलजीएफ, लाजपत नगर–II, नई दिल्ली–110024 ईमेल: irp.dreamprocon@gmail.com ऑन लाइन दावे जमा करना: https://www.marketclear.in # DREAM-PROCON
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	29.10.2019
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	रीअल इस्टेट परियोजना के अंतर्गत होम वायर्स कॉर्पोरेट डेब्टर के (फाइनांसियल क्रेडीटर्स)
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	1. श्री शशि शर्मा/इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल, पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01261/2018-19/12093 2. श्री एस. प्रभाकर/इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल, पंजी. सं. IBBI/IPA-002/IP-N00577/2017-18/11769 3. श्री संजीत कुमार शर्मा/ इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेशनल, पंजी. सं. IBBI/IPA-001/IP-P01132/2018-19/11827
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख)प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेब लिंक: https://ibbi.gov.in/downloadform.html भौतिक पता: भारत दिवाला एवं दिवालिया मंडल (IBBI) 7 वां तल, मयूर भवन, शंकर मार्केट, कनॉट सर्कस, नई दिल्ली–110001

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण, ने 6.9.2019 को ड्रीम प्रोकॉन प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सालवेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतद्द्वारा ड्रीम प्रोकॉन प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 29.10.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अपने दावे ऑन लाइन दाखिल करने के लिये आप अधोलिखित लिंक https://www.marketclear.in # DREAM-PROCON का उपयोग कर सकते हैं।
प्रविष्टि सं. 12 के समक्ष यथा सूचीबद्ध किसी वर्ग से संबंधित वित्तीय क्रेडीटर प्रपत्र सीए में वर्ग के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये [रीअल इस्टेट प्रॉजेक्ट कॉर्पोरेट डेब्टर के (वित्तीय क्रेडीटर) प्रविष्टि सं. 13 के समक्ष सूचीबद्ध तीन इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नलों में से प्राधिकृत प्रतिनिधि की अपनी पसंद को दर्शाएं।
दावे का प्रमाण भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिये दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के चैप्टर IV के अनुसार जमा किया जायेगा। दावे के समर्थन में दस्तावेजीय प्रमाण के साथ दावे निम्न विनिर्दिष्ट प्रपत्रों मे जमा किये जा सकते हैं।
प्रपत्र बी: कर्मियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर ऑपरेशनल क्रेडीटर्स द्वारा दावे
प्रपत्र सी: वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र सीए: किसी वर्ग में वित्तीय क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र डी: कर्मियों अथवा कर्मचारियों द्वारा दावे के लिये
प्रपत्र ई: कर्मियों अथवा कर्मचारियों के किसी प्राधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा जमा किये गये दावे के लिये
प्रपत्र एफ: क्रेडीटरों द्वारा दावे के लिये वित्तीय केडीटरों तथा ऑपरेशनल क्रेडीटर्स के अतिरिक्त ऊपर वर्णित प्रपत्र वेबसाईट www.ibbi.gov.in (insolvency and Bankurptcy Board of India) से डाउनलोड की जा सकती है।
दावे का गलत अथवा भ्रामक प्रमाणों को जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

स्थान: दिल्ली हस्ता/–
तिथि: 17.10.2019 मनीश गुप्ता
अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल
IBBI/IPA-001/IP-P01131/2018-19/11826

वैभव ग्लोबल लिमिटेड
CIN: L36911RJ1989PLC004945; पंजीकृत कार्यालय- के-6बी, फतेह टीबा, आदर्श नगर, जयपुर-302004; फोन: 91-141-2601020; फैक्स : 91-141-2605077;
ई-मेल : investor_relations@vaibhavglobal.com; वेबसाइट : www.vaibhavglobal.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय मण्डल (सूचीकरण दायित्व और प्रकटन अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियम 47 (1) (ए) के साथ पठित विनियम 29 के अनुसरण में, कम्पनी के निदेशक मण्डल की बैठक गुरूवार, 31 अक्टूबर, 2019 को आयोजित की जायेगी, जिसमें अन्य बातों के साथ 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवार्षिक वर्ष के लिए कम्पनी के अनअंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार एवं स्वीकृत किया जायेगा।
यह जानकारी कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.vaibhavglobal.com और स्टॉक एक्सचेज की वेबसाईट अर्थात् www.bseindia.com और www.nseindia.com पर भी उपलब्ध है।

स्थान : जयपुर
दिनांक : 17 अक्टूबर, 2019

कृते वैभव ग्लोबल लिमिटेड
हस्ताक्षर
सुशील शर्मा (कंपनी सचिव)
FCS: 6535

स्टाइलम इंडस्ट्रीज लिमिटेड
CIN : L20211CH1991PLC011732
पंजी. कार्यालय: एससीओ–14, सेक्टर–7–सी, मध्य मार्ग, चंडीगढ़–160019
टेली.: 0172-5021555, 5021666, फैक्स: 0172-5021495
ई–मेल :- info@stylam.com, वेब: http://www.stylam.com

शेयर प्रमाणपत्रों के गुम होने की सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोलिखित शेयर प्रमाणपत्रों के गुम हो जाने/ स्थान से विलग जाने की सूचना मिली है तथा उसके पंजीकृत शेयरधारकों/ उसके दावेदारों ने गुम हो चुकी शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) की जगह डुप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए कम्पनी के पास अनुरोध किया है।

क्रम सं.	फोलियो नं.	नाम	शेयरों	विशिष्ट सं.	एस/सी नं.
1.	0000523	आईएल वोहरा विकास वोहरा	200	4597701–4597900	23432–23433
2.	0002189	दौलत राम	500	6117601–6118100	38631–38635
3.	0002182	आकाश दीपानी	200	6109901–6110100	38554–38555

यदि किसी व्यक्ति(यों) का उपरोक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में कोई दावे हो, वे इस प्रकाशन से 15 दिनों के भीतर निम्न पते पर लिखित में हमारे पास अपने दावे दाखिल करें। उसके बाद उक्त शेयर प्रमाणपत्रों के संदर्भ में किसी भी दावे पर विचार करने के लिए कम्पनी उत्तरदायी नहीं होगा तथा कंपनी (शेयर प्रमाणपत्र निर्गम) नियम, 1960 के नियम 4(3) के अनुपालन में डुप्लिकेट शेयरप्रमाण पत्र जारी करने की कार्रवाई करेगा।

स्टाइल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए
स्थान: चंडीगढ़ हस्ता./–
तिथि: 18.10.2019 (कम्पनी सचिव)

NIIT एनआईआईटी लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय: 8, बालाजी एस्टेट, प्रथम तल, गुरु रवि दास मार्ग, कालकाजी, नई दिल्ली–110019
फोन नं.: +91-11- 41675000 फैक्स नं.: +91-11-41407120
CIN: L74899DL1981PLC015865
वैबसाइट: www.niit.com; ईमेल: investors@niit.com

सूचना

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सूचीयन अनिवार्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली 2015 के विनियम 47 के साथ पठित विनियम 29 के अनुसार, अन्य बातों के साथ-साथ, 30 सितम्बर, 2019 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए कंसोलिडेटेड एवं स्टैंडअलोन दोनों का अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों पर विचार और स्वीकृत करने हेतु कंपनी के निदेशक मंडल की बैठक गुरूवार, 24 अक्तूबर, 2019 को आयोजित की जाएगी।
यह जानकारी कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.niit.com और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं अर्थात बीएसई लिमिटेड (www.bseindia.com) और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (www.nseindia.com) पर भी उपलब्ध हैं।

बोर्ड के आदेश से
कृते एनआईआईटी लिमिटेड
हस्ता./–
स्थान: गुरुग्राम दीपक बंसल
दिनांक: 17 अक्तूबर, 2019 कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

PTC India Ltd.
Regd. Office : 2nd Floor, NBCC Tower, 15, Bhikaji Cama Place, New Delhi - 110 066
(CIN : L40105DL1999PLC099328)
Tel: 011- 41659500, 41595100, 46484200, Fax: 011-41659144
E-mail: info@ptcindia.com, Website: www.ptcindia.com

NOTICE

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulation, 2015, NOTICE is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Wednesday, the 30th day of October 2019 inter-alia, to consider and approve the un-audited standalone and consolidated financial results for the quarter and half year ended September 30, 2019 amongst other items mentioned in the agenda.

By order of the Board
For PTC India Ltd.
Sd/-
(Rajiv Maheshwari)
Place: New Delhi Company Secretary
Date: 17/10/2019 FCS- 4998

Note:- Futher details on the matters above said may be accessed at the link of the Company's website http://www.ptcindia.com, ('Notice to Exchanges' in Statutory Information) and Stock Exchange website i.e.NSE: www.nseindia.com and BSE: www.bseindia.com.

केन फिन होम्स लि.
पहला तल, डीडीए बिल्डिंग, पारस सिनेमा के निकट, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली– 110019
CIN No.-L85110KA1987PLC0008699, फोन: 7625079108, 011–26435815, 26430236, ईमेल: delhi@canfinhomes.com

(देखें नियम 8 (1)
कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति के लिये)

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत केन फिन होम्स लि. के प्राधिकृत अधिकारी के रूप तथा उक्त अधिनियम तथा प्रतिभूति हित (प्रवर्त्तन) नियमावली, 2002 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 15.7.2019 जारी कर ऋणधारकों: 1) श्रीमती सिमरन कौर, पत्नी हरमीत सिंह, 2) श्री हरमीत सिंह, पुत्र जागीर सिंह को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनो के भीतर सूचना में वर्णित राशि रु. 8,53,520/– (रुपये आठ लाख तिड़ेपन हजार पांच सौ बीस मात्र) तथा अंतिम भुगतान की तिथि तक 15.7.2019 से ब्याज वापस लौटाने का निर्देश दिया था।
ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतद्द्वारा ऋणधारक, तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज, 14 अक्तूबर, 2019 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिभूति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।
ऋणधारक का ध्यान प्रतिभूत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ मे अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है।
विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतद्द्वारा सतर्क किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रु. 8,53,520/– तथा उस पर ब्याज की राशि के लिये सीएचएफएल के चार्ज के अधीन होगा।

अचल सम्पत्ति का विवरण

फ्लैट नं. जी–3, भूतल, एमआईजी बैक साइड, प्लॉट नं.–2/114, सेक्टर–02, टी.एच.ए., राजेन्दर नगर, साहिबाबाद, जिला गाजियाबाद, उ.प्र., पिन–201005
उत्तर: रोड, पूर्व: प्लॉट नं. 113
पश्चिम: प्लॉट नं. 115, दक्षिण: प्लॉट नं. 108 एवं 109

हस्ता./–
तिथि: 14.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली केन फिन होम्स लि.

प्रपत्र ए
सार्वजनिक उद्घोषणा
[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत]
कणिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों के ध्यानार्थ

संबंधित विवरण		
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	कणिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23.02.2012
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार–दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U31900DL2012PTC231966
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	पंजी. कार्यालय: डी–404, नागार्जुन अपार्टमेन्ट्स, मयूर कुंज, दिल्ली–110096 पंजीकृत कार्यालय के अतिरिक्त पता/ जहां सभी अथवा कोई भी लेखा पुस्तकें तथा पेपर्स प्रबंधित किए जाते हैं: सी–8, सेक्टर–3, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201301
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	30.9.2019 (आईआरपी को 16.10.2019 को सूचना दी गई एवं आदेश का सीटीसी 17.10.2019 को प्राप्त किया गया।)
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	28 मार्च, 2020 दिवाला प्रक्रिया शुरू होने की तिथि से 180 दिन)
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	आशु गुप्ता IBBI/IPA-002/IP-N00339/2017-2018/10943
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेल:	पता: 204 ए, 2रा तल, 23, एसबीआई बिल्डिंग, नजफगढ़ रोड इंड. एरिया, शिवाजी पार्क, डीएलएफ टावर के सामने, नई दिल्ली–110015 ईमेल पता: ashugupta.cs@gmail.com
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	पता: 204 ए, 2रा तल, 23, एसबीआई बिल्डिंग, नजफगढ़ रोड इंड. एरिया, शिवाजी पार्क, डीएलएफ टावर के सामने, नई दिल्ली–110015 ईमेल पता: irpkanik@gmail.com
11.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	30 अक्तूबर, 2019 (आईआरपी के रूप में नियुक्ति की सूचा की तिथि अर्थात् 16.10.2019 से 14 दिन)
12.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया	आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकृत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	वेब लिंक: https://.ibbi.gov.in/home/downloads ख) आईआरपी को अद्यतन उपलब्ध जानकारी के अनुसार लागू नहीं

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण ने 30.9.2019 को (आदेश तिथि 30.9.2019 की प्रति आईआरपी को 17.10.2019 को प्राप्त हुई) कणिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है, एतद्द्वारा कणिक इलेक्ट्रॉनिक्स प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास 30.10.2019 को या उससे पूर्व प्रमाण के साथ अपने दावे जमा करें।
ये दावे भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया) विनियमन, 2016 के विनियमन 7, 8 एवं 9 के अनुसार निर्दिष्ट प्रपत्रों बी, सी, डी एवं ई में जमा किए जा सकते हैं।
फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।
दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है।

तिथि: 17.10.2019 हस्ता./–
स्थान: नई दिल्ली आशु गुप्ता
अंतरिम प्रॉफेश्नल
IBBI/IPA-002/IP-N00339/2017-2018/10943

RELIGARE रेलिगेअर एंटरप्राइजेज लिमिटेड
पंजी. कार्यालय: 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019
CIN: L74899DL1984PLC146935
फोन: + 91–11–46272400, फैक्स नं. + 91–11–46272447,
वेबसाईट:www.religare.com ई–मेल: Investorservices@religare.com

सदस्यों के लिए पोस्टल बैलॅट सूचना

एतद्द्वारा सभी सदस्यों को सूचित किया जाता है कि कंपनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 22 एवं साधारण सभाओं पर इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेट्रीज ऑफ इंडिया (''आईसीएसआई'') द्वारा जारी सचिवालयी मानक–II के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 110 के प्रावधानों के अनुपालन में नीचे वर्णित प्रस्तावों के संदर्भ में शेयरधारकों की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए ऐसे सदस्यों जिनके नाम कटऑफ तिथि अर्थात शुक्रवार, 11 अक्टूबर, 2019 को सदस्यों के रजिस्टर में शामिल हैं, को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम (ई–वोटिंग) द्वारा मतदान सहित पोस्टल बैलॅट के माध्यम से सदस्यों की सहमति प्राप्त करने के लिए पोस्टल बैलॅट प्रपत्र तथा पर्यवेक्षक को संबोधित स्व–पता लिखित पूर्व–प्रदत्त डाक शुल्क युक्त लिफाफे (''पोस्टल बैलॅट कागजात'') के साथ सूचना भौतिक रूप से प्रेषित कर दी गई/ ई मेल द्वारा भेज दी गई है-

- उसकी भौतिक सहायकों में कम्पनी के सम्पूर्ण निवेश के विनिवेश की स्वीकृति के लिये विशेष प्रस्ताव।
- कम्पनी की भौतिक सहायक (कों) की 20% से अधिक की परिसम्पत्तियों की बिक्री, निपटारा, परिसम्पत्तियों के लीजिंग की स्वीकृति के लिये विशेष प्रस्ताव।

ई–वोटिंग सहित मतदान से संबंधित विस्तृत निर्देश तथा जानकारी सदस्यों को भेजी गई पोस्टल बैलॅट प्रपत्र में वर्णित हैं। कंपनी ने गुरुवार, 17 अक्टूबर 2019 को पोस्टल बैलॅट सूचना का प्रेषण पूरा कर लिया है।
ई वोटिंग सहित पोस्टल बैलॅट के माध्यम से मतदान करने की सुविधा निम्नलिखित अवधि के दौरान उपलब्ध होगी:
वोटिंग की शुरुआत: शुक्रवार, 18 अक्टूबर, 2019 (9.00 बजे पूर्वा. आईएसटी)
वोटिंग का समापन: शनिवार, 16 नवम्बर 2019 (5.00 बजे अप. आईएसटी)
शनिवार, 16 नवम्बर 2019 को 5.00 बजे अप. के बाद ई–वोटिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी तथा उसके बाद प्राप्त पोस्टल बैलॅट प्रपत्र के संदर्भ में पूरी तरह से माना जाएगा कि जवाब प्राप्त ही नहीं हुआ है तथा उसे वैध नहीं माना जाएगा।
कंपनी ने सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन मे **'https://evoting.karvy.com'** द्वारा ई–वोटिंग के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से अपना मतदान करने में शेयरधारकों को सक्षम बनाने के लिए ई–वोटिंग सुविधा का प्रावधान कराने के लिए **कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड** के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। लेकिन, ई–वोटिंग वैकल्पिक है:
स्वच्छ तथा पारदर्शी प्रक्रिया में पोस्टल बैलॅट का संचालन करने के लिए कंपनी के निदेशक मंडल ने श्री अंकुश अग्रवाल (सदस्यता सं. एफ 9719 एवं प्रैक्टिस प्रमाण पत्र सं. 14486), पार्टनर, मै. एमएकेएस एंड क., कंपनी सचिव [FRN: P2018U P067700] को पर्यवेक्षक नियुक्त किया है।
पोस्टल बैलॅट के परिणामों की घोषणा अध्यक्ष अथवा उनकी अनुपस्थिति में निदेशक मंडल द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा सोमवार, 18 नवम्बर 2019 को 4.30 बजे अप. में कंपनी के पंजीकृत कार्यालय अर्थात 2रा तल, राजलोक बिल्डिंग, 24, नेहरू प्लेस, नई दिल्ली–110019 में की जाएगी। इन परिणामों को कंपनी की वेबसाईट अर्थात **www.religare.com** एवं एजेंसी की वेबसाईट अर्थात **https://evoting.karvy.com** पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा उसी समय इसकी सूचना उन स्टाक एक्सचेंजों को दी जाएगी जहां कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं।
जिन सदस्यों को पोस्टल बैलॅट प्राप्त नहीं हो अथवा जिन्होंने ई–मेल द्वारा पोस्टल बैलॅट प्रपत्र प्राप्त किए हों तथा भौतिक पोस्टल बैलॅट के माध्यम से मतदान करने के इच्छुक हों, वे कंपनी की वेबसाईट अर्थात् www.religare.com पर **''investor Relation''** खंड से अथवा कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड की वेबसाईट अर्थात https://evoting.karvy.com से पोस्टल बैलॅट प्रपत्र डाउनलोड कर सकते हैं अथवा कंपनी के पास आवेदन कर उसका डुप्लिकेट प्राप्त कर सकते हैं। इक्विटी शेयरधारकों के मताधिकार की गणना शुक्रवार, 11 अक्टूबर 2019 जो कट–ऑफ तिथि है, को उनके द्वारा धारित इक्विटी शेयरों के आधार पर की जाएगी। पुनः रु. 10/– प्रति की सममूल्य के 0.01% 2,50,00,000 गैर–संचयी गैर रुपांतरणीय विमोचनीय प्रेफरैंस शेयरों (''प्रेफरैंस शेयरों'') पर पिछले दो वर्षों में कम्पनी द्वारा लाभांश का भुगतान नहीं करने के कारण कट–ऑफ तिथि को कम्पनी का उपरोक्त प्रेफरैंस शेयर्स धारित करने वाले शेयरधारक भी उनके द्वारा धारित प्रेफरैंस शेयरों के अनुपात में पोस्टल वॅलैट सूचना में वर्णित प्रस्ताव पर मतदान करने के लिये अधिकृत होंगे। अतएव, अन्य सदस्यों के साथ उन्हें भी यह सूचना भेजी जा रही है। पुनः कट–ऑफ तिथि को सदस्यों का मताधिकार सुनिश्चित करने के लिये कम्पनी की कुल वोटिंग पूंजी 24,19,42,733 शेयर्स (अर्थात 216942733 इक्विटी शेयर्स तथा 2,50,00,000/– प्रेफरैंस शेयर्स शामिल) होगी। जो व्यक्ति कट–ऑफ तिथि को सदस्य नहीं हैं, वे इस सूचना को केवल जानकारी के लिए देखें। फिर भी, विधिवत भरी गई तथा हस्ताक्षरित डुप्लिकेट पोस्टल बैलॅट प्रपत्र अधिकतम, ऊपर विनिर्दिष्ट तिथि तक पर्यवेक्षक के पास पहुंच जाना चाहिए।
यदि किसी सदस्य को ई–वोटिंग सहित पोस्टल बैलॅट द्वारा मतदान से संबंधित कोई प्रश्न/ समस्या हो, वे investorservices@religare.com पर संपर्क करें अथवा श्री एसवी राजू, कॉर्पोरेट रजिस्ट्री– कार्वी फिनटेक प्राईवेट लिमिटेड, कार्वी सेलेनियम टावर बी, प्लॉट 31–32, गाछीबावली, फाइनांसियल डिस्ट्रिक्ट, नानकरामगुडा, हैदराबाद– 500032 से + 91 040 67162222 अथवा 1800 345 4001 (टोल फ्री) पर संपर्क करें अथवा **einward.ris@karvy.com** पर ई–मेल करें।

निदेशक मंडल के आदेश से
रेलिगेअर एण्टरप्राईजेज लिमिटेड के लिए
हस्ता./–
तिथि: 18 अक्तूबर, 2019 रीना जायरा
स्थान: नई दिल्ली कंपनी सचिव

नवप्रवर्तन रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष पर : नीति रिपोर्ट

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

नवप्रवर्तन के आधार की गई राज्यों की रैंकिंग में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर रहा है। उसके बाद क्रम से तमिलनाडु और महाराष्ट्र का स्थान रहा। नीति आयोग की एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। वहीं दूसरी तरफ बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ सूची में सबसे नीचे हैं। भारत नवप्रवर्तन सूचकांक 2019 को वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक (जीआइआइ) के अनुरूप ही तैयार किया गया है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की नई खोज को लेकर माहौल पर गौर किया गया है। इससे नीति निर्माताओं को हर क्षेत्र में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने के लिए नीति तैयार करने में मदद मिलेगी।

नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) अमिताभ कांत ने यह रिपोर्ट जारी की। निवेश आकर्षित करने के लिहाज से भी एक बार फिर कर्नाटक शीर्ष स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। उसके बाद क्रम से महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान और उत्तर प्रदेश का स्थान रहा। रिपोर्ट में नवप्रवर्तन के मामले में रैंकिंग तीन श्रेणियों... बड़े राज्य, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों/शहर और छोटे राज्य... के अंतर्गत की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में सिक्किम शीर्ष पर जबकि केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली ऊंचे पायदान पर है।

नवप्रवर्तन सूचकांक में ऊपर जगह बनाने वाले अन्य राज्यों में तेलंगाना, हरियाणा, केरल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और आंध्र प्रदेश शामिल हैं। रिपोर्ट में देश में नवप्रवर्तन को बढ़ावा देने वाले विभिन्न कारकों का गहराई से विश्लेषण किया गया है।

एनबीसीसी के प्रस्ताव पर विचार से पहले जेपी समूह की याचिका सुनेगा न्यायालय

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि वह पहले एनसीएलएटी के आदेश के खिलाफ जेपी समूह की ओर से दायर याचिका पर पहले सुनवाई करेगा। अपने आदेश में राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) ने जेपी समूह को कर्जे में डूबी अपनी सहायक कंपनी जेपी इंफ्राटेक लिमिटेड (जेआइएल) की नीलामी प्रक्रिया में बोली लगाने से रोक दिया था।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि वह कर्ज में डूबे जेपी समूह की रुकी हुई परियोजनाओं को पूरा करने के लिए सार्वजनिक उपक्रम एनबीसीसी के संशोधित प्रस्ताव पर बाद में विचार करेगी ताकि हजारों पीड़ित घर खरीदारों की शिकायतों का निपटान हो सके।

उद्धव पर टिप्पणी करने वाले शिवसेना के पूर्व विधायक के घर पर हमला

औरंगाबाद, 17 अक्तूबर (भाषा)।

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में शिवसेना के पूर्व विधायक हर्षवर्द्धन जाधव के घर पर बुधवार देर रात अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ की। जाधव ने एक चुनावी रैली में उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित तौर पर अशोभनीय टिप्पणियां की थीं।

पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि हमला देर रात करीब डेढ़ बजे हुआ। इसमें उनके घर की खिड़कियां क्षतिग्रस्त हो गईं और एक कार को भी नुकसान पहुंचा है। हमले के वक्त घर में जाधव की पत्नी और दो बेटे मौजूद थे। राज्य में 21 अक्तूबर को होने वाले चुनाव में जाधव औरंगाबाद के कन्नड से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं।

पुलिस ने बताया कि बुधवार को यहां एक रैली में उन्होंने कांग्रेस के पूर्व मंत्री अब्दुल सत्तार को शिवसेना में शामिल करने को लेकर ठाकरे के बारे में कथित तौर पर कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। जाधव ने बाद में कहा कि उन्होंने अपने भाषण के प्रवाह में यह टिप्पणी कर दी थी और उनकी अनुपस्थिति में उनके घर पर हुआ हमला इस साल हुए लोकसभा चुनावों में शिवसेना की हार की प्रतिक्रिया में किया गया। सत्तार जिले की सिलोड विधानसभा सीट से शिवसेना के उम्मीदवार हैं।

जाधव की कथित टिप्पणियों वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद शिवसेना के कुछ नाराज कार्यकर्ता बुधवार शाम सिडको थाने पहुंचे और उन्होंने जाधव के खिलाफ मामला दर्ज करने की मांग की। इसके बाद, देर रात कुछ अज्ञात लोगों ने उनके आवास पर पत्थर फेंके और कार तथा खिड़कियों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस बाबत जाधव की पत्नी ने शिकायत दर्ज करवाई है।

इलाहाबाद विवि का छात्र परिषद चुनाव अधर में

प्रयागराज, 17 अक्तूबर (भाषा)।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र संघ की जगह छात्र परिषद लागू करने की विश्वविद्यालय प्रशासन की पहल को गुरुवार को तगड़ा झटका लगा। छात्र परिषद के लिए आगामी 21 अक्तूबर को होने वाले चुनाव के लिए पर्चा दाखिल करने वाले 17 छात्रों में से 15 छात्रों ने अपना नामांकन वापस ले लिया।

शुरू से ही छात्र परिषद की व्यवस्था का विरोध कर रहे छात्र नेताओं ने इस घटनाक्रम पर गुरुवार को बालसन चौराहे पर मिठाई बांटी और जश्न मनाया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष रोहित कुमार मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपने चंद चाटुकारों को पदों पर आसीन करने के लिए छात्र संघ का स्वरूप बदल कर छात्र परिषद कर दिया। छात्रों ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। मिश्रा ने कहा कि विश्वविद्यालय में 36,000 छात्रों में एक भी छात्र नहीं मिला जो चुनाव लड़ता।

कमलनाथ ने की 800 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की शुरुआत

इंदौर, 17 अक्तूबर (भाषा)।

मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार के पहले निवेशक सम्मेलन 'मैग्निफिसेंट मध्य प्रदेश' की पूर्व संध्या पर यहां गुरुवार को 800 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली पांच महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं की औपचारिक शुरुआत की गई। इन परियोजनाओं का खाका सूबे के सबसे बड़े शहर इंदौर और इसके आसपास के क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को रफ्तार देने के लिये तैयार किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पड़ोसी धार जिले के पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र में करीब 375 करोड़ रुपए की लागत से विकसित स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क का ई-लोकार्पण किया। प्रदेश के सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में बनाया गया यह परिसर 478 हेक्टेयर में फैला है। इसके जरिये 10,000 करोड़ रुपए का नया निवेश जुटाने की कोशिश की जा रही है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निवेश को रफ्तार देने के लिए कमलनाथ ने इंदौर के सिंहासा क्षेत्र में 116 करोड़ रुपए की लागत से बने नए आइटी पार्क का ई-लोकार्पण किया। अधिकारियों ने बताया कि कमलनाथ ने 225 करोड़ रुपए की लागत वाली पीथमपुर जल प्रदाय योजना का ई-लोकार्पण किया।

रतुल पुरी के खिलाफ आरोप पत्र दायर

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 17 अक्तूबर।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के खिलाफ अदालत में गुरुवार को आरोप-पत्र दायर किया। विशेष न्यायाधीश संजय गर्ग की अदालत में प्रवर्तन निदेशालय ने पुरी और कंपनी मोजरबेयर के खिलाफ आरोप-पत्र दायर किया। प्रवर्तन निदेशालय ने 20 अगस्त को पुरी को गिरफ्तार किया था। अदालत ने इससे पहले उनकी न्यायिक हिरासत 17 अक्तूबर तक बढ़ा दी थी।

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

कार्यालय कार्यपालक अभियंता (परियोजना-II) डब्ल्यूजेड डाबड़ी फ्लाईओवर के नीचे (पियर नं. 3 से 5 के बीच), नई दिल्ली-110058

निविदा आमंत्रण सूचना

... (2) पश्चिम जोन में वार्ड नं. 015-एस, जनकपुरी पश्चिम में इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, जेल रोड के सामने से मकान नं. डब्ल्यूजेड-166, शिव नगर तक टीसी/बीएम/बीसी के प्रावधान द्वारा आंतरिक सड़कों का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण। निविदाएं 04.11.2019 को अप. 3.30 बजे खोली जाएंगी। अनुमानित लागत: (i) रु. 53,61,500/- (ii) रु. 31,90,300/- एवं (iii) रु. 30,20,100/-, धरोहर राशि: (i) रु. 1,07,500/- (ii) रु. 69,000/- एवं (iii) रु. 60,500/-, विस्तृत एनआईटी या अनुसूची में परिवर्तन/शुद्धिपत्र के लिए कृपया https://tenderwizard.com/SOUTHDMCETENDER देखें।

आर.ओ. नं. 81/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 ई.ई.(परियोजना-II)डब्ल्यूजेड

ESCORTS
एस्कॉर्ट्स लिमिटेड
CIN-L74899HR1944PLC039088

SBI
प्लेटफॉर्म इंजीनियरिंग-II डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, सेक्टर-11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400 614.

शुद्धिपत्र-2

प्रोक्युरमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और मॉनिटरिंग सपोर्ट ऑफ सेंट्रलाइज्ड ऐप्लीकेशन पर्फोर्मेंस मॉनिटरिंग सल्यूशन के लिए जारी आरएफपी नं SBI/GITC/PE-II/2019/2020/645 दिनांक 12/09/2019 देखें. शुद्धिपत्र-2 की जानकारी हमारी वेबसाईट https://bank.sbi पर 'प्रोक्युरमेंट न्यूज़' के अंतर्गत उपलब्ध है.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 18.10.2019
हस्ताक्षर
उप महाप्रबंधक
(आईटी-पीई-II)

उत्तरी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (एम-II) केपीजेड का कार्यालय
शक्ति नगर एक्सटेंशन, दिल्ली-110052

नि.आ.सू.सं. ईई(एम-II)/केपीजेड/टीसी/2019-20/45 दिनांक: 15.10.2019

निविदा दस्तावेज की बिक्री की प्रारंभ तिथि : 15.10.19 अपराह्न 18.01 बजे तक
निविदा दस्तावेज डाउनलोड करने की अंतिम तिथि : 06.11.19 अपराह्न 12.00 बजे तक

R.O. No. 127/North/DMC/2019-20 अधिशासी अभियंता (एम-II) केपीजेड

COURT NOTICE
In the court of : Sh. Devnoor Singh JMIC Ludhiana
RAJA IMPEX V/S DARSHAN SINGH
NOTICE TO 1. DARSHAN SINGH, PROP. SONIA SUPER KNITS, HNO 1135, STREET NO 6, GAGAN NAGAR, NEAR DABA POLICE CHOWKI, LUDHIANA
JMIC LUDHIANA

SBI
नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट, स्टेट बैंक ग्लोबल आईटी सेंटर, मेन बिल्डिंग, सेक्टर 11, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई - 400614.

शुद्धिपत्र

भारतीय स्टेट बैंक में इमर्सिव वीडियो कॉन्फरेंसिंग सुविधा के प्रापण, संस्थापन, कमिशनिंग, रखरखाव और वॉरंटी के लिए आरएफपी नं. एसबीआई/जीआईटीसी/एनडब्ल्यू एंड सी/19-20/651 दिनांक 27.09.2019 के संदर्भ में बैंक ने दिनांक 16.10.2019 को शुद्धिपत्र जारी किया है. विवरणों के लिए कृपया बैंक की वेबसाइट https://bank.sbi पर 'प्रोक्योरमेंट न्यूज' देखें.

स्थान: नवी मुंबई
दिनांक: 18/10/2019
हस्ताक्षर/-
उप महाप्रबंधक
(नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट)

BERVIN INVESTMENT & LEASING LTD.

CIN No.: L65993DL1990PLC039397, Regd. Office: 607, Rohit House,3, Tolstoy Marg New Delhi-110 001, Website: www.bervin.com, Email Id: secretary@bervin.com

NOTICE OF BOARD MEETING

Pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Thursday, 14th November, 2019 to inter-alia consider and approve the Unaudited Financial Results of the Company for the Quarter and Half Year ended 30th September, 2019.

Further, as per the provisions of the SEBI (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 2015 and Company's Code for Prevention of Insider Trading, the Trading Window for dealing in the securities of the Company remains closed from 1st October, 2019 and would re-open after 48 hours from the date of announcement / declaration of Un-Audited Financial Results for the Quarter ended 30th September, 2019.

The said notice can be accessed on the Company website at www.bervin.com as well as Stock Exchange website at www.bseindia.com.

For Bervin Investment and Leasing Limited
Sd/-
Kalpana Umakanth
Company Secretary

Date: 15.10.2019
Place: New Delhi

फार्म नं. आईएनसी-26

के.एल.वेंटिलेशन आपल प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, देवघर

अति अल्पकालीन ई-निविदा आमंत्रण सूचना

ई- निविदा सूचना संख्या – RDD/SD/DEOGHAR/84/2019-20

PR 220076 (Rural Development)19-20#D

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय
सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महागामा

शुद्धि-पत्र

दिनांक 16.10.19

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय आमंत्रित द्वारा निविदा संदर्भ सं0- WRD/Mahgama/ 08 F2/19-20(2nd Call) दिनांक 12.10.19 जिसका पी0आर0सं0- 219595 (सिंचाई)/ 19-20 है, (बटेश्वर स्थान गंगा पम्प नहर योजना के अनतर्गत आर0डी0 47.10 से 143.70 तक 05 अदद् S.L.R. ब्रीज एवं 02 अदद् D.L.R. ब्रीज का निर्माण कार्य) के प्रकाशित निविदा में निम्नांकित संशोधन किया जाता है:-

1. निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय :- दिनांक 17.10.19 से दिनांक 21.10.19 अपराह्न 5:00 बजे के स्थान पर दिनांक 17.10.19 से दिनांक 23.10.19 अपराह्न 5:00 बजे तक।
2. निविदा शुल्क एवं अग्रधन की राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय :-दिनांक 17.10.19 से दिनांक 22.10.19 अपराह्न 3:00 बजे के स्थान पर दिनांक 17.10.19 से दिनांक 24.10.19 अपराह्न 3:00 बजे तक।
3. निविदा खोलने की तिथि एवं समय :-दिनांक 23.10.19 के अपराह्न 2:00 बजे के स्थान पर दिनांक 25.10.2019 अपराह्न 2:00 बजे।

अतः निविदा को इस हद तक संशोधित समझा जाय।निविदा की अन्य शर्तें पूर्ववत् रहेगीं।

कार्यपालक अभियंता,
सिंचाई प्रमंडल गोड्डा, शिविर-महागामा।

P.R.220045 Irrigation(19-20):D

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम

अधिशासी अभियंता (एम-IV) डब्ल्यूजैड का कार्यालय
प्रथम तल, ओल्ड डी.सी. कार्यालय भवन, विशाल एन्क्लेव, राजौरी गार्डन, नई दिल्ली-27
एनआईटी सं. 13 ईई-(एम-डब्ल्यूजैड)-IV/डब्ल्यूजैड/टीसी/2019-20/ दिनांक: 16.10.19

निविदा हेतु प्रैस सूचना

आरओ सं: 82/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 ईई (एम-IV)/डब्ल्यूजैड

IDBI BANK
आईडीबीआई बैंक लि.
(CIN-L65190MH2004GOI148838)

सम्पत्ति की बिक्री हेतु जरिये ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना

दक्षिणी दिल्ली नगर निगम
बागवानी विभाग (मुख्यालय)
ई-ब्लॉक, तृतीय तल, डॉ. एस.पी.एम. सिविक सेन्टर, जे.एल. नेहरू मार्ग, नई दिल्ली-110002

निविदा आमंत्रण सूचना

आर.ओ. नं. 80/डीपीआई/दक्षिणी/2019-20 उप निदेशक (बागवानी) मुख्यालय

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India

कब्जा सूचना

परिशिष्ट-IV [देखें नियम 8 (1)]

तिथि: 14.10.2019 प्राधिकृत अधिकारी
स्थान: नई दिल्ली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

कंपनी सूचना
श्रीराम पिस्टन्स एण्ड रिंग्स लि.

COURT NOTICE
JMIC LUDHIANA

दक्षिण मध्य रेलवे
ई-नीलामी

दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड
दिल्ली सरकार, एन. सी. टी. दिल्ली
कार्यकारी अभियंता का कार्यालय (C-5)

निविदा आमंत्रित का नोटिस

DIP/Shabdarth/0866/19-20

SBI Life
INSURANCE
With Us, You're Sure

AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2019

FORM L-1A-A-RA — Revenue Account for the half year ended September 30, 2019 - Policyholders' Account (Technical Account)

(₹ in Lakhs)

Particulars	2019 Total	2019 Non-Linked Individual Life	2019 Non-Linked Individual Pension	2019 Non-Linked Group	2019 Linked Individual Life	2019 Linked Individual Pension	2019 Linked Group	2018 Total	2018 Non-Linked Individual Life	2018 Non-Linked Individual Pension	2018 Non-Linked Group	2018 Linked Individual Life	2018 Linked Individual Pension	2018 Linked Group
Premium earned - net														
(a) Premium	16,93,785	3,96,047	63,094	3,34,495	7,64,288	1,34,222	1,640	12,44,444	3,24,582	24,338	2,29,967	5,72,513	90,467	2,577
(b) (Reinsurance ceded)	(17,132)	(2,268)	-	(13,906)	(959)	-	-	(2,837)	(311)	-	(2,427)	(99)	-	-
(c) Reinsurance accepted	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sub-total	**16,76,653**	**3,93,779**	**63,094**	**3,20,589**	**7,63,329**	**1,34,222**	**1,640**	**12,41,607**	**3,24,271**	**24,338**	**2,27,540**	**5,72,415**	**90,467**	**2,577**
Income from investments														
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	4,16,010	1,21,900	19,156	1,03,915	1,48,323	21,733	983	3,54,272	1,00,667	16,910	95,111	1,28,319	12,441	824
(b) Profit on sale / redemption of investments	2,43,215	44,879	2,436	18,467	1,55,447	21,508	478	1,54,434	20,493	1,832	11,537	1,02,285	17,942	346
(c) (Loss on sale / redemption of investments)	(94,407)	(10,010)	(554)	(2,797)	(72,041)	(8,659)	(347)	(88,985)	(1,884)	(45)	(474)	(74,035)	(12,105)	(442)
(d) Transfer / Gain on revaluation / change in fair value	(27,856)	-	-	-	(21,619)	(6,744)	507	(28,529)	-	-	-	(24,313)	(3,957)	(259)
(e) Accretion of discount / (amortisation of premium) (net)	23,110	3,531	776	5,415	11,997	1,393	(3)	14,439	3,752	510	3,499	5,244	1,391	43
Other Income														
(a) Contribution from the Shareholders' Account	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(b) Income on unclaimed amount of policyholders	986	-	-	-	986	-	-	2,009	-	-	-	2,009	-	-
(c) Miscellaneous income	1,178	1,097	52	22	6	1	-	1,131	1,081	28	17	5	-	-
Sub-total	**5,62,236**	**1,61,397**	**21,866**	**1,25,022**	**2,23,099**	**29,233**	**1,619**	**4,08,772**	**1,24,109**	**19,236**	**1,09,690**	**1,39,514**	**15,712**	**512**
TOTAL (A)	**22,38,889**	**5,55,176**	**84,960**	**4,45,612**	**9,86,428**	**1,63,455**	**3,259**	**16,50,380**	**4,48,380**	**43,574**	**3,37,229**	**7,11,928**	**1,06,179**	**3,089**
Commission	65,760	29,301	1,022	4,434	26,679	4,324	-	51,514	23,381	503	3,726	20,963	2,940	-
Operating expenses related to insurance business	1,10,342	37,202	1,479	14,890	53,969	2,741	60	97,477	33,441	635	10,754	50,277	2,301	68
Provision for doubtful debts	31	30	-	-	-	-	-	48	47	1	-	-	-	-
Bad Debts written off	10	3	-	-	7	-	-	16	2	-	-	14	-	-
Provision for Income Tax	23,682	18,781	-	3,072	1,828	-	1	19,383	15,854	193	2,042	1,293	-	-
Provisions (other than taxation)														
(a) For diminution in the value of investments (net)	5,188	3,606	103	107	1,331	40	-	541	611	-	(70)	-	-	-
(b) For standard assets and non-standard assets	73	73	-	-	-	-	-	(4)	(4)	-	-	-	-	-
GST on charges	24,332	543	1	-	21,594	2,175	19	19,246	454	1	-	17,297	1,477	16
TOTAL (B)	**2,29,417**	**89,539**	**2,607**	**22,503**	**1,05,408**	**9,279**	**80**	**1,88,221**	**73,787**	**1,334**	**16,453**	**89,845**	**6,718**	**85**
Benefit paid (net)	6,09,530	1,28,796	17,066	234,824	208,141	20,105	598	4,91,811	99,820	13,299	1,57,161	1,91,589	29,206	736
Interim & terminal bonuses paid	1,916	1,902	14	-	-	-	-	1,470	1,467	3	-	-	-	-
Change in valuation of liability in respect of life policies in force														
(a) Gross	5,57,694	3,12,100	64,575	1,74,394	5,501	1,104	19	4,13,341	2,36,923	24,142	1,47,266	4,475	519	15
(b) Fund reserve	6,67,153	-	-	-	5,49,353	1,15,250	2,551	4,05,447	-	-	-	3,46,183	57,009	2,256
(c) Funds for discontinued policies	1,16,133	2,996	-	-	99,125	14,012	-	84,574	8,693	-	-	66,089	9,792	-
(d) (Amount ceded in re-insurance)	(5,649)	(6)	-	(5,636)	(8)	-	-	4,956	1,855	-	2,528	572	-	-
(e) Amount accepted in re-insurance	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (C)	**19,46,777**	**4,45,789**	**81,655**	**4,03,583**	**8,62,111**	**1,50,471**	**3,168**	**14,01,599**	**3,48,758**	**37,445**	**3,06,956**	**6,08,908**	**96,525**	**3,008**
SURPLUS / (DEFICIT) (D) = (A) - (B) - (C)	**62,695**	**19,848**	**698**	**19,526**	**18,909**	**3,705**	**10**	**60,560**	**25,836**	**4,796**	**13,820**	**13,176**	**2,936**	**(4)**
Balance of previous year	28,162	27,065	1,097	-	-	-	-	19,348	16,329	3,019	-	-	-	-
Balance available for appropriation	90,857	46,913	1,795	19,526	18,909	3,705	10	79,908	42,164	7,815	13,820	13,176	2,936	(4)
APPROPRIATIONS														
Reserve for lapsed unit linked policies unlikely to be revived	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transfer to Shareholders' Account	27,099	(12,028)	(3,022)	19,526	18,909	3,705	10	38,276	5,680	2,667	13,820	13,176	2,936	(4)
Balance being funds for future appropriations (non linked)	**63,758**	**58,941**	**4,817**	**-**	**-**	**-**	**-**	**41,632**	**36,484**	**5,149**	**-**	**-**	**-**	**-**

FORM L-2A-A-P&L

Profit and Loss Account for the half year ended September 30, 2019
Shareholders' Account (Non-Technical Account)

(₹ in Lakhs)

Particulars	For the half year ended September 30, 2019	For the half year ended September 30, 2018
Amounts transferred from the Policyholders Account (Technical Account)	27,099	38,276
Income From Investments		
(a) Interest, Dividend & Rent - Gross	23,127	19,725
(b) Profit on sale / redemption of investments	9,725	4,191
(c) (Loss on sale / redemption of investments)	(1,661)	(236)
(d) Accretion of discount / (amortisation of premium) (net)	223	596
Other Income	315	801
TOTAL (A)	**58,829**	**63,353**
Expense other than those directly related to the insurance business	792	540
Corporate Social Responsibility expenses	1,102	921
Transferred to Policyholders' Account	-	-
Bad debts written off	-	-
Provisions (other than taxation)		
(a) For diminution in the value of investments (net)	7,230	(74)
(b) Provision for doubtful debts	-	-
(c) For standard assets and non-standard assets	-	-
TOTAL (B)	**9,123**	**1,387**
Profit / (loss) before tax	49,705	61,966
Provision for taxation	(469)	1,482
Profit / (loss) after tax	50,175	60,484
APPROPRIATIONS		
(a) Balance at the beginning of the year	6,46,014	5,37,446
(b) Interim dividends during the year	-	-
(c) Proposed final dividend	-	-
(d) Dividend distribution tax	-	-
Profit carried to the Balance Sheet	**6,96,189**	**5,97,930**

FORM L-3A-A-BS

Balance Sheet as at September 30, 2019

(₹ in Lakhs)

Particulars	As at September 30, 2019	As at September 30, 2018	As at March 31, 2019
SOURCES OF FUNDS			
Shareholders' Funds			
Share Capital	1,00,000	1,00,000	1,00,000
Reserves and surplus	6,96,192	5,97,930	6,46,014
Credit / (Debit) Fair Value Change Account	10,954	11,120	11,621
Sub-Total	**8,07,146**	**7,09,050**	**7,57,636**
Borrowings	-	-	-
Policyholders' Funds			
Credit / (Debit) Fair Value Change Account	90,544	85,887	1,05,639
Policy Liabilities	70,50,480	59,82,580	64,95,439
Insurance Reserves			
Linked Liabilities	67,54,223	53,89,785	60,59,214
Add:- Fair Value Change (Linked)	4,88,201	2,82,019	5,16,057
Add:- Funds for Discontinued Policies			
(i) Discontinued on account of non-payment of premium	4,45,032	2,97,871	3,32,626
(ii) Others	5,742	5,238	5,011
Total:- Linked Liabilities	76,93,198	59,74,913	69,12,908
Sub-Total	**1,48,34,222**	**1,20,43,380**	**1,35,13,986**
Funds for Future Appropriation	63,758	41,632	28,162
TOTAL	**1,57,05,127**	**1,27,94,063**	**1,42,99,783**
APPLICATION OF FUNDS			
Investments			
- Shareholders'	6,90,898	5,77,402	5,72,324
- Policyholders'	69,19,015	58,97,852	64,47,239
Assets held to cover linked liabilities	76,93,198	59,74,913	69,12,908
Loans	36,690	17,021	17,250
Fixed assets	59,917	59,221	59,522
Current assets			
Cash and bank balances	1,75,406	1,98,385	2,42,063
Advances and other assets	4,03,579	3,74,300	4,22,078
Sub-Total (A)	**5,78,984**	**5,72,684**	**6,64,141**
Current liabilities	2,49,184	2,82,640	3,37,713
Provisions	24,392	22,392	35,888
Sub-Total (B)	**2,73,575**	**3,05,031**	**3,73,601**
Net current assets (C) = (A – B)	**3,05,409**	**2,67,653**	**2,90,540**
Miscellaneous expenditure (to the extent not written off or adjusted)	-	-	-
Debit balance in Profit & Loss Account (Shareholders' Account)	-	-	-
Debit balance in Revenue Account (Policyholders' Account)	-	-	-
TOTAL	**1,57,05,127**	**1,27,94,063**	**1,42,99,783**

FORM L-22A

Analytical Ratios

Sl No	Particulars	For the quarter ended September 30, 2019	For the half year ended September 30, 2019	For the quarter ended September 30, 2018	For the half year ended September 30, 2018
1	**New business premium income growth rate - segment wise**				
	Participating Life	(35.18%)	(27.23%)	(15.70%)	(4.69%)
	Participating Pension	(31.02%)	(23.66%)	(50.73%)	(38.66%)
	Group Pension	-	-	-	-
	Non Participating	90.54%	92.66%	183.45%	91.28%
	Linked Life	8.71%	17.88%	19.55%	14.05%
	Linked Group	(46.20%)	(36.37%)	115.37%	106.87%
	Linked Pension	33.58%	43.66%	25.65%	21.96%
2	Net Retention Ratio	98.71%	98.99%	99.69%	99.77%
3	Expense of Management to Gross Direct Premium Ratio	9.90%	10.40%	10.86%	11.97%
4	Commission Ratio (Gross commission paid to Gross Premium)	3.99%	3.88%	4.15%	4.14%
5	Ratio of policy holder's liabilities to shareholder's funds	1845.76%	1845.76%	1704.39%	1704.39%
6	Growth rate of shareholders' fund	1.64%	6.53%	3.91%	8.62%
7	Ratio of surplus to policyholders' liability	0.23%	0.42%	0.24%	0.50%
8	Change in net worth (₹ in lakhs)	13,002	49,508	26,703	56,268
9	Profit after tax / Total Income	1.01%	2.21%	2.57%	3.61%
10	(Total real estate + loans) / (Cash & invested assets)	0.48%	0.48%	0.43%	0.43%
11	Total investments / (Capital + Surplus)	1943.73%	1943.73%	1807.72%	1807.72%
12	Total affiliated investments / (Capital+Surplus)	6.02%	6.02%	7.23%	7.23%
13	**Investment Yield (Gross and Net)**				
	A. With Realized Gains				
	Shareholders' Funds	8.19%	9.74%	8.23%	9.10%
	Policyholders' Funds - Non Linked	8.95%	9.22%	8.34%	8.84%
	Par	8.61%	8.87%	8.29%	8.87%
	Non Par	9.18%	9.46%	8.37%	8.83%
	Policyholders' Funds -Linked	7.75%	8.45%	7.08%	6.83%
	B. With Unrealized Gains				
	Shareholders' Funds	10.81%	9.33%	8.45%	3.25%
	Policyholders' Funds - Non Linked	9.14%	12.96%	5.27%	1.39%
	Par	6.40%	13.75%	2.83%	(0.12%)
	Non Par	11.04%	12.40%	6.79%	2.32%
	Policyholders' Funds - Linked	5.86%	7.06%	5.09%	5.43%
14	**Conservation Ratio**	87.06%	88.53%	83.60%	84.10%
	Participating Life	88.73%	88.48%	86.28%	86.28%
	Participating Pension	94.90%	96.12%	91.65%	92.25%
	Group Pension	25.65%	31.89%	161.52%	128.94%
	Non Participating	80.26%	86.96%	79.86%	80.48%
	Linked Life	87.45%	88.86%	82.23%	83.14%
	Linked Group	-	-	-	-
	Linked Pension	85.67%	87.59%	86.95%	87.89%
15	**Persistency Ratio (policies)***				
	For 13th month	75.59%	73.46%	72.65%	71.54%
	For 25th month	68.55%	65.18%	62.23%	64.49%
	For 37th month	59.29%	60.55%	59.62%	61.43%
	For 49th month	54.95%	57.00%	54.31%	56.66%
	For 61st month	49.22%	51.02%	47.55%	48.63%
16	**Persistency Ratio (premium)***				
	For 13th month	83.13%	85.81%	80.03%	83.20%
	For 25th month	75.91%	77.36%	71.69%	74.75%
	For 37th month	68.90%	71.01%	68.43%	71.00%
	For 49th month	65.75%	67.94%	64.93%	64.36%
	For 61st month	59.55%	57.48%	55.45%	57.50%
17	**NPA Ratio**				
	Gross NPA Ratio	NIL	NIL	NIL	NIL
	Net NPA Ratio	NIL	NIL	NIL	NIL

(Persistency calaculated on the date as at 30/09/2019

Notes

1) This disclosure is made in accordance with and as per definition given in IRDAI Circular IRDA/F&I/CIR/012/01/2010 date January 28, 2010.
2) The Financial Statements of the Company for the half year ended September 30, 2019 have been audited by the Joint Statutory Auditors of the Company.
3) The above results have been reviewed and approved by Board of Directors in the meeting held on October 15, 2019.
4) Previous year / period's figures are regrouped / rearranged wherever necessary to make them comparable with those of the current year.
5) Surplus form non-participating segment is recognised in the Profit & Loss Account based on the recommendations by the Appointed Actuary.
6) The fund transfer of surplus from non-participating segment will be made at the year end on the basis of audited financials with required recommendations from the Appointed Actuary.

*The Methodology of Persistency Calculation:
The persistency ratios are calculated as per IRDA/ACT/CIR/MISC/035/01/2014 circular dated 23rd January 2014.
Single Premium and Fully Paid-Up policies are considered in above calculation.
Group Business where persistency is measurable, is included.
The 'For the half year ended' Persistency Ratios are calculated using policies issued in September to August period of the relevant years and 'For the quarter ended' Persistency Ratios are calculated using policies issued in June to August period of the relevant years.

For and on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Sanjeev Nautiyal
Managing Director & CEO
DIN: 08075972

Trade logo displayed above belongs to State Bank of India and is used by SBI Life under license. SBI Life Insurance Company Limited, Registered and Corporate Office: 'Natraj', M. V. Road & Western Express Highway Junction, Andheri (East), Mumbai - 400 069. **IRDAI Regn. No. 111.** CIN: L99999MH2000PLC129113. E-mail: info@sbilife.co.in Website: www.sbilife.co.in SMS "CELEBRATE" to 56161 Toll Free: 1800 267 9090 (Between 9:00 am to 9:00 pm)

AFRI ver 01-10-19 ADVT ENG

मैरी कॉम से भिड़ना चाहती हैं निकहत

रिजीजू को पत्र लिखकर की मांग

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

पूर्व जूनियर विश्व चैंपियन निकहत जरीन ने खेल मंत्री किरन रिजीजू को पत्र लिखकर एमसी मैरी कॉम के खिलाफ ट्रायल मुकाबला करवाने की मांग की है। वह चाहती हैं कि अगले साल होने वाले ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए भारतीय टीम का चयन करने से पहले उनके और मैरी कॉम के बीच मुकाबला हो। मैरी कॉम (51 किग्रा) ने रूस में हाल में समाप्त हुई विश्व चैंपियनशिप में अपना आठवां पदक हासिल किया। उन्हें इस प्रतियोगिता के लिए जरीन पर प्राथमिकता दी गई थी।

दरअसल, भारतीय मुक्केबाजी महासंघ (बीएफआइ) ने तब ट्रायल से इनकार कर दिया था और मैरी कॉम के प्रदर्शन के आधार पर उन्हें टीम में रखने का फैसला किया था। बीएफआइ की अब विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने के कारण ओलंपिक क्वालीफायर्स के लिए भी मैरी कॉम को भेजने की योजना है। इस तरह से वह अपने पिछले फैसले से पीछे हट रहा है। तब उसने केवल स्वर्ण और रजत पदक विजेता का ही सीधा चयन करने का निर्णय किया था। क्वालीफायर्स अगले साल फरवरी में चीन में होंगे।

जरीन ने अपने पत्र में लिखा है, 'सर, खेल का आधार निष्पक्षता है और किसी को हर समय खुद को साबित करने की जरूरत होती है। यहां तक कि ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता को भी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए फिर से मुकाबला करना होता है।' 'मैं किशोरावस्था से ही मैरी कॉम से प्रेरित रही हूं। इस प्रेरणा के साथ न्याय करने का सबसे अच्छा तरीका यही हो सकता है कि मैं उनकी तरह एक महान मुक्केबाज बनने का प्रयास करूं। क्या मैरी कॉम खेल की इतनी बड़ी हस्ती हैं कि उन्हें प्रतिस्पर्धा से दूर रखने की जरूरत है।'

मुक्केबाजी

दिलचस्प बात यह है कि बीएफआइ का पुरुष वर्ग के मानदंडों के अनुसार कांस्य पदक विजेता का भी सीधा चयन होगा। जरीन ने लिखा है, 'आखिर जब 23 बार के स्वर्ण पदक विजेता माइकल फेल्प्स को भी ओलंपिक के लिए हर बार नए सिरे से क्वालीफाई करना पड़ा, तो हम सभी को भी ऐसा करना चाहिए।'

मैरी कॉम कहती रही हैं कि चयन ट्रायल पर वह बीएफआइ के दिशानिर्देशों का पालन करेंगी और अगर महासंघ कहता है तो ट्रायल में भाग लेंगी। खेल मंत्रालय किसी भी राष्ट्रीय महासंघ के चयन मामलों में तब तक हस्तक्षेप नहीं कर सकता जब तक कि उस खेल की अंतरराष्ट्रीय संस्था ऐसा करने के लिए नहीं कहे क्योंकि इस तरह का कोई भी कदम ओलंपिक चार्टर का उल्लंघन माना जाता है।

भारत-पाक क्रिकेट संबंध प्रधानमंत्रियों की मंजूरी से जुड़ा विषय : गांगुली

कोलकाता, 17 अक्तूबर (भाषा)।

सौरव गांगुली ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय क्रिकेट संबंध बहाल करना भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके पाकिस्तानी समकक्ष इमरान खान की मंजूरी से जुड़ा विषय है। गांगुली से जब भारत-पाकिस्तान द्विपक्षीय श्रृंखला बहाल करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'आपको यह सवाल प्रधानमंत्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए।'

पूर्व कप्तान ने कहा कि निश्चित तौर पर हमें अनुमति लेनी होगी। क्योंकि सभी अंतरराष्ट्रीय दौरे सरकार के जरिए होते हैं। इसलिए हमारे पास इस सवाल का जवाब नहीं है। भारत और पाकिस्तान के बीच आखिरी द्विपक्षीय श्रृंखला 2012 में खेली गई थी जबकि भारत ने दो टी-20 और तीन एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैचों के लिए पाकिस्तान की मेजबानी की थी।

गांगुली की अगुआई में भारत ने 2004 में पाकिस्तान का ऐतिहासिक दौरा किया था। यह 1999 में करगिल युद्ध के बाद दोनों देशों के बीच पहली द्विपक्षीय श्रृंखला थी और भारतीय टीम 1989 के बाद पहली बार पाकिस्तान दौरे पर गई थी।

भारतीय तेज आक्रमण मुझे कैरेबियाई आक्रमण की याद दिलाता है : लारा

मुंबई, 17 अक्तूबर (भाषा)।

वेस्ट इंडीज के महान बल्लेबाज ब्रायन लारा ने गुरुवार को मौजूदा भारतीय तेज आक्रमण की तारीफ करते हुए कहा कि इससे उन्हें अतीत के कैरेबियाई तेज आक्रमण की याद आती है।

भारत के जसप्रीत बुमराह, ईशांत शर्मा और मोहम्मद शमी ने 2018 में टेस्ट मैचों में 142 विकेट लिए।

यह पूछने पर कि इस भारतीय टीम में क्या खास है, लारा ने कहा, 'भारत का तेज आक्रमण। मैंने वेस्ट इंडीज में देखा। बुमराह, शमी, यादव, भुवनेश्वर सभी बेहतरीन तेज गेंदबाज हैं।'

उन्होंने कहा, 'ये मुझे अस्सी और नब्बे के दशक की वेस्टइंडीज टीम की याद दिलाते हैं। टीम की क्षमता का आकलन करने के लिए रिजर्व बेंच की ताकत को आंकना जरूरी है। इसके मायने है कि आपके पास उम्दा आक्रमण है।' यहां 'रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरिज' के लांच के लिए आए लारा ने भारतीय कप्तान विराट कोहली की भी तारीफ की।

उन्होंने कहा, 'वह शानदार कप्तान हैं। अपने प्रदर्शन के जरिये वे मोर्चे से अगुआई करते हैं। खेल के सभी पहलुओं में और मैदान से बाहर भी। महेंद्र सिंह धोनी ने नींव रखी और अब कोहली अलग तरीके से टीम को आगे ले जा रहे हैं।' लारा ने कहा, 'भारतीय टीम सही दिशा में जा रही है। खेल से जुड़े सर्वश्रेष्ठ लोग इसके पास है और इसका फायदा मिल रहा है।'

आइएसएल का भी चेहरा होंगे गांगुली

कोलकाता, 17 अक्तूबर (भाषा)।

भारतीय क्रिकेट के अगले मुखिया सौरव गांगुली आगामी इंडियन सुपर लीग फुटबॉल टूर्नामेंट का भी 'चेहरा' होंगे। आइएसएल का नया सत्र रविवार को कोच्चि में शुरू होगा जिसमें केरल ब्लास्टर्स का सामना दो बार के चैंपियन एटीके से होगा। गांगुली इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे।

गांगुली ने कहा कि मैं इस बार आइएसएल का चेहरा हूं और उनके लिए शूट कर रहा हूं। इसलिए मुझे केरल में उद्घाटन समारोह में उपस्थित रहना होगा। इस वजह से मैं रांची टैस्ट मैच में नहीं रहूंगा।

बीसीसीआइ के भावी अध्यक्ष को रांची में रहना था लेकिन नए घटनाक्रम का मतलब है कि गांगुली आइएसएल के उद्घाटन समारोह में भाग लेने के बाद अगले दिन मुंबई पहुंचकर 23 अक्तूबर को बीसीसीआइ की वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में इसके अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। संयोग से गांगुली आइएसएल फ्रेंचाइजी एटीके के सह मालिक भी हैं। उन्होंने कहा कि मैं अब भी एटीके के साथ हूं और जल्द ही उनसे बात करूंगा।

सिंधू व समीर डेनमार्क ओपन से बाहर

ओडेन्से, 17 अक्तूबर (भाषा)।

विश्व चैंपियन पी वी सिंधू डेनमार्क ओपन बैडमिंटन के दूसरे दौर में अन सी यंग से सीधे गेम में हारकर बाहर हो गई।

पांचवीं वरीयता प्राप्त ओलंपिक रजत पदक विजेता सिंधू को कोरियाई प्रतिद्वंद्वी ने 40 मिनट में 21-14, 21-17 से हराया।

अगस्त में स्विटजरलैंड में विश्व चैंपियनशिप में खिताब जीतने के बाद यह सिंधू की शुरुआती दौर में लगातार तीसरी हार है। वह चाइना ओपन के दूसरे और कोरिया ओपन के पहले दौर में हार गई थी।

भारत के समीर वर्मा और पुरुष युगल में सात्विक साइराज रांकिरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी भी दूसरे दौर में हारकर बाहर हो गई। समीर को ओलंपिक चैम्पियन चीन के चेन लोंग ने 21-12, 21-10 से हराया।

द्रविड़ की देखरेख में क्रिकेट सीख रहे 16 देशों के युवा

नई दिल्ली, 17 अक्तूबर (भाषा)।

राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) के निदेशक राहुल द्रविड़ की देखरेख में 16 राष्ट्रमंडल देशों के खिलाड़ियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसका आयोजन बीसीसीआइ विदेश और खेल मंत्रालय के सहयोग से कर रहा है।

लंदन में 19 अप्रैल 2018 को राष्ट्रमंडल देशों के प्रमुखों की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि भारत 16 साल से कम उम्र के लड़कों और लड़कियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाएगा। उन्होंने कहा था कि भारत उन्हें एनसीए में भारत के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों के साथ अभ्यास करने का मौका देगा। एनसीए में अभी बोत्सवाना, कैमरून, केन्या, मोजाम्बिक, मॉरीशस, नामीबिया, नाइजीरिया, रवांडा, युगांडा, जाम्बिया, मलेशिया, सिंगापुर, जमैका, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, फिजी और तंजानिया के युवा खिलाड़ी (18 लड़के और 17 लड़कियां) प्रशिक्षण ले रहे हैं।

बीसीसीआइ की विज्ञप्ति के अनुसार यह एक महीने का शिविर एनसीए बंगलुरु में एक अक्तूबर से शुरू हुआ और इसे 30 अक्तूबर तक चलाया जाएगा।

यहां एनसीए के क्रिकेट प्रमुख राहुल द्रविड़ की देखरेख में देश के सर्वश्रेष्ठ कोच उन्हें प्रशिक्षण दे रहे हैं। इन खिलाड़ियों को होटल आवास, क्रिकेट किट, पोषक तत्व, अन्य सुविधाएं और भत्ते प्रदान किए जा रहे हैं। ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनका प्रवास आरामदायक और फलदाई रहे।

रजिस्ट्रेशन नं. डी.एल.-21047/03-05, आरएनआई नं. 42819/83, वर्ष 36, अंक 334, *हवाई शुल्क:* इंफल-पांच रुपए, गुवाहाटी-चार रुपए, रायपुर-दो रुपए और पटना-एक रुपए।
दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के लिए आर. सी. मल्होत्रा द्वारा ए-8, सेक्टर 7, नोएडा- 201301, जिला गौतम बुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित और मेजनीन फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, 9-10, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली-110002 से प्रकाशित। फोन: (0120) 2470700/2470740, ई-मेल: edit.jansatta@expressindia.com, फैक्स: (0120) 2470753, 2470754, **बोर्ड अध्यक्ष: विवेक गोयनका, कार्यकारी संपादक: मुकेश भारद्वाज***, *पीआरबी अधिनियम के तहत खबरों के चयन के जिम्मेवार। कापीराइट: दि इंडियन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड। सर्वाधिकार सुरक्षित। लिखित अनुमति लिए बगैर प्रकाशित सामग्री या उसके किसी अंश का प्रकाशन या प्रसारण नहीं किया जा सकता।